वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

सभी सुखी हों,
सभी रोगमुक्त रहें,
सभी का जीवन मंगलमय बनें
और कोई भी दुःख का भागी न बने।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

सर्वे भवन्तु सुखिनः

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
भारत

शीर्षक:
वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

© द्वारा प्रकाशित:
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन
सी - ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए
नई दिल्ली - 110023, भारत

मुद्रित:
सेंसर एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
सेंट 27-28ए, 1 मंजिल, स्ट्रीट नंबर 1
संजय नगर
मंगोलपुरी कलां
सेक्टर - 2, रोहिणी
दिल्ली - 110085, भारत

विषय वस्तु

प्राक्कथन vii

प्रस्तावना ix

अध्याय 1: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, संरचना एवं कार्य 1
- आयोग का गठन 1
- आयोग की संरचना 1
- आयोग के कार्य 2
- वर्ष के दौरान आयोग के प्रमुख पदाधिकारी 3
- रणनीतिक योजना एवं वार्षिक कार्य योजना 3

अध्याय 2: वर्ष, एक नज़र में 4
- शिकायतों पर कार्रवाई एवं निगरानी 4
- शिविर बैठकें / जन-सुनवाई 4
- मानव अधिकार विषयक अनुसंधान 5
- परामर्शियां 5
- सम्मेलन / संगोष्ठियाँ / जन-सुनवाई 5
- मानव अधिकार साक्षरता का संवर्धन, वकालत एवं प्रशिक्षण 5
- मानव अधिकार संरक्षकों, ग़ैर-सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों से जुड़ाव 6
- सांविधिक पूर्ण आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोगों, विशेष मॉनीटर एवं विशेष प्रतिवेदकों के साथ बैठकें 6
- अन्तरराष्ट्रीय व्यस्तताएं 6
- जागरूकता एवं जन-सम्पर्क अभियान 7
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापना दिवस 8
- मानव अधिकार दिवस 8
- सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित विवरण 9

अध्याय 3: संगठनात्मक संरचना 10

अध्याय 4: प्रशासनिक, संभरण सहायता एवं वित्तीय समर्थन 13
- आयोग की कार्मिक संख्या 13
- बजट आबंटन 13
- सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी 13
- प्रलेखन केन्द्र (ई-लाइब्रेरी) 14
- प्रापण एवं सुप्रचालन 14

अध्याय 5: आयोग की प्रतिबद्धताएं 15
- सांविधिक पूर्ण आयोग बैठक 15
- राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ बैठक 16
- विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनीटर के साथ बैठक 16

- स्थानीय स्वायत्त शासी निकायों के माध्यम से मानव अधिकार संवर्धन विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन 17
- जन-संपर्क गतिविधियां 17

अध्याय 6: समर्थन और जनसंपर्क 23
- मीडिया एवं संचार 23
- प्रकाशन 24
- अनुसंधान अध्ययन 25
- प्रशिक्षण कार्यक्रम 25
- इंटर्नशिप प्रोग्राम 25
- प्रशिक्षण/प्रतियोगिता/दौरों का विवरण 26
- पुलिसकर्मियों के साथ कार्यक्रम 28
- राजभाषा के माध्यम से मानव अधिकारों का संवर्धन 29

अध्याय 7: विषयात्मक अन्तर्दृष्टि 30
- कोर ग्रुप 30
- विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर 30
- परामर्शियां 31
- आपराधिक न्याय प्रणाली 35
- स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य अधिकार 37
- भोजन एवं पोषण का अधिकार 39
- शिक्षा का अधिकार 40
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार 41
- पंचायती राज व्यवस्था / स्थानीय स्वशासन 43
- महिलाओं के अधिकार 44
- बच्चों के अधिकार 47
- एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के व्यक्तियों के अधिकार 48
- वृद्धजनों के अधिकार 49
- दिव्यांगजनों के अधिकार 50
- पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं मानव अधिकार 52
- खेल एवं मानव अधिकार 52
- नाविकों के अधिकार 53
- व्यापार एवं मानव अधिकार 54
- मानव अधिकार संरक्षक 56

अध्याय 8: अन्तरराष्ट्रीय सहभागिता 59
- अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रम 59
- राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफिक फॉरम (एपीएफ़) के साथ सहयोग 59
- राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबन्धन (गैनहरी) के साथ सहयोग 60
- अन्य अन्तरराष्ट्रीय बैठकों एवं संगोष्ठियों में सहभागिता 60
- अन्तरराष्ट्रीय वेबिनार में सहभागिता 61

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित अन्तरराष्ट्रीय बैठकें 61
- विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों के साथ विचार-विमर्श 63

अध्याय 9: शिकायत निवारण 65
- मानव अधिकार उल्लंघन केसों के निपटानार्थ आयोग की बैठकें 65
- हिरासत में हिंसा 66
- दृष्टान्त केस....... 66
- संस्तुतियों की अस्वीकार्यता 119

अनुलग्नक

I 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक दर्ज केसों की राज्यवार संख्या 121

II 2023-24 के दौरान निपटाए गए केसों की राज्यवार संख्या 123

III 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार मानव अधिकार आयोग के पास प्रतीक्षित केसों की संख्या....... 125

IV 2023-2024 के दौरान ऐसे केसों की संख्या, जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई....... 127

V 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की गई घटनास्थल जांच....... 128

VI राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वित्त पोषित पूर्ण अनुसंधान अध्ययन....... 132

VII राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वित्तपोषित प्रक्रियाधीन अनुसंधान अध्ययन 134

VIII राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुमोदित नए अनुसंधान अध्ययन....... 141

IX 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और भरे गए पदों का विवरण 143

X विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर 145

XI 2023-24 के दौरान विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों द्वारा किए गए दौरे 148

XII आयोग द्वारा मौद्रिक राहत के लिए की गई संस्तुतियां, जिन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया / जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया या न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई....... 154

XIII सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण 160

XIV राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में संस्थानों के विद्यार्थियों एवं सरकारी अधिकारियों का दौरा....... 162

XV 2023-2024 के दौरान आयोग द्वारा जारी आदेशों का विवरण 164

तालिकाओं की सूची

6.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से आयोजित वाद-विवाद न्यायालय प्रतियोगितायें....... 27

9.1 वर्ष 2023-2024 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित शिविर बैठकों का विवरण 65

प्राक्कथन

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा
अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 अवधि की 31वीं वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को सहर्ष प्रस्तुत करता है। वर्ष 2023 भारत में मानव अधिकारों की दृष्टि से अत्यन्त महत्व रखता है। इस वर्ष मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के लागू होने की 30वीं वर्षगाँठ मनायी गयी। इस अधिनियम के पारित होने के फलस्वरूप, एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसे पेरिस सिद्धान्तावलि के सम्पूर्ण अनुपालन में, देश भर में मानव अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

पेरिस सिद्धान्तावलि में यथा प्रतिपादित बहुलतावाद, स्वाधीनता एवं प्रभाविता के मूल स्तम्भों पर संस्थापित, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने अपनी कार्यप्रणाली में भारतीय लोकाचार को भी एकीकृत किया है। इस एकीकरण से, आयोग विश्व को एक परिवार मानते हुये मानव अधिकारों की संकल्पना को समृद्ध करता है तथा मानवमात्र के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कार्य करने को प्रवृत्त होता है। आयोग का आदर्श वाक्य "सर्वे भवन्तु सुखिनः" दर्शाता है कि आयोग प्रत्येक मनुष्य के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है। आयोग की यह प्रतिबद्धता "दिल्ली घोषणा" प्रस्ताव को सर्वानुमति से पारित कराने के उसके प्रयासों में स्पष्टतः परिलक्षित होती है। इस घोषणा में सदस्यों ने यह माना कि जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण में शुद्धता की कमी के कारण मानव अधिकारों को ख़तरा है और उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी के दायित्वपूर्ण विकास की माँग करते हुये समूचे क्षेत्र में मानव अधिकारों की संवृद्धि का वचन लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत सभी व्यक्तियों के अधिकारों को पुष्ट करने के लिये अपनी संस्थापना से ही कर्मठतापूर्वक कार्य करता रहा है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आयोग ने अनेकानेक पहलें कीं हैं, जिनमें स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करना और स्वतन्त्र अन्वेषण शामिल हैं। साथ ही, आयोग ने मूल मानव अधिकार विषयों जैसे, महिला अधिकार, बाल अधिकार, ट्रांसजेंडरों व मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों के अधिकार, क़ैदियों के अधिकार और पर्यावरण समस्याओं पर भी व्यापक विचार-विमर्श किया है। आयोग समाज के सर्वाधिक हाशिये पर धकेले गये संवेदनशील वर्गों की आवाज़ बना है। इस अवधि में, आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, नियोजन, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से सम्बद्ध विषयों पर परामर्शियां जारी की हैं। साथ ही, ये परामर्शियां बाल यौन शोषण सामग्री (सीसैम) के प्रसार तथा क़ैदियों द्वारा जान बूझ कर ख़ुद को क्षति पहुँचाने एवं आत्महत्या के प्रयासों पर अंकुश लगाने के बारे में भी जारी की हैं। इस तरह, हाशिये पर पड़े इन वर्गों की आवाज़ आयोग ने बुलन्द की है। इसके अलावा, विद्यार्थियों, वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिसकर्मियों एवं प्रशिक्षकों के लाभार्थ नियमित शिक्षा और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से आयोग देश में मानव अधिकारों की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिये प्रतिबद्ध है। इन प्रतिबद्धता प्रयासों की कोई सरहद नहीं है। साक्ष्य स्वरूप, आयोग ने अन्य मानव अधिकार संस्थानों जैसे कि मालदीव, के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया है।

विशेषकर जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के ग़ैरज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के फलस्वरूप हर पल बढ़ती चुनौतियों के बीच अधिकारों का संरक्षण करने में सभी हितधारकों की जो साझा ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी के महत्व को भारत का लोकाचार ऐतिहासिक रूप से बख़ूबी पहचानता है। आयोग विविध इकाइयों के बीच सर्वानुमति विकसित करने में आ रही चुनौतियों से अवगत है और इस अन्तराल को पाटने में यह अहम भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सभी का विश्वास हासिल है तथा मानव अधिकार संरक्षकों, ग़ैर-सरकारी संगठनों / नागरिक समाज संगठनों, शैक्षणिक समुदाय, एवं सरकारी अभिकरणों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाने में आयोग की अपनी अनूठी भूमिका है। अपनी इस अनूठी प्रभावन क्षमता का इस्तेमाल करते हुये, आयोग संवेदनशील मुद्दों पर रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करता है और सभी की सहमति से व्यावहारिक समाधान खोजता है।

विचाराधीन अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने एशिया पेसिफिक फॉरम (एपीएफ) की 28वीं वार्षिक साधारण सभा एवं द्विवार्षिक सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेज़बानी की, जिसमें 1300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वैश्विक मानव अधिकार घोषणा की पचहत्तरवीं वर्षगाँठ, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संरक्षक घोषणा की पच्चीसवीं वर्षगाँठ, तथा संयुक्त राष्ट्र महा सभा द्वारा पेरिस सिद्धान्तावलि के अंगीकरण की तीसवीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में, वार्षिक सभा का समापन ''दिल्ली घोषणा'' प्रस्ताव के पारण के साथ हुआ।

मुझे आशा है कि 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट पाठकों को आयोग की महत्वपूर्ण पहलों से तो अवगत करायेगा ही, साथ ही, सभी हितधारकों को इस बात के लिये भी प्रोत्साहित करेगा कि वे मानव अधिकारों के लिये ख़तरा बनी इस दशक की नयी चुनौतियों पर विचार कर सकें और उनका शीघ्रातिशीघ्र समाधान खोज सकें। बतौर नागरिक, हम सब एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहेंगे, समस्याओं का वैश्विक समाधान सुझायेंगे और ''विश्व गुरु'' के रूप में भारत का वैभव समग्र विश्व में प्रदर्शित करेंगे।

[न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा]
अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

प्रस्तावना

भरत लाल
महासचिव एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

यह बड़े हर्ष का विषय है कि मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत के संविधान एवं वैश्विक मानव अधिकार घोषणा में वर्णित सिद्धान्तों की मर्यादा बनाये रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, सम्प्रदाय, धर्म, लिंग अथवा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, के अधिकारों एवं उसकी गरिमा के संरक्षण के लिये अन्य संस्थानों की भागीदारी में हमारे जो अथक प्रयास हैं, उन अथक प्रयासों की वसीयत के रूप में इस रिपोर्ट का महत्व है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की स्थापना यद्यपि 1993 में हुई, तथापि मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति भारत का समर्पण परानुभूति, अनुकम्पा एवं अहिंसा की हमारी 5,000 वर्षों से चली आ रही प्राचीन संस्कृति की गहरी जड़ों से उद्भूत है। 22 प्रमुख भाषायें एवं असंख्य बोलियाँ बोलने वाले 144 करोड़ लोगों का घर, भारत, एक संघीय संरचना है, जिसे मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति समर्पित अपने हृष्ट-पुष्ट सांस्थानिक ढाँचे पर गर्व है। शीर्षस्थ स्तर पर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, बच्चों, एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिये स्थापित विभिन्न सांविधानिक व सांविधिक संस्थानों के साथ काम करता है। इनमें से अधिकतर संस्थानों के प्रतिस्थानी संस्थान अधिकांश राज्यों में कार्यरत हैं। राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग, विशेष प्रतिवेदक, विशेष मॉनीटर, और कोर ग्रुप जिनमें ग़ैर सरकारी संगठन, मानव अधिकार संरक्षक, और क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल हैं, के रूप में एक सुदृढ मानव अधिकार संरक्षण तंत्र उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, हमारी ऑनलाइन डिजिटीय शिकायत प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत सुविधानुसार कहीं से भी और किसी भी भाषा में दर्ज करा सकता है।

2023-24 के दौरान, आयोग में प्राप्त 76,891 शिकायतों में से 73,958 केसों का निपटान किया गया। आयोग ने 106 केसों का स्वतः संज्ञान लिया एवं 30 घटना स्थल जाँच सम्पन्न कीं। आयोग ने व्यथित व्यक्तियों और / अथवा उनके परिवारों को ₹1,820.47 लाख का भुगतान किया। शिविर बैठकें एक ऐसे मंच का काम करती हैं, जिनके माध्यम से आम जनों विशेषत: समाज के संवेदनशील वर्गों के व्यक्तियों के द्वार तक न्याय पहुँचाया जा सके। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिये गुवाहाटी में तथा आन्ध्र प्रदेश के लोगों के लिये विजयवाड़ा में शिविर बैठकें व जन-सुनवाई आयोजित कीं।

मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में ग़ैर-पारम्परिक परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करते हुये, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों जैसे, ट्रांसजेंडरों, मानसिक दिव्यांगों, कुष्ठ या हैन्सन रोग ग्रस्त लोगों व भिखारियों, दुर्व्यापार की शिकार बालिकाओं, बे-घर व्यक्तियों, यौन कर्मियों, अनाथों, और दिव्यांगजनों को अनिवार्य सुविधाएं व जन सेवायें प्रदान कर उन्हें गरिमामय जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत जनसेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये प्रयासरत है और यह कार्य वह सम्बन्धित सरकारों

तथा उनके परास्थैतिक संगठनों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ कर एवं उन्हें निदेश जारी करके करता है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भेदभाव कम होता है एवं पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के कार्यकलापों के केन्द्र में जनमानस के बीच मानव अधिकारों के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाना है। प्रचार-प्रसार एवं पक्ष-समर्थन लक्षित अनेकानेक कार्यकलापों के माध्यम से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत जनसानस को शिक्षित करते हुये उनका सशक्तिकरण करता है। वाद-विवाद न्यायालय प्रतियोगिताओं एवं इंटर्नशिप के ज़रिये युवाओं व भावी युवा नेताओं से जुड़ने का सुअवसर मिलता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत कार्मिकों के लाभार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विधि प्रवर्तन अभिकरणों के मध्य मानव अधिकार सिद्धान्तों के अनुसरण की महत्ता पर बल देता है। प्रेस विज्ञप्तियों, समाचारपत्रों तथा सामाजिक माध्यमों के बीच अपनी व्यापक उपस्थिति के ज़रिये, आयोग अपने कार्य का व्यापक अभिज्ञान सुनिश्चित कराता है। शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, ग़ैर सरकारी संगठनों, मानव अधिकार संगठनों, राजदूतावासों, एवं परास्थैतिक संगठनों के सहभागिता का निर्माण करते हुये, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत भारतीय संविधान तथा वैश्विक मानव अधिकार घोषणा में वर्णित आदर्शों को बढ़ावा देता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जो 9 अध्यायों में विभाजित है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के कार्यकलापों एवं उपलब्धियों की सम्यक् विषयात्मक सिंहावलोकन प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा जाँचे गये अथवा सम्बोधित किये गये मानव अधिकारों के उल्लंघनों का ब्यौरेवार ज़िक्र है तथा रिपोर्ट अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में प्राधिकारियों द्वारा की गयी कार्रवाई का भी व्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह रिपोर्ट समीक्षाधीन अवधि में संचालित अनुसंधान अध्ययनों, प्रस्तावित सिफ़ारिशों, तथा जारी की गयीं परामर्शियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। हितधरकों की विस्तृत श्रेणी अर्थात् विधि प्रवर्तन अभिकरण, न्यायपालिका, नागरिक समाज, विद्यार्थीगणों, एवं मानव अधिकार संरक्षकों को लक्षित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, अनावरण दौरों एवं प्रशिक्षण सत्रों के ज़रिये क्षमता-निर्माण के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता का भी रिपोर्ट में उल्लेख है। इन प्रयासों से आयोग के 2023-24 के दौरान संचालित महत्वपूर्ण प्रसार अभियानों की झलक मिलती है।

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के प्रकाशन में आयोग ने और, विशेषकर, वार्षिक रिपोर्ट टीम ने जो कठिन परिश्रम किया है, मैं उसके लिये आयोग एवं टीम के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमती अनिता सिन्हा, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में कार्यरत इस टीम में शामिल डॉ. राजुल रायकवार, सलाहकार (अनुसंधान), और कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकारों सुश्री ऐश्वर्या एस कुमार, सुश्री अर्पिता सिन्हा, सुश्री लक्ष्मी कुमारी, श्री राघवेन्द्र सिंह एवं सुश्री आकांक्षा शर्मा ने इस रिपोर्ट को संकलित करने में अथक परिश्रम किया है।

सराहनीय उपलब्धियों के बावजूद, आयोग उन निरन्तर मौजूद समस्याओं के प्रति जागरूक है, जिनका समाधान होना है। दुर्बल समुदायों के मानव अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक एवं निजी दोनों हितधारकों के साथ पारस्परिक सहयोग करते हुये, आयोग न्याय की खोज में इन कमियों को दूर करने के लिए समर्पित है।

अन्त में, मैं आपको इस वार्षिक रिपोर्ट के पठन-पाठन हेतु आमंत्रित करता हूँ, ताकि आप 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के कार्यकलापों एवं उसके योगदानों से अवगत हो सकें। जैसे-जैसे हम अपनी दुनिया की जटिलताओं का सामना करते हैं, हमें सदा याद रखना चाहिये कि मानव अधिकारों का संरक्षण केवल एक विधिक बाध्यता ही नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक अनिवार्यता भी है। हमें मिल-जुल कर ऐसे भविष्य का निर्माण करना है, जिसमें मानव अधिकार मात्र आदर्श बन कर ही न रह जायें, वल्कि ये मानव अधिकार यथार्थ के धरातल पर जीवन में उतारे जायें एवं सभी के द्वारा इन्हें संरक्षित भी किया जाये। इस तथ्य को स्वीकारना महत्वपूर्ण है कि मानव अधिकारों का संरक्षण एक सतत् कार्य है, जिसमें प्रतिबद्धता, समर्पण एवं सतर्कता की अपेक्षा है, ताकि प्रत्येक मनुष्य के लिये इन अधिकारों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

[भरत लाल]
महासचिव एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अध्याय 1

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, संरचना एवं कार्य

आयोग का गठन

1.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत 12 अक्टूबर 1993 को की गयी थी। सितम्बर 2006 एवं जुलाई 2019 में संशोधित इस अधिनियम का उद्देश्य है कि मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन किया जाये। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश के सभी लोगों के लिये संविधान में वर्णित मौलिक मानव अधिकारों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के अपने प्रयासों से न्यायपालिका की पूरक सहायता करता है।

1.2 अधिनियम के अनुसार, "मानव अधिकार" से आशय है "जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किये गये हैं या अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में शामिल हैं: सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा, बाल अधिकारों पर प्रसंविदा तथा सभी प्रकार के जातीय भेदभावों के उन्मूलन पर प्रसंविदा। भारत सरकार ने 1979 में सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा को मान लिया। सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा का 1993 में, बाल अधिकारों पर प्रसंविदा का 1991 में तथा सभी प्रकार के जातीय भेदभावों के उन्मूलन पर प्रसंविदा का 1968 में अनुसमर्थन किया। सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा में वर्णित अधिकतर अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतन्त्रता मिलते ही उपलब्ध हो गये थे। ये अधिकार संविधान के भाग III व भाग IV में मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक व्यापक शीर्षकों के तहत उल्लिखित हैं।

1.3 नि:संदेह, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की सबसे बड़ी ताक़त यह है कि इस अधिनियम ने आयोग को 'स्वाधीनता, कार्यात्मक स्वायत्तता तथा व्यापक जनादेश' दिया है, और ये तत्व पेरिस सिद्धान्तावलि के समनुरूप एक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के गठन एवं उसकी उचित कार्य पद्धति के लिये अनिवार्य हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण की दृष्टि से भारत की चिन्ता का मूर्त रूप है।

1.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अपने अस्तित्व से लेकर अब तक के जो अनुभव रहे हैं, उनके आधार पर यह स्पष्टत: परिलक्षित है कि आयोग की स्वाधीनता और सामर्थ्य इसके गठन, नियुक्ति प्रक्रियाओं, जाँच विषयक इसकी शक्तियों, इसके कार्य विस्तार तथा विशेषीकृत प्रभागों व कार्मिकों से सम्बद्ध संविधि की अपेक्षाओं द्वारा भली भांति प्रत्याभूत है।

आयोग की संरचना

1.5 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (2019 में संशोधित) की धारा 3 में एक आयोग के गठन का प्रावधान है। यह आयोग निम्नलिखित से मिल कर बनेगा:

- एक अध्यक्ष, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो;
- एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;
- एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है;
- तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला हो, ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

1.6 2019 में हुये संविधान संशोधन के फलस्वरूप, आयोग के मानित सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ कर अब सात हो गयी है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (संशोधित) 2019 के अनुसार, आयोग के सात मानित सदस्य निम्नांकित हैं:

- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग;
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग;
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग;
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग;
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग; और
- मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त।

1.7 **नियुक्तियाँ:** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। इस समिति में प्रधान मंत्री (बतौर अध्यक्ष), अध्यक्ष, लोक सभा, प्रभारी गृह मंत्री, भारत सरकार, विरोधी पक्षों के नेतागण, लोक सभा एवं राज्य सभा, तथा उप सभापति, राज्य सभा शामिल रहते हैं।

1.8 सचिव, भारत सरकार स्तर के एक अधिकारी आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होते हैं, जिन्हें महासचिव कहा जाता है। आयोग का सचिवालय महासचिव के समग्र मार्गदर्शन में काम करता है।

आयोग के कार्य

1.9 **कार्यों की विस्तृत श्रंखला:** आयोग के पास व्यापक जनादेश है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में निर्धारित आयोग के कार्यों में शामिल हैं:

क) स्वत: संज्ञान या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के आदेश पर उसको प्रस्तुत की गयी अर्ज़ी पर (i) मानव अधिकारों का उल्लंघन या दुष्प्रेरण किये जाने की; या (ii) ऐसे उल्लंघन के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरतने की, शिकायत के बारे में जाँच करना;

ख) किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई अभिकथन अन्तर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना;

ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहाँ व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिये निरुद्ध या दाख़िल किये जाते हैं, वहाँ के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिये, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफ़ारिश करना;

घ) संविधान या मानव अधिकारों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिये उपायों की सिफ़ारिश करना;

ङ) ऐसी बातों का, जिनके अन्तर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती है, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफ़ारिश करना;

च) मानव अधिकारों से सम्बन्धित सन्धियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेज़ों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिये सिफ़ारिशें करना;

छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना;

ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करना और संचार विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिये उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना;

झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत ग़ैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना;

ञ) ऐसे अन्य कार्य जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिये आवश्यक समझे जायें।

1.10 **जाँच से सम्बन्धित शक्तियाँ:** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद विचारण के लिये सिविल न्यायालय की शक्तियाँ सौंपी गयीं हैं, जो विशेषकर निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं: साक्षियों को समन करना और हाज़िर करना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना; किसी दस्तावेज़ को प्रकट या पेश करने की अपेक्षा करना; शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना; साक्षियों या दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिये

कमीशन जारी करने, और अन्य कोई विषय जो विहित किया जाये। भंग की स्थिति में, आयोग सम्बन्धित सरकार से सुधार के उपाय करने तथा पीड़ित व्यक्ति या उनके निकट सम्बन्धी को मुआवज़ा अदा करने का आह्वान करता है, और साथ ही, आयोग लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों व दायित्वों की याद भी दिलाता है। केस के आधार पर, आयोग सम्बन्धित व्यक्ति (व्यक्तियों) विरुद्ध आगे अभियोजन के लिये कार्यवाही, या कोई अन्य कार्रवाई जो यह उचित समझे, शुरू कर सकता है। इसे समाचारपत्र एवं संचार माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर गम्भीर केसों का स्वतःसंज्ञान लेने की शक्ति भी प्राप्त है।

वर्ष के दौरान आयोग के प्रमुख पदाधिकारी

1.11 समीक्षधीन अवधि के दौरान, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा आयोग के अध्यक्ष पद पर सतत आसीन रहे। डॉ. डी.एम. मुळे एवं श्री राजीव जैन ने आयोग के सदस्यों के रूप में अपनी सेवायें जारी रखीं। श्रीमती विद्या भारती सयानी ने 28 दिसम्बर 2023 को आयोग की सदस्य के रूप में पदभार सँभाला।

1.12 श्री देवेन्द्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव का पदभार 02 मई 2022 को सँभाला। उनकी सेवा निवृत्ति के उपरान्त, 30 जून 2023 को, श्री भरत लाल ने 1 जुलाई 2023 को महासचिव का कार्यभार गृहण किया। श्री मनोज यादव ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण) का पदभार 12 जुलाई 2022 को सँभाला और उन्हें आयोग से 31 जुलाई 2023 को कार्यमुक्त किया गया। तदुपरान्त, श्री अजय भटनागर ने 04 मार्च 2024 को महानिदेशक (अन्वेषण) का पदभार सँभाला। श्रीमती अनिता सिन्हा एवं श्री देवेन्द्र कुमार निम आयोग के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत रहे।

1.13 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, श्री प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, श्री राजेश अग्रवाल, मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन, श्री किशोर मकवाना, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, श्री अन्तार सिंह आर्या, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और श्री इक़बाल सिंह लालपुरा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खण्ड (ख) से (ञ) में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वहन के लिये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मानित सदस्य हैं।

रणनीतिक योजना एवं वार्षिक कार्य योजना

1.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से वार्षिक कार्य योजना (2023-24) और 2022-2025 हेतु तीन वर्षीय रणनीतिक योजना की सम्यक् सांस्थानिक क्रियाविधि विकसित की है। इन योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य हैः ग़ैर सरकारी संगठनों, मानव अधिकार संरक्षकों, और सिविल समाज अग्रणियों के साथ आयोग के जुड़ाव को और अधिक सुदृढ़ बनाना, और अपने जनादेश के भीतर रहते हुये विद्यमान कार्यविधियों को अपेक्षाकृत अधिक हृष्ट-पुष्ट बनाना। आयोग के विशेष ध्यानाकर्षण क्षेत्र के विषयों में बँधुआ और बाल मज़दूर मुद्दे, प्रत्येक मनुष्य की गरिमा सुनिश्चित करना, समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों के आधिकारों का संरक्षण, जेल सुधार, महिला और बाल अधिकार, दिव्यांगों एवं वरिष्ठ जनों के अधिकार, एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल एवं मानसिक स्वास्थ्य, मानव अधिकार जागरूकता एवं शिक्षा, सुशासन, व्यापार एवं मानव अधिकार, मानव अधिकार संरक्षकों, ग़ैर सरकारी संगठनों, मानव अधिकार संरक्षकों / सिविल समाज के साथ जुड़ाव, तथा इस विषय पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है। मानव अधिकारों के संवर्धन व संरक्षण विषयक विधियों व योजनाओं में सुधार लाने हेतु सभी हितधारकों के साथ मिल कर काम करने की योजनायें बनायी जा रहीं हैं। आयोग के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए इन योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

अध्याय 2

वर्ष, एक नज़र में

2.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रहरी है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा सम्पन्न प्रमुख कार्यकलाप निम्नांकित हैं:

शिकायतों पर कार्रवाई एवं निगरानी

2.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन शिकायत प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से, शिकायतें संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में कहीं से भी आसानी से दर्ज करायी जा सकतीं हैं। आयोग मानव अधिकार उल्लंघन के किसी भी केस में मध्यक्षेप करने हेतु जनादेशित है, चाहे यह न्यायालय मामलों में हो अथवा मानव अधिकार संरक्षण या संवर्धन के लिये ज़िम्मेदार किसी संस्थान से समबद्ध हो। इस कार्य को सम्पन्न करने के उद्देश्य से, आयोग शिविर बैठकें आयोजित करता है और घटना स्थल जाँच के आदेश देता है। जबकि आयोग द्वारा नियुक्त जाँच अधिकारी टीम घटना स्थल जाँच करती है, आयोग शिविर बैठकें आयोजित करता है, ताकि नागरिकों तक पहुँचा जा सके मानव अधिकारों के प्रति जागरुकता भी लायी जा सके। 2023-24 के दौरान आयोग द्वारा सम्बोधित शिकायतों का विवरण निम्नवत् है:

- इस रिपोर्ट अवधि के दौरान आयोग में 76,891 केस दर्ज हुये, जिसमें से आयोग ने 73958 शिकायतों का निपटान किया;
- आयोग ने 81,104 (अग्रानीत केसों सहित) केसों का निपटान किया, जिनमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 13 (6)[1] के अधीन राज्य मानव अधिकार आयोगों को स्थानान्तरित 5,736 केस शामिल हैं। पंजीकृत कई शिकायतें प्रथमदृष्टया ही ख़ारिज कर दी गयीं;
- आयोग ने कुल 106 केसों का स्वतःसंज्ञान लिया;
- इस अवधि के दौरान आयोग ने 414 केसों में पीड़ितों को / मृतक के निकटतम सम्बन्धी को आर्थिक राहत / मुआवज़े के रूप में ₹18,20,47,500 अनुशंसित किये; (अनुलग्नक-IV)
- पूर्ण आयोग ने 2023-24 के दौरान अपनी 17 बैठकों में मानव अधिकार उल्लंघन के 749 केसों पर विचार किया;
- इसके साथ, आयोग की तीन खण्ड पीठों ने 22 बैठकों में 915 केसों पर विचार किया;
- आयोग द्वारा न्यायिक हिरासत मौतों के 2,556 केस तथा पुलिय हिरासत मौतों के 436 केसों का प्रस्ताव / निपटान किया गया था। साथ ही, मुठभेड़ मौतों के 269 से अधिक केसों का प्रस्ताव / निपटान किया गया था। इसके अलावा, ऐसे 26 त्वरित कार्रवाई केसों पर कार्रवाई की, जिनमें आयोग का तत्काल मध्यक्षेप अपेक्षित था और परिणामस्वरूप मानव अधिकारों के उल्लंघन पर अंकुश लगा;
- समीक्षा-अवधि के दौरान, आयोग के निदेश का अनुसरण करते हुये 30 घटना स्थल जाँच (अनुलग्नक-V) सम्पन्न की गयीं[2]; और
- इस अवधि के दौरान आयोग ने कुल 1,07,322 आदेश / निर्देश / संस्तुतियां जारी कीं। शिकायत निवारण एवं कतिपय दृष्टान्त केस अध्याय 9 में दिये गये हैं।

शिविर बैठकें / जन-सुनवाई

2.3 आयोग द्वारा 17 नवम्बर, 2023 को गुवाहाटी, असम में और 6 मार्च 2024 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में दो शिविर बैठकें/ जन-सुनवाई आयोजित की गईं, ताकि विभिन्न पहलुओं पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की जा सके, जैसे कि आयोग द्वारा समय-समय पर जारी की गई परामर्शियां; उन मामलों का अनुपालन जहां आयोग द्वारा सिफ़ारिशें/निर्देश जारी हुये हैं ; और ग़ैर सरकारी संगठनों/सिविल समाज संगठनों/मानव अधिकार संरक्षकों के साथ बातचीत।

[1] मामलों के पंजीकरण और निपटान का राज्यवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-2 में दिया गया है।

[2] घटनास्थल पर की गई पूछताछ का विवरण अध्याय 9 के अंतर्गत दिया गया है।

मानव अधिकार विषयक अनुसंधान

2.4 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (छ) के तहत आयोग को मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करने और उसे बढ़ावा देने का जनादेश प्राप्त है।

- आयोग मानव अधिकारों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की जाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं को मंज़ूरी देता है और उनकी देखरेख करता है। इस अवधि के दौरान 12 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गईं (अनुलग्नक VI), जबकि 30 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं (अनुलग्नक VII)।

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख मुद्दों पर कोर एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया है। समीक्षा अवधि के दौरान आयोग में ऐसे 12 कोर ग्रुप थे, जिनके सदस्य अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। आयोग वर्ष में कम से कम एक बार इन कोर ग्रुप की बैठकें आयोजित करने का प्रयास करता है, जिनमें मानव अधिकार संरक्षक, ग़ैर सरकारी संगठन, उस विषयात्मक क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक समाज संगठन, सम्बन्धित मंत्रालयों और विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिनिधियों को भी योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन बैठकों में विषयात्मक क्षेत्रों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाती है और सिफ़ारिशें पूर्ण आयोग के समक्ष रखी जाती हैं। पूर्ण आयोग द्वारा अनुमोदित की गई संस्तुतियों को आगे की कार्रवाई के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

परामर्शियां

2.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या किसी भी वर्तमान विधि के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की संस्तुति करने का जनादेश दिया गया है। आयोग ने इस जनादेश को पूरा करने के लिए एक क्रियाविधि तंत्र तैयार किया है, जिसके तहत उन क्षेत्रों पर परामर्शियां जारी की गयीं हैं, जहां मध्यक्षेप की आवश्यकता है। समीक्षाधीन अवधि में, आयोग ने कुल 04 परामर्शियां जारी कीं, (i) क़ैदियों द्वारा जानबूझकर ख़ुद को नुक़सान पहुंचाने और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परामर्शी; (ii) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परामर्शी; (iii) मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्शी; और (iv) बाल यौन शोषण सामग्री के उत्पादन, वितरण और उपभोग के विरुद्ध बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए परामर्शी।

सम्मेलन / संगोष्ठियाँ / जन-सुनवाइयां

2.6 इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विभिन्न विषयों जैसे मानसिक स्वास्थ्य, व्यापार और मानव अधिकार, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना आदि पर राष्ट्रीय सम्मेलन, जन-सुनवाइयां आदि आयोजित किये।

मानव अधिकार साक्षरता का प्रशिक्षण, पक्ष-समर्थन एवं संवर्धन

2.7 आयोग के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य है: प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करना और इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। आयोग मानव अधिकार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अन्य आयोजनों के साथ-साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की मेज़बानी करता है, इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता है और वाद-विवाद न्यायालय प्रतियोगिताओं को वित्तपोषित करता है।

2.8 देश के विभिन्न भागों में प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालयों के सहयोग से छह सफल वाद-विवाद न्यायालय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन वाद-विवाद न्यायालय प्रतियोगिताओं में पूरे भारत में 500 से अधिक विद्यार्थियों ने अपने तर्क और विचार रखे।

2.9 'बचाव उपचार से बेहतर है' की धारणा के अनुरूप, आयोग के अधिकारी विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाने, मानव अधिकार साक्षरता फैलाने और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विधि प्रवर्तन अभिकरणों की क्षमता बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अल्पकालिक और दीर्घकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रमों के दौरान आयोग के अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों को नियमित व्याख्यान और प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं।

[3] वर्ष के दौरान आयोजित एनएचआरसी कोर ग्रुप की बैठकों और जारी किए गए परामर्शियों का विस्तृत विवरण अध्याय-7 में दिया गया है।

[4] मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण अध्याय-6 में दिया गया है।

2.10 आयोग ने राज्य पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों और जेल कार्मिकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण के आवासीय कार्यक्रम आयोजित किये। पहला 05 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम 29 पुलिस अधिकारियों के लिए 21 से 25 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया था। दूसरा कार्यक्रम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और विभिन्न केंद्रीय अन्वेषण अभिकरणों के 25 अधिकारियों के लिए 11 से 15 दिसम्बर 2023 तक आयोजित किया गया था और तीसरा प्रशिक्षण 33 राज्य जेल अधिकारियों के लिए 18 से 22 मार्च, 2024 तक आयोजित किया गया था।

मानव अधिकार संरक्षकों, ग़ैर सरकारी संगठनों एवं सिविल समाज संगठनों से जुड़ाव

2.11 आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जो व्यक्तिगत रूप से या समूह में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने या उनकी रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं। मानव अधिकार संरक्षकों ने मानव अधिकार सम्बन्धी चिन्ताओं, जैसे मनमाने ढंग से गिरफ़्तारी और हिरासत, भेदभाव, ज़बरन बेदख़ली, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में बाधा आदि को दूर करने में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि संवेदनशील वर्गों, जैसे महिलाओं, बच्चों, शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के साथ-साथ भाषाई, लैंगिक या धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हों। इस प्रकार ये संरक्षक आयोग के प्रयासों में पूरक बनते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार साक्षरता और जागरूकता फैलाने में ग़ैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग करके मानव अधिकारों के क्षेत्र में उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। मानव अधिकार साक्षरता फैलाने के लिए ग़ैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है, और इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को आयोग के कोर एडवाइजरी ग्रुप के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा या उनके निर्देश पर मानव अधिकार संरक्षकों को परेशान करने के आरोपों से निपटने के लिए आयोग में इन संरक्षकों के लिए एक फोकल प्वाइंट बनाया गया था। इस मॉनीटर कक्ष के लिये नामित संपर्क व्यक्ति उप रजिस्ट्रार (विधि) हैं। उक्त अधिकरी से मानव अधिकार संरक्षक (i) मोबाइल सं. 9999393570 (ii) फ़ैक्स सं. 24651334, और (iii) ई-मेलः hrd-nhrc@nic.in के माध्यम से सम्पर्क कर सकते हैं।

सांविधिक पूर्ण आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोगों, विशेष मॉनीटर एवं विशेष प्रतिवेदकों के साथ बैठकें

2.12 आयोग नियमित बैठकों के माध्यम से मानित सदस्यों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, विशेष मॉनीटर एवं विशेष प्रतिवेदकों के साथ जुड़ता है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गयी:

- आयोग के मानित सदस्यों के साथ सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक 23 मई 2023 को आयोजित की गयी।
- विशेष मॉनीटर एवं प्रतिवेदकों तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ बैठक 13 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गयी।
- राज्य मानव अधिकार आयोगों की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ बैठक 13 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गयी।

अन्तरराष्ट्रीय जुड़ाव

2.13 इस वर्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने वैश्विक कार्यों में नई गति का अनुभव किया, जिसमें विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी और देश के भीतर कार्यक्रमों की सफल मेज़बानी शामिल हैं, और इस जुड़ाव ने महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्तरराष्ट्रीय जुड़ाव के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वैश्विक मानव अधिकार संस्थान गठबन्धन (गैनहरी) का ब्यूरो सदस्य है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एशिया पेसिफिक फॉरम (एपीएफ) का संस्थापक सदस्य है, तथा इसकी शासन समिति का एक सदस्य है।
- आयोग राष्ट्रमण्डल मानव अधिकार संस्थान मंच का भी सदस्य है
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बैठकों में भाग लेता है और नियमित रूप से वक्तव्य

देता है, तथा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लेता है। आयोग अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के आमंत्रण पर सम्मेलनों, संगोष्ठियों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त, आयोग विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रशिक्षण भी आयोजित करता है।

- आयोग संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा चक्रों में भाग लेता है तथा इन चक्रों के दौरान अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- विदेशी मिशनों के राजनयिक और राजदूत नियमित रूप से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा करते हैं तथा मानव अधिकार मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।
- आयोग संयुक्त राष्ट्र विशेष दूत की प्रश्नावली तथा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय से मिले ऐसे ही अन्य पत्रादि पर नियमित रूप से अपनी टिप्पणियाँ एवं राय देता है।

जागरूकता एवं जन-सम्पर्क अभियान

2.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार मुद्दों, आयोग की गतिविधियों, रिपोर्टों और सिफ़ारिशों, प्रेस विज्ञप्तियों और समाचार पत्रों के बारे में जानकारी प्रसारित करता है।

- समाचार पत्र - राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मासिक समाचार पत्र प्रकाशित करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा बारह ऐसे समाचार पत्र प्रकाशित किए गए और मानव अधिकार संरक्षकों, राज्य मानव अधिकार आयोगों और संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों के नेटवर्क में प्रसारित किए गए।
- लघु फ़िल्म प्रतियोगिता - राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों पर एक वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित करता है। वर्ष 2023 के लिए, आयोग को 139 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं और प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले निर्णायक मण्डल द्वारा 10 फ़िल्मों का चयन किया गया। इस निर्णायक मण्डल में आयोग के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ शामिल थे।
- मानव अधिकार पत्रिकाएँ - राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों पर दो वार्षिक पत्रिकाएँ जारी करता है जिनमें मानव अधिकारों के विषय पर प्रख्यात विशेषज्ञों के लेख होते हैं। आयोग मानव अधिकार दिवस पर यानी हर साल 10 दिसम्बर को 'मानव अधिकारों पर अंग्रेज़ी जर्नल' और 'नई दिशाएँ' शीर्षक से हिंदी पत्रिका जारी करता है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट-अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 'फोरेंसिक साइंस एंड ह्यूमन राइट्स' नामक एक पुस्तक का लोकार्पण किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस (12 अक्टूबर, 2023) के अवसर पर माननीय पूर्व राष्ट्रपति, भारत द्वारा दीप प्रज्ज्वलन

- केंद्रीय सशस्त्र बल वाद-विवाद प्रतियोगिता - वार्षिक केंद्रीय सशस्त्र बल वाद-विवाद प्रतियोगिता का हिंदी और अंग्रेजी में विषय था 'मानव अधिकार कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं।' प्रतियोगिता का अंतिम चक्र 15 दिसम्बर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्थापना दिवस

2.15 आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस 12 अक्टूबर 2023 को भीम ऑडिटोरियम, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में मनाया। इस अवसर पर भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी, आयोग के मानित सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर, उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, नागरिक समाज संगठनों और ग़ैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और विद्यार्थीगण भी उपस्थित थे।

मानव अधिकार दिवस

2.16 आयोग हर साल मानव अधिकार दिवस (10 दिसम्बर) मनाता है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 में, यह कार्यक्रम भारत मण्डपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सरकार, राजनयिक निकाय, विद्यार्थीगण, सिविल समाज संगठन, ग़ैर सरकारी संगठन, मानव अधिकार संरक्षकों आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मानव अधिकार दिवस पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनकड़ द्वारा हिंदी पत्रिका 'मानव अधिकार: नई दिशाएं के 22वें अंक का लोकार्पण

भारत मण्डपम, नई दिल्ली में मानव अधिकार दिवस (10 दिसम्बर, 2023) समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनकड़ द्वारा दीप प्रज्ज्वलन

आरटीआई से संबंधित विवरण

2.17 2023-2024 के दौरान, आयोग में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 2006 आवेदन मिले तथा इनमें से सभी का 30 दिन के भीतर निपटान कर दिया गया। 97 आवेदन अन्य मंत्रालयों / विभागों / संगठनों को अन्तरित किये गये। प्रथम अपीलों और द्वितीय अपीलों की संख्या क्रमश:178 और 26 थी और उन सभी का निपटान 30 दिनों के भीतर कर दिया गया।

अध्याय 3

संगठनात्मक संरचना

3.1 आयोग ने प्रभावी कार्य-संचालन के उद्देश्य से पाँच प्रभागों का सृजन किया है। ये प्रभाग हैं:

- विधि प्रभाग
- अन्वेषण प्रभाग
- नीति अनुसंधान, परियोजना एवं कार्यक्रम प्रभाग
- प्रशिक्षण प्रभाग; और
- प्रशासन प्रभाग

3.2 **विधि प्रभाग:** विधि प्रभाग का नेतृत्व रजिस्ट्रार (विधि) करते हैं, जिनकी सहायता प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी और अन्य सचिवीय कर्मचारी करते हैं। विधि प्रभाग द्वारा आयोग के निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

i) **शिकायत निवारण:** यह आयोग की रजिस्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है। यह पीड़ितों या पीड़ितों की ओर से अन्य लोगों से शिकायतें अथवा हिरासत में मृत्यु, हिरासत में बलात्कार और मुठभेड़ में मृत्यु या पुलिस/अर्धसैनिक बलों या रक्षा बलों द्वारा कार्रवाई में मृत्यु और न्यायालयों से संदर्भों के बारे में अधिकारियों से सूचनाएं प्राप्त करता है, उनकी जाँच करता है और उन्हें पंजीकृत करता है। यह प्रभाग इन शिकायतों/मामलों को आदेश/कार्यवाही के लिए आयोग के समक्ष रखकर आगे की प्रक्रिया करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के आदेशों के अनुसरण में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। यह आयोग को स्वतः संज्ञान लेने में भी सहायता प्रदान करता है। विधि प्रभाग हर साल बड़ी संख्या में केसों का निपटान करता है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों को आर्थिक राहत, दोषी लोक सेवकों के ख़िलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन, बंधुआ मजदूरों की रिहाई, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का पंजीकरण, पेंशन का भुगतान आदि के रूप में राहत मिलती है।

ii) **शिविर बैठकें:** यह देश के विभिन्न हिस्सों में आयोग की शिविर बैठकें और जन-सुनवाई आयोजित करता है, ताकि आयोग पीड़ितों को उनके द्वार पर न्याय प्रदान कर सके।

iii) **राय/सुझाव:** विधि प्रभाग आयोग को सन्दर्भित मसौदा विधियों, मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त प्रश्नावली पर टिप्पणियां और सलाह प्रदान करता है।

iv) **अदालती कार्यवाही:** यह आयोग को अदालती कार्यवाही में मध्यक्षेप करने, या मानव अधिकार उल्लंघन के केसों में आयोग के ख़िलाफ दायर केसों का जवाब देने में सहायता देता है।

3.3 **अन्वेषण प्रभाग:** अन्वेषण प्रभाग का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता के लिए एक उप महानिरीक्षक और चार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं। प्रत्येक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अन्वेषण अधिकारियों के एक समूह (जिसमें पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक शामिल होते हैं) का नेतृत्व करता है। अन्वेषण प्रभाग का कामकाज बहुआयामी है, और यह निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है:

i) **घटनास्थल जाँच:** अन्वेषण प्रभाग घटनास्थल पर जाकर भी जाँच करता है और मानव अधिकार उल्लंघन से जुड़ी घटनाओं में उचित कार्रवाई की सिफ़ारिश करता है। घटनास्थल पर जाँच का उद्देश्य तथ्यों का पता लगाना और उन्हें आयोग के समक्ष रखना है, जिससे जाँच के दौरान पाए गए मानव अधिकार उल्लंघनों को सुधारने के लिए सम्बन्धित लोक सेवकों को सिफ़ारिशें जारी की जा सकें। आयोग लोक प्राधिकारियों द्वारा मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से सम्बन्धित कई केसों में घटना स्थल पर जाकर जाँच करने का आदेश देता है, जिसमें पुलिस द्वारा अवैध हिरासत और न्यायेतर हत्याएं, अस्पतालों में सुविधाओं की कमी के कारण अप्राकृतिक मौतें और बंधुआ मज़दूरी के केस शामिल हैं। घटनास्थल पर जाकर जाँच करने से

आम जनता का विश्वास बढ़ता है और उनके मानव अधिकारों की रक्षा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका में उनका विश्वास बहाल होता है।

ii) हिरासत में मौतें: आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य अधिकारियों को हिरासत में होने वाली किसी भी मौत के 24 घंटे के भीतर आयोग को सूचित करना आवश्यक है, चाहे वह मौत पुलिस हिरासत में हो या न्यायिक हिरासत में। ऐसी सूचनाएँ प्राप्त होने पर, जाँच प्रभाग रिपोर्ट का विश्लेषण करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई मानव अधिकार उल्लंघन शामिल था। पेशेवर और सटीक विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए, अन्वेषण प्रभाग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पैनल के न्यायिक (फ़ोरेंसिक) विशेषज्ञों और डॉक्टरों से इनपुट और राय भी माँगता है।

iii) पुलिस फ़ायरिंग/ मुठभेड़ के दौरान मौतें: आयोग ने ऐसे केसों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जिनमें उग्रवादियों सहित व्यक्ति पुलिस कार्रवाई जैसे कि फ़ायरिंग के दौरान मारे जाते हैं। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से 48 घंटों के भीतर आयोग को दी जानी चाहिए, उसके बाद विस्तृत रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, स्वतंत्र अभिकरण द्वारा जाँच की स्थिति, प्राक्षेपिक (बैलिस्टिक) रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट जाँच रिपोर्ट आदि प्रस्तुत की जानी चाहिए। अन्वेषण प्रभाग को ऐसी घटनाओं का विश्लेषण करने और आयोग के समक्ष ऐसे केसों में किसी भी अनुचित कार्रवाई, भ्रांतियों या विसंगतियों को सामने लाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

iv) तथ्यान्वेषी केस: अन्वेषण प्रभाग विभिन्न अधिकारियों से आयोग के निर्देशानुसार 'तथ्यान्वेषी केसों' में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध भी करता है। प्रभाग इन रिपोर्टों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, ताकि आयोग को यह निर्धारित करने में सहायता मिल सके कि क्या मानव अधिकारों का कोई उल्लंघन हुआ था। ऐसे केसों में जहां प्राप्त रिपोर्ट भ्रामक या तथ्यात्मक नहीं हैं, आयोग स्थल पर जाँच का आदेश भी दे सकता है।

v) त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ: 2007 से, अन्वेषण प्रभाग ने आयोग में एक त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ (आरएसी) संचालित किया है। आरएसी तत्काल प्रकृति के केसों का निपटान करता है, जैसे कि अगले दिन बाल विवाह होने की सम्भावना है, या ऐसे केस जहाँ शिकायतकर्ता को डर है कि पुलिस द्वारा उठाए गए किसी रिश्तेदार या दोस्त को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जा सकता है। ऐसे केसों में, अन्वेषण प्रभाग आयोग के निर्देशानुसार तत्काल कार्रवाई करता है। इसमें तथ्यों का पता लगाने के लिए विभिन्न अधिकारियों से टेलीफोन पर बातचीत करना, सम्बन्धित अधिकारियों से त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई रिपोर्ट मांगना शामिल है।

vi) हिरासत स्थलों का दौरा: चूँकि आयोग को अक्सर जेलों, आश्रय गृहों और अन्य संस्थानों में रहने की स्थिति से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होती हैं, इसलिए अन्वेषण प्रभाग के अधिकारी अक्सर आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न राज्यों में इन सुविधाओं का दौरा करते हैं, ताकि विशिष्ट आरोपों या क़ैदियों या क़ैदियों की सामान्य स्थिति के तथ्यों की जाँच की जा सके और जाँच में मिले इन तथ्यों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

vii) पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण: अन्वेषण प्रभाग के अधिकारी विधि प्रवर्तन और अन्य सरकारी अभिकरणों की क्षमता विकास में सक्रिय हैं। वे विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाते हैं, मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करते हैं और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अल्पकालिक और दीर्घकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं और विद्यार्थियों को जांच प्रभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित व्याख्यान और प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं।

अन्वेषण और विधि प्रभाग दोनों ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, की धारा 12(क) के तहत आयोग के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अर्थात, मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन की शिकायतों की जांच, के निर्वहन को सुगम बनाते हैं। वे हिरासत में मृत्यु (पुलिस या न्यायिक), बलात्कार/चोट, गोलीबारी आदि के केसों से बड़े पैमाने पर निपटते हैं। प्रक्रिया के अनुसार, आयोग को कई रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, जिनमें शव परीक्षा रिपोर्ट (पीएमआर), चोट/बलात्कार की घटनाओं में चिकित्सीय-विधिक प्रमाणपत्र (एमएलसीएस), अपराध स्थल के निरीक्षण और हथियार/गोला-बारूद की तुलना पर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट आदि शामिल हैं। आयोग के अन्वेषण और विधि प्रभाग के अधिकारियों द्वारा न्यायालयिक विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्ट की बेहतर समझ के

लिए, 14 जुलाई 2023 को फोरेंसिक विज्ञान मुद्दों पर प्रभाग के जांच अधिकारियों के लिए एक आंतरिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था।

3.4 **नीति अनुसंधान, परियोजनाएँ और कार्यक्रम प्रभाग (पीआरपीएंडपी):** नीति अनुसंधान, परियोजनाएँ और कार्यक्रम प्रभाग मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है और उसे बढ़ावा देता है, तथा महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित करता है। जब भी आयोग अपनी सुनवाई, विचार-विमर्श या अन्य किसी आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कोई विशेष विषय महत्वपूर्ण है, तो उसे पीआरपीएंडपी प्रभाग द्वारा निपटाए जाने वाले प्रोजेक्ट/कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य हेतु सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त, यह मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लागू नीतियों, विधियों, सन्धियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय साधनों की समीक्षा करता है। यह केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। साथ ही, यह मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करने और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में प्रशिक्षण प्रभाग की भी सहायता करता है। प्रभाग का काम दो संयुक्त सचिवों, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एसआरओ), अनुसंधान अधिकारी (आरओ), अनुभाग अधिकारी (एसओ), वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार (जेआरसी) और अन्य सचिवीय कर्मचारियों द्वारा संभाला जाता है।

3.5 प्रशिक्षण प्रभाग: यह प्रभाग समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करने के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य और उसके अभिकरणों के सरकारी अधिकारियों और पदाधिकारियों, ग़ैर-सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों को विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षित करता है और संवेदनशील बनाता है। इस उद्देश्य के लिए, यह प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों के साथ सहयोग करता है। यह कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित करता है और आयोग में निमंत्रित विद्यार्थियों के दौरों का समन्वय करता है।

3.6 प्रशासन प्रभाग: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रशासन प्रभाग आयोग के प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रभाग स्थापना, कार्मिक प्रबन्धन, लेखा और शासकीय उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की ख़रीद से सम्बन्धित आवश्यक प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, प्रभाग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों को निर्बाध प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ इस प्रभाग ने आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्मिक, लेखा और अन्य अनिवार्य अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से प्रबन्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोग का लेखा अनुभाग एकीकृत वित्त प्रभाग के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यय सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाए। सामान्य प्रशासन प्रभाग आयोग की परिचालन दक्षता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आयोग देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के अपने महत्वपूर्ण जनादेश को पूरा करने में सक्षम हो सके।

अध्याय 4

प्रशासनिक, संभरण सहायता एवं वित्तीय समर्थन

4.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पेरिस सिद्धान्तावलि का पूरी तरह से अनुपालन करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं को अपनी गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, पर्याप्त निधि और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इस निधि का उद्देश्य इसे अपना स्वयं का स्टाफ और परिसर रखने में सक्षम बनाना होना चाहिए, ताकि यह सरकार से स्वतंत्र हो और वित्तीय नियंत्रण के अधीन न हो, जो इसकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

आयोग की कार्मिक संख्या

4.2 वर्तमान में आयोग में 356 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 31 मार्च 2024 तक 282 पद भरे जा चुके हैं। उन्हें सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति, संविदा नियुक्ति और बहिःस्रोतन के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। आयोग ने अपने कार्यों में सहायता के लिए कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार और विधि अनुसंधान सलाहकार के रूप में युवा पेशेवरों को नियुक्त किया है। आयोग में नियुक्त कार्मिकों का विवरण अनुलग्नक-IX में दिया गया है।

बजट आबंटन

4.3 वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का बजट आवंटन ₹6,731 लाख था। आयोग ने ₹6,365.73 लाख ख़र्च किए, जबकि ₹365.27 लाख रुपये की राशि मार्च 2024 के वेतन आदि के लिए रखी गई, जो अप्रैल में वितरित की जाती है। आंकड़े बताते हैं कि आयोग के पास वर्ष के दौरान पर्याप्त धन है।

सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी

4.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर कार्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को बढ़ाने का प्रयास करता है, ताकि दक्षता, पारदर्शिता, उत्पादकता में वृद्धि हो और वास्तविक समय की निगरानी बढ़े। आयोग या तो आन्तरिक रूप से सॉफ्टवेयर विकसित करता है या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) या इसी तरह के सरकारी विभागों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर को अपनाता है। मज़बूत तकनीकी अपनाने से ऑनलाइन बैठक/सम्मेलन/संगोष्ठी, ऑनलाइन इंटर्नशिप आदि की सुविधा मिलती है। 'एचआरसीनेट' पोर्टल के उपयोग से लोगों को आम सेवा केन्द्र के माध्यम से देश में कहीं से भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिली, जिससे शिकायतों का तत्काल प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित हुआ और डाक में देरी या मार्गस्थ क्षति से सुरक्षा हुई। पोर्टल के उपयोग से शिकायतकर्ताओं को एसएमएस या ई-मेल संदेश के माध्यम से प्राप्ति की पावती, शिकायत पर आयोग द्वारा पारित निर्देशों पर अलर्ट और शिकायत पर स्थिति/कार्रवाई से सम्बन्धित जानकारी आसानी से दी जा रही है। शिकायत प्रबन्धन एवं सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) एक ऐसे पोर्टल का हिस्सा है जो आंकड़ों के भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति, प्राधिकारियों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है तथा शीघ्र निर्णय लेने और शिकायतों के निवारण में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

रिपोर्ट वर्ष में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्यकलापों का विवरण नीचे प्रस्तुत हैः

- बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग का डाटा एचआरसीनेट पोर्टल पर स्थानान्तरित किया गया; तेलंगाना के राज्य मानव अधिकार आयोग को पोर्टल में शामिल कर लिया गया है।
- ई-ऑफ़िस सॉफ़्टवेयर के संस्करण 7.3.4 को अपग्रेड किया गया है;
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट पर कार्यक्रम संबंधित सूचना के प्रकाशन हेतु वेबपेज बनाया गया;
- एशिया पेसिफिक फॉरम (एपीएफ) की 28वीं एजीएम और द्विवार्षिक सम्मेलन के दौरान, प्रतिनिधियों की मदद करने और प्रतिभागियों के साथ जानकारी साझा करने के लिए एक 'ऐप' बनाया गया था। सम्मेलन का सीधा प्रसारण यूट्यूब और एनआईसी सर्वर के माध्यम से किया गया;

- आयोग ने यूज़र इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट को नया रूप देने का फ़ैसला किया;

- एमआईएस रिपोर्ट में निम्नलिखित रिपोर्ट जोड़ी गई हैं:

  क. केंद्रीय/राज्य प्राधिकरणों से प्राप्त ऑनलाइन/ऑफ़लाइन रिपोर्टों के आंकड़े;

  ख. लंबित/बन्द केसों की कारण सूची;

  ग. हिरासत/मुठभेड़ में घायलों/मृत्युओं की सूचना पर आयोग द्वार सम्पन्न कार्रवाई/प्रतीक्षित कार्रवाई

- नौकरी के आवेदन स्वीकार करने के लिए सॉफ़्टवेयर विकसित किया गया है;

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में विधिक सूचना प्रबन्धन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित सरकारी विभाग को सहमति दी गयी; और

- अनुवादकों के लिये सॉफ़्टवेयर में अतिरिक्त प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट जोड़े गये हैं।

प्रलेखन केन्द्र (ई-लाइब्रेरी)

4.5 आयोग की लाइब्रेरी डिजिटल तौर पर सुसज्जित है। पाठकों के उपयोग हेतु, पुस्तकों/प्रलेखों एवं लेखों का डाटाबेस इण्टरनेट पर उपलब्ध है। लाइब्रेरी राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित सॉफ़्टवेयर पैकेज (ई-लाइब्रेरी) के साथ-साथ दो ऑनलाइन डाटाबेसों अर्थात् एससीसी ऑनलाइन एवं मनुपत्र ऑनलाइन से सुसज्जित है। लाइब्रेरी को नवोन्नत कम्प्यूटरों, मुद्रकों, सीसीटीवी कैमरों (बन्द परिपथ टेलीवीजन कैमरा) से सुसज्ज कर अधुनातन बनाया गया है, और पुस्तकें बारकोडांकित हैं। लाइब्रेरी में उपलब्ध किसी भी पुस्तक या प्रलेख की उपलब्धता अथवा अवस्थिति तत्काल जानने के लिये एक ऑनलाइन मुक्त लोक अभिगम प्रसूचीकरण (ओपीएसी) विशेष रूप से विकसित किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विकासशील लाइब्रेरी नेटवर्किंग (डीईएलएनईटी), नई दिल्ली का सांस्थानिक सदस्य है; यह नेटवर्क लाइब्रेरियों के बीच संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देता है। लाइब्रेरी अन्तर-लाइब्रेरी आदान-प्रदान सुविधाओं के ज़रिये अन्य लाइब्रेरियों के साथ भी सतत समपर्क बनाये रखता है, ताकि पुस्तकों, प्रलेखों एवं पत्रिकाओं का अभिगम व उनकी प्राप्ति सुलभ हो सके।

प्रापण एवं सुप्रचालन

4.6 सामान्य प्रशासन अनुभाग मानव अधिकार भवन कार्यालय परिसर के अनुरक्षण एवं सुरक्षा प्रबन्धों की देख-देख करता है। यह अनुभाग माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के शासकीय आवासों की साज-सजावट/रखरखाव और उनके आवागमन का प्रबन्ध करता है। यह सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं सामान्य वित्तीय नियमों का अनुरूप सामग्रियों व सेवाओं का प्रापण भी करता है। सरकारी ई- मार्केटप्लेस (जीईएम) एवं वितरण सॉफ़्टवेयर के उपयोग से, आयोग पारदर्शिता बरतता है और सरकारी विनियमों का अनुपालन करता है, व साथ ही साथ इससे प्रापण एवं वितरण परिचालन में दक्षता की संवृद्धि होती है। इन सकारात्मक उपायों से न केवल आयोग की आवश्यकतायें पूरी होती हैं बल्कि संसाधनों का भी इष्टतम उपयोग सम्भव हो पाता है और इससे अन्ततः आयोग को अपने ध्येयों की प्राप्ति में सहायता मिलती है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः

अध्याय 5

आयोग की प्रतिबद्धताएं

सांविधिक पूर्ण आयोग बैठक

5.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सांविधिक पूर्ण आयोग (एसएफसी) में अध्यक्ष और सदस्य शामिल हैं, जिनमें मानित सदस्य भी शामिल हैं। सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकें साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा करने और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलन/संगोष्ठी में भाग लेने के लिए नियमित रूप से बुलाई जाती हैं। सांविधिक पूर्ण आयोग का उद्देश्य व्यापक रूप से उन महत्वपूर्ण मानव अधिकार समस्याओं की पहचान करना है जिन पर सभी आयोग सहयोग कर सकते हैं, अच्छी प्रथाओं को साझा कर सकते हैं और देश के भीतर मानव अधिकार संरक्षण को और मज़बूत करने के उद्देश्य से जाँच, अनुसंधान और मानव अधिकार जागरूकता सहित इन आयोगों के विभिन्न कार्यों को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से साधनों की पहचान कर सकते हैं।

5.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग के मानित सदस्यों के साथ सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक 23 मई 2023 को हुई। बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, एनएचआरसी ने की और इसमें डॉ. डी एम मुले, सदस्य, एनएचआरसी; श्री राजीव जैन, सदस्य, एनएचआरसी; श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग; श्री हंसराज गंगाराम अहीर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग; श्री इकबाल सिंह लालपुरा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग; श्री प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग; श्री सुभाष रामनाथ पाढी, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग; श्री देवेंद्र कुमार सिंह, महासचिव, एनएचआरसी; श्री मनोज यादव, महानिदेशक (अन्वेषण), एनएचआरसी; श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि), एनएचआरसी; श्रीमती अनिता सिन्हा एवं श्री देवेन्द्र कुमार निम, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी; श्री प्रवीण प्रकाश अम्बष्टा, उप मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त; तथा आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

5.3 उपर्युक्त सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक से निकले कार्रवाई योग्य बिंदु, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेजा गया था, इस प्रकार थे:

- वैधानिक आयोग के मानित सदस्य ऐसे किसी भी केस को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संज्ञान में ला सकते हैं, जहां उन्हें आगे की जांच की आवश्यकता हो और अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ित को मौद्रिक राहत की संस्तुति करने की आवश्यकता महसूस हो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ऐसे केसों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है;

- आयोग के सभी मानित सदस्य शिकायतों के दोहराव और फोरम शॉपिंग से बचने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के शिकायत प्रबंधन पोर्टल (एचआरसी नेट पोर्टल) पर आ सकते हैं;

- राज्यों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे आरक्षण के लाभों की जांच करें, यदि यह पाया जाता है कि इसका दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने भारतीय सीमाओं में घुसपैठ की है और देश के नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया है;

- राज्यों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में मानसिक बीमारी से ठीक हो चुके व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन पर ध्यान केन्द्रित करें;

- राज्यों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे मानसिक बीमारी से ठीक हो चुके व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में सुधार गृहों की स्थापना करें और उनका समुचित संचालन सुनिश्चित करें; तथा

- राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे जहां आवश्यक हो, अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना की स्थिति की समीक्षा करें।

राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ बैठकें

5.4 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन का प्रावधान करती है। आयोग उन राज्यों की सरकारों से आग्रह कर रहा है जहां कोई राज्य आयोग गठित नहीं है, वहां वे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और 'पेरिस सिद्धान्तावलि' के अनुसार, लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन करने की कार्रवाई शुरू करें।

5.5 आयोग सहयोग और साझेदारी के क्षेत्रों का पता लगाने और उन्हें और मज़बूत करने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ नियमित बातचीत करता है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ, आयोग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों की बुनियादी संरचना, मानव संसाधन और वित्तीय आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने के मुद्दों को उठाया है, ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत सौंपे गए अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें, और राज्य मानव अधिकार आयोगों द्वारा शिकायत निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकें।

5.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 13 अक्टूबर 2023 को सभी राज्य मानव अधिकार आयोगों, विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स के साथ 'मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने' पर एक बैठक आयोजित की। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदकों, विशेष मॉनिटर्स और आयोग के अधिकारीगण शामिल हुए। चार सत्रों में चर्चायें हुईं; जो निम्नप्रकार हैं:

- सत्र- I: मानव अधिकारों में अब तक की यात्रा और उभरती चुनौतियाँ;
- सत्र II: राज्य मानव अधिकार आयोगों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना;
- सत्र- III: विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर्स द्वारा अनुभव साझा करना; और
- सत्र- IV: भविष्य की योजनाएं: विशेष ध्यान वाले क्षेत्रों में मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी का निर्माण।

विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनीटर के साथ बैठक

5.7 आयोग ने अगले वर्ष की कार्ययोजना पर चर्चा करने के लिए 11 दिसम्बर 2023 को अपने सभी विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक में दो सत्र थे - (क) विशेष प्रतिवेदकों और मॉनीटर द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा; और (ख) वर्ष 2024 के लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप देना। माननीय अध्यक्ष और सदस्य, सभी प्रभाग प्रमुख, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सभी विशेष प्रतिवेदकों और सभी विशेष

11 दिसम्बर 2023 को विशेष प्रतिवेदकों एवं विशेष मॉनीटरों की बैठक

16-17 नवम्बर 2023 को गुवाहाटी में 'स्थानीय स्वशासन के माध्यम से मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन एवं जन-सुनवाई /शिविर बैठक

मॉनीटर ने सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए बैठक की संस्तुतियों की प्रतियां प्राप्त कीं।

स्थानीय स्वायत्त शासी निकायों के माध्यम से मानव अधिकार संवर्धन विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन

5.8 पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा में स्थित सभी राज्य मानव अधिकार आयोगों के लिए 16 नवम्बर 2023 को गुवाहाटी, असम में 'स्थानीय स्वशासन के माध्यम से मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद 17 नवंबर 2023 को गुवाहाटी, असम में आयोग की शिविर बैठक/ जन-सुनवाई हुई। सम्मेलन के बाद सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठकें की गईं; जिनमें (क) आयोग द्वारा समय-समय पर जारी परामर्शियों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई; तथा (ख) उन केसों का अनुपालन किया गया, जिनमें आयोग द्वारा संस्तुतियां/निर्देश जारी किए गए थे।

जन-संपर्क गतिविधियां

5.9 आयोग के अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित दौरे किए गए:

- 25 और 28 अप्रैल 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण), श्री मनोज यादव ने एनआईए केन्द्र- द्वारका और आईबी केंद्रीय प्रशिक्षण स्कूल (आईबीसीटीएस), नई दिल्ली में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों, एसीआईओ ग्रेड II एवं 90वें बैच (चरण VII और VIII) के अन्य कार्यपालकों को 'इस्लामी धर्मशास्त्र' पर एक व्याख्यान दिया।
- 24 अप्रैल 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री पाटिल केतन बलिराम ने दिल्ली पुलिस अकादमी (एसटीसी), चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में अतिरिक्त डीसीएपी और एसीपी को 'मानव अधिकारों की सुरक्षा और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका; पूछताछ के सम्बन्ध में प्रक्रिया- पुलिस हिरासत में मौत- मुठभेड़ में मौत और जेंडर संवेदनशीलता पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशानिर्देश' पर एक व्याख्यान दिया।
- 3 मई 2023 को, श्री कुलबीर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस अकादमी, दिल्ली में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों और सहायक उप-निरीक्षकों को 'मानव अधिकारों की सुरक्षा और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका, पूछताछ प्रक्रिया-पुलिस हिरासत में मौत, मुठभेड़ में मौत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशानिर्देश' पर एक व्याख्यान दिया।
- 15 मई 2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भारतीय सामाजिक संस्थान के प्रधान अन्वेषक डॉ. थॉमस वर्गीस द्वारा 'ओडिशा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के आकांक्षी ज़िलों में शिक्षा तक पहुंच में असमानता' शीर्षक अनुसंधान अध्ययन पर एक प्रस्तुति

कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

- 25 मई 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण) श्री मनोज यादव ने सीआरपीएफ द्वारा अपनी अकादमी, कादरपुर, गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित तीन दिवसीय 'मानव अधिकार और जेंडर संवेदीकरण पर कार्यशाला' का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रतिभागियों को (i) भारत में मानव अधिकारों का सिंहावलोकन और इतिहास एवं (ii) मानव अधिकार और पुलिस - आई/ओ ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी, महामारी, आतंकवाद/नक्सलवाद के दौरान मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस की भूमिका और ज़िम्मेदारियां' पर सम्बोधित किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री पाटिल केतन बलिराम और पुलिस उपाधीक्षक, श्री दुष्यंत सिंह ने भी 26 जून 2023 को कार्यशालाओं के दौरान पुलिसिंग और मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए।

- 30 मई 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण), श्री मनोज यादव ने चंडीगढ़ में पंजाब राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और महानिदेशक के साथ एक बैठक में भाग लिया और मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों और दोनों आयोगों के कामकाज पर चर्चा की।

- डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें श्री देबिंद्र कुंद्रा, सहायक रजिस्ट्रार (विधि), श्री प्रदीप डी. मोरे, इंनिरीक्षक और सुश्री अर्चिति बत्रा, जेआरसी शामिल थीं, ने 21 से 22 जून 2023 तक महाराष्ट्र राज्य में ठाणे में ज़िला जेल और क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, ठाणे पश्चिम का दौरा किया।

- श्री राजीव जैन, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ने बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) का निरीक्षण करने के लिए 24 से 25 जून 2023 तक पटना, बिहार का दौरा किया। उन्होंने बाल देखभाल संस्थानों के क़ैदियों और कर्मचारियों के साथ-साथ बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।

- न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष 2 जुलाई 2023 को सी20 सेवा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भोपाल का दौरा किया।

- 3 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महानिदेशक (अन्वेषण), श्री मनोज यादव ने असम राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री शांतनु भराली से मुलाक़ात की और मानव अधिकार मुद्दों पर उनसे चर्चायें कीं।

- 6 और 7 जुलाई 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण), श्री मनोज कुमार यादव ने आईबी सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल (आईबीसीटीएस), नई दिल्ली में सीधी भर्ती अधिकारियों और अन्य कार्यपालकों को 'इस्लामी धर्मशास्त्र' पर एक व्याख्यान दिया।

- 12 जुलाई 2023 को, श्री कुलबीर सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, अन्वेषण प्रभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एसटीसी/दिल्ली पुलिस अकादमी, राजिंदर नगर, नई दिल्ली में कांस्टेबल से सहायक उप-निरीक्षक तक के कार्मिकों को मानव अधिकार पर एक दिवसीय पाठ्यक्रम के दौरान एक व्याख्यान दिया।

- 14 जुलाई 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, श्री राजीव जैन ने गुरुग्राम में नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर जी20 सम्मेलन के दौरान 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का आपराधिक उपयोग: अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा विकसित करना' पर एक व्याख्यान दिया।

- 14 जुलाई 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण), श्री मनोज कुमार यादव ने प्रोफेसर डॉ. आदर्श कुमार, फोरेंसिक विज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित 'आत्महत्यायें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट-चोट से सम्बन्धित मुद्दों' पर एक प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया।

- श्री भरत लाल, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 8 अगस्त 2023 को 'पुनरुत्थानशील भारत: आकांक्षाएं और चुनौतियां' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग का दौरा किया।

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य डॉ. डी. एम. मुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने श्री देवेन्द्र कुमार निम, संयुक्त सचिव के साथ 'दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य बीमा परामर्श' पर ओपन हाउस चर्चा में भाग लेने के लिए 24 से 26 अगस्त 2023 तक मुंबई, महाराष्ट्र का दौरा किया।

- 27 अगस्त 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग रजिस्ट्रार (विधि), श्री सुरजीत डे ने पुरी, ओडिशा में ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंडिया द्वारा 'न्याय और विधिक सहायता तक पहुंच' पर आयोजित एक संगोष्ठी को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि न्याय तक पहुंच कानून विधि के शासन और सामाजिक एकता को मज़बूत करती है और शासन की संस्थाओं में विश्वास को बढ़ावा देती है।

- 29 अगस्त 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निदेशक, लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह एवं सुश्री आकांक्षा शर्मा ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, निमहंस द्वारा आयोजित 'एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय के समग्र मनोसामाजिक कल्याण के लिए मॉड्यूल' पर एक राष्ट्रीय संवेदीकरण कार्यशाला में भाग लिया किया।

- श्री राजीव जैन, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में वाद-विवाद न्यायालय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए 5 से 6 अक्टूबर 2023 तक राजस्थान राज्य के जोधपुर का दौरा किया; तथा श्री देवेन्द्र कुमार निम, संयुक्त सचिव 8 अक्टूबर, 2023 को समापन समारोह में शामिल हुए।

- 6 से 8 अक्टूबर 2023 तक, श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि) ने श्री सनातन धर्म गर्ल्स कॉलेज बठिंडा, पंजाब के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित 'भारत में महिलाओं के अधिकारों पर मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम' के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

- श्री देवेन्द्र कुमार निम, संयुक्त सचिव ने 16 अक्टूबर, 2023 को पटियाला में खेल और मानव अधिकार पर आयोजित ओपन हाउस चर्चा में भाग लिया।

- श्री भरत लाल, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 13 नवम्बर 2023 को मुम्बई पोत प्राधिकरण में एक सम्मानित अतिथि के रूप में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर 'भ्रष्टाचार को ना कहें: राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें' विषय पर एक व्याख्यान देने के लिए मुम्बई, महाराष्ट्र का दौरा किया।

- 26 नवम्बर 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव, श्री डी के निम ने मानव अधिकार की स्थिति और जेल में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का आकलन करने के लिए चंडीगढ़ आदर्श जेल का दौरा किया।

- 28 नवम्बर 2023 को, श्री अरुण त्यागी, निरीक्षक, अन्वेषण प्रभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एसटीसी/दिल्ली पुलिस अकादमी, राजिन्दर नगर, नई दिल्ली में पुलिस अधिकारियों को मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं, आयोग की कार्यप्रणाली के अलावा पूछताछ के सम्बन्ध में प्रक्रिया, पुलिस हिरासत में मौत, मुठभेड़ में मौतों पर दिशा-निर्देशों के बारे में एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।

- श्री भरत लाल, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य के आईआईएम रायपुर में ज्ञान वर्षा कार्यक्रम के अवसर पर 'जीवन को और अधिक सार्थक कैसे बनाएं' विषय पर व्याख्यान देने के लिए एक सम्मानित अतिथि के रूप में 2 से 3 दिसम्बर 2023 तक रायपुर का दौरा किया।

- 9 दिसम्बर 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य डॉ. डी. एम. मुले ने नई दिल्ली में इंडिया सोसाइटी ऑफ इण्टरनेशनल लॉ द्वारा आयोजित मानव अधिकार दिवस समारोह पर दो दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

- 10 दिसम्बर 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संयुक्त सचिव श्री देवेंद्र कुमार निम ने मानव अधिकार दिवस पर द्वितीय राष्ट्रीय गौरा देवी वाद-विवाद प्रतियोगिता के अन्तिम चक्र में भाग लिया, जिसका आयोजन वात्सल्य और वैली ऑफ वर्ड्स द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत और दून विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड के सहयोग से किया गया था।

- 12 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सदस्य, श्री राजीव जैन ने देश में जेनेरिक दवाओं के शासन में नियामक कमियों पर चर्चा करने के लिए हाइब्रिड मोड में आयोग में हुयी एक बैठक की अध्यक्षता की।

- 13 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय के विधि विभाग में हाइब्रिड मोड में 'मानव अधिकार और वैश्विक जल संकट' पर वार्ता की।

- 14 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, श्री राजीव जैन ने मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट, वसुन्धरा, ग़ाज़ियाबाद में मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं और आयोग की कार्यप्रणाली का सिंहावलोकन किया।

- 15 दिसम्बर 2023 को श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, न्याय-नगर, मीठापुर, पटना, बिहार में बच्चों के अधिकारों पर एक व्याख्यान दिया।

- डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिनिधिमण्डल के साथ श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव, श्री वीरेंद्र सिंह, निदेशक (प्रशासन), श्रीमती अंजलि सकलानी, सहायक निदेशक (राजभाषा) और श्री यू.एन. सरकार, सहायक निदेशक (प्रकाशन) ने 16-19 दिसम्बर 2023 तक केरल के कालीकट विश्वविद्यालय में 'भारतीय संस्कृति, कला और भाषा में मानव अधिकार की अवधारणा' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

- माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 15 दिसम्बर 2023 को स्टेन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी के समापन सत्र के दौरान विशेष भाषण दिया।

- माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 19 दिसम्बर 2023 को श्री वैदिक मिशन द्वारा गुजरात के उपलेटा के प्रांसला में आयोजित 24वें राष्ट्र कथा शिविर में भाग लिया।

- डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नेतृत्व में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिनिधिमंडल ने श्री मुकेश, डीआर (विधि) और श्री देबेंद्र कुंद्रा, सहायक रजिस्ट्रार (विधि) के साथ पुणे आयुक्तालय में लम्बित केसों के सम्बन्ध में 20 से 22 दिसम्बर 2023 तक पुणे का दौरा किया, जिसमें पुणे, रत्नागिरी, सिन्धुदुर्ग, सतारा, सांगली और सोलापुर ज़िले शामिल हैं और आयोग द्वारा जारी विभिन्न परामर्शियों के प्रत्युत्तर में ज़िला अधिकारियों द्वारा उठाए गए क़दमों की समीक्षा की।

- 22 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के रजिस्ट्रार (विधि), श्री सुरजीत डे ने हरियाणा के अम्बाला में वन-स्टॉप सेंटर का दौरा किया और पुलिस अधीक्षक के साथ मानव दुर्व्यापार और सम्बन्धित मुद्दों पर भी चर्चा की।

- श्रीमती विजया भारती सयानी, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 3 जनवरी, 2024 को तेलंगाना राज्य में सरकारी विशेष-सह-बाल गृह और बालिका अवलोकन गृह, निम्बोलियाअड्डा और बालकों के सरकारी बाल गृह, जेल गार्डन, सैदाबाद का दौरा किया।

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने 7 जनवरी 2024 को डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति स्मृति मंदिर, रेशमबाग, नागपुर, महाराष्ट्र में संवर्द्धिनी न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नागपुर का दौरा किया।

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग रजिस्ट्रार (विधि), श्री सुरजीत डे ने 8 जनवरी 2024 को सीआरपीएफ, माउण्ट आबू की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में 'सार्वजनिक व्यवस्था और मानव अधिकारों पर वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स' पर व्याख्यान दिया।

- 9 जनवरी 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, सदस्य श्री राजीव जैन और संयुक्त सचिव, श्री डी. के. निम ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान द्वारा आयोजित 'ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण' पर एक अन्तर-मंत्रालयीन कार्यशाला में भाग लिया।

- श्रीमती विजया भारती सयानी, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ने 12 जनवरी, 2024 को हैदराबाद में 'दिव्यांग युवाओं में आत्मनिर्भरता को सक्षम बनाना' विषय पर एक संगोष्ठी में भाग लिया, जिसका आयोजन मानसा इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड डिसेबिलिटी स्टडीज, कोथापेट, हैदराबाद द्वारा किया गया था।

- श्री राजीव जैन, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 12 जनवरी 2024 को पणजी, गोवा का दौरा किया और ब्रिटिश उच्चायोग और यूके गृह कार्यालय के सहयोग से फॉर्च्यून मीरामार, पणजी, गोवा में आयोजित 'बाल यौन शोषण और बलात्कार और यौन उत्पीड़न से निपटने पर अन्तरराष्ट्रीय गोलमेज़ सम्मेलन: एक पीड़ित केन्द्रित दृष्टिकोण' में भाग लिया।

- माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय द्वारा आयोजित 'वितरण न्याय और मौलिक समानता' पर संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 11 से 12 जनवरी 2024 तक कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु का दौरा किया।

- श्री केतन बलिराम पाटिल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एसएसपी, ने 19 जनवरी 2024 को सीआरपीएफ अकादमी,

गुरुग्राम में सीएपीएफ और राज्य पुलिस बलों के अधिकारियों को 'पुलिसिंग के दौरान मानव अधिकार उल्लंघन के पहलू और नैतिक दुविधाएं और भविष्य की संभावनाएं' पर जानकारी दी।

- 20 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, श्री राजीव जैन ने बिजनेस वर्ल्ड द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में 'राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम मानव अधिकार: संतुलन बनाना' पर एक व्याख्यान दिया।
- 18-21 जनवरी 2024 तक, उप-रजिस्ट्रार (विधि), श्री इन्द्रजीत कुमार ने राज्य में लम्बित केसों के दोहराव की पहचान करने के लिए झारखण्ड राज्य मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।
- माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने 22 से 23 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा आयोजित 'व्यवहार फोरेंसिक्स: क्रिमिनोलॉजी ऑफ़ क्रिमिनलिस्टिक्स की विस्तारित रूपरेखा को पुनर्एकीकृत करना' पर 5वें अन्तरराष्ट्रीय और 44वें एआई क्रिमिनोलॉजी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए अहमदाबाद, गुजरात का दौरा किया।
- श्री राजीव जैन, सदस्य ने 24 जनवरी 2024 को एनएफ़एसयू सम्मेलन, अहमदाबाद में भाग लेने के लिए 23 - 24 जनवरी 2024 को अहमदाबाद, गुजरात का दौरा किया।
- डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य ने 25 जनवरी 2024 को गोवा सरकार के अंतर्गत वृद्धाश्रम (मडगांव शरणालय) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत पंजीकृत मर्सेस स्थित अपना घर (किशोर गृह) का दौरा किया।
- 25 जनवरी 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, श्री राजीव जैन ने एक्सएलआरआई-ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, औरंगपुर, दादरी टॉय, झज्जर, हरियाणा में एमटीसीपी पाठ्यक्रम कर रहे विधि के विद्यार्थियों और आईआरएस के अधिकारियों सहित प्रतिभागियों को 'भारत जैसे फलते-फूलते लोकतंत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका' पर एक व्याख्यान दिया।
- 27 जनवरी 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने जीएसएफसी विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात में 'विकसित भारत के लिए युवा शक्ति का उपयोग' पर एक सत्र को सम्बोधित किया।
- 27-28 जनवरी 2024 तक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, डॉ डी एम मुले ने संस्कृति और मानव अधिकारों पर एक सम्मेलन आयोजित करने वाले संस्कृति विभाग, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक के लिए मुंबई का दौरा किया।
- श्रीमती अनीता सिन्हा ने 02 फरवरी 2024 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), हैदराबाद के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित 'भारत में महिला श्रम बल भागीदारी के आयाम' पर सम्मेलन में भाग लिया।
- 6 फरवरी 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने विश्व युवक केन्द्र द्वारा आयोजित 'आह्वान: ग़ैर सरकारी संगठन – सीएसआर कॉन्क्लेव, 2024' का उद्घाटन किया।
- श्रीमती विजया भारती सयानी, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ने 11 फरवरी 2024 को रेड्डी फंक्शन हॉल, मंचेरियाला रोड, निर्मल जिला, तेलंगाना में महिला ग़ैर सरकारी संगठनों के एक समूह, माहिया शक्ति द्वारा आयोजित 'महिला शक्ति सम्मेलन' की मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना राज्य का दौरा किया।
- श्रीमती विजया भारती सयानी, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ने 13 से 16 फरवरी 2024 तक बुनियादी ढांचे, शैक्षिक सुविधाओं और पोषण सामग्रियों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए नलगोंडा ज़िले में सरकारी कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल, मॉडल स्कूल और गुरुकुलम स्कूल, सरकारी गर्ल्स हॉस्टल, एलेरी, भुवनागिरी ज़िला, तेलंगाना का दौरा किया।
- श्रीमती विजया भारती सयानी, सदस्य ने नेल्लोर में विभिन्न सरकारी संस्थानों निरीक्षण करने और ज़िला मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए 18 से 19 फरवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर ज़िले का दौरा किया।
- डॉ. डी. एम. मुले, माननीय सदस्य ने 23 फरवरी 2024 को सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपुर (वाद-विवाद न्यायालय प्रतियोगिता) के उद्घाटन समारोह के लिए नागपुर (महाराष्ट्र) का दौरा किया।
- 23 फरवरी 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, डॉ. डी. एम. मुले ने आईसीएआई, धंतोली, नागपुर,

महाराष्ट्र के सदस्यों और विद्यार्थियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की।

- 5 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती अनीता सिन्हा ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान में उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की और सत्र को संबोधित किया।

- 7 मार्च 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की संयुक्त सचिव, श्रीमती अनीता सिन्हा ने बी एल अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित 'नई सहस्राब्दी में महिलाओं का सशक्तिकरण' विषय पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की और उपस्थित लोगों को सम्बोधित किया।

- 12 मार्च 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली में स्प्रिंग वाटर शिखर सम्मेलन को सम्बोधित किया।

- 12 मार्च 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के रजिस्ट्रार (विधि), श्री सुरजीत डे ने आयोग के सहयोग से दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित 'डिजिटल युग में मानव अधिकार' विषय पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की।

- 21 मार्च 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने टेरी वाटर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स में भाग लिया।

- 22 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव श्री भरत ने विश्व जल दिवस के अवसर पर सेंटर फॉर सोशल रिसर्च द्वारा आयोजित 'महिलाएं और जल: मानव अधिकार दृष्टिकोण' पर एक व्याख्यान दिया।

- 26 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने हैदराबाद, तेलंगाना में एनटीआर जूनियर और डिग्री कॉलेज फ़ॉर विमेन की छात्राओं को 'महिलाएं और मानव अधिकार' पर संबोधित किया।

- 26 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के सदस्य, डॉ. डी.एम. मुले ने 'ज्ञान का परिदृश्य: बोधगया, राजगीर और नालन्दा' विषय पर छठे बोधगया वैश्विक संवाद के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित किया।

- 27 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के उप निदेशक (मीडिया और संचार), श्री जैमिनी कुमार श्रीवास्तव ने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता विभाग के पीजी डिप्लोमा विद्यार्थियों के साथ 'मीडिया और मानव अधिकार' पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया।

- 27 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी को लॉयनेस क्लब, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कामकाज और उद्देश्यों और मानव अधिकारों के संरक्षण में ग़ैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए चार अलग-अलग क्लबों से सम्बन्धित पीडीपी, अध्यक्षों और निदेशकों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

- 27 मार्च 2024 को, श्रीमती विजया भारती सयानी ने आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद स्थित सिटी सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 'मानव अधिकारों की सुरक्षा - अधिवक्ताओं की भूमिका' पर अधिवक्ताओं के एक समूह के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया।

- 28 मार्च 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा आयोजित 'जलवायु प्राथमिकताओं' के बारे में एक व्याख्यान दिया।

- 28-29 मार्च 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने सेवा भारती, हैदराबाद द्वारा आयोजित 'युवा महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का अनावरण और उपलब्ध विधिक प्रतिकारक' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित किया।

- 29 मार्च 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2-दिवसीय कार्यक्रम के समापन सत्र को सम्बोधित किया।

- 30 मार्च 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने 'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति' विषय पर प्रज्ञा भारती, हैदराबाद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

अध्याय 6

समर्थन और जनसंपर्क

मीडिया एवं संचार

6.1 एनएचआरसी अपने मीडिया और संचार विंग के माध्यम से आयोग द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्रसारित करता है। इनमें प्रेस विज्ञप्तियां, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस और साक्षात्कार शामिल हैं। मीडिया एवं संचार विंग में रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार मुद्दों के बारे में आयोग को फीडबैक भी प्रदान करता है जो आयोग द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान लेने का एक प्रमुख स्रोत है।

6.2 **प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार और न्यूजलेटर:** 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के दौरान, आयोग द्वारा विभिन्न हस्तक्षेपों और गतिविधियों के बारे में 135 प्रेस विज्ञप्तियाँ तैयार की गईं और जारी की गईं। आयोग द्वारा आयोजित एशिया पेसिफिक सम्मेलन, स्थापना दिवस और मानव अधिकार दिवस के कार्यक्रमों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवर किया गया, जिसमें डीडी, संसद टीवी, एआईआर और एएनआई टीवी पर लाइव कवरेज शामिल है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा व्यापक कवरेज और जागरूकता के लिए मुंबई, गुवाहाटी और विजयवाड़ा में शिविर बैठकों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं।

6.3 आयोग के संज्ञान में कई न्यूजलेटर क्लिपिंग्स लाई गईं, ताकि स्वत: संज्ञान लेकर विचार किया जा सके। आयोग की भूमिका और हस्तक्षेप के बारे में मीडिया में बताए गए मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए, आयोग की वेबसाइट पर दैनिक न्यूजलेटर क्लिपिंग्स अपलोड की गईं। इन न्यूजलेटर क्लिपिंग्स का एक मासिक संग्रह भी तैयार किया गया और रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए लाइब्रेरी को भेजा गया। इसके अलावा, पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म तलाशने के प्रयास किए गए।

6.4 **एनएचआरसी मासिक न्यूजलेटर:** मानव अधिकार आयोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में की जाने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाले मासिक न्यूजलेटर प्रकाशित करता है। मानव अधिकारों के महत्व और आयोग के हस्तक्षेप और संस्तुतियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन्हें सरकार के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों, मीडियाकर्मियों, पुस्तकालयों, व्यक्तियों आदि के बीच ईमेल द्वारा प्रसारित किया गया। मासिक न्यूजलेटर एनएचआरसी की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए।

6.5 न्यूजलेटर की भौतिक प्रतियां राष्ट्रीय आयोगों और एनएचआरसी के पदेन सदस्यों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायिक, पुलिस और प्रशासनिक संस्थानों, पुस्तकालयों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और दूतावासों को भेजी गईं।

6.6 **अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार:** वर्ष के दौरान, आयोग ने एपीएफ द्विवार्षिक सम्मेलन के संबंध में आयोग के अध्यक्ष के 14 साक्षात्कार और मानव अधिकार दिवस 2023 के संबंध में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के 12 साक्षात्कार रिकॉर्ड किए, ताकि दूरदर्शन नेशनल, टाइम्स नाउ, संसद टीवी, जी न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो (न्यूजलेटर), आज तक आदि सहित विभिन्न न्यूजलेटर संगठनों के माध्यम से मानव अधिकारों और आयोग की गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

6.7 **आंतरिक फीडबैक तंत्र:** मीडिया में प्रकाशित मानव अधिकार मुद्दों पर 'वीकली न्यूज डाइजेस्ट' भी आयोग द्वारा तैयार किया गया था।

6.8 मानव अधिकार आयोग पर मीडिया रिपोर्टों और उनके विश्लेषण का एक मासिक संग्रह भी संदर्भ के लिए तैयार किया गया था।

6.9 आयोग की वेबसाइट पर आयोग-विशिष्ट न्यूजलेटर क्लिपिंग्स को अपलोड करने के अलावा, आयोग में डिस्प्ले बोर्ड पर 'एनएचआरसी इन न्यूज' विषय के अंतर्गत न्यूजलेटर क्लिपिंग्स और मानव अधिकारों पर जानकारी प्रसारित की गई, ताकि आयोग के आंतरिक पदाधिकारियों और आगंतुकों को जागरूक किया जा सके और जानकारी दी जा सके।

जागरूकता सृजन

6.10 एनएचआरसी के लघु फिल्म पुरस्कार: 2023 में, आयोग ने लघु फिल्म पुरस्कार योजना का आठवां संस्करण शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और मान्यता देना है। पुरस्कृत फिल्मों को बाद में एनएचआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

6.11 आयोग ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय को क्रमश: 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए के तीन नकद पुरस्कारों के अलावा 'विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र' के तहत चार फिल्मों को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया। इस योजना को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें देश के विभिन्न भागों से हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न भाषाओं में 139 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। इनमें से 118 प्रविष्टियाँ पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य पाई गई।

6.12 मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, की अध्यक्षता में पूर्ण आयोग की जूरी के सदस्य डॉ. डी.एम मुले, श्री राजीव जैन, श्रीमती विजया भारती सयानी महासचिव श्री भरत लाल और दो बाहरी विशेषज्ञों, दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक श्री लीला धर मंडलोई और आईआईएमसी की प्रो. रचना शर्मा ने निम्नलिखित फिल्मों का चयन किया:

- श्री भूषण अरुण मेहरे द्वारा 'किरण-ए रे ऑफ होप' को प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपये, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया गया। यह फिल्म अधिकारों पर प्रकाश डालती है और उन पर चिंता जताती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा आजीविका कमाने के लिए सम्मान के साथ समान अवसरों का अधिकार भी शामिल है। यह हिंदी और अंग्रेजी में, अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ है।

- श्री बिभुजजल राज कश्यप की फिल्म 'मुखाग्नि- द क्रिमेशन' को 1.5 लाख रुपए का दूसरा पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया गया। एक सच्ची कहानी से प्रेरित यह फिल्म अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, सामाजिक रूढ़िवादिता, जाति पंचायत के अत्याचारी फरमान और मृतकों के सम्मान के अधिकार सहित विभिन्न मुद्दों को उठाती है।

- श्री नितिन सोनकर की फिल्म 'राइट्स ऑफ फ्रीडम' को 1 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया गया। यह फिल्म प्रतीकात्मक रूप से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए समान अवसरों की वकालत करती है और इस बात पर प्रकाश डालती है कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले एक युवा लड़के की कहानी के माध्यम से जीवन में सपने देखने और बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। यह हिंदी में, अंग्रेजी उपशीर्षक के साथ है।

6.13 'विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र' और 50,000/- रुपये के नकद पुरस्कार के लिए चयनित फिल्में इस प्रकार हैं:

- ग्लास ऑफ ह्यूमैनिटी, सुश्री अब्दुल्ला अलफजीना द्वारा (मौन)
- श्रीमती सुप्रीति घोष (बंगाली) द्वारा दीपशिखा का उत्पीड़न
- नारागम - नरक, श्री एम. भास्कर (तमिल)
- श्री रशीद उस्मान निंबालकर द्वारा रचित 'रहस' (मौन)

6.14 **एनएचआरसी ट्विटर हैंडल:** 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक थ्रेड्स और रीपोस्ट सहित 2,828 पोस्ट किए गए और 31 मार्च 2024 तक कुल फॉलोअर्स की संख्या लगभग 62,100 तक पहुंच गई।

6.15 **एनएचआरसी ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता:** आयोग ने माई गवर्नमेंट पोर्टल और एनएचआरसी वेबसाइट पर ऑनलाइन मानव अधिकार फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

6.16 **वैकल्पिक संचार मंचों की खोज:** मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वैकल्पिक मीडिया मंचों की खोज करना जारी रखा है।

प्रकाशन

6.17 पीएचआरए, 1993 की धारा 12(एच) के तहत, आयोग ने विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्वानों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों, नीति निर्माताओं और आम जनता सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सूचनात्मक सामग्री युक्त साहित्य प्रकाशित किया है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए:

- वार्षिक रिपोर्ट- 2020-21 (अंग्रेजी);
- वार्षिक रिपोर्ट- 2020-21 (हिंदी);
- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट;

- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (नया) (अंग्रेजी) [जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 द्वारा संशोधित]
- एनएचआरसी का सिंहावलोकन: इसके कार्य और विभिन्न गतिविधियाँ;
- मानसिक स्वास्थ्य - सभी के लिए चिंता : मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के संदर्भ में;
- अंग्रेजी जर्नल, अंक 22, वर्ष 2023;
- मानव अधिकार नई दिशाएँ, अंक 20, वर्ष 2023;
- फोरेंसिक विज्ञान और मानव अधिकार;
- कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम और पेंशन अधिनियम;
- ठेका श्रमिक, अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक और घरेलू श्रमिक;
- महिलाओं के यौन एवं प्रजनन अधिकार;
- अपहरण/ व्यपहरण/ अनैतिक दुर्व्यापार / गलत तरीके से बंधक बनाना;
- मातृत्व लाभ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और समान पारिश्रमिक;
- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (नया) (हिंदी) [जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 द्वारा संशोधित]।

अनुसंधान अध्ययन

6.18 पीएचआरए, 1993 की धारा 12 (जी) आयोग को मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करने और उसे बढ़ावा देने का अधिकार देती है। तदनुसार, आयोग विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, एनजीओ/ सीएसओ के सहयोग से विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर अनुसंधान करता है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान निष्कर्षों को कार्य योजना में बदलना है ताकि मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। पूर्ण किए गए अनुसंधान अध्ययन आयोग की वेबसाइट और अनुलग्नक-VI पर उपलब्ध हैं, जबकि चल रहे अनुसंधान अध्ययनों की सूची अनुलग्नक-VII के अंतर्गत सूचीबद्ध है। दिए गए वर्ष में, आयोग ने मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए तेरह विषयों का विज्ञापन दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.19 एनएचआरसी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई), पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों (पीटीआई), न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करता है। इनके अलावा, आयोग द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए साल में दो बार, यानी गर्मियों और सर्दियों में एक महीने का भौतिक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए आयोग द्वारा दो सप्ताह के चार ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

इंटर्नशिप कार्यक्रम

6.20 **इंटर्नशिप कार्यक्रम-** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दो भौतिक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

i.) ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (एसआईपी) - एसआईपी-2023, भौतिक रूप से, 5 जून से 30 जून, 2023 तक आयोजित किया गया, जिसमें कुल 68 विद्यार्थियों ने भाग लिया और सफलतापूर्वक अपनी इंटर्नशिप पूरी की। समूह अनुसंधान परियोजना प्रस्तुति, पुस्तक समीक्षा और भाषण प्रतियोगिता जैसी व्यावहारिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं और विजेताओं को नकद पुरस्कार/पुस्तकें और प्रमाण -पत्र प्रदान किए गए। विद्यार्थियों को एनजीओ आशा किरण, तिहाड़ जेल, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) और डिफेंस कॉलोनी और हौज खास, नई दिल्ली के पुलिस स्टेशनों का दौरा कराया गया।

ii.) शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम (डब्ल्यूआईपी) - डब्ल्यूआईपी-2023, भौतिक रूप से, 18 दिसम्बर, 2023 से 16 जनवरी, 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें कुल 79 विद्यार्थियों ने भाग लिया और सफलतापूर्वक अपनी इंटर्नशिप पूरी की। समूह अनुसंधान परियोजना प्रस्तुति, पुस्तक समीक्षा और भाषण प्रतियोगिता जैसी व्यावहारिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं और विजेताओं को नकद पुरस्कार/पुस्तकें और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विद्यार्थियों को एनजीओ आशा किरण, तिहाड़ जेल, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) और डिफेंस कॉलोनी और हौज खास, नई दिल्ली के पुलिस स्टेशनों का दौरा कराया गया।

6.21 **ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) -** एनएचआरसी ने मई, अगस्त और अक्टूबर, 2023 और फरवरी, 2024 के महीनों में 4 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कुल 380 छात्र प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और सफलतापूर्वक अपनी इंटर्नशिप पूरी की।

6.22 आयोग ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों के अधिकारियों, राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों, सचिव/अपर सचिव स्तर के भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय सेना/वायु सेना/ भारतीय नौसेना के शीर्ष रैंकिंग अधिकारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के प्रमुखों, विशेष प्रतिवेदकों, विशेष मॉनिटरों, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, प्रसिद्ध गांधीवादियों आदि को सभी ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रमों में भारत वीसी प्लेटफार्मों के माध्यम से छात्र प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन संबोधित करने और उनसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया।

6.23 इंटर्नशिप कार्यक्रम का मैट्रिक्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें व्यावहारिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। प्रशिक्षु छात्र मानव अधिकार विषय पर एक पुस्तक पढ़ते हैं, एक लिखित और मौखिक प्रस्तुति तैयार करते हैं, जिसका मूल्यांकन आंतरिक जूरी सदस्यों द्वारा किया जाता है, और विजेताओं को पुस्तकों के रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं। छात्र प्रशिक्षुओं को समकालीन प्रासंगिकता के मानव अधिकार विषय पर एक समूह अनुसंधान परियोजना सौंपी जाती है। प्रस्तुति वरिष्ठ एनएचआरसी अधिकारियों के समक्ष की जाती है और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 15,000/- रुपये, 10,000/- रुपये और 5,000/- रुपये के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ अनुसंधान परियोजनाओं के विषय निम्नलिखित थे:

- खेल और मानव अधिकार;
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा: भारत का मामला;
- नाविकों के अधिकार;
- बाल अधिकार: भारतीय परिदृश्य;
- मैनुअल स्कैवेंजर्स के मानव अधिकार;
- भारत में उपभोक्ता अधिकार;
- भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय – स्वास्थ्य का उनका अधिकार;
- एसिड अटैक पीड़ित: भारत का मामला;
- कानून से संघर्षरत बच्चों के अधिकार;
- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) का अधिकार;
- भारत में घरेलू कामगारों की स्थिति: स्थिति और मुद्दे; और
- मानव अधिकार के रूप में पर्यावरण का अधिकार

प्रशिक्षण/प्रतियोगिता/दौरों का विवरण

6.24 सहयोगात्मक मूट कोर्ट प्रतियोगिता - आयोग 2013 से भारत के विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सहयोग से मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है, जिसके लिए आयोग मेजबान संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2023-24 में, छह संस्थानों ने एनएचआरसी के सहयोग से मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। प्रतियोगिताओं का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 6.1: मानव अधिकार आयोग के सहयोग से आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं

क्र. सं.	संस्था	अवधि
1.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान	6 - 8 अक्टूबर 2023
2.	चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, न्याय नगर, मीठापुर, पटना, बिहार	13 -15 अक्टूबर 2023
3.	स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका, दिल्ली	19 -21 जनवरी 2024
4.	महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	9 – 11 फरवरी 2024
5.	सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपुर, महाराष्ट्र	23 – 25 फरवरी 2024
6.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मेघालय	17 मार्च 2024

6.25 **सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम** – राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और भारतीय विधि संस्थान के बीच 15 सितम्बर 2022 को हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, भारतीय विधि संस्थान ने वर्ष 2023-24 के दौरान 6 सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के प्रचार और कार्यान्वयन में अनुसंधान विस्तार गतिविधियों को शुरू करना, समन्वय करना और सहयोग करना है।

6.26 इसके अलावा, आयोग ने मानव अधिकारों और संबंधित मुद्दों पर एक दिन/ दो दिन/ तीन दिन के 48 सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी और वित्तीय सहायता दी, जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों/ प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई)/ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों (पीटीआई)/ न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों (जेटीआई) आदि जैसे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित किए गए थे। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 4,700 लोगों ने भाग लिया। विवरण अनुलग्नक- XIII में दिया गया है।

6.27 इसके अतिरिक्त, आयोग ने देश में मानव अधिकारों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और आउटरीच गतिविधियों के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों संकाय सदस्यों और सरकारी अधिकारियों की मेजबानी की है। आयोग का स्कूलों, लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा दौरा किया गया, जिसके दौरान उन्हें एनएचआरसी के कामकाज, इसके विभिन्न प्रभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि कैसे युवा भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा, अप्रैल 2023 में, 2 आईएएस प्रशिक्षुओं (एजीएमयूटी) को आयोग से जोड़ा गया, जहाँ उन्हें आयोग के काम से अवगत कराया गया और कैसे सरकारी अधिकारी के रूप में वे सभी के अधिकारों और सम्मान खासकर कमजोर समुदायों के लोगों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे, यात्राओं का विवरण अनुलग्नक- XIV में है।

6.28 19 मार्च, 2024 को दिल्ली के रामानुजन मानव अधिकार अध्ययन केंद्र के सहयोग से 'गिग अर्थव्यवस्था, श्रम और मानव अधिकारों के बीच संबंध की खोज' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

6.29 28 मार्च 2024 को, मानव अधिकार आयोग, भारत ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य: वसुधैव कुटुम्बकम के लेंस के माध्यम से मानव अधिकारों का मार्गदर्शन' शीर्षक से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में देश भर से 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6.30 **जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम -** एनएचआरसी ने 17 अगस्त 2023 और 6 दिसम्बर 2023 को आंतरिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जेंडर संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रो. (डॉ.) रितु गुप्ता, निदेशक, सेंटर फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल लॉज़, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका, दिल्ली ने 17 अगस्त 2023 को 'सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देना' विषय पर और 6 दिसम्बर 2023 को ' कार्यस्थल को सुरक्षित स्थान बनाने की दिशा में: पीओएसएच अधिनियम पर एक प्रशिक्षण सत्र' विषय पर व्याख्यान दिया।

पुलिसकर्मियों के साथ कार्यक्रम

6.31 **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता, 2023 -** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों के बीच मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए, एनएचआरसी हर साल मानव अधिकार मुद्दों पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करता है। एनएचआरसी ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के सहयोग से 28 वीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता 2023 आयोजित की। वाद-विवाद प्रतियोगिता का अंतिम चरण में एनएचआरसी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय सदस्य श्री राजीव जैन, एनएचआरसी के महासचिव श्री भरत लाल, श्री सुनील कुमार मीना, उप महानिरीक्षक (अन्वेषण), एनएचआरसी और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अंतिम कार्यक्रम में कुल 16 प्रतिभागियों (हिंदी के लिए 8 और अंग्रेजी के लिए 8) ने भाग लिया प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए तथा रोलिंग ट्रॉफी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने जीती।

6.32 **राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताएं:** मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए, आयोग ने 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात उत्तराखंड, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम, दिल्ली और नागालैंड को मानव अधिकार मुद्दों पर वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

6.33 **मानव अधिकारों पर प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण:** एनएचआरसी को मानव अधिकार साक्षरता फैलाने की वैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य बातों के साथ-साथ, इस संबंध में मानव अधिकार पहलू पर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। आयोग ने विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर, विशेष रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र बलों और जेल अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अकादमियों या प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया।

6.34 आयोग द्वारा वर्ष के दौरान तीन आवासीय 'मानव अधिकारों पर प्रशिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम' सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

- राज्य पुलिस बलों के लिए मानव अधिकारों पर प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का पहला प्रशिक्षण 21 अगस्त 2023 से 25 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के 29 पुलिस अधिकारियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया।

28वीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता, 2023

28वीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता, 2023

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का दूसरा प्रशिक्षण 11 दिसम्बर 2023 से 15 दिसम्बर 2023 तक आयोजित किया गया, जिसमें 25 सीएपीएफ अधिकारियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया।

- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के जेल अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का तीसरा प्रशिक्षण 18 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 33 जेल अधिकारियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया।

राजभाषा के माध्यम से मानव अधिकारों का संवर्धन

6.35 **राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ:** आम जनता में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयासों के तहत आयोग देश के विभिन्न भागों में मानव अधिकारों से संबंधित विषयों पर हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित करता रहा है। इस संबंध में आयोग द्वारा आयोजित कुछ संगोष्ठियाँ निम्नलिखित हैं:

i) 31 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, मेघालय के संयुक्त तत्वावधान में 'साहित्य और समाज में मानव अधिकार के विविध परिप्रेक्ष्य' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोग के माननीय सदस्य डॉ. डी. एम. मुले इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे। संगोष्ठी 04 तकनीकी सत्रों में आयोजित की गई।

ii) 18-19 दिसम्बर 2023 को कालीकट विश्वविद्यालय, मलप्पुरम, केरल के संयुक्त तत्वावधान में 'भारतीय संस्कृति, कला एवं भाषा में मानव अधिकार की अवधारणा' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोग के माननीय सदस्य डॉ. डी. एम. मुले इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे। संगोष्ठी 03 तकनीकी सत्रों में आयोजित की गई।

6.36 **वार्षिक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन:** मानव अधिकारों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए, आयोग ने हिंदी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2004 से शुरू किया। आयोग ने इसका 20 वां अंक प्रकाशित किया और इसे मानव अधिकार दिवस यानी 10 दिसम्बर 2023 को जारी किया।

6.37 **क्षेत्रीय भाषा अनुवाद:** आयोग भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतें स्वीकार करता है। हिंदी अनुभाग क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवाद की निगरानी करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अनुवादकों के अनुमोदित पैनल द्वारा 7,736 से अधिक शिकायतों का अनुवाद किया गया।

6.38 **हिंदी पखवाड़ा:** दैनिक कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 से 28 सितम्बर 2023 तक वार्षिक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टंकण और हिंदी सुलेख प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए।

अध्याय 7

विषयात्मक अन्तर्दृष्टि

7.1 यह सुनिश्चित करने के प्रयास में कि सभी लोगों द्वारा मानव अधिकारों का सम्मान किया जाए और उनका आनन्द लिया जाए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या श्रेणियां कुछ भी हों, आयोग ने कुछ ऐसे विशेष ध्यान के क्षेत्रों की पहचान की है, जिन पर इसकी गतिविधियों में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विषयात्मक क्षेत्रों की पहचान की प्रक्रिया के बाद व्यापक अनुसंधान गतिविधियाँ की जाती हैं और ऐसे मानव अधिकार मुद्दों की पहचान की जाती है, जिनमें हस्तक्षेप या विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है। आयोग का नीति अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग उस विषयात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लंघन के ज्वलन्त मुद्दों पर सिफ़ारिशें या परामर्शियां जारी करने के उद्देश्य से सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, ओपन हाउस चर्चाएँ, बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों या पात्र मानव अधिकार संगठनों के प्रख्यात अनुसंधानकर्ताओं के सहयोग से, उन विभिन्न विषयात्मक क्षेत्रों में अनुसंधान करता है, जिनके लिए मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लागू नीतियों, विधियों, सन्धियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय साधनों की समीक्षा करने में आयोग की सहायता करता है और सरकारों को इस बारे में इनपुट प्रदान करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदकों और मॉनीटरों द्वारा प्रस्तुत यात्रा रिपोर्टों का भी अनुसंधान प्रभाग द्वारा विश्लेषण किया जाता है, ताकि आयोग को की गई टिप्पणियों के आधार पर संस्तुतियां तैयार की जा सकें। प्रत्येक विषयात्मक क्षेत्र के लिए की गई उपर्युक्त गतिविधियों को इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है। पूर्ण हो चुकीं, प्रक्रियाधीन था अगले वित्तीय वर्ष में अनुमोदन के लिए विचाराधीन अनुसंधान परियोजनाओं की सूचियाँ क्रमशः अनुलग्नक-VI, अनुलग्नक-VII तथा अनुलग्नक-VIII में दी गई हैं।

कोर ग्रुप

7.2 आयोग ने मानव अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोर ग्रुप गठित किए हैं। कोर ग्रुप के सदस्यों में प्रतिष्ठित व्यक्ति, विषय विशेषज्ञ और सरकारी या तकनीकी संस्थानों, ग़ैर सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये समूह आयोग को विशेषज्ञ सलाह देते हैं। कोर ग्रुप की बैठकें नियमित अंतराल पर या जब भी आवश्यक समझा जाता है, समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग में आयोजित सभी कोर ग्रुप बैठकों का विवरण अनुलग्नक-X के अन्तर्गत दिया गया है। वर्ष 2023-2024 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में काम करने वाले 12 कोर ग्रुप इस प्रकार थे:

- स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप;
- दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोर ग्रुप;
- वृद्धजनों पर कोर ग्रुप;
- मानव अधिकार संरक्षकों और ग़ैर सरकारी संगठनों पर कोर ग्रुप;
- भोजन के अधिकार पर कोर ग्रुप;
- व्यापार और मानव अधिकारों पर कोर ग्रुप;
- बंधुआ मज़दूरी पर कोर ग्रुप;
- महिलाओं और आश्रय गृहों पर कोर ग्रुप;
- बच्चों के अधिकारों पर कोर ग्रुप;
- एलजीबीटीआई मुद्दों पर कोर ग्रुप;
- आपराधिक न्याय प्रणाली पर कोर ग्रुप; और
- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कोर ग्रुप

विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर

7.3 आयोग के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर मानव अधिकार विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें विषयात्मक या राज्य-विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से मानव अधिकार सम्बन्धी समस्याओं पर रिपोर्ट करने और सलाह देने के निदेश के साथ विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर की प्रणाली राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तंत्र का एक केंद्रीय तत्व है, और यह प्रणाली सभी मानव अधिकारों को कवर करती है: नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक,

सामाजिक और सांस्कृतिक, इसके अलावा, वे बाल श्रम, बँधुआ मज़दूरी, दिव्यांगता सम्बन्धी चिन्ताओं आदि जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं और लोगों के बीच मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं ताकि उनके या दूसरों के अधिकारों के उल्लंघन के केस में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से निवारण की मांग की जा सके। वे देश के विभिन्न हिस्सों में दौरे करते हैं और आयोग की आँख और कान के रूप में कार्य करते हैं, और ज़मीनी स्तर पर मानव अधिकार की वास्तविक स्थिति का हाल आयोग को प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार वे आयोग के प्रयासों को पूरक बनाते हैं। उनकी रिपोर्टें के आधार पर आयोग मानव अधिकार की स्थिति में सुधार के लिए अधिकारियों को सिफ़ारिशों का सुझाव देता है। विशेष प्रतिवेदकों और मॉनीटर ने पूरे वर्ष व्यापक दौरे किए। प्राधिकारियों को विचारार्थ भेजी गईं टिप्पणियाँ और सिफ़ारिशें इस अध्याय में प्रसंगगत विषयात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत दी गई हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान पदस्थ विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर की जानकारी अनुलग्नक-X में दी गई है, जबकि उनके द्वारा किए गए विस्तृत दौरों की सूची अनुलग्नक-XI में है।

परामर्शियां

7.4 आयोग ने मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान या किसी मौजूदा विधि के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की संस्तुति करने के अपने जनादेश को पूरा करने के लिए एक अभिनव तंत्र विकसित किया है। आयोग द्वारा जारी परामर्शियों का उद्देश्य सभी की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहलों को पूरक बनाना है। वर्ष 2023-24 में, आयोग ने चार परामर्शियां जारी कीं जिन्हें कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा गया और आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी इन परामर्शियों का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है:

1. **क़ैदियों द्वारा जानबूझकर ख़ुद को क्षति पहुंचाने और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परामर्शी:** आयोग ने 19 जून 2023 को उक्त परामर्शी जारी की, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 2014 में जारी किए गए 'जेल में आत्महत्या की रोकथाम' दिशानिर्देशों के पूरक के रूप में है। कुछ संस्तुतियां निम्न प्रकार हैं:

   - रिक्तियों को भरना और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना: जेल कर्मचारियों, विशेष रूप से जेल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा कर्मचारियों की मौजूदा रिक्तियों को भरा जाना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने के लिए उनकी संख्या को उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को हर पांच साल में जेल कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या की समीक्षा करनी चाहिए;
   - जेल कर्मचारियों का प्रशिक्षण: जेल कर्मचारियों को हर तीन साल में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के पूरक के रूप में प्रारम्भिक मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें मानसिक बीमारी और मादक द्रव्यों के सेवन के लक्षण पहचानने और उनका तत्समय ज़रूरी उपाय करने के लिये मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा (पीएफए) का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, और चयनित कर्मचारियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सीपीआर और प्राथमिक चिकित्सा कौशलों से लैस किया जाना चाहिए;
   - प्रवेश चरण में जांच: मानसिक स्वास्थ्य विकारों के संकेतों और लक्षणों के सामयिक निदान के लिए प्रत्येक क़ैदी की प्रारम्भिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट में मानसिक स्वास्थ्य जाँच शामिल की जानी चाहिए;
   - जोखिम वाले क़ैदियों की निगरानी और पर्यवेक्षण: जोखिम वाले क़ैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मचारियों के साथ दो-स्तरीय निगरानी प्रणाली बनाई जाए, साथ ही मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित 'क़ैदी मित्र' कार्यक्रम भी जोड़े जाएं। नुकीली वस्तुओं और ख़तरनाक रसायनों तक पहुंच को प्रतिबन्धित करके, बिस्तर की नियमित जाँच करके और आत्महत्या के विचार वाले क़ैदियों को तुरन्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के पास भेजकर सुरक्षा उपायों को लागू करें;
   - क़ैदियों का प्रशिक्षण: प्रत्येक जेल बैरक में चयनित क़ैदियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा तैयार किए गए गेटकीपर मॉडल को लागू किया जाना चाहिए;
   - शमन के लिए सहयोगात्मक ढांचा: जेल प्रशासन को मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर एक नोडल विशेषज्ञ नियुक्त करना चाहिए, समुदाय-आधारित पहलों से जुड़ना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य पर केन्द्रित इच्छुक निजी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और ग़ैर सरकारी संगठनों के साथ जुड़ना चाहिए;
   - क़ैदियों के बीच नशे की लत: इस मुद्दे को स्वास्थ्य और पुनर्वास के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए और इससे निपटने के उपाय किए जाने चाहिए;

- प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन: जेल प्रशासन विधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;

- जेल हाउसकीपिंग: जेलों में नुकीली वस्तुओं, ख़तरनाक रसायनों और लटकी हुई वस्तुओं तक पहुँच को प्रतिबन्धित करके सुरक्षा सुनिश्चित करें और सीसीटीवी निगरानी और उचित शौचालय डिज़ाइन के माध्यम से जोखिम वाले क़ैदियों की निरंतर निगरानी करें;

- आगंतुकों की प्रणाली को मज़बूत करना: परिवार के सदस्यों द्वारा मुलाक़ात को प्रोत्साहित करना, प्रतीक्षा समय को कम करना, ऑनलाइन अपॉइण्टमेण्ट की पूर्व बुकिंग की सुविधा प्रदान करना, तलाशी को प्रतिबन्धित करना;

- जेल का वातावरण: ग़ैर सरकारी संगठनों की मदद से जेलों में विविध मनोरंजक गतिविधियाँ और आध्यात्मिक कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य ऊर्जा को सकारात्मक रूप से चैनलाइज़ करना है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान करना, तथा दीर्घकालिक क़ैदियों को सरकारी उद्यमिता योजनाओं से जोड़ना पुनर्वास और दिशा की भावना को बढ़ावा देता है।

2. **ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परामर्शी:** ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 जैसी विधिक प्रगति होने के बावजूद ट्रांसजेण्डर समुदाय के लोगों द्वारा निरंतर भेदभाव का सामना किया जा रहा है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुये, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, राज्यों के मुख्य सचिवों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्शी जारी की, जिसे लागू करने के लिए सर्व सम्बन्धितों से कहा गया है। परामर्शी में निम्नलिखित छह विषयों पर सिफ़ारिशें शामिल हैं:

   - शिक्षा: शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, भेदभाव विरोधी प्रकोष्ठों की स्थापना करना और शिक्षण संस्थानों को ट्रांसजेण्डर विद्यार्थियों के लिए समावेशी बनाना;

   - स्वास्थ्य सेवा: ज़िला स्तर पर मेडिकल बोर्ड स्थापित करना, ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए परामर्श और उपचार प्रदान करना और मुफ़्त सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी पर विचार करना;

   - रोज़गार: सिविल सेवा नौकरियों के लिए पहचान श्रेणी के रूप में 'थर्ड जेण्डर' को जोड़ना, कार्यस्थलों पर ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों को हिंसा या उत्पीड़न से बचाना और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना;

   - समावेशिता को बढ़ावा देना: ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय, प्रतिभा दिखाने के लिए मंच और वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान करना;

   - कल्याण: पारिवारिक पेंशन के लिए एकल ट्रांस-बच्चों को अविवाहित बेटियों के रूप में मानना, ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड की स्थापना करना और बहुउद्देशीय पहचान पत्र प्रदान करना;

   - शिकायत निवारण: ट्रांसजेण्डर सुरक्षा प्रकोष्ठों की स्थापना करना, पुलिस स्टेशनों में ट्रांसजेण्डर मुद्दों के लिए अधिकारियों को विशेष ध्यान बिन्दु के रूप में नामित करना और शैक्षिक अभियानों के माध्यम से जनता को संवेदनशील बनाना।

3. **मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्शी:** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी 10 अक्टूबर 2023 के अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य पर एक परामर्शी जारी की। परामर्श में कार्रवाई के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसमें मौजूदा विधियों और नीतियों का कार्यान्वयन, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं, मानव संसाधन, आउटरीच और सामुदायिक सेवाएं, ठीक हो चुके मरीज़ों का पुनर्वास, राज्यों की सेवायें और जन जागरूकता तथा संवेदीकरण शामिल हैं। उक्त परामर्शी में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:

   - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए बीमा पॉलिसियों और योजनाओं में मानसिक बीमारियों का इलाज शामिल होना चाहिए;

   - आर्थिक रूप से वंचित आबादियों के लिए मानसिक विकारों के इलाज तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, 'आयुष्मान भारत' योजना में मानसिक बीमारी को शामिल करना आवश्यक है;

   - मरीज़ों और उनके परिवार के सदस्यों को बैंक खाते खोलने के लिए उचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें विभिन्न लाभों और सामाजिक योजनाओं के बारे में जागरूक करते हुये हर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए;

   - मरीज़ों को आधार कार्ड प्रदान करने और उनके विवरण को अनिवार्य रूप से अपडेट करने के लिए संस्थानों में शिविर आयोजित और स्थापित किए जा सकते हैं;

- अधिनियम, 2017 की धारा 27 के तहत अनिवार्य रूप से मुफ़्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक संस्थान में एक व्यक्ति को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए;
- संस्थानों में बिस्तरों की संख्या, पानी, स्वच्छता, भोजन, बिस्तर, कपड़े, मनोरंजक गतिविधियों का प्रावधान आदि सहित गुणवत्ता वाली सामान्य सुविधाएं होनी चाहिए;
- अधिनियम 2017 की धारा 19 (3) के तहत अनिवार्य रूप से आधे रास्ते के घरों की व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिए, पुनर्वास प्रयासों को सभी सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए;
- जो मरीज़ छुट्टी के लिए योग्य घोषित कर दिये गये हैं, उन्हें संस्थानों से तत्काल छोड़ देना चाहिये और एक दिन के लिये भी रोका जाना नहीं चाहिए;
- अस्पताल, संस्थान, आश्रय गृह, साझा आवास, पुनर्वास गृह, हाफ़वे हाउस, मर्सी हाउस आदि के परिसरों में होने वाली सभी मौतों की सूचना स्थानीय पुलिस को 24 घंटे के भीतर और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मृत्यु के 48 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए;
- सभी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को पंजीकृत करने के लिए एक सामान्य वेब पोर्टल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि इस बारे में धारा 31 (3) के तहत निर्धारित 10 वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा हो सके;
- सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के गठन और इस बारे में नियमों और विनियमों को तैयार करने में प्राथमिकता बरतनी चाहिए, जैसी कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (अधिनियम, 2017) की धारा 45, 73, 121 और 123 के तहत अनिवार्य है;
- सामुदायिक कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) नामक एक संरचित कार्यक्रम प्रत्येक ज़िले के लिए तैयार किया जा सकता है;
- जैसा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) में परिकल्पित है, राज्य सरकारें मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी और समाज में मानसिक बीमारी के बारे में सामाजिक कलंक, भेदभाव और जागरूकता की कमी से निपटने के लिए जन जागरूकता सृजन गतिविधियों पर ज़ोर दे सकती हैं;
- डीपीएम, एमडी, डीएनबी, एमफिल, मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान, पीएसडब्ल्यू और डीपीएन में पीएचडी और अन्य डिप्लोमा, डिग्री, फेलोशिप आदि सहित आवश्यकताओं के अनुपात में अधिक पीजी सीटें बनाई जानी चाहिए। जैसा कि अधिनियम, 2017 की धारा 31 (3) के तहत अनिवार्य है, 2027 तक जनसंख्या के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दिशानिर्देशों को पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए;
- एक अलग विषय के रूप में, मनोचिकित्सा को स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बुनियादी मनोचिकित्सा में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए हर अवसर का उपयोग किया जाना चाहिए;
- सभी संस्थानों में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों सहित सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए;
- मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी स्थानीय भाषाओं में अभियान, टेलीविजन, समाचार पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाई जानी चाहिए।

4. **बाल यौन शोषण सामग्री (सीसैम) के उत्पादन, वितरण और उपभोग के ख़िलाफ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए परामर्शी:** उक्त परामर्शी हितधारकों के बीच गहन विचार-विमर्श के बाद जारी की गई थी, जिसमें सरकारी और निजी दोनों अभिकरणों और साथ ही इस मुद्दे पर काम करने वाले ग़ैर सरकारी संगठनों/नागरिक समाज संगठनों जैसे विशेषज्ञ, विधिक पेशेवर आदि शामिल थे। आयोग ने हितधारकों के साथ उचित विचार-विमर्श करने और नीति निर्माताओं, सामग्री होस्ट सहित मध्यस्थों, विधि प्रवर्तन अभिकरणों आदि के लिए परामर्श के रूप में सिफ़ारिश/कार्रवाई योग्य बिंदु प्राप्त करने के उद्देश्य से 2-3 मार्च 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में बाल यौन शोषण सामग्री पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। उक्त सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रासंगिक सुझावों को इस परामर्शी में शामिल किया गया था। उक्त सूचना में सूचीबद्ध सिफ़ारिशों का सार नीचे दिया गया है:

I) विधिक चुनौतियाँ और अन्तराल को सम्बोधित करना:

- शब्दावली अपडेट: 'बाल पोर्नोग्राफी' को 'बाल यौन शोषण सामग्री' (सीसैम) से प्रतिस्थापित करें और 'यौन रूप से स्पष्ट' को परिभाषित करें;

- मध्यस्थ परिभाषा: परिभाषा में वीपीएन, वीपीएस और क्लाउड सेवा प्रदाताओं को शामिल करें;
- विधियों का सामंजस्य: अधिकारक्षेत्र में चतुर्दिक सुसंगत प्रवर्तन के लिए द्विपक्षीय समझौतों का पता लगायें;
- अन्तरराष्ट्रीय सन्धि: 'आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुक़ाबला करने' पर संयुक्त राष्ट्र प्रारूप सम्मेलन को अपनाने का प्रयास करना;
- सज़ा बढ़ाना: बाल यौन शोषण सामग्री अपराधों के लिए सज़ा की कठोरता का पुनर्मूल्यांकन करना;
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र: बाल यौन शोषण सामग्री केसों में प्रमाणपत्रों की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करना।

II) मध्यस्थों की निगरानी और विनियमन:

- प्रौद्योगिकी का उपयोग: मध्यस्थों को सक्रिय बाल यौन शोषण सामग्री की पहचान के लिए एल्गोरिद्म प्रयोग करने का आदेश देना;
- बाल यौन शोषण सामग्री केन्द्रित नीति: मध्यस्थों को बाल यौन शोषण सामग्री केन्द्रित नीतियों को विकसित करने और प्रचारित करने की आवश्यकता है;
- सामग्री हटाने की समय-सीमा: 6 घण्टे के भीतर बाल यौन शोषण सामग्री को तुरंन्त हटाना सुनिश्चित करें;
- साझेदारियाँ: मध्यस्थों के बीच वास्तविक समय की सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करना;
- सूचना साझा करना: मध्यस्थों को अधिकारियों के साथ बाल यौन शोषण सामग्री की जानकारी साझा करने के लिए निदेशित करना;
- पॉप-अप संदेश: बाल यौन शोषण सामग्री से सम्बन्धित खोजों के लिए पॉप-अप चेतावनी संदेशों को लागू करना;
- रिकॉर्ड की उपलब्धता: सुनिश्चित करें कि इण्टरनेट सेवा प्रदाता विस्तृत रिकॉर्ड रखें और विधि प्रवर्तन को यह डेटा प्रदान करें;
- केवायसी मानदंड: ग्राहकों के लिए केवायसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करें;
- डोमेन पंजीकरण: डोमेन पंजीकरण के लिए केवायसी अनुपालन अनिवार्य करें;
- पोस्ट को संगरोधित करना: बाल यौन शोषण सामग्री का पता लगाने के लिए पोस्ट को अनिवार्य रूप से संगरोधित करना।

III) बाल यौन शोषण सामग्री की खोज, जाँच और निगरानी:

- विशेष पुलिस इकाइयाँ: बाल यौन शोषण सामग्री की जाँच के लिए विशेष राज्य और केन्द्रीय पुलिस इकाइयाँ स्थापित करना;
- नोडल पॉइण्ट: सहयोग और समन्वय के लिए नोडल पॉइणट के रूप में कार्य करने के लिए केंद्रीय पुलिस इकाई;
- डेटाबेस: बाल यौन शोषण सामग्री का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएँ और मौजूदा डेटाबेस का विस्तार करें;
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: अपराधी की पहचान और पीड़ित को सचेत करने के लिए प्रौद्योगिकीय तरीक़ों का उपयोग करें;
- फ़ॉरेंसिक जांचकर्ता: बाल यौन शोषण सामग्री केसों को संभालने में कुशल फोरेंसिक जांचकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करें;
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सामान्य सहमति: सीबीआई अन्वेषण सहमति की प्रक्रिया को सरल बनायें।

IV) क्षमता निर्माण, संवेदीकरण, जागरूकता और पीड़ित सहायता:

- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम: विधि प्रवर्तन अभिकरणो, अभियोजकों और न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करें;
- जागरूकता कार्यक्रम: माता-पिता, बच्चों और शिक्षकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें;
- साइबर पाठ्यक्रम: स्कूल के पाठ्यक्रमों में साइबर संरक्षा शिक्षा को शामिल करें;
- मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता: बाल यौन शोषण सामग्री के शिकार उत्तरजीवी लोगों के लिए सहायता सेवाएँ और पुनर्वास के अवसर प्रदान करें;
- स्थानीय भाषा शब्दकोश: साइबर सुरक्षा शब्दावली और बाल यौन शोषण सामग्री खोज शब्दों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करें;
- एसएमएस अलर्ट: बाल यौन शोषण सामग्री के बारे में उपयोगकर्ताओं को सावधान करने के लिए आवर्ती एसएमएस अलर्ट लागू करें।

आपराधिक न्याय प्रणाली

7.5 जेलों और हिरासत केंद्रों की ख़राब स्थिति के कारण इन संस्थानों में क़ैदियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है और यह आयोग के लिए चिन्ता का विषय रहा है। जेलों में भीड़भाड़, पर्याप्त चिकित्सा देखभाल की कमी, क़ैदियों के साथ दुर्व्यवहार, पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी, ख़राब प्रशासन, मुक़दमे की प्रतीक्षा कर रहे लोगों की लम्बी हिरासत और क़ैदियों को अपने परिवारों से संवाद करने के लिए अपर्याप्त अवसर जैसे कई मुद्दे आपराधिक न्याय प्रणाली में आयोग के अथक प्रयासों के बावजूद प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं।

7.6 आयोग आपराधिक न्याय प्रणाली से सम्बन्धित जेलों और अन्य संस्थागत सुविधाओं में मानव अधिकारों के उल्लंघन की संभावना को कम करने के लिए सलाह और दिशा-निर्देश जारी करने जैसे सक्रिय उपाय करता है। आयोग ने अतीत में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भी पत्र लिखकर उनसे केसों की सुनवाई में तेज़ी लाने और विचाराधीन क़ैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया था, साथ ही ज़िला और सत्र न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश दिए थे कि वे राज्य जेल मैनुअल के अनुसार नियमित आधार पर जेलों का दौरा करें। आयोग ने सभी जेल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी बंदियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुज़रना होगा और आयोग को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयोग ने आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे क़ैदियों की शीघ्र रिहाई का मुद्दा भी उठाया है। आयोग क़ैदियों और अन्य कमज़ोर समूहों के अधिकारों का समर्थन करता है और मानव अधिकारों के उल्लंघन के केसों से निपटने के लिए तत्पर रहता है।

7.7 **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदकों द्वारा दौरा:** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनीटर आयोग की ओर से पूरे वर्ष जेलों का दौरा करते हैं, जिसके आधार पर वे आयोग को रिपोर्टें भेजते हैं। आयोग उनकी रिपोर्टों की जाँच करने के बाद उपयुक्त सरकार को विचार के लिए सिफ़ारिशें भेजता है। समीक्षाधीन अवधि में दिए गए विषयगत क्षेत्र में किए गए कुछ दौरों का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया है:

7.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जोन III के विशेष प्रतिवेदक, श्री अशोक कुमार वर्मा ने 25 से 28 सितम्बर 2023 तक उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला जेलों का दौरा किया: आयोग द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव भेजे गए:

- भीड़भाड़ की समस्या को कम करने के लिए पिथौरागढ़ में एक नई जिला जेल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाना;
- बागेश्वर और चंपावत में अलग-अलग जिला जेलों की स्थापना की जानी चाहिए;
- अधिक क़ैदियों को समायोजित करने और बेहतर रहने की स्थिति बनाने के लिए पुरानी बैरकों को नए, अधिमानतः दो मंजिला संरचनाओं से बदलना;
- कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए नई भर्ती, विशेष रूप से वार्डर रैंक में;
- पूर्णकालिक कर्मचारियों और बेहतर प्रयोगशाला सुविधाओं सहित चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत किया जाए, और एक एम्बुलेंस के प्रावधान का सुझाव दिया गया है;
- पहुंच मार्ग जैसे मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।

7.9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जोन-X की विशेष रिपोर्टर सुश्री सुचित्रा सिन्हा ने 7 से 9 अगस्त 2023 तक झारखंड के गुमला और चाईबासा जिला जेलों का दौरा किया: आयोग द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव भेजे गए:

i) **शिक्षा:**

- क़ैदियों की दिनचर्या में शिक्षा को शामिल करना, उनकी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार कार्यक्रम तैयार करना;
- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को लागू करना और क़ैदियों को कंप्यूटर साक्षरता पाठ्यक्रमों में दाखिला दिलाना;
- योग्य क़ैदियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में दाखिला लेने की अनुमति देना;
- शिक्षा विभाग द्वारा जेलों में सरकारी शिक्षकों की तैनाती पर विचार करना।

ii) **कौशल विकास:**

- प्रवेश के समय क़ैदियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि, रुचियों और कौशल का आकलन करना;
- दोबारा अपराध करने से रोकने के लिए रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना;
- आर्थिक पुनर्वास के लिए कौशल मानचित्रण के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना;
- सशक्तिकरण के लिए महिला क़ैदियों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना;

- जेलों में कौशल निर्माण पहल के लिए कौशल विकास मिशन जैसे संगठनों के साथ सहयोग करें।

7.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जोन XIV के विशेष दूत, श्री उमेश कुमार ने 25 से 30 जून 2023 तक असम के गोलाघाट जेल का दौरा किया: आयोग द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव भेजे गए:

- कक्षाओं और कौशल प्रशिक्षण स्थानों के रूप में उपयोग के लिए खाली वार्डों की मरम्मत को बढ़ावा दें;
- दीर्घकालिक दोषियों की शीघ्र रिहाई की संस्तुति करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया लागू करें;
- गोपनीयता और सुरक्षा के लिए जेल के भीतर अलग-अलग कमरे बनाएं;
- प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, बढ़ईगीरी, कंप्यूटर का उपयोग और खाना पकाने जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें;
- कौशल विकास के लिए महिला क़ैदियों को सिलाई मशीन और बुनाई के उपकरणों से लैस करें;
- योग्य शिक्षकों के माध्यम से उचित शिक्षा प्रावधान सुनिश्चित करें और मौजूदा सामुदायिक भवनों का उपयोग कक्षाओं के रूप में करें;
- समाचार पत्र सदस्यता और विविध पुस्तक संग्रह के साथ एक पुस्तकालय स्थापित करें;
- क़ैदियों के लिए नियमित योग प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना;
- मिट्टी भराई, फुटपाथ निर्माण और शौचालय की मरम्मत जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार करना;
- विशेष रूप से नशीली दवाओं की लत वाले क़ैदियों के लिए परामर्श सेवाओं की सुविधा प्रदान करना;
- विचाराधीन क़ैदियों की समस्याओं का समाधान करना, जो ज़मानत न मिलने के कारण रिहाई की प्रतीक्षा में हैं;
- निरन्तर चिकित्सा देखभाल के लिये चिकित्सक के स्थायी पद के लिये समर्थन करना;
- ख़राब टेलीविज़न और जनरेटरों की सरम्मत कराना या उन्हें बदलना;
- विभिन्न परिचालनात्मक अड़चनों के लिये प्रशासनिक सहायता की माँग;
- सुरक्षा कार्मिकों की आवास एवं बुनियादी संरचना समस्याओं को सुलझाना;
- अकार्यक्षम कम्प्यूटरों की मरम्मत कराना और इनका क़ैदी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयोग।

7.11 जोन-X के लिए एनएचआरसी की विशेष प्रतिवेदक सुश्री सुचित्रा सिन्हा ने 19 से 25 मई 2023 तक दुमका सेंट्रल जेल और देवघर जेल का दौरा किया। आयोग द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव भेजे गए:

सेंट्रल जेल दुमका से संबंधित सुझाव

- सुरक्षा बनाए रखने और कामकाज में सुधार के लिए जेलों में रिक्त पदों को भरें;
- रिहाई के बाद कैदियों के कौशल विकास और समाज में पुनः एकीकरण के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम लागू करें;
- कैदियों का मनोबल बढ़ाने और व्यक्तिगत विकास में मदद करने के लिए जेलों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति करें;
- कैदियों को सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को शामिल करें;
- 3 वर्ष से कम उम्र के कैदियों के बच्चों के लिए महिला और बाल मंत्रालय की योजनाओं को लागू करें।

देवघर सेंट्रल जेल से संबंधित सुझाव

- सुरक्षा जोखिमों को रोकने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए जेलों में रिक्त पदों को शीघ्र भरें;
- विशेष रूप से रसोई और कैंटीन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जीर्णोद्धार कार्य को प्राथमिकता दें और पुरानी इमारतों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करें;
- जेलों को नए स्थानों पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं, आवश्यक भूमि का समय पर अधिग्रहण सुनिश्चित करें;
- समाज में सफलतापूर्वक पुनः एकीकरण के लिए कैदियों को कौशल प्रदान करने के लिए कौशल भारत कार्यक्रम लागू करें;
- कठोर अपराधियों के साथ संपर्क को रोकने और ग़ैर-अपराधियों के साथ नरमी से पेश आने के उपाय स्थापित करें;

- मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए जेलों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति करें, जो कैदियों के व्यक्तिगत विकास में योगदान दें;
- बच्चों की देखभाल करने वाले के बिना जेल में बंद माता-पिता को शैक्षणिक सुविधाओं सहित सरकारी योजनाओं और ग़ैर सरकारी सहायता से लाभ प्रदान करें।

7.12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जोन VIII के विशेष प्रतिवेदक डॉ. राजिंदर कुमार मलिक ने 14 मार्च 2023 से 19 मार्च 2023 तक ओडिशा और कोलकाता जेलों का दौरा किया - आयोग द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव भेजे गए:

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जेलों में विधिक सहायता के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएं;
- सुधार गृहों से कैदियों को बाहरी अस्पतालों तक ले जाने और वापस लाने के लिए अधिक वाहन उपलब्ध कराए जाएं;
- जेल परिसर के रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमित मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है;
- सुधार गृहों में आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएं। सुधार गृहों में मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति पर विचार किया जाए;
- राज्य मॉडल जेल मैनुअल को लागू करने पर विचार करें;
- आवश्यक परीक्षणों के लिए प्रेसीडेंसी सुधार गृह के अंदर अस्पताल के लिए पोर्टेबल और निश्चित डायग्नोस्टिक व्यवस्था करना;
- कैदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सुधार गृहों में पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध कराए जाएं;
- जब सज़ा पूरी हो जाती है और परिवार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसे उचित और उपयुक्त राज्य आश्रय गृह में रखा जाना चाहिये।

7.13 आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष मॉनीटर्स ने 12 से 18 जुलाई 2023 तक पश्चिम बंगाल का दौरा किया। आयोग द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव भेजे गए:

- गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आलोक में जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण पर विचार किया जाना चाहिए। अपनी सज़ा पूरी कर चुके क़ैदियों के लिए उचित देखभाल कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि रिहाई के बाद उन्हें रोज़गार और परामर्श मिल सके;
- औद्योगिक और डिजिटल कौशल वाले रोज़गार के अवसरों की पहचान करने के प्रयास किए जाएं;
- पीने योग्य पानी, सैनिटरी पैड के निपटान सहित अच्छी स्वच्छता सुविधाओं वाले स्वच्छ बाथरूम उपलब्ध कराए जाएं;
- चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाए;
- जेलों में नशामुक्ति केन्द्र स्थापित किए जाएं और परामर्शदाताओं की नियुक्ति का व्यवस्थित तरीक़े से पालन किया जाए;
- बिजली के बक़ाया का भुगतान किया जाए और बिजली की निरंतरता सुनिश्चित की जाए।

7.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ज़ोन III के विशेष प्रतिवेदक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने 19 से 24 जून 2023 तक सेंट्रल जेल, श्रीनगर और ज़िला जेल, अनंतनाग का दौरा किया। आयोग द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव भेजे गए:

- परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए उपयुक्त समय प्रदान किया जाए;
- सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या कोविड से पहले के प्रोटोकॉल को बहाल करना सम्भव है;
- कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाए;
- सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार

7.15 प्रत्येक मनुष्य सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए अनुकूल स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का आनंद लेने का हक़दार है। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा परिभाषित किया गया है, स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह अधिकार अन्य मानव अधिकारों के प्रयोग के लिए अपरिहार्य है। सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य को संवर्धन करना, उसकी रक्षा करना और उसे संरक्षित करना राज्य का कर्तव्य है। भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत 'स्वास्थ्य के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है।

7.16 मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य 'कल्याण की एक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और

फलदायी रूप से काम कर सकता है, और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है।'

7.17 अपनी स्थापना के बाद से, आयोग ने लगातार यह विचार रखा है कि संविधान में निहित सम्मान के साथ जीवन के अधिकार के परिणामस्वरूप सभी लोगों और विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित लोगों को बेहतर, सस्ती, सुलभ और अधिक व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के उपायों को मज़बूत करना चाहिए। आयोग मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 को लागू करने के बारे में गहराई से चिंतित है और ख़ामियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह इन चिंताओं के बारे में नियमित रूप से विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों और ओपन हाउस चर्चाओं का आयोजन करता है, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, ग़ैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन आदि शामिल हैं। निम्नलिखित पैराग्राफ़ वर्ष 2023-24 के दौरान आयोग द्वारा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हैं।

7.18 **एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'संस्थानों से परे मानसिक स्वास्थ्य की परिकल्पना':** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ ज़मीनी स्तर पर सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 26 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'संस्थानों से परे मानसिक स्वास्थ्य की परिकल्पना' का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कार्रवाई योग्य सिफारिशें और आगे बढ़ने का एक तरीका सामने लाना था, जिससे देश की मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सभी स्तरों पर मजबूत किया जा सके। न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, एनएचआरसी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। सम्मेलन में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय आयोगों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, राज्य स्वास्थ्य सचिवों, ग़ैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों और सभी 47 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निदेशकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक के बारे में सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और कलंक को मिटाने के लिए जवाबदेही और प्रतिबद्धता को मजबूत करना और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों को अच्छी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना था। सम्मेलन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन पर राज्यों की कार्रवाई की समीक्षा करना था। सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा निम्नलिखित दो प्रकाशन जारी किए:

i) **"मानसिक स्वास्थ्य:** सभी के लिए चिंता - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के संदर्भ में": पुस्तक मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं को शामिल करने की कोशिश करती है, जैसे बच्चों, महिलाओं, बुज़ुर्गों, एलजीबीटीक़्यूआईए+, जेल के कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य; मानसिक स्वास्थ्य और बेघर होना; आपदा और मानसिक उपचार, इत्यादि। यह हमारे देश की मानसिक स्वास्थ्य नीतियों और विधियों के बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा करती है। इसे एक

विज्ञान भवन में 26 जुलाई 2023 को 'संस्थानों से परे मानसिक स्वास्थ्य की परिकल्पना' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन

परिपूर्ण प्रकाशन बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं जो कई संस्थानों और अन्य हितधारकों के लिए संदर्भ पुस्तक के रूप में उपयोगी रहेगा।

ii) **"मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन की स्थिति":** यह रिपोर्ट नियमित रूप से आगरा, ग्वालियर और रांची में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों / संस्थानों का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता की परिणति है। यह रिपोर्ट आयोग के चार संस्थानों, अर्थात् ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर, मध्य प्रदेश; मानसिक स्वास्थ्य और अस्पताल संस्थान, आगरा, उत्तर प्रदेश; केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची, झारखंड; और रांची न्यूरो-मनोचिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान, रांची, झारखंड, के दौरों और देश भर में 43 अन्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के विशेष प्रतिवेदकों के दौरों पर पर आधारित है।

7.19 सम्मेलन के दौरान कार्यान्वयन के लिए उठाए गए प्रमुख बिंदुओं में समुदाय-आधारित समर्थन की ओर बदलाव की आवश्यकता, सभी राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और समीक्षा बोर्ड की स्थापना, आधे रास्ते के घरों के लिए धन का उपयोग, मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत करना और योग और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहित अधिक समग्र उपचार दृष्टिकोण को अपनाना शामिल है। साथ ही, इस सम्मेलन में नए पदों का सृजन करने और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव भी दिया गया है। अन्य सुझावों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करना, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल स्थापित करना, पुनर्वास सेवाओं में ग़ैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देना और टेली-मनोचिकित्सा सेवाओं को बढ़ाना शामिल हैं। विधिक सहायता समर्थन, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में एआई की उन्नति, बीमा पॉलिसियों में मानसिक स्वास्थ्य उपचार को शामिल करना और जन जागरूकता अभियान पर भी जोर दिया गया।

भोजन एवं पोषण का अधिकार

7.20 आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के एक पक्ष के रूप में, भारत ने 2030 तक दुनिया को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन किया है। यह समर्थन भारत पर प्रत्येक नागरिक के भोजन के अधिकार का सम्मान करने, उसकी रक्षा करने और उसे पूरा करने का दायित्व डालता है। भारत सरकार विभिन्न खाद्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू कर रही है, जैसे कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, पूरक पोषण कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय पोषण रणनीति और राष्ट्रीय पोषण मिशन सभी का उद्देश्य अभिसरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा 'मानसिक स्वास्थ्य: सभी के लिए चिंता - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के संदर्भ में' नामक पुस्तक का लोकार्पण

दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है जो खाद्य और पोषण असुरक्षा की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है और जेंडर, आयु, दिव्यांगता, आय, जाति और क्षेत्र से संबंधित असमानताओं को संबोधित करता है। ऐसे अनुकूल नीतिगत माहौल में, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए सरकार के प्रयासों में सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के तहत अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा में प्रगति में तेज़ी लाने की क्षमता है।

7.21 पिछले दो दशकों में, सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण क़दम उठाए हैं, जैसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को राशन प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए सब्सिडी वाले अनाज। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का उद्देश्य अपनी सहयोजित योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमज़ोर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे भोजन तक पहुंच एक विधिक अधिकार बन जाता है।

7.22 राष्ट्रीय मानव आधिकार आयोग सभी के लिए भोजन और पोषण के अधिकार की रक्षा के लिए अपने अभियान में प्रतिबद्ध है। इसने खाद्य और पोषण के अधिकार पर एक कोर एडवाइजरी ग्रुप का गठन किया है,जो भारत से भूख और कुपोषण के उन्मूलन की नीतियों की समीक्षा करता है, अन्तरालों को पहचानता है और समाधान खोजता है। राष्ट्रीय मानव आधिकार आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और प्रमुख योजनाओं, अर्थात् पीडीएस, आईसीडीएस और एमडीएमएस के उचित कार्यान्वयन पर ज़ोर दे रहा है। यह अपने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनीटर के माध्यम से ज़मीनी हक़ीक़त की तस्वीर प्राप्त करता है, जो क्षेत्र का दौरा करते हैं और राज्यों में इन योजनाओं के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा विधि के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

7.23 **भोजन के अधिकार पर राष्ट्रीय मानव आधिकार आयोग कोर ग्रुप की बैठक:** राष्ट्रीय मानव आधिकार आयोग ने 19 मार्च 2024 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भोजन के अधिकार पर एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती विजया भारती सयानी ने की और सह-अध्यक्षता राष्ट्रीय मानव आधिकार आयोग के सदस्य डॉ डी एम मुले ने की। उपस्थित लोगों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे मंत्रालयों, स्वायत्त निकायों, नागरिक समाज संगठनों, ग़ैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा पेशेवरों और अनुसंधान विद्वानों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में विचारार्थ मुख्य विषय थे: सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावकारिता; खाद्यान्नों का भ्रष्टाचार और इनकी चोरी; और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना।

7.24 बैठक में भारत के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों की सेवा करने में पीडीएस के महत्व और कमज़ोर समूहों की विशिष्ट पोषण संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करने में पीडीएस की प्रभावशीलता पर ज़ोर दिया गया। पीडीएस में खाद्यान्नों के रिसाव और डायवर्जन जैसी खामियों को स्वीकार किया गया और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने दोहरे और तिहरे पोषण बोझ से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा की, जो एक आबादी के भीतर कुपोषण, अति-पोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के सह-अस्तित्व को संदर्भित करता है। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर विविध आहार के महत्व पर भी जोर दिया गया। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और भूख और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में पीडीएस को आशा की किरण बनाने के उद्देश्य से पीडीएस की प्रभावशीलता, अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर सहमति के साथ विचार-विमर्श समाप्त हुआ।

शिक्षा का अधिकार

7.25 शिक्षा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार माना जाता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 21क के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में भारत के संविधान द्वारा भी गारंटी दी गई है। यह अधिकार न केवल अपने आप में एक बुनियादी अधिकार है, बल्कि यह अन्य कई अधिकारों को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। आयोग विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श आयोजित करके, कार्रवाई-उन्मुख अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करके इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहा है। इस वर्ष, आयोग ने मुख्य अन्वेषक, डॉ. डी. प्रिंस अन्नादुरई, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक कार्य, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, चेन्नई द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययन 'दक्षिण भारत (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल) के आकांक्षी जिलों में बालिका शिक्षा के अधिकार में 4ए की रूपरेखा - सरकारी और निजी स्कूलों का तुलनात्मक विश्लेषण' से प्राप्त संस्तुतियों को सरकार के विचारार्थ संप्रेषित किया है। इन संस्तुतियों में शामिल थीं:

- शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, जिला-स्तरीय मूल्यांकन करना और राज्य और जिला स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित करना;

19 मार्च 2024 को आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के भोजन का अधिकार संबंधी कोर ग्रुप की बैठक

- आंध्र प्रदेश में नाडु-नेडु जैसे सफल कार्यक्रमों के उदाहरणों के साथ स्कूलों में, विशेष रूप से लड़कियों के लिए स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करना:
- नीतियों, प्रशिक्षण और शिकायत तंत्र के लिए संस्तुतियों के साथ धौंसियाने की बदमाशी को रेखांकित किया गया;
- लड़कियों के लिए पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना, निजी स्कूलों में मुफ्त सीट आवंटन की निगरानी करना, जेंडर-संवेदनशील शिक्षक प्रशिक्षण को लागू करना और लड़कियों की शिक्षा के लिए समुदाय-आधारित पहल को प्रोत्साहित करना भी विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने और शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित किया गया था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार

7.26 अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा के सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में उनके एकीकरण में बाधा डालने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है, जबकि 8.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है। उनका अक्सर आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है, उन्हें कम वेतन मिलता है, अनुचित कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और संसाधनों एवं आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुंच अत्यन्त सीमित होती है।। यह आर्थिक उपेक्षा उनकी अरक्षितता क़ायम रखती है उनकी वंचितता को सुदृढ़ करती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट किए गए अत्याचारों की जांच करके, विधिक सहायता प्रदान करके और प्रभावित समुदायों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति सुधारों का समर्थन कर हस्तक्षेप किया है। यह नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, आयोग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष से भी इस बारे में जानकारी मिलती है।

7.27 **अनुसंधान परियोजनाओं की सिफ़ारिशें:** आयोग ने गढ़चिरौली, वारंगल, आदिलाबाद, श्रीकाकुलम, बस्तर और कोंडेगांव जिलों की आदिवासी लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शैक्षिक स्थानों में उपलब्धि अंतर या अवसर अंतर: समान शैक्षिक अवसरों (ईईओ) तक पहुंच, समान सीखने के अवसरों (ईएलओ) तक पहुंच और सीखने की ग़रीबी (एलपी) का एक सामाजिक-विधिक अध्ययन शीर्षक वाले अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर डॉ. उमा माहेश्वरी को प्रधान अन्वेषक के रूप में मंज़ूरी दी. उनके कुछ सुझाव दिए जो नीचे दिए गए हैं:

- भाषा की बाधा को राज्य द्वारा दोहरी भाषा शिक्षण के माध्यम से या शिक्षक और शिक्षण सहायक साझेदारी की प्रणाली के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए, जहां शिक्षण सहायक उसी भाषा से होगा, जो आईटीएम (स्वदेशी आदिवासी, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक भाषा वाले लोग) समुदाय की भाषा है;
- द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिए ताकि 'शिक्षण के माध्यम' की चिंता का भी समाधान हो सके। स्कूल में सामुदायिक भागीदारी को समुदाय स्कूलों, भाषा दलाली व भाषान्तरण के ज़रिये सहयोगात्मक शिक्षण के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- स्व-निर्देशित शिक्षण को सक्षम बनाने और बच्चों को प्रासंगिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने में शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण। पहले से मौजूद शिक्षण डेटाबेस तक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करना;
- शिक्षण कोडिंग और सॉफ़्टवेयर के माध्यम से लक्षित कौशल विकास के साथ अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा;
- कॉस्टमेन (2020) जैसी सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील मूल्यांकन व्यवस्थाओं के माध्यम से अनिवार्य प्रवेश-स्तर की स्क्रीनिंग जो गोंडी, हलबी, हिंदी, तेलुगु, मराठी और 6 अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है;
- कम से कम प्रवेश-स्तर पर किसी भी 'विशेष बच्चे' की जाँच करने के लिए विशेष शिक्षक;
- रसद एक कारण है कि लंबी और विस्तारित छुट्टियाँ क्यों होती हैं। इसलिए, विशेष रूप से स्कूली बच्चों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता है;
- आईटीएम (स्वदेशी आदिवासी, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक भाषा वाले लोग) सामुदायिक त्यौहार और समारोह स्कूल की छुट्टियों के कैलेंडर का हिस्सा होने चाहिए।

7.28 **एससी/एसटी के अधिकारों पर परिचर्चा:** एनएचआरसी ने 23 जून, 2023 को आयोग में 'एससी/एसटी समुदाय के खिलाफ अत्याचार और अन्य प्रकार के भेदभाव की रोकथाम: मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य की राह' विषय पर ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया। उक्त चर्चा की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य डॉ. डी. एम. मुले ने की। चर्चा कई एजेंडों के इर्द-गिर्द घूमती रही। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभाव का आकलन करने पर विचार किया गया, जिसका उद्देश्य इसे मजबूत करने के उपाय सुझाना था; एससी/एसटी पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ाने के तरीकों के महत्व पर प्रकाश डाला गया और विभिन्न संस्थानों और विभागों में शिक्षा और रोजगार में भेदभाव की घटनाओं से संबंधित समस्याओं को दूर करने पर ध्यान दिया गया।

7.29 **डीएनटी/ एनटी/ एसएनटी के अधिकारों पर ओपन हाउस चर्चा:** भारत में ख़ानाबदोश, अर्ध-ख़ानाबदोश और विमुक्त जनजातियों (एनटी, एसएनटी और डीएनटी) के संरक्षण और आगे की प्रगति पर एक ओपन हाउस चर्चा 19 जनवरी 2024 को आयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 23 जून 2023 को आयोजित 'एससी/एसटी समुदाय के खिलाफ अत्याचार और अन्य प्रकार के भेदभाव की रोकथाम के मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं विषय पर परिचर्चा

द्वारा आयोजित की गई थी। चर्चा निम्नलिखित प्रमुख एजेंडों पर केन्द्रित थी:

i) आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1872 और बाद में आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 के अधिनियमन द्वारा लगाए गए कलंक के कारण ख़ानाबदोश जनजातियों (एनटी), अर्ध-ख़ानाबदोश जनजातियों (एसएनटी) और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और बाद के कानून के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को संशोधित करने के तरीक़े सुझाना

ii) सभी उजागर चुनौतियों को कम करने और संसद, सरकारी संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों में विमुक्त जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपाय सुझाना;

iii) इन समुदायों को शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल और विधिक दस्तावेजों जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को समझना, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के सन्दर्भ में।

7.30 चर्चा के दौरान वक्ताओं द्वारा प्रस्तावित सिफ़ारिशों में इन समुदायों के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना के लिए आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन, आदतन अपराधी अधिनियम, 1952 को निरस्त करना और यदि नहीं, तो अधिनियम में निर्धारित नोडल अधिकारियों के साथ विमुक्त जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि की नियुक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत विमुक्त जनजाति/विमुक्त जनजाति/विमुक्त जनजाति को शामिल न करना और पूर्ववर्ती के लिए विशिष्ट नीतियों का निर्माण, जैसी और अनेक सिफ़ारिशें शामिल हैं।

पंचायती राज प्रणाली/स्थानीय स्वशासन

7.31 73वें संविधान संअनुसंधानन अधिनियम, 1992 के माध्यम से स्थापित पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य भारत में शासन का विकेंद्रीकरण करना, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाना है। शासन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों के मूल सिद्धांतों को शासन के ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए अपने संस्थागत ढांचे को मज़बूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।

7.32 **स्थानीय स्वशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन:** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 16 नवम्बर 2023 को प्रशासनिक स्टाफ़ कॉलेज, गुवाहाटी, असम में 'स्थानीय स्वशासन के माध्यम से मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों और इसके संबंधित पहलुओं को आगे बढ़ाने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

7.33 आयोग की टीम, जिसमें माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा; सदस्य डॉ डी एम मुले और श्री राजीव जैन; के साथ आयोग के

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 19 जनवरी 2024 को 'भारत में ख़ानाबदोश, अर्ध-ख़ानाबदोश और विमुक्त जनजातियाँ और भविष्य की राह' पर ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई

अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी गुवाहाटी में सम्पन्न इस सम्मेलन में शामिल हुए। असम के मुख्य सचिव, श्री पबन कुमार बोरठाकुर ने श्रोताओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्षों के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष दूत और विशेष निगरानीकर्ता, विभिन्न राज्यों की स्वायत्त जिला परिषदों के प्रतिनिधि, ग़ैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान के महानिदेशक आदि ने भी भाग लिया।

7.34 स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के बारे में चर्चा के दौरान उभरे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार थे:

- ग्राम परिषदों और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से आदिवासी लोगों के केसों के प्रबंधन के पारंपरिक तरीकों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करें;
- राज्य वित्त आयोगों को ग्रामीण विकास के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाएं;
- विकास प्रक्रिया में संवाद और समस्याओं के समाधान के लिए समावेशी स्थानों के मंच के रूप में ग्राम सभाओं या लोगों के मंच को मजबूत करें;
- प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण दोनों का उपयोग करके स्थानीय स्वशासन संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं;
- ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास के लिए स्थानीय वित्त को मजबूत करें;
- विभिन्न विधियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीण आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता; और
- महिलाओं और बच्चों पर केन्द्रित विकास को प्राथमिकता देने वाला माहौल बनाएं।

महिलाओं के अधिकार

7.35 कुछ क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, पारंपरिक प्रथाएँ और सामाजिक मानदंड भारत के कई हिस्सों में महिलाओं के अधिकारों और अवसरों में बाधा डालते हैं। कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और दहेज से संबंधित हिंसा जैसे मुद्दे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं। भारत महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का पक्षकार है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 1979 का महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू) है। सीईडीएडब्ल्यू को 1993 में भारत सरकार द्वारा

16 नवम्बर 2023 को प्रशासनिक स्टाफ़ कॉलेज, गुवाहाटी, असम में आयोजित 'स्थानीय स्वशासन के माध्यम से मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

अनुमोदित किया गया था। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से सम्मेलन के प्रावधान भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे नीतियों, विधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में सीधे परिलक्षित होते हैं। महिलाओं के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी स्थापना के समय से ही उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, और अपने काम और कार्यप्रणाली में इस विषयात्मक क्षेत्र को उचित महत्व देता रहा है।

7.36 **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग महिला कोर ग्रुप की बैठक:** 14 मार्च 2024 को 'भारत में लापता महिलायें और लड़कियाँ' के एजेंडे पर महिलाओं पर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती एस. विजया भारती ने की। बैठक में महिलाओं पर कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के उद्देश्यों में पिछले कुछ वर्षों में भारत में लापता महिलाओं और लड़कियों की बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करना, इस मुद्दे का समाधान करने के लिए मौजूदा विधिक और संस्थागत तंत्र और इस मुद्दे से निपटने में शामिल चुनौतियों की पहचान करना शामिल था।

7.37 **टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में महिला श्रम बल भागीदारी पर सम्मेलन:** आयोग ने 02 फरवरी 2024 को टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS), हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में 'भारत में महिला श्रम बल भागीदारी के आयाम' पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जाने वाले तीन सम्मेलनों की श्रृंखला में दूसरा था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में महिला श्रम बल भागीदारी के बहुमुखी आयामों का पता लगाना था। सम्मेलन में कई प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें श्रम बल का हिस्सा बनने की इच्छुक महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियाँ शामिल थीं, जिनमें पारिवारिक और संस्थागत समर्थन की कमी भी शामिल थी। सम्मेलन में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा विधिक हस्तक्षेप की भूमिका, अधिक महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी निकायों द्वारा की गई पहल और महिलाओं और अवैतनिक श्रम के बीच सम्बन्ध जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई।

7.38 **डॉ. योगेश दुबे, विशेष मॉनीटर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा 14 से 17 मई 2023 तक मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और सीधी जिलों में संकटग्रस्त महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन, आश्रय गृहों का दौरा:** संस्तुतियां निम्नप्रकार हैं:

i) वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन, आश्रय गृहों की स्थिति

- संकटग्रस्त महिलाओं और बच्चों के लिए वन स्टॉप सेंटरों के भीतर अच्छी तरह से व्यवस्थित एम्बुलेंस, विधिक सहायता

14 मार्च, 2024 को महिलाओं के अधिकारों पर एनएचआरसी कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन

एनएचआरसी द्वारा 2 फरवरी 2024 को टीआईएसएस, हैदराबाद में महिला श्रम बल भागीदारी पर आयोजित सम्मेलन

सेवाएं और आश्रयों के समय पर निर्माण और रखरखाव की आवश्यकता है;

- प्रशिक्षित कर्मचारियों और परामर्श की व्यवस्था के साथ-साथ पीड़ितों को सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वागत योग्य माहौल बनाने की आवश्यकता है;
- इन केंद्रों में शरण लेने वालों की भलाई और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक रसोई और सैनिटरी नैपकिन तक पहुंच सहित स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता है;
- ऐसे उपायों को अपनाने की आवश्यकता है जिनका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में कमजोर व्यक्तियों के लिए वन स्टॉप सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता और पहुंच को बढ़ाना है।

ii) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण

- देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण प्रक्रियाएं जहाँ भी उन्हें रखा जाता है, वहाँ होनी चाहिए;
- संस्थागत देखभाल छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा के समाज में फिर से शामिल होने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

iii) किशोर न्याय निधि

- राज्य सरकारों को विधि के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि बनाने की आवश्यकता है;
- राज्य/जिला प्रशासन द्वारा इस निधि का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

iv) हितधारकों हेतु संवेदीकरण

- निर्भया निधि के वितरण के लिए उचित प्रशिक्षण और बेहतर समन्वय की आवश्यकता है;
- निर्भया निधि के लिए दिशा-निर्देश मौजूद हैं, लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है;
- महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के लिए बेहतर आउटरीच कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं;
- कैदियों को प्रशिक्षित कर्मचारी और उचित परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए;
- बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के अनुसार मानव दुर्व्यापार और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर कर्मचारियों और हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने

चाहिए, जिनमें ग़ैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज संगठन शामिल हों।

v) अन्य सिफ़ारिशें

- कोई भी मौजूदा योजना यह सुनिश्चित नहीं करती है कि वन स्टॉप सेंटर में पीड़ितों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया जाए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए;
- जिला अधिकारियों को आश्रय गृहों और वन स्टॉप सेंटरों की तिमाही समीक्षा करनी चाहिए और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पर्याप्त विधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए;
- बाल यौन अपराध संरक्षण नियम, 2020 का नियम 9 विशेष न्यायालयों को बच्चों को स्वयं या आवेदन पर अंतरिम मुआवज़ा देने की अनुमति देता है।

बच्चों के अधिकार

7.39 भारत में, बच्चों के अधिकारों को विभिन्न विधिक प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। इन विधिक ढाँचों का सामूहिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में प्रत्येक बच्चे को जीवित रहने, विकास, सुरक्षा और भागीदारी का अधिकार मिले। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्पित है और अपने कार्यों में इस विषय को बहुत महत्व देता है।

7.40 भारत बच्चों के अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पक्षकार है, जैसे कि 1989 का बाल अधिकार सम्मेलन, जिसे 1992 में अनुमोदित किया गया था। इसे स्वीकृत किए जाने के बाद से, बाल अधिकार सम्मेलन के प्रावधानों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न विधियों, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के लिए लागू किया गया है।

7.41 फिर भी, इन नियमों और उपायों के बावजूद बच्चों ने हिंसा और कई तरह के अभावों के नकारात्मक अंतर-पीढ़ी चक्र का अनुभव किया है। इसलिए, यह ज़रूरी है कि बच्चों को, विशेष रूप से उन बच्चों को जो अपनी भौगोलिक, सामाजिक या धार्मिक पहचान के कारण हाशिए पर हैं, एक सुरक्षित और सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने के प्रयास किए जाएँ। बाद के पैराग्राफ में बच्चों के अधिकारों पर आयोग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है:

7.42 **बच्चों के अधिकारों पर कोर ग्रुप की बैठक:** आयोग ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन में मुद्दों और इसे मज़बूत करने के उपायों' की जांच करने के लिए बच्चों पर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की थी। श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोर ग्रुप के सदस्य, विशेष आमंत्रित और सरकार के प्रतिनिधि महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन को मज़बूत करने के उपायों का प्रस्ताव करने के लिए एक साथ आए। बैठक में जागरूकता और शिक्षा, प्रौद्योगिकी की भूमिका, समस्या का परिमाण, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का वैकल्पिक नयाचार,विधिक प्रक्रिया और न्याय, उत्तरजीवियों पर प्रभाव और समर्थन, और कार्यान्वयन और प्रवर्तन सहित कई एजेंडों को कवर किया गया। चर्चाओं से उभरने वाले प्रमुख सुझाव थेः ज़मानत, मुआवज़े, चिकित्सा जांच में देरी, पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों के मनोवैज्ञानिक मुद्दे और यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत प्रक्रिया। बैठक में किशोर न्याय मण्डलों, पुलिस, बाल कल्याण समितियों, एवं विशेष न्यायालय सहित विभिन्न संस्थानों की अतिव्यापी भूमिका को सम्बोधित करने के की महत्ता पर प्रकाश डाला।

7.43 **श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 25 जून 2023 को अपना घर बालगृह (बच्चों का घर) पटना की दौरा रिपोर्ट:** टिप्पणियों के आधार पर, आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों की भलाई को बढ़ाने के लिए व्यापक उपायों पर विचार किया। इन उपायों में स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्टाफ़ प्रशिक्षण, प्रशासनिक समन्वय और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच शामिल है।

- दिव्यांग बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य निगरानी, प्रमाणन और हस्तक्षेप, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विशेष इकाई की स्थापना (सीडब्ल्यूएसएन), प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों और मनोवैज्ञानिकों तक पहुंच और प्रासंगिक योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए;
- बेहतर पहुंच के लिए अभिगम्यता लेखापरीक्षा आयोजित करना और शिकायत पेटियों को स्थानांतरित करना;
- बाल देखभाल संस्थानों के भीतर शैक्षिक और व्यावसायिक ज़रूरतों को शिक्षण और सीखने की सामग्री, जीवन कौशल-आधारित शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और मनोरंजक

मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में 31 जनवरी 2024 को बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की बैठक

गतिविधियों के लिए बाहरी संगठनों के साथ सहयोग की व्यवस्था के माध्यम से संबोधित किया जाता है;

- कर्मचारियों और जिला पदाधिकारियों को समावेशी देखभाल और बाल अधिकारों पर संवेदीकरण प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जबकि प्रभावी परिचालन प्रबन्धन के लिए प्रशासनिक समन्वय पर ज़ोर दिया जाता है;
- नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सुविधा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

एलजीबीटीक़्यूआई+ समुदाय के व्यक्तियों के अधिकार

7.44 भारत में संवैधानिक प्रावधान के बावजूद एलजीबीटीक़्यूआई+ लोगों के साथ भेदभाव व उनके अधिकारों का उल्लंघन जारी है, जबकि, भारत के संविधान में उनकी सुरक्षा, अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सशक्तिकरण की गारंटी दी है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्वीर, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स समुदाय के लोगों की स्थिति भी समान रूप से कमजोर रही है, और इस तथ्य को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। इस संवेदनशीलता को देखते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपने काम और कामकाज में इस विषयात्मक क्षेत्र को बहुत महत्व देता है। मुद्दे की कमजोरी को पहचानते हुए, आयोग ने एलजीबीटीक़्यूआई मुद्दों पर एक कोर ग्रुप का गठन किया, जिसके सदस्यों में ग़ैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विधिक पेशेवर और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य शामिल थे। बाद के पैराग्राफ एलजीबीटीक़्यूआई+ व्यक्तियों के अधिकारों पर आयोग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं।

7.45 **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण और इसके साथ जुड़े और प्रासंगिक केसों के लिए भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में भारत की संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 16 में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिषद की स्थापना का प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 16 (ई) में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संयुक्त सचिव के पद से नीचे के एक प्रतिनिधि को परिषद के पदेन सदस्य के रूप में रखने का प्रावधान है।

7.46 परिषद की चौथी बैठक 19 फरवरी 2024 को डॉ. अंबेडकर अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र (डीएआईसी) में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उक्त बैठक में, सुश्री सिन्हा, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस बैठक में शामिल हुयीं। उक्त बैठक में, सुश्री सिन्हा ने

मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में 28 फ़रवरी 2024 को एलजीबीटीआई मुद्दों पर आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की बैठक

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करन में आयोग की पहलों पर प्रकाश डाला और 15 सितम्बर 2023 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की परामर्शी के बारे में भी जानकारी दी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया गया और राज्यों में लागू की जा रहीं सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी प्रकाश डाला गया।

7.47 **एलजीबीटीआई मुद्दों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कोर ग्रुप की बैठक:** एलजीबीटीआई मुद्दों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कोर ग्रुप की बैठक 28 फरवरी 2024 को 'शिक्षा से संबंधित' मुद्दों पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने की। कोर ग्रुप की बैठक का एजेंडा विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने, समावेशी शैक्षिक नीतियों का निर्माण करने और ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र प्राप्त करने में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों को का समाधान करने में संस्थागत बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने पर केन्द्रित था। बैठक में शिक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने एलजीबीटीआई व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जिसमें ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्रों का कम जारी होना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा का महत्व और समावेशी शिक्षा नीतियों की आवश्यकता शामिल थी।

7.48 संस्तुतियों में सामाजिक जागरूकता हेतु समर्थन, शिक्षकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम, ट्रांसजेंडर कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लक्षित करने वाली हिंसा का मुक़ाबला करना शामिल था। बैठक में ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा और उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

वृद्धजनों के अधिकार

7.49 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में वृद्धजनों की रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, यह अनुमान है कि भारत में वृद्धजनों की आबादी का हिस्सा 2021 में 10.1 प्रतिशत से बढ़कर 2031 तक 13.1 प्रतिशत हो जायेगा।

7.50 वृद्धजनों के सामने आने वाले मुद्दों को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह नियमित रूप से वृद्धजनों के अधिकारों के उल्लंघन के केसों की जाँच करता है, मौजूदा विधायी ढाँचे और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है, उनसे संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें करता है और वृद्धजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिफ़ारिशें करने के लिए अनुसंधान परियोजनाएँ सौंपता है। इसके अलावा, आयोग वृद्धजनों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से पुस्तिकाएँ, मैनुअल और पत्रिकाएँ आदि प्रकाशित करता है।

7.51 **वृद्धजनों के अधिकारों पर कोर ग्रुप की बैठक:** 'भारत में वृद्धों के अधिकारों के सामाजिक-विधिक संदर्भ में संस्थागत सहायता तंत्र का विश्लेषण' विषय पर वृद्धजनों के अधिकारों पर एक कोर ग्रुप की बैठक 12 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य डॉ. डी.एम. मुले की अध्यक्षता में आयोजित हुयी।

तीन तकनीकी सत्रों में निम्नलिखित एजेंडों पर चर्चा की गई:

i) वृद्धजनों के लिए उपलब्ध मौजूदा संस्थागत प्रतिक्रियाओं और सहायता का आकलन;

ii) बच्चों पर अत्यधिक बोझ के सामाजिक-विधिक पहलू और उसकी चुनौतियों का विश्लेषण;

iii) भविष्य की संभावनाएं: संस्थागत देखभाल तंत्र को मजबूत करना।

दिव्यांगजनों के अधिकार

7.52 2011 की जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्ति (PwD) हैं, जो भारत की कुल आबादी का 2.21% है। तथापि, यह डेटा दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम (PwD), 1995 के अनुरूप था, जब अधिनियम के तहत दिव्यांगता की केवल सात श्रेणियों को मान्यता दी गई थी। तब से, भारत ने दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 को लागू करके दिव्यांगता की अपनी समझ को चिकित्सा मॉडल से अधिकार-आधारित मॉडल में बदल दिया है। नया अधिनियम अब दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता देता है।

7.53 यह सर्वविदित है कि दुनिया भर में, दिव्यांगताविहीन लोगों की तुलना में दिव्यांग लोग ख़राब स्वास्थ्य परिणामों, कम शैक्षिक उपलब्धियों, कम आर्थिक भागीदारी और ग़रीबी की उच्च दर का अनुभव करते हैं। यह आंशिक रूप से दुर्गम भौतिक वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, परिवहन और सूचना के कारण है। इसके अलावा, दिव्यांगता और अन्य कारकों, जैसे जेंडर, आयु, कामुकता, वर्ग और जाति के बीच अंतःक्रियाशीलता अक्सर नुक़सान और हाशिए पर होने को बढ़ाती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिव्यांगों के बारे में समाज की धारणा भी उनके हाशिए पर होने की सीमा को प्रभावित करती है। जबकि पहले दिव्यांग को दान और दया का पात्र माना जाता था, अब यह अच्छी तरह से माना जाता है कि अवसर की समानता और उचित शिक्षण प्रशिक्षण मिलने पर दिव्यांग लोग भी समाज में सामान्य कामकाजी लोगों की भाँति सक्षम बन सकते हैं। दिव्यांगता को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दान को जन्म देने वाले चिकित्सा मुद्दे के बजाय 'विकास और मानव अधिकार मुद्दे' के रूप में स्वीकार किया जाता है।

7.54 आयोग इस तथ्य में विश्वास करता है कि दिव्यांगजनों को अन्य सामान्य लोगों की तरह सभी मानव अधिकरों के उपभोग का हक़ है। इस दिशा में, इसने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत यह नियमित रूप से विभिन्न हितधारकों के साथ उनसे संबंधित मुद्दों पर बैठकें करता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिफ़ारिशें करने के लिए अनुसंधान परियोजनाएं सौंपता है।

7.55 **सिविल-20 (सी20) के लिए दिव्यांगता समावेशन पर नीति संवाद:** 27 जुलाई 2023 को आयोग ने दिव्यांगता, समानता, न्याय (डीईजे) कार्य समूह के सहयोग से 'नागरिक-20 (सी20) के लिए

मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में 27 जुलाई 2023 को आयोजित सिविल-20 (सी20) के लिए दिव्यांगता समावेशन पर नीति संवाद

दिव्यांगता समावेशन पर नीति संवाद का आयोजन किया। इसका उद्घाटन माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने किया। चर्चा मुख्य रूप से 'दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के एजेंडे' पर केन्द्रित थी। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया ताकि कुछ ऐसे उपाय निकाले जा सकें जिन्हें अपनाकर विशेष रूप से महिलाओं के लिए समान अवसर और बाधा-मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

7.56 **दिव्यांगजनों (PwDs) के स्वास्थ्य बीमा पर ओपन हाउस परामर्श:** दिव्यांगजनों (PwDs) के स्वास्थ्य बीमा पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के रोज़गार संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के सहयोग से 25 अगस्त, 2023 को मुंबई में एक ओपन हाउस परामर्श आयोजित किया गया था। सम्मेलन को दो विषयात्मक सत्रों में विभाजित किया गया था। इनमें 'बीमा सुविधाओं की मांग करने में दिव्यांगों की समस्याओं की पहचान' और 'दिव्यांगों को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रावधानों और मुद्दों की पहचान और भविष्य की संभावनाएं' शामिल थे। चर्चाएँ बीमा प्रदाताओं से संपर्क करते समय दिव्यांगजनों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से खुदरा पॉलिसियों के लिए, बीमा कंपनियों को उनकी पॉलिसियाँ प्रदान करने में चुनौतियों, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जैसे नियामक प्राधिकरणों, एंड-टू-एंड बीमा सेवाएँ प्रदान करने में बीमा श्रृंखला के सामने आने वाली चुनौतियों और दिव्यांगजनों के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित मानकीकृत बीमा उत्पादों के शुभारंभ को बढ़ावा देने पर केन्द्रित रहीं।

7.57 **दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोर ग्रुप की बैठक:** 20 मार्च 2024 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली में 'भारत में दिव्यांगजनों के कौशल विकास और रोज़गार के अवसरों के आईने में समावेशिता का मानचित्रण' विषय पर 'दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कोर ग्रुप' की बैठक आयोजित की गई। यह आयोजन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय सदस्य डॉ डी एम मुले की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तीन तकनीकी सत्रों में निम्नलिखित एजेंडों पर चर्चा की गई:

i) समावेशी शिक्षा में अन्तराल को सम्बोधित करना;

ii) दिव्यांगजनों के रोज़गार में कार्यान्वियन अवरोधों को दूर करना; और

iii) भविष्य की संभावनाएं: एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण

7.58 आयोग ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों को दी गई संवैधानिक गारंटी के महत्व को दोहराया, साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जैसी विधियों में प्रशंसनीय प्रावधानों को भी दोहराया। हालांकि, बातचीत के दौरान यह माना गया कि इसके परिकल्पित उद्देश्य का लाभ उठाने के लिए सिद्धान्त को कार्रवाई में बदलना होगा। आयोग मानता है कि वास्तविक प्रगति का तरीक़ा है: दिव्यांगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनायी गयी विधियों को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना।

मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में 20 मार्च 2024 को आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कोर ग्रुप की दिव्यांगों के अधिकार विषय पर बैठक

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार

7.59 28 जुलाई 2022 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है। यह घोषणा स्वच्छ और स्थायी पर्यावरण और सभी व्यक्तियों की भलाई के बीच अविभाज्य सम्बन्ध को दर्शाती है। यह इस सिद्धान्त की पुष्टि करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे वातावरण में रहने का अधिकार है जो न केवल प्रदूषण और पारिस्थितिक नुक़सान से मुक्त हो बल्कि उनके स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन की समग्र गुणवत्ता के लिए भी अनुकूल हो। यह स्वीकृति वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ग्रह की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयासों के लिए एक स्पष्ट आह्वान के रूप में कार्य करती है।

7.60 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हमेशा मानव अधिकारों को बनाए रखने और देश के भीतर स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन मानव अधिकारों के लिए सबसे बड़े ख़तरों में से एक है, जो जीवन, स्वास्थ्य, भोजन के मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर जोख़िम पैदा करता है और दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों के जीवन स्तर के पर्याप्त मानक में बाधा डालता है। जलवायु परिवर्तन ने पानी की कमी को बढ़ा दिया है और कृषि सूखे के जोख़िम को बढ़ा दिया है। यह स्थलीय और समुद्री प्रजातियों के अस्तित्व को ख़तरे में डालता है, गर्म होते महासागर अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं और समुद्री जीवन और प्रवाल भित्तियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण समुदायों पर भयंकर परिणाम होते हैं, जिससे मौतें और व्यापक वित्तीय नुक़सान होता है। जलवायु परिवर्तन का सबसे तात्कालिक और गंभीर प्रभाव खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के भीतर महसूस किया जाता है, क्योंकि यह पानी की उपलब्धता और चरागाह क्षेत्रों में कमी के कारण मत्स्य पालन, फसलों और पशुधन की उत्पादकता को कम करता है, जिससे अंततः गर्मी के तनाव के कारण कृषि उपज कम होती है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन सबसे प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य ख़तरे के रूप में उभरा है, जो वायु प्रदूषण, बीमारियों के प्रसार, मानसिक स्वास्थ्य तनाव, बढ़ती भूख और अपर्याप्त पोषण में योगदान देता है। यह ग़रीबी, विस्थापन और ज़बरन पलायन को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

7.61 **पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों पर कोर एडवाइज़री ग्रुप की बैठक 'रोज़गार पर जलवायु कार्रवाई का प्रभाव' पर 26 अक्टूबर 2023 को** हाइब्रिड मोड में न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक चार तकनीकी सत्रों में आयोजित की गई, अर्थात:

i) कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान और जलवायु परिवर्तन के रोज़गार पर प्रभाव का आकलन;

ii) रोजगार पर शमन और अनुकूलन का प्रभाव;

iii) जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था के लिए उपाय; और

iv) अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित प्रथायें

7.62 विचार-विमर्श और चर्चाओं के आधार पर, आयोग ने एक ऐसी रणनीति का समर्थन किया, जो पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और बंजर परिदृश्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोज़गार पैदा करने के लिए जल-कुशल वनीकरण विधियों को प्राथमिकता देने और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इसने यह भी माना कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी मौजूदा योजनाओं में जलवायु-केन्द्रित पहलों को एकीकृत करने से ग्रामीण रोज़गार सृजन में वृद्धि होगी और कौशल उन्नयन के माध्यम से लचीले कार्य अवसरों को मज़बूत किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, इसने कम कार्बन अर्थव्यवस्था में उचित बदलाव के लिए लक्षित कौशल कार्यक्रमों के साथ, विशेष रूप से शहरी केंद्रों में हरित नौकरियों को परिभाषित करने और उन्हें प्राथमिकता देने का समर्थन किया। आयोग ने पुनर्स्थापन अवसर मूल्यांकन पद्धति (ROAM) जैसी समावेशी नियोजन पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया और कम कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलाव में चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रणनीति का समर्थन किया। आयोग ने राज्य सरकारों के सहयोग से श्रमिकों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के साथ-साथ, विशेष रूप से वंचित इलाकों में हरित रोज़गार सृजन के लिए प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया।

खेल और मानव अधिकार

7.63 'खेल और मानव अधिकार' शब्द-पद उन अधिकारों के प्रतिच्छेदन को संदर्भित करता है जो भारतीय संविधान द्वारा सभी लोगों को गारंटीकृत हैं और जो भारत द्वारा अनुमोदित अन्तरराष्ट्रीय संधियों के संदर्भ में खेल के विषय से संबंधित हैं। खिलाड़ियों के ख़िलाफ भेदभाव, हिंसा और दुर्व्यवहार ने खेल के क्षेत्र को मानव अधिकारों के दायरे में ला दिया है। ऐसी अप्रिय घटनाएं एथलीट की शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक भलाई को ख़तरे में डालती हैं, साथ ही, खेल के नैतिक और सामाजिक आधार को कम करती हैं। खेलों में

16 अक्टूबर, 2023 को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में खेल और मानव अधिकार पर ओपन हाउस चर्चा का आयोजन

मानव अधिकारों के उल्लंघन में भावनात्मक, शारीरिक और यौन शोषण जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं; यौन उत्पीड़न; धमकाना; और यातना (दीक्षा समारोह) जैसे और कई अन्य उल्लंघन जो सीधे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा, संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्ति अधिकार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार भेदभाव उन्मूलन सम्मेलन, और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन का उल्लंघन करते हैं।

7.64 इस अर्थ में, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करके, यह सुनिश्चित करके कि भेदभाव न हो, और सभी को न्याय मिले, आयोग मानव अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आयोग ने खेल से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघनों सहित कई केसों पर स्वत: संज्ञान लिया है।

7.65 **मानव अधिकार और खेल पर ओपन हाउस चर्चा:** राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 16 अक्टूबर 2023 को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के सहयोग से मानव अधिकार और खेल पर एक दिवसीय ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया। चर्चा में दो एजेंडों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, अर्थात् 'खेलों में यौन उत्पीड़न को संबोधित करना: भारत में खेल महासंघों की निवारक भूमिका' और 'खेलों में समान चयन: सभी के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार'। माननीय सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे ने ओपन हाउस चर्चा की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय मानव

अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव देवेन्द्र कुमार निम के साथ आयोग के अन्य अधिकारी, चर्चाओं के दौरान उपस्थित रहे। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), एथलीट, कोच और अन्य अकादमिक विषय विशेषज्ञों के प्रतिनिधि इस सत्र का हिस्सा थे। ओपन हाउस चर्चा से निकली प्रमुख संस्तुतियां इस प्रकार थीं:

- खिलाड़ियों के संवेदीकरण हेतु जागरूकता कार्यशालायें आयोजित की जाएं;
- खेल संघों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला कोच और पर्याप्त संख्या में अनुपालन अधिकारियों को नियुक्त करनी चाहिए;
- अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया जाना चाहिए। ऐसी समिति का गठन संघ की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए;
- शिकायत निवारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए और उस पर लिए गए निर्णयों को वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए, जिसमें पीड़ित का नाम शामिल न हो;
- भाई-भतीजावाद से बचने की दृष्टि से खिलाड़ियों की निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिये;
- खिलाड़ियों की पहचान प्रारम्भिक स्तर पर की जानी चाहिए तथा उनकी पहचान के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया जाना चाहिए।

नाविकों के अधिकार

7.66 भारतीय नाविकों के भी मानव अधिकार हैं जिन्हें बरक़रार रखा जाना चाहिए। हालाँकि, उन्हें अपनी नौकरी में कुछ ख़ास बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें भगोड़ापन, विदेशों में हिरासत में

लिया जाना, दुर्व्यवहार, कम आय, वेतन का भुगतान न होना, काम करने की ख़राब परिस्थितियाँ, महिला नाविकों में जागरूकता की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल हैं। ये कठिनाइयाँ आमतौर पर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

7.67 **22 फरवरी 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भारतीय नाविकों के मानव अधिकारों पर एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।** माननीय सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, डॉ. डी. एम. मुले की अध्यक्षता में और माननीय सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, श्री राजीव जैन की उपस्थिति में हुई बैठक में तीन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया: भारतीय नाविकों का परित्याग और कारावास, समुद्र में महिलाओं का जीवन और नाविकों का मानसिक स्वास्थ्य। चर्चा के प्रमुख सुझावों में समुद्री उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उत्पीड़न के मुद्दों को हल करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करना, नाविकों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना और हर भर्ती अभिकरण में एक समर्पित कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करना शामिल था। यह भी सुझाव दिया गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महानिदेशक (पोत परिवहन) और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू) जैसे शैक्षणिक संस्थान भारतीय नाविकों के मानव अधिकारों पर एक व्यापक पुस्तिका तैयार करने के लिए सहयोग करें। चर्चा के बाद की संस्तुतियों में उच्च समुद्र में अपनी जान गंवाने वाले नाविकों के शवों को संभालने के लिए प्रवासी महानिदेशालय (पीजीई) द्वारा दिशानिर्देश जारी करना, महानिदेशक (पोत परिवहन), बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और प्रवासी महानिदेशालय कार्यालय के सहयोग से नाविकों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करना, महानिदेशक (पोत परिवहन) द्वारा जेंडर संवेदीकरण पाठ्यक्रम मॉड्यूल को संशोधित करना और गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय और महानिदेशक (पोत परिवहन) के सहयोग से नाविकों के अधिकारों के लिए एक व्यापक पुस्तिका विकसित करना शामिल था। आयोग वर्ष 2023-24 में चर्चा के दौरान दिए गए सुझावों को लागू करने का प्रयास कर रहा है।

व्यापार और मानव अधिकार

7.68 व्यावसायिक उद्यम, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और समुदायों के मानव अधिकारों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। 2008 में, संयुक्त राष्ट्र ने व्यापार और मानव अधिकारों के लिए 'सुरक्षा, सम्मान और उपचार ढांचे' का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने 16 जून 2011 के अपने संकल्प 17.4 के माध्यम से 'व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत: संयुक्त राष्ट्र 'सुरक्षा, सम्मान और उपचार' ढांचे को लागू करना' का समर्थन किया। ये सिद्धांत व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि प्रोफ़ेसर जॉन जेरार्ड रग्गी द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। उसी संकल्प में, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की स्थापना की। यह ढांचा मानव अधिकारों के हनन से बचाने के लिए राज्य के कर्तव्य, मानव अधिकारों का सम्मान करने की कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और व्यापार से संबंधित दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लिए उपचार तक अधिक पहुँच की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। मार्गदर्शक सिद्धांतों का महत्वपूर्ण योगदान मानव अधिकारों की रक्षा करने और उनके उल्लंघन की स्थिति में उपचार तक पहुँच प्रदान करने के लिए राज्यों के कर्तव्यों को निर्धारित करना है और यह भी, सभी व्यवसायों, चाहे उनका आकार, क्षेत्र, स्थान, स्वामित्व और संरचना कुछ भी हो, की ज़िम्मेदारी है कि वे मानव अधिकारों का सम्मान करें। आयोग का मानना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान कॉर्पोरेट क्षेत्र में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, अन्य बातों के अलावा, व्यवसाय क्षेत्र में मानव अधिकारों के हनन की निगरानी और रिपोर्टिंग, विधिक और प्रशासनिक सुधारों की सुविधा प्रदान करना और सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना ताकि वे क्रमशः मानव अधिकारों की रक्षा और सम्मान कर सकें। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं मानव अधिकार मार्गदर्शी सिद्धान्त के संदर्भ में, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संबंधित पहलों के लिए देश में संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है। इस भूमिका को प्रमुख रूपरेखाओं और पहलों में नोट किया गया था - राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन (GANHRI) की कार्य योजना, व्यापार और मानव अधिकारों पर कार्य समूह और व्यापार एवं मानव अधिकार में जवाबदेही और उपचार तक पहुँच में सुधार पर 2018 संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव।

7.69 **व्यापार और मानव अधिकार पर अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी:** आयोग ने 20 सितम्बर 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में व्यापार और मानव अधिकार पर एक अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। व्यापार और मानव अधिकार पर संगोष्ठी में दो महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केन्द्रित किया गया: i.) 'जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार और व्यापार में सामंजस्य', और ii.) 'व्यापार और उद्योग में मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना'। व्यापार और मानव अधिकार पर संगोष्ठी में मानव अधिकारों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के बाद के विकसित परिदृश्य और इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की

28 सितम्बर 2023 को विज्ञान भवन में आयोजित व्यापार और मानव अधिकार विषय पर अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते हुये प्रो. के. विजयराघवन

आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। संगोष्ठी में व्यापार विकास के महत्व के साथ-साथ व्यापार संचालन में मानव अधिकारों के संरक्षण पर ज़ोर दिया गया, जिसमें अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी और सतत विकास के महत्व का हवाला दिया गया दुनिया भर में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों को व्यावसायिक संचालन में मानव अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इन विषयों को संबोधित करके, सेमिनार का उद्देश्य संवाद, सहयोग और व्यावहारिक समाधानों के विकास को बढ़ावा देना था जो अनिश्चितता के युग में व्यावसायिक सफलता और मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन दोनों को बढ़ावा देते हैं।

7.70 संगोष्ठी के दौरान सामने आए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार थे:

- विनियम और विधिक ढाँचे: सरकारों को ऐसे कानून और विनियम बनाने और लागू करने चाहिए जो व्यवसायों को मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराएँ, तथा ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिए एक विधिक ढाँचा प्रदान करें;

- कॉर्पोरेट संस्कृति में मानव अधिकारों का सम्मान: कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी कॉर्पोरेट संस्कृति, मूल्यों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मानव अधिकारों के सम्मान को एकीकृत करें;

- आपूर्ति श्रृंखला ज़िम्मेदारी: व्यवसायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी आपूर्ति श्रृंखलाएँ मानव अधिकार मानकों का पालन करें, और उन्हें परिस्थितियों और प्रथाओं में सुधार करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करना चाहिए;

- सतत व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाएँ: व्यवसायों को अपनी मुख्य रणनीतियों और संचालन में सतता को एकीकृत करना चाहिए, अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने, संसाधनों का संरक्षण करने और नकारात्मक मानव अधिकार प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए;

- पारदर्शिता और रिपोर्टिंग: बढ़ी हुई पारदर्शिता और रिपोर्टिंग तंत्र महत्वपूर्ण हैं। कंपनियों को अपनी मानव अधिकार नीतियों, कार्यों और प्रभावों के बारे में जानकारी का ख़ुलासा करना चाहिए, जिससे हितधारकों को उनके प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति मिल सके;

- सहयोगात्मक पहल: ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए बहु-हितधारक पहलों, जैसे कि व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों का समर्थन और भागीदारी;

- मानव अधिकारों के लिए समुचित सावधानी बरतना: व्यवसायों को अपने संचालन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित

विज्ञान भवन में 28 सितम्बर 2023 को व्यापार और मानव अधिकार विषय पर अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी

प्रतिकूल मानव अधिकार प्रभावों की पहचान करने, उन्हें रोकने और संबोधित करने के लिए मानव अधिकारों के लिए पूरी तरह से समुचित सावधानी बरतनी चाहिए, और

- समाज के साथ सहयोग: यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक समाज और व्यवसाय भागीदार के रूप में काम करें और व्यवसाय में मानव अधिकारों की सुरक्षा में योगदान दें।

मानव अधिकार संरक्षक

7.71 भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(i) के तहत मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले ग़ैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का जनादेश है। इसलिए, जब से आयोग की स्थापना हुई है, इसने मानव अधिकार संरक्षकों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ देश में मानव अधिकारों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई संगठनों और व्यक्तियों, सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों संगठनों के साथ मिलकर काम किया है। आयोग ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संरक्षक घोषणा का पालन किया है और इसके परिणामस्वरूप देश भर में मानव अधिकार संरक्षकों के लिए सुरक्षात्मक तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में, यह मानव अधिकार संरक्षकों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग़ैर-सरकारी और नागरिक समाज संगठनों, राष्ट्रीय और राज्य आयोगों सहित राज्य मानव अधिकार आयोगों और अन्य प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम करता है।

7.72 **आयोग में मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल प्वाइंट:** आयोग द्वारा 12 अक्टूबर, 2009 को नई दिल्ली में मानव अधिकार संरक्षकों पर आयोजित कार्यशाला की सिफ़ारिशों में से एक पर कार्रवाई करते हुए, सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा या निर्देश पर मानव संसाधन संरक्षकों के उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिकायतों से निपटने के लिए आयोग में मानव अधिकार संरक्षकों के लिए फोकल प्वाइंट स्थापित किया गया है। फोकल प्वाइंट पर नामित संपर्क व्यक्ति उप रजिस्ट्रार (विधि) हैं। निम्नलिखित माध्यमों से मानव संसाधन संरक्षकों के लिए फोकल प्वाइंट चौबीसों घण्टे उपलब्ध है: (i) मोबाइल नं. 9999393570, (ii) फ़ैक्स नं. 24651334, और (iii) ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in फोकल प्वाइंट यह सुनिश्चित करता है कि मानव अधिकार संरक्षकों के कथित उत्पीड़न के प्रत्येक केस में आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया जाए, और की गई कार्रवाई से संबंधित मानव अधिकार संरक्षकों को भी अवगत कराया जाए। मानव अधिकार संरक्षकों के कथित उत्पीड़न की शिकायतों का अद्यतन विवरण आयोग की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया है। मानव अधिकारों के लिए फोकल प्वाइंट

ने ज़मीनी स्तर पर मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की स्थिति को समझने के लिए ग़ैर सरकारी संगठनों, ग्रामीणों, मानव अधिकार संरक्षकों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संवाद/चर्चायें की हैं।

7.73 **मानव अधिकार संरक्षकों की सुरक्षा के लिए आयोग की कार्रवाई प्रक्रिया:** आयोग मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण का सक्रिय रूप से समर्थन करता है और इन अधिकारों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ प्रति अनुसंधान और उत्पीड़न जैसी कार्रवाइयों की लगातार निंदा करता है। इसकी प्रमुख पहलों में से एक एचआरडी का संवर्धन और सुरक्षा है। एचआरडी की सुरक्षा के लिए आयोग कई महत्वपूर्ण क़दम उठाता है:

i) राज्य अधिकारियों का समर्थन: आयोग राज्य अधिकारियों द्वारा मानव अधिकार संरक्षकों को प्रताड़ित करने से परहेज़ करने की आवश्यकता पर बल देता है। इस प्रक्रिया के अनुरूप, आयोग के महासचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे मानव अधिकार संरक्षकों के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करें।

ii) नागरिक समाज के साथ जुड़ाव: अपनी शिविर बैठकों और जन-सुनवाई के दौरान, आयोग ग़ैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों के साथ जुड़ता है ताकि उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझा जा सके। आयोग उनके केसों को प्राथमिकता देता है और सुनिश्चित करता है कि योग्यता के आधार पर उचित राहत प्रदान की जाए।

iii) वार्षिक संदेश: हर साल 9 दिसम्बर को, आयोग संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षक घोषणा के दिन को मान्यता देने के लिए एक बयान जारी करता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह संदेश मानव अधिकार संरक्षकों की सुरक्षा के लिए आयोग की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

7.74 **मानव अधिकार संरक्षकों और ग़ैर सरकारी संगठनों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कोर ग्रुप की बैठक:** मानव अधिकार संरक्षकों और ग़ैर सरकारी संगठनों पर कोर ग्रुप की एक बैठक 22 अगस्त 2023 को न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

7.75 विचार-विमर्श और चर्चा के आधार पर, बैठक से निम्नलिखित प्रमुख सुझाव सामने आए हैं:

- उन राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करे जहां नागरिक अशान्ति है ताकि प्रतिक्रिया प्रणाली और निवारक तंत्र एक साथ काम कर सकें;
- जेंडर आधारित यौन उत्पीड़न अपराध से संबंधित केसों की स्थिति जानने और उन्हें तेज़ी से निपटाने के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए राज्यों को निर्देशित करे;
- देश भर के राज्यों से ट्रांसजेंडर अधिनियम के लागू होने की स्थिति और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति में लिप्त होने से रोकने के लिए केरल और तमिलनाडु की तरह एक स्पष्ट पुनर्वास नीति तैयार करने के लिए कह सकता है;

मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में 22 अगस्त 2023 को आयोजित मानव अधिकार संरक्षकों और ग़ैर सरकारी संगठनों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोर ग्रुप की बैठक

- प्रत्येक अस्पताल में शवगृह कक्ष और मरीज़ों को ले जाने के लिए वाहन/एम्बुलेंस सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे;
- मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले मामलों की बार-बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसका आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा करना;
- आपदा जोखिम को टालने के लिये, आपदा प्रबन्धन अभिकरण आपदा रोकने की पूर्वतैयारी की दिशा में काम करें;
- मानव अधिकार संरक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, आजीवन पुरस्कार, युवा उपलब्धि पुरस्कार की स्थापनाः सभी मानव अधिकार संरक्षकों के बीच मुक्त सहयोग और भाईचारे के संदेश को मान्यता देना, मनाना और फैलाना;
- ज़िला स्तर पर समुदाय आधारित मानव अधिकार संरक्षकों की क्षमता निर्माण और मानव अधिकार संरक्षकों की सुरक्षा के लिए संभावित नीतियों को अपनाया जा सकता है;
- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लाए जा रहे ऐसे कानूनों पर, जिनका मानवाधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, विशेषज्ञों की राय लेकर, टिप्पणियां एवं सुझाव देने के लिए एक प्रभाग की स्थापना करना;
- पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फुटपाथों पर अतिक्रमण के मुद्दे उठा सकता है;
- यौनकर्मियों के समुदाय के साथ बातचीत पर विचार करे ताकि उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके और यौनकर्मियों के बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले मानव अधिकार मुद्दों पर अनुसंधान किया जा सके;
- पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझने और तदनुसार उपाय सुझाने के लिए जल और वायु में प्रदूषकों की किस्मों पर डेटा एकत्र कर सकता है;
- अधिकारियों को, इमारतों को दिव्यांगों के अनुकूल को बनाने के लिए, उन इमारतों की रिपोर्टें प्रस्तुत करने को कहा जाये, जो लिफ़्ट और रैंप से सुसज्ज नहीं हैं।

7.76 आयोग ने 5 सितम्बर 2023 को मानव अधिकार संरक्षकों (एचआरडी), नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने की।

सर्वे भवन्तु सुखिनः

अध्याय 8

अन्तरराष्ट्रीय सहभागिता

8.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित सिद्धान्तों जो पेरिस सिद्धान्त के रूप में जाने जाते हैं, का पूर्णतः अनुपालन किया, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के प्रभावी अनुपालन के संवर्धन व निगरानी में निर्णायक भूमिका है। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर), सन्धि निगरानी निकाय और अन्य अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार क्रियाविधियों के माध्यम से, प्रत्येक राज्य को ऐसे प्रभावकारी, स्वतन्त्र मानव अधिकार संस्थानों की संस्थापना के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जो पेरिस सिद्धान्तों का अनुपालन करें और जहाँ ये सिद्धान्त पहले से लागू हैं, वहाँ उन्हें और सुदृढ़ किया जाये। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ, ख़ास तौर पर, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर): वैश्विक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान गठबन्धन (गैनहरी) तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का एशिया पेसिफिक फॉरम (एपीएफ़) महत्वपूर्ण है।

अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रम

8.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के संवर्धन व उनकी निगरानी करने एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में सिफ़ारिश करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें मानव अधिकार विषयक सन्धियों एवं अन्य अन्तरराष्ट्रीय प्रलेखों का अध्ययन, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनेकानेक संस्थाओं आदि के साथ सहयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है। इनकी कार्य-पद्धति की समीक्षा सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, सन्धि निगरानी निकायों एवं मानव अधिकार परिषद आदि के माध्यम से की जाती है।

8.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, पेरिस सिद्धान्तावलि का पूरी तरह से अनुपालन करता है और क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों मंचों सहित अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर इसका प्रमुख स्थान है। यह गैनहरी का एक प्रमुख सदस्य रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े मानव अधिकार नेटवर्क में से एक है, जो 110 से अधिक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को पेरिस सिद्धान्तावलि के पूर्ण अनुपालन के लिए वैश्विक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान गठबन्धन की मान्यता उप समिति (एससीए) द्वारा 'A' दर्जा दिया गया है।

8.4 आयोग एपीएफ़ के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो एशिया पेसिफिक क्षेत्र के एनएचआरआई का एक क्षेत्रीय गठबन्धन है और फॉरम को प्रति वर्ष 1,50,000 यूएसडी की राशि का योगदान देता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एशिया पेसिफिक फॉरम (एपीएफ़) शासन समिति के सदस्य हैं, जो इस एपीएफ़ का निर्णय लेने वाला निकाय है।

8.5 एनएचआरसी गैनहरी, एपीएफ और अन्य अन्तरराष्ट्रीय मंचों जैसे मानव अधिकार परिषद (एचआरसी), संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह, मानव अधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय, सन्धि निकायों आदि के साथ अपने जुड़ाव और विचार-विनिमय में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आयोग पूरे वर्ष विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, साथ ही प्रारूप प्रस्तावों, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों की प्रश्नावली व अन्य रिपोर्टों और प्रलेखों में योगदान दे रहा है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फॉरम के साथ सहयोग

8.6 एनएचआरआई का एपीएफ 1996 में स्थापित एशिया पेसिफिक क्षेत्र का अग्रणी क्षेत्रीय मानव अधिकार संगठन है और यह वैश्विक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान गठबन्धन का एक क्षेत्रीय नेटवर्क है। यह एक सदस्य-आधारित संगठन है जो क्षेत्र में स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था की स्थापना और सुदृढ़ीकरण का समर्थन करता है। इसका लक्ष्य सदस्य संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन करना है। वर्तमान समय में, एशिया पेसिफिक फॉरम में 17 पूर्ण सदस्य और आठ सहयोगी सदस्य थे। ये सदस्य पूरे क्षेत्र के विविध देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।

वैश्विक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान गठबन्धन (गैनहरी) के साथ सहयोग

8.7 गैनहरी एनएचआरआई का एक प्रतिनिधि निकाय है और इस गठबन्धन को पेरिस सिद्धान्तों के साथ समनुरूपता रखने वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण के प्रयोजन से स्थापित किया गया है। यह इन राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच संयुक्त गतिविधियों और सहयोग के अन्तरराष्ट्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करके, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करके, संयुक्त राष्ट्र, अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क करके और जब भी अनुरोध किया जाता है, सरकारों को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान स्थापित करने में सहायता करके यह अपनी भूमिका निभाता है। यह राष्ट्रीय संस्थानों को बनाने और उन्हें मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि वे पेरिस सिद्धन्तावलि के अनुरूप हों। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पांच वर्षों- 1999, 2006, 2011 और 2017 में लगातार चौथी बार 'ए' स्टेटस मान्यता के साथ वैश्विक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान गठबन्धन का सदस्य है।

अन्य अन्तरराष्ट्रीय बैठकों और संगोष्ठियों में भागीदारी

8.8 **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधियों ने विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय बैठकों और संगोष्ठियों में भाग लिया और अपने विचार साझा किए। इनकी सूची निम्नवत है:**

- सुश्री मोनिका जून, अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 21-23 मई, 2023 तक बैंकॉक, थाईलैंड में प्रजनन अधिकार समर्थन योजना पर यूएनएफपीए-एपीएफ कार्यशाला में भाग लिया।

- डॉ. डी. एम. मुले, माननीय सदस्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिनिधिमंडल ने 6-9 जून, 2023 तक यूनाइटेड नेशन रिस्पॉसिबल बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स फॉरम, एशिया पेसिफिक में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

- श्री मनोज यादव, महानिदेशक (अन्वेषण), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और श्री देवेंद्र कुमार निम, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 5-6 जून 2023 तक बैंकॉक, थाईलैंड में एशिया में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिये व्यापार एवं मानव अधिकार प्रशिक्षण, उत्तरदायी व्यापार एवं मानव अधिकार मंच 2023 में भाग लिया।

- न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष और श्री राजीव जैन, सदस्य से युक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिनिधिमंडल ने 13-15 जून 2023 तक न्यूयॉर्क में आयोजित दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कन्वेंशन के राज्य दलों के सम्मेलन के 16वें सत्र में भाग लिया।

- 23 जून 2023 को, श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत ने मानव अधिकार परिषद के 53वें सत्र के सदस्य के रूप में 'महिलाओं और बालिकाओं के ख़िलाफ हिंसा पर विशेष प्रतिवेदक के साथ इंटरैक्टिव संवाद' में एक व्याख्यान दिया।

- 26 जून 2023 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के रजिस्ट्रार (विधि), श्री सुरजीत डे ने मानव अधिकार परिषद के 53वें सत्र के सदस्य के रूप में 'न्यायाधीशों और वकीलों की स्वतंत्रता पर विशेष प्रतिवेदक के साथ इंटरैक्टिव संवाद' में एक व्याख्यान दिया।

- 27 जून 2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महानिदेशक (अन्वेषण), श्री मनोज यादव ने मानव अधिकार परिषद के 53वें सत्र के सदस्य के रूप में 'ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन (टीएनसी) पर कार्य समूह (डब्ल्यूजी) के साथ इंटरैक्टिव चर्चा' में एक वक्तव्य दिया।

- श्री भरत लाल, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 10-11 जुलाई 2023 से मानव अधिकार परिषद के 53वें सत्र के दौरान लोगों के जीवन को बदलने में भारत की विकासात्मक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए 'सुशासन और मानव अधिकार' पर एक संवाद का नेतृत्व करने के लिए जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया।

- श्री राजीव जैन, सदस्य और श्री देवेंद्र कुमार निम, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिनिधिमंडल ने 29-30 अगस्त 2023 को मनीला, फिलीपींस में एशिया प्रशान्त में वृद्धजनों के मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने पर आधारित एक हाइब्रिड कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन फिलीपींस के मानव अधिकार आयोग और कोरिया के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया था।

- न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष और श्री भरत लाल, महासचिव के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिनिधिमंडल

ने 5 नवम्बर 2023 को गैनहरी ब्यूरो मीटिंग और 6-8 नवम्बर 2023 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में एनएचआरआई के 14वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

- डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और श्रीमती अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव वाले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिनिधिमंडल ने 27-29 नवम्बर 2023 को पैलेस डेस नेशंस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में व्यापार और मानव अधिकारों पर 12वें संयुक्त राष्ट्र फोरम में भाग लिया। फोरम का समग्र विषय 'दायित्वों, जिम्मेदारियों और उपायों को लागू करने में प्रभावी बदलाव की ओर' था। डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य ने एनएचआरआई के सहयोग आधारित 'अंतर-एनएचआरआई जांच तंत्र' पर चर्चा करने के लिए एपीएफ सदस्यों के एक अनौपचारिक कॉकस में भी भाग लिया, जिसका आयोजन फिलीपींस के मानव अधिकार आयोग द्वारा 28 नवम्बर 2023 को व्यापार और मानव अधिकार पर 12वें संयुक्त राष्ट्र फोरम के अवसर पर किया गया था।
- श्री भरत लाल, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 18 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के मौक़े पर विश्व महिला दावोस एजेंडा में एक वक्ता के रूप में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस का दौरा किया।
- ले. कर्नल वीरेंद्र सिंह, निदेशक और श्री संजय कुमार, उप सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एशिया पेसिफिक फॉरम द्वारा प्रायोजित गैनहरी मान्यता पर एपीएफ वार्षिक कार्यक्रम पर एक व्यक्तिगत कार्यशाला में भाग लेने के लिए 27-29 फरवरी 2024 तक मनीला, फिलीपींस का दौरा किया। दोनों अधिकारियों ने दो पाठ्यक्रमों में भाग लिया - (i) 22 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम और (ii) 27-29 फरवरी 2024 तक मनीला, फिलीपींस में व्यक्तिगत कार्यशाला।
- 14 मार्च, 2024 को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के महासचिव, श्री भरत लाल ने विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक चर्चा के दौरान मध्य यूरोप के पत्रकारों के साथ बातचीत की।

अन्तरराष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

8.9 **माननीय अध्यक्ष और सदस्यों ने समीक्षाधीन अवधि में निम्नलिखित अन्तरराष्ट्रीय वेबिनार बैठकों में भाग लिया:**

- माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 5 दिसम्बर 2023 को एनएचआरआई सीओपी28 संगोष्ठी के दौरान 'महिलाओं और बालिकाओं सहित व्यक्तियों और समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उनकी स्थिति की निगरानी और उनकी आवश्यकताओं को सम्बोधित करने में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका' पर एक वर्चुअल व्याख्यान दिया।
- श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य ने 22 फरवरी 2024 को न्यूयॉर्क में आयोजित 'ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप ऑन एजिंग (ओडब्ल्यूईजीए) के 14वें सत्र की तैयारी बैठक' पर वीडियो-कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।

एनएचआरसी द्वारा आयोजित अन्तरराष्ट्रीय बैठकें

8.10 **एपीएफ गवर्नेंस कमेटी की बैठक 19 सितम्बर 2023 को हयात रीजेंसी, नई दिल्ली में आयोजित की गई।**

8.11 **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 20 और 21 सितम्बर 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 28वीं एपीएफ वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी की।** दो दिवसीय सम्मेलन 20 सितम्बर 2023 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। अपने सम्बोधन में, राष्ट्रपति ने भारत और एशिया पेसिफिक क्षेत्र के अन्य देशों द्वारा साझा किए गए गहरे सभ्यतागत मूल्यों के बारे में बात की, मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में उनकी ऐतिहासिक भूमिका पर ज़ोर दिया। उद्घाटन समारोह में, जिसमें 1,300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, एनएचआरआई के एशिया पेसिफिक फॉरम के अध्यक्ष श्री डू-ह्वान सोंग और मानव अधिकार संस्थाओं के वैश्विक गठबंधन की सचिव सुश्री अमीना बौयाच ने भी सभा को संबोधित किया।

हयात रीजेंसी, नई दिल्ली में 19 सितम्बर 2023 को आयोजित एपीएफ गवर्नेंस कमेटी की बैठक

उद्घाटन समारोह के बाद, वार्षिक आम बैठक में एशिया पेसिफिक फॉरम से सम्बन्धित सामान्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाई गई। वार्षिक आम बैठक में सदस्य संस्थाओं, पर्यवेक्षक देशों, गैनहरी, ओएचसीएचआर आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

8.12 21 सितम्बर को, एशिया पेसिफिक के एनएचआरआई का द्विवार्षिक सम्मेलन उसी स्थान पर आयोजित किया गया और पैनलिस्टों ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं और पेरिस सिद्धान्तावलि के 30 वर्ष, यूडीएचआर की 75वीं वर्षगांठ पर तीन विषयात्मक सत्रों में चर्चा की, जिसमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर एक उप-विषय था। विभिन्न सत्रों के दौरान अन्य प्रमुख वक्ताओं जैसे एपीएफ अध्यक्ष, श्री डू-ह्वान सोंग, सुश्री अमीना बौयाच, सचिव, वैश्विक मानव अधिकार संस्थाओं का गठबंधन, श्री व्लादीन स्टेफानोव, प्रमुख, राष्ट्रीय संस्थाएं, क्षेत्रीय तंत्र और नागरिक समाज अनुभाग, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, श्री वोल्कर तुर्क, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, श्री रोरी मुंगोवेन, प्रमुख एशिया पेसिफिक अनुभाग, मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, डॉ इयान फ्राई, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत, के अलावा फ़िजी, जॉर्डन, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, फिलीपींस के मानव अधिकार संस्थाओं के अध्यक्ष और आयुक्तों ने भी बात की। भारत के प्रमुख वक्ताओं में सुश्री सुनीता नारायण, महानिदेशक, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र; श्री सैयद अकबरदुन, डीन, कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, हैदराबाद; और श्री सुहास चकमा, निदेशक, अधिकार एवं जोखिम विश्लेषण समूह शामिल हैं।

8.13 एशिया पेसिफिक क्षेत्र के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) का दो दिवसीय सम्मेलन **'दिल्ली घोषणा'** को अपनाने के साथ सम्पन्न हुआ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने एशिया पेसिफिक क्षेत्र के देशों के अपने समकक्षों के साथ मिलकर दिल्ली घोषणा के लिए आम सहमति बनाने का काम किया, जिसकी सभी प्रतिनिधियों ने सराहना की और उसे स्वीकार किया। इस घोषणापत्र में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) की 75वीं वर्षगांठ, एनएचआरआई की स्थिति से संबंधित पेरिस सिद्धांतावलि की 30वीं वर्षगांठ और मानव अधिकार संरक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र की 25वीं वर्षगांठ सहित कई महत्वपूर्ण मील का पत्थर माने जाने वाली संसंथाओं की वर्षगाँठें मनायी गयीं। घोषणापत्र में मानव अधिकारों के संवर्धन और सुरक्षा में इन अन्तरराष्ट्रीय मानदंडों के स्थायी महत्व की पुष्टि की गई।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 20 सितम्बर 2023 को एनएचआरआई के एपीएफ की वार्षिक आम सभा एवं द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 21 सितम्बर 2023 को एनएचआरआई के एपीएफ की वार्षिक आम सभा एवं द्विवार्षिक सम्मेलन का समापन समारोह

8.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली में मानव अधिकार आयोग, मालदीव के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया गया।

विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों के साथ विचार-विमर्श

- कनाडा के उच्चायुक्त महामहिम श्री कैमरन मैके, श्री कॉलिन वेटमोर, प्रथम सचिव, राजनीतिक मामलों के साथ, भारत की संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के समापन पर चर्चा और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 26 मई 2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

- 5 जुलाई 2023 को भारत में नॉर्डिक देशों के दूतावासों से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत का दौरा किया।

- सुश्री थुई दोन-स्मिथ, विकास प्रबन्धक ने 28वीं एशिया पेसिफिक फॉरम वार्षिक साधारण सभा और द्विवार्षिक सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का दौरा किया।

- 10 जुलाई 2023 को यूएनएचसीआर भारत और मालदीव के मिशन प्रमुख श्री ऑस्कर मुंडिया गिथाइगा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का दौरा किया।

- 18 वरिष्ठ इराक़ी अधिकारियों के एक समूह ने आईआईएम, इंदौर के 3 अधिकारियों के साथ-साथ प्रोफ़ेसर सुबीन सुधीर, अध्यक्ष, कार्यकारी शिक्षा; श्री रजत पाल सिंह पंवार, प्रशासनिक कर्मचारी और श्री आदित्य शर्मा, प्रशासनिक कर्मचारी, ने आईटीईसी-कार्यकारी कार्यक्रम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया, जिसमें 27 जुलाई 2023 को विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की गई।

- डॉ. विजय कुमार दत्ता, अध्यक्ष, मधेशी आयोग, नेपाल ने 8 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोग के कामकाज और विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर एक व्यावहारिक चर्चा की

- संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रियाओं के विकास के अधिकार पर विशेष दूत प्रो. सूर्य देव ने सतत विकास लक्ष्यों, विकास का अधिकार, जलवायु परिवर्तन और व्यापार और मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सदस्यों और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के लिए 23 अगस्त 2023 को आयोग का दौरा किया।

- नॉर्वे के उप विदेश मंत्री (डीएफएम), श्री एंड्रियास मोट्ज़फेल्ड क्राविक, नॉर्वे दूतावास के 4 अधिकारियों अर्थात् महामहिम श्रीमती मे एलिन स्टेनर, राजदूत, सुश्री कैरिना एकोर्नेस, वरिष्ठ सलाहकार, सुश्री होमा लतीफ, वरिष्ठ सलाहकार डीएफएम की वरिष्ठ सलाहकार, उप विदेश मंत्री और श्री जोहान थॉमस बिजर्कम, द्वितीय सचिव, के साथ 22 फ़रवरी 2024 को माननीय अध्यक्ष के साथ बैठक के लिए आयोग का दौरा किया।

- डेनमार्क की संसद के माननीय अध्यक्ष श्री सोरेन गाडे जेन्सेन के नेतृत्व में डेनमार्क का एक प्रतिनिधिमण्डल, 10 अधिकारियों के साथ, 5 मार्च 2024 को माननीय अध्यक्ष, सदस्यों और महासचिव के साथ बैठक के लिए आयोग का दौरा किया।

- नीदरलैंड की राजदूत महामहिम श्रीमती मारिसा जेरार्ड्स ने 8 मार्च 2024 को आयोग के माननीय अध्यक्ष, सभी सदस्यों और महासचिव के साथ शिष्टाचार बैठक के लिए आयोग का दौरा किया।

- भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त महामहिम डेविड पाइन, दो अधिकारियों अर्थात् श्री मैथ्यू हिचमैन, प्रथम सचिव व वाणिज्य दूत और सुश्री अर्पिता बसु, न्यूजीलैंड उच्चायोग की नीति सलाहकार के साथ, 20 मार्च 2024 को आयोग के माननीय अध्यक्ष, सभी सदस्यों और महासचिव के साथ शिष्टाचार बैठक के लिए आयोग का दौरा किया।

- सुश्री जॉर्जिया ड्रेक, मानव अधिकार अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त ने अपने सहयोगी श्री डेविड के साथ 20 मार्च 2024 को आयोग का दौरा किया और आयोग के कार्यों, गतिविधियों और सम्पर्क अभियान पर चर्चा के लिए संयुक्त सचिव सुश्री अनीता सिन्हा के साथ बैठक की।

अध्याय 9

शिकायत निवारण

9.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (क) आयोग को स्वत: संज्ञान लेने या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर या किसी न्यायालय के निदेश या आदेश पर उसको प्रस्तुत की गयी अर्ज़ी पर मानव अधिकारों के उल्लंघन या दुष्प्रेरण किये जाने की या ऐसे उल्लंघन के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत के बारे में जांच करने का अधिकार देती है। अन्य बातों के साथ-साथ, यह आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

मानव अधिकार उल्लंघन केसों के निपटानार्थ आयोग की बैठकें

9.2 आयोग मानव अधिकार उल्लंघन के केसों की जांच करने के लिए खंडपीठ और पूर्ण आयोग की बैठकें आयोजित करता है। समीक्षाधीन अवधि में, पूर्ण आयोग ने 17 बैठकें कीं और कुल 749 केसों का निपटारा किया, जबकि खंडपीठ-I, खंडपीठ-II और खंडपीठ-III ने क्रमशः 09, 07 और 06 बैठकें कीं और कुल 369, 312 और 234 मानव अधिकार उल्लंघन के केसों का निपटारा किया। आयोग ने एकल पीठ बैठकों, शिविर बैठकों, खण्ड पीठ बैठकों और पूर्ण आयोग बैठकों में सुने गये केसों पर विचार करने के बाद 1,07,322 निर्देश जारी किए। इस बारे में, कार्रवाई-वार विवरण अनुलग्नक-XV में प्रदत्त हैं।

9.3 **राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित शिविर बैठकें:** शिविर बैठकें आयोग को लोगों के दरवाज़े पर न्याय प्रदान करने और उनसे सीधे बातचीत करने का अवसर प्रदान करती हैं। शिविर बैठकों का उद्देश्य कथित मानव अधिकार उल्लंघन के लम्बित केसों का समाधान करना है। वर्ष के दौरान आयोजित शिविर बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

9.4 आयोग ने केस संख्या 2886.90.0.2022 के तहत राजधानी शहर में वायु प्रदूषण और जीवन प्रत्याशा पर प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव से सम्बन्धित केस का स्वत: संज्ञान लिया। इस सम्बन्ध में, अक्टूबर और नवंबर 2023 माहों के दौरान, अन्वेषण प्रभाग और विधि प्रभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा आजादपुर से नरेला तक फैले रेलवे खण्ड का संयुक्त निरीक्षण किया गया, ताकि रेल पटरियों और स्टेशनों के आसपास स्वच्छता सुविधाओं के सुधार की गुंजाइश का आकलन किया जा सके।

9.5 आयोग घटनास्थल पूछताछ व रिपोर्टों की समीक्षा आदि के माध्यम से स्वतंत्र जाँच करता है। आयोग ने उक्त वर्ष में 30 घटनास्थल जाँचें कीं और 44 केसों का निपटारा किया। अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच संपन्न घटनास्थल जांचों का विवरण अनुलग्नक-V में शामिल है।

9.6 आयोग के निर्णयों/ आदेशों/ निर्देशों, दिशा-निर्देशों, परामर्श सूचनाओं, सिफ़ारिशों से आयोग को शिकायतों की लम्बितता कम करने में मदद मिली है और आयोग को प्राप्त शिकायतों की संख्या में कमी आई है। दिए गए वर्ष में, आयोग ने कुल 76,891 केस दर्ज

तालिका 9.1: वर्ष 2023-2024 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वार शिविर बैठकों का विवरण

दिनांक	शिविर बैठक का स्थान	सम्बन्धित राज्य	निपटान किए गए केसों की संख्या
17 नवम्बर 2023	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैण्ड, सिक्किम एवं त्रिपुरा	56
6 मार्च 2024	विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश	30
		योग	86

किए, जिनमें से 73,958 केसों का निपटान किया। वर्ष के दौरान पंजीकृत केसों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-I पर संलग्न है।

9.7 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने 81,104 केसों का निपटारा किया, जिसमें आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13(6) के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटान के लिए स्थानांतरित किए गए 5,736 प्रकरण शामिल थे। उल्लेखित संख्या में पिछले वर्षों में दर्ज केस भी शामिल हैं, जो निपटान के लिए लम्बित थे। 2023-2024 के दौरान प्रस्तुत इन केसों का राज्यवार ब्यौरा (पिछले वर्षों के केसों सहित) अनुलग्नक-II पर संलग्न है।

9.8 वर्ष के दौरान केसों का निपटान या तो शिकायत को ख़ारिज करके, उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देकर, शिकायत को राज्य मानव अधिकार आयोगों को स्थानान्तरित करके, या आयोग के निर्देशों के अनुसरण में प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद केसों को बन्द करके किया गया, जिसका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

9.9 समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में, अर्थात 1 अप्रैल 2023 को, आयोग द्वारा विचाराधीन केसों की कुल संख्या 12,237 थी। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 76,891 नए प्रकरण दर्ज किए गए और 81104 का निपटान किया गया। इस प्रकार, केवल 7763 प्रकरण विचाराधीन थे। समीक्षाधीन अवधि के अन्त में, अर्थात 31 मार्च 2024 को, आयोग के पास लम्बित केसों की कुल संख्या 7,763 थी। इसमें प्रारम्भिक विचाराधीन 2,103 केस और सम्बम्धित अधिकारियों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में या आयोग द्वारा विचार के लिए लम्बित 5,660 केस शामिल हैं (अनुलग्नक- III)। इस अवधि के दौरान, आयोग ने 414 केसों में पीड़ितों/मृतकों के परिजनों को ₹18,89,92,500/- की मुआवज़ा राशि की संस्तुति की, जिसका विवरण अनुलग्नक IV में दिया गया है।

हिरासत में हिंसा

9.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को वर्ष 2023-2024 के दौरान न्यायिक हिरासत में मौत से सम्बन्धित 2,346 नई सूचनाएं और पुलिस हिरासत में मौत की 160 सूचनाएं प्राप्त हुई। आयोग ने पिछले वर्षों के लम्बित केसों सहित हिरासत में मौत के 3,403 केसों का निपटान किया। निपटाए गए केसों में से 3,181 प्रकरण न्यायिक हिरासत में मौत से सम्बन्धित थे और 222 केस पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार से सम्बन्धित थे।

दृष्टान्त केस

9.11 आयोग ने पूरे वर्ष विभिन्न केसों पर कार्यवाही की है। कुछ उल्लेखनीय केसों का विवरण नीचे प्रस्तुत है:

आपराधिक न्याय प्रणाली

1. ओडिशा के कटक स्थित सर्किल जेल में एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत।

(केस संख्या 4532.18.3.2017-जेसीडी)

आयोग को 25 सितम्बर 2017 को कटक, ओडिशा के पुलिस उपायुक्त से विचारधीन कैदी (यूटीपी) बिस्वजीत मिश्रा की 19 सितम्बर 2017 को हिरासत में हुई मौत के बारे में सूचना मिली। आयोग के निर्देशों के जवाब में, संबंधित अधिकारियों से केस में अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसका विश्लेषण एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग द्वारा किया गया। डीजी (अन्वेषण) की रिपोर्ट से पता चला कि मिश्रा, उम्र 40 वर्ष, ऐंठन और श्वास लेने में परेशानी होने से पहले 20 दिनों तक जेल में रहा था, जिसके कारण अंततः उसकी मृत्यु हो गई। हालाँकि उसके सिर और खोपड़ी पर चोट के निशान पाए गए थे, लेकिन मृत्यु का कारण थ्रोम्बोम्बोलिक घटना की जटिलता को बताया गया।

सामग्री का अध्ययन करने पर, आयोग ने केस में कई विसंगतियों और कमियों को देखा, जिसके कारण आयोग ने ओडिशा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 7 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई और इस केस में आपराधिक केस दर्ज करने के साथ-साथ सीबीआई-सीआईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसी से उचित जांच कराने का निर्देश दिया गया। निर्देशों के क्रियान्वयन के साथ, केस आधिकारिक तौर पर 28 जून 2023 को बंद कर दिया गया।

2. कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में हिरासत में एक विचाराधीन कैदी द्वारा फांसी लगाने से (आत्महत्या) मौत।

(केस संख्या 121.33.9.2021-जेसीडी)

आयोग को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से 15 फरवरी 2021 को जिला जेल, कबीरधाम में विचाराधीन कैदी

ज्ञान सिंह गिन्नू, उम्र 28 वर्ष की हिरासत में मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आयोग द्वारा की गई जांच में जेल कर्मचारियों की ओर से कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही सामने आई, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल जांच रिपोर्ट (एमईआर) से पता चलता है। जेल अधीक्षक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दो सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है, जिसके कारण आयोग ने राज्य की जिम्मेदारी तय की है। नतीजतन, आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें मृतक के रिश्तेदार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई।

जवाब में, आईजी (सुधार गृह) छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट ने जेल अधिकारियों की ओर से किसी भी लापरवाही का दावा नहीं किया और साथी कैदियों द्वारा किसी भी तरह की यातना दिए जाने से इनकार किया। हालांकि, आयोग ने पाया कि जेल अधिकारियों द्वारा आवश्यक निवारक उपाय नहीं किए गए थे। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने सरकार को मृतक के रिश्तेदार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें परिवार की मानसिक पीड़ा और पीड़ा के लिए सहानुभूति और सांत्वना की आवश्यकता बताई गई। भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने और आयोग के निर्देशों का विधिवत पालन किए जाने के बाद, 15 दिसम्बर 2023 को केस बंद कर दिया गया।

3. सदर अस्पताल, अररिया, बिहार में इलाज के दौरान एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत।

(केस संख्या 1360.4.1.2020-जेसीडी)

13 मई 2020 को सदर अस्पताल, जिला अररिया, बिहार में इलाज के दौरान विचाराधीन कैदी मोहम्मद मुमताज, उम्र 28 वर्ष की हिरासत में मौत से संबंधित है, जब मृतक जिला जेल, अररिया, बिहार की न्यायिक हिरासत में था। एनएचआरसी ने राज्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का विश्लेषण किया। यह पता चला कि मोहम्मद मुमताज, जो 20 अगस्त 2019 से जिला जेल, अररिया में बंद था, नौ महीने से उसका चिकित्सा उपचार चल रहा था। दाखिले पर सामान्य स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट के बावजूद, लंबी बीमारी के कारण अचानक हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच में जेल अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक, अररिया के कार्यालय की ओर से पीएमसीएच-पटना में समय पर एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने में लापरवाही पाई गई।

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए राज्य की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए, आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें मृतक के निकट संबंधियों को 5 लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने की संस्तुति की गई, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत राज्य के दायित्व और देखभाल के कर्तव्य का हवाला दिया गया। अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्राप्ति के साथ, आयोग ने 14 दिसम्बर 2023 को केस बंद कर दिया।

4. बिहार के वैशाली जिले के गोरौल थाना अंतर्गत कटहरा पुलिस चौकी में हिरासत में एक विचाराधीन कैदी द्वारा फांसी लगाने से (आत्महत्या) मौत।

(केस संख्या 802.4.39.2021-एडी)

आयोग को 9 मार्च 2021 को बिहार के वैशाली जिले के गरौल थाना अंतर्गत कटहरा पुलिस चौकी में अमरजीत चौधरी (32 वर्ष) की संदिग्ध परिस्थितियों में रहस्यमयी मौत की सूचना मिली। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से केस में अपेक्षित रिपोर्टों का विश्लेषण किया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने सांस लेने में कठिनाई होने के कारण लॉकअप से बाहर जाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद उसे पीएस संतरी की निगरानी में 'सरहिस्ता' (कागजी कार्रवाई के लिए कमरा) में स्थानांतरित कर दिया गया। पीएमआर के अनुसार, मौत का कारण "एक कठोर और लचीले पदार्थ (लिगचर) (फांसी) द्वारा गर्दन के ऊपरी हिस्से पर दबाव के बाद दम घुटना" था। शव परीक्षण सर्जन ने कहा कि मृतक की मौत आत्महत्या के कारण हुई।

आयोग ने पाया कि हालांकि जांच मजिस्ट्रेट ने केस में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है, लेकिन तथ्य यह है कि मृतक पुलिस थाने के अंदर आत्महत्या करने के समय राज्य की हिरासत में था। पुलिस की हिरासत में आरोपी की उचित देखभाल और सुरक्षा पुलिस अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हालांकि, इस केस में, वे आरोपी पर उचित निगरानी रखने में स्पष्ट रूप से लापरवाह थे। इसलिए, इस केस में पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के लिए राज्य उत्तरदायी है।

परिणामस्वरूप, आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर यह पूछा कि मृतक के परिजनों को मात्र 5 लाख रुपये का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के प्रमाण प्राप्त होने पर आयोग ने 11 जुलाई 2023 को केस को बंद कर दिया।

5. छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में मुठभेड़ में हुई मौत के संबंध में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 594.33.19.2016-ईडी)

26 सितम्बर 2016 को राजू लचनू की मुठभेड़ में हुई मौत के संबंध में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त 27 सितम्बर 2016 की सूचना का संज्ञान लिया था। आयोग ने पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, डीएम, कोंडागांव और एसपी, कोंडागांव से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी और उन्हें आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार केस की जांच करने का निर्देश दिया था।

कोंडागांव के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निर्णायक मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पता चला कि मृतक एक किसान था, जो मर्दापाल में पढ़ रहे अपने छोटे भाइयों की शिक्षा का खर्च उठा रहा था। मृतक न तो पुलिस का मुखबिर था और न ही जन मिलिशिया, हालांकि वह सह-ग्रामीणों के साथ नक्सलियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल होता था। घटना के दो दिन पहले, मृतक मर्दापाल में अपने छोटे भाइयों को राशन सामग्री देने और अपने एक भाई को वापस लाने गया था, जो बीमार था। घटना की तारीख को, नक्सलियों की तलाश में गई पुलिस पार्टी पर नक्सलियों ने हमला किया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद मृतक का शव बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक एक किसान था और उसे नक्सली के रूप में स्थापित करने में विफल रही क्योंकि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। जांच मजिस्ट्रेट के अनुसार, पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध प्रकृति की प्रतीत हुई। केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा जिला मजिस्ट्रेट, कोंडागांव द्वारा की गई मजिस्ट्रियल जांच के निष्कर्षों पर विचार करते हुए, यह प्रतीत हुआ कि मृतक एक निर्दोष व्यक्ति था और पुलिस ने गलत पहचान के आधार पर उसे गोली मार दी थी।

पुलिस की ओर से की गई इस चूक के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और मृतक के रिश्तेदार को मुआवजा मिलना चाहिए। जवाब न मिलने पर आयोग ने माना कि मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की गई और आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए देने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संस्तुति की। इन निर्देशों के साथ, केस बंद कर दिया गया।

6. बदायूं, उत्तर प्रदेश में तुलसीराम मौर्य की हिरासत में मृत्यु के संबंध में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 29616.24.54.2017-ईडी)

आयोग को 24 सितम्बर 2017 को बदायूं, उत्तर प्रदेश के एसएसपी से तुलसीराम मौर्य की हिरासत में हुई मौत के बारे में सूचना मिली। आयोग ने संज्ञान लिया और डीजी (अन्वेषण) को आवश्यक रिपोर्ट एकत्र करने और आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जांच करने का निर्देश दिया। निष्कर्षों से पता चला कि हिरासत में यातना के कारण मौत हो सकती है। जवाब में, अधिकारियों ने आयोग की संस्तुति के अनुसार मुआवजा देने की राज्य की इच्छा बताते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। बदायूं, उत्तर प्रदेश के मानव अधिकार के नोडल अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने भी एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि केस में स्थानीय पुलिस की ओर से कोई गलती नहीं हुई।

संयुक्त सचिव (मानव अधिकार), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ने जवाब में कहा कि प्रारंभिक जांच में स्थानीय पुलिस को तुलसीराम मौर्य की मौत में दोषी नहीं पाया गया है और मृतक के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता देने की संस्तुति नहीं की गई है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि वह पुनर्विचार करे और मुआवजे की अपनी संस्तुति को वापस ले।

आयोग ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि पुनर्विचार के लिए आयोग के संज्ञान में कोई नया तथ्य नहीं लाया गया है। इसलिए, संयुक्त सचिव (मानव अधिकार), उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को यह सुनिश्चित करना था कि मौद्रिक मुआवज़ा तुरंत वितरित किया जाए और उन्हें आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इन निर्देशों के साथ, केस बंद कर दिया गया।

7. हिरासत में मौत और आत्महत्या रोकथाम उपायों पर आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 19405.24.31.2020-एडी)

23 सितम्बर 2020 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के विजय नगर थाने की हिरासत में 46 वर्षीय एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली। मृतक को उसकी पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा का आरोप लगाने की शिकायत के बाद 23 सितम्बर 2020 की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मृतक की उसी दिन शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उसी दिन शाम करीब 07:30 बजे लॉक-अप रूम के अंदर आत्महत्या कर ली थी।

आयोग ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और राज्य अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट की समीक्षा करने पर, आयोग ने जेल/लॉक-अप सुविधाओं में होने वाली आत्महत्या की घटनाओं के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि जेल/लॉक-अप में बंद कैदी, चाहे वे किसी भी अपराध के लिए दोषी हों या विचाराधीन, राज्य की हिरासत में हैं, इसलिए राज्य उनकी कुशलक्षेम के लिए जिम्मेदार है। आयोग ने ऐसी घटनाओं को रोकने और कैदियों के जीवन की रक्षा करने में राज्य अधिकारियों, विशेष रूप से पुलिस और जेल विभागों की विफलता को उजागर किया। इन चिंताओं के मद्देनजर, संबंधित अधिकारियों को आयोग द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों को लागू करने सहित कैदियों की आत्महत्या को रोकने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में विशिष्ट बिंदुओं पर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया गया।

गाजियाबाद के एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में पता चला कि मृतक शराब का आदी था। जांच के दौरान मृतक की पत्नी और बेटे ने मौत के बारे में कोई संदेह नहीं जताया। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जांच मजिस्ट्रेट को मौत में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। आयोग ने राज्य को जिम्मेदार ठहराया और अपनी संस्तुति दोहराई और उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के उप सचिव को मृतक के रिश्तेदार को पांच लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने का निर्देश दिया। भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया था।

8. उत्तर प्रदेश के बागपत के बाछौद गांव में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक महिला और उसकी दो बेटियों द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने की घटना के संबंध में आयोग की जांच और कार्रवाई।

(केस संख्या 13578.24.8.2022)

आयोग ने 27 मई 2022 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक केस में स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू की, जिसमें एक महिला और उसकी दो बेटियों ने पुलिस की छापेमारी के दौरान जहर खा लिया, जिससे तीनों की मौत हो गई। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को केस में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें चल रही जांच की स्थिति और पीड़ित परिवार को दी गई राहत का विवरण मांगा गया। आयोग के निर्देशों के जवाब में, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उत्तर प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना, 2014 के तहत मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रदान किए जाने वाले मौद्रिक मुआवजे का प्रस्ताव शामिल था। हालाँकि, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि तक, पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

रिपोर्ट की समीक्षा करने पर, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस छापे में उचित प्रक्रियाओं का अभाव था, विशेष रूप से छापे के दौरान महिला अधिकारियों की अनुपस्थिति। इसके अलावा, भगाने की घटना के तीन सप्ताह बाद छापे का समय, पीड़ितों में डर और बाद की कष्टदायक कार्रवाइयों में योगदान देता है। नतीजतन, शामिल पुलिस अधिकारी और पांच अन्य के खिलाफ एक आपराधिक केस दर्ज किया गया, जिसमें अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। अन्याय को दूर करने और कुछ हद तक समापन प्रदान करने के प्रयास में, आयोग ने 28 जुलाई 2023 को निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को मृतकों के प्रत्येक रिश्तेदार को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया, जो कुल तीन व्यक्ति हैं। इसके अतिरिक्त, भुगतान के प्रमाण के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

9. पश्चिम बंगाल में सुभो मेहेना की हिरासत में मौत और मानव अधिकार उल्लंघन के लिए मुआवजा वितरण पर आयोग की प्रतिक्रिया।

(केस संख्या 1711.25.3.2020-एडी)

आयोग को 31 अक्टूबर 2022 को श्री धना कुमार से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 30 अक्टूबर 2020 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मल्लारपुर थाने की हिरासत में सुभो मेहना की हिरासत में मौत हो गई। आयोग ने शिकायत का संज्ञान लिया और अपेक्षित रिपोर्ट मांगी। रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, आयोग की राय थी कि मौत पुलिस हिरासत में हुई थी, और इस केस में मानव अधिकारों का उल्लंघन स्थापित हुआ।

आयोग ने मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। समय-समय पर केस पर विचार करने के बाद, आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह और पर्वतीय विभाग के सहायक सचिव को मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देशों के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार के गृह और पर्वतीय विभाग के विशेष सचिव ने 17 अक्टूबर 2023 को पत्र के माध्यम से मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये के मुआवजे के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया। इसलिए, 24 नवम्बर 2023 को केस बंद कर दिया गया।

10. सोरो उप-जेल, बालासोर में कमलकांत बारिक नामक एक विचाराधीन कैदी की कथित हिरासत में मौत की जांच और समाधान में आयोग की भूमिका।

(केस संख्या 1406.18.1.2021-एडी)

23 जून 2021 को बालासोर के सोरो उप-जेल में जेल अधिकारियों द्वारा विचाराधीन कैदी श्री कमलकांत बारिक की हत्या के बारे में शिकायत मिली। आरोप लगाया गया कि जेल अधिकारी कोविड-19 से मौत के केस के रूप में शव का निपटान करना चाहते थे, लेकिन पीड़ित के छोटे भाई, जो भी जेल में था, ने परिवार को मौत के बारे में सूचित कर दिया। आयोग ने शिकायत का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। आयोग ने विश्लेषण किया कि व्यक्ति की मौत आत्महत्या से हुई थी। आयोग ने पाया कि मृतक की मौत के लिए राज्य जिम्मेदार था।

आयोग ने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आयोग द्वारा मृतक के रिश्तेदार को 5 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने की संस्तुति क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में, डीआईजी, जेल, मुख्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा ने घटना का विवरण देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच ने राय दी है कि मृतक की मौत दम घुटने के कारण हुई होगी और ऐसा लगता है कि जेल अधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है। मृतक के रिश्तेदार को कोई आर्थिक मुआवजा देने की संस्तुति नहीं करने का भी अनुरोध किया गया।

आयोग ने कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार किया और पाया कि जिस मुद्दे पर कारण बताओ नोटिस आधारित था, उस पर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव को मृतक के रिश्तेदार को पाँच लाख रुपये की राशि का भुगतान करने की संस्तुति की। मृतक के रिश्तेदार को भुगतान के साक्ष्य मिलने के साथ ही 10 जनवरी 2024 को केस बंद कर दिया गया।

11. एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया तथा एक अन्य की मृत्यु हो गई।

(केस संख्या 151.20.12.2018)

आयोग को 13 जनवरी 2018 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 10 जनवरी 2018 -11 जनवरी 2018 की मध्य रात्रि में थाना बसई जगनेर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में छापेमारी के संबंध में बताया गया, जिसके दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया तथा एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के अधिकारियों को केस में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। एनएचआरसी ने निष्कर्ष निकाला कि यह घटना मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है, जिसमें यूपी राज्य (आगरा) पुलिस ने दूसरे राज्य (राजस्थान, धौलपुर) के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश किया और

स्थानीय अधिकारियों को सूचित किए बिना छापेमारी और गिरफ्तारियां कीं। इससे दंगा-फसाद की स्थिति पैदा हो गई और पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल पर धारा 304ए आईपीसी के तहत आरोप लगाया गया था और केस की सुनवाई लंबित थी। जांच मजिस्ट्रेट ने भी पूरी घटना के लिए यूपी पुलिस को जिम्मेदार पाया।

इन निष्कर्षों के आधार पर, आयोग ने 2 मई 2023 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, ताकि यह बताया जा सके कि मृतक रामेश्वर के निकट संबंधी को भुगतान के लिए 7.5 लाख रुपये की राशि की संस्तुति क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग के निर्देशों के जवाब में, एसएसपी (मानव अधिकार), उत्तर प्रदेश ने पुलिस आयुक्त को संबोधित 25 जुलाई 2023 के एक पत्र की प्रति पृष्ठांकित की, जिसमें बताया गया कि श्री महेश कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक, खेरागढ़, आगरा, उत्तर प्रदेश द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। केस माननीय न्यायालय के विचाराधीन था, और इस तरह, अंतिम निर्णय आने तक मृतक के निकट संबंधी को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं था।

स्थिति की पुनः समीक्षा करने पर आयोग ने दिनांक 10 अगस्त 2023 की कार्यवाही के माध्यम से अपने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की तथा उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक रामेश्वर के परिजन को 7.50 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने की संस्तुति की, जिसकी मृत्यु पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी के परिणामस्वरूप हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

12. पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मृतक अजमत अली और हजरत अली के परिवारों को मुआवजा देने में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 148.3.9.2015-ईडी)

आयोग को 28.04.2015 को जिला पुलिस, कामरूप, अमीनगांव, असम से 26 अप्रैल 2015 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में अजमत अली (35 वर्ष) और हजरत अली (35 वर्ष) की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। केस का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने 6 मई 2015 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, असम, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, कामरूप, असम को जांच के संबंध में उचित कार्रवाई करने और आयोग को विस्तृत रिपोर्ट और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

आयोग के निर्देशों के जवाब में, असम पुलिस मुख्यालय के एआईजीपी ने 5 जुलाई 2023 को पत्र के माध्यम से सूचित किया कि चायगांव पीएस केस संख्या 191.2015 की जांच पूरी हो गई है। इस केस के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् मोहम्मद लालचंद अली और मोहम्मद अजहर अली के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। मृतक व्यक्तियों, अजमत अली और हजरत अली, जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे, के खिलाफ हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी सहित पर्याप्त मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री पाई गई। हालांकि, जांच में देरी का उल्लेख किया गया, जांच अधिकारियों, अर्थात् एसआई बलभद्र पटगिरी और डॉ. बिद्युत दास बोरो, एपीएस द्वारा कोई ठोस जांच कदम नहीं उठाए गए।

आयोग ने असम सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर मृतकों के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसका पालन न करने पर आयोग पीएचआर अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगा। इसके बाद, असम सरकार के संयुक्त सचिव ने 22 सितम्बर 2023 को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अजमत अली और हजरत अली, प्रत्येक मृतक के परिजनों के बैंक खातों में 7.5 लाख रुपये की मुआवजा राशि जमा कर दी गई है। प्राधिकारी ने उक्त मुआवजे के भुगतान का प्रमाण भी प्रस्तुत किए। इसलिए, केस 24 नवम्बर 2023 को बंद कर दिया गया।

13. आंध्र प्रदेश के गुंटूर ग्रामीण में पुलिस हिरासत में यारागल्ला श्रीनिवास राव की मौत के बाद आयोग का हस्तक्षेप।

(केस संख्या 53.1.6.2018-पीसीडी)

4 जनवरी 2018 को रेपल्ले पीएस, जिला गुंटूर ग्रामीण, आंध्र प्रदेश की हिरासत में यारागल्ला श्रीनिवास राव की मृत्यु के संबंध में गुंटूर के पुलिस अधीक्षक से सूचना मिली। सूचना मिलने पर आयोग ने संज्ञान लिया और महानिदेशक (अन्वेषण) को संबंधित अधिकारियों से आवश्यक रिपोर्ट एकत्र करने का निर्देश दिया। रिकॉर्ड पर रिपोर्टों का विश्लेषण करने के बाद आयोग ने पाया कि

प्रथम दृष्टया, मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हालांकि, यह चिंता का विषय था कि बंदोबस्त के लिए उपकरण लावारिस पड़े थे, जिससे मृतक को रस्सी लेने और आत्महत्या करने का अवसर मिल गया। इन परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करते हुए आयोग ने केस की टिप्पणियां आंध्र प्रदेश के डीजीपी को भेजते हुए केस को बंद करने की संस्तुति की। इसके बाद आयोग ने पाया की मृतक आत्महत्या के समय पुलिस हिरासत में था। अगर ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल पर्याप्त सतर्क होता, तो मृतक को अपने जीवन समाप्त करने का अवसर नहीं मिलता।

डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997(1) एससीसी 416 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर, जो कि देश का कानून है, राज्य का दायित्व था कि वह पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की सुरक्षित हिरासत सुनिश्चित करे। हालांकि, राज्य और उसकी मशीनरी कानून के तहत प्रतिनिधिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही, और इसलिए, राज्य पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत के लिए दायित्व से बच नहीं सकती। तदनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कारण बताने के लिए कहा गया था कि आयोग द्वारा मृतक यारागल्ला श्रीनिवास राव के निकट संबंधी को पांच लाख रुपये की राशि का भुगतान करने की संस्तुति क्यों नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

केस पर आगे विचार-विमर्श करते हुए, आयोग ने अपने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार को मृतक के परिजनों को पाँच लाख रुपये की राशि वितरित करने और भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संस्तुति की। आयोग के निर्देशों के जवाब में, अनुभाग अधिकारी, जीए (एससी.आई) विभाग, एपी सचिवालय ने 25.09.2023 को ईमेल के माध्यम से मृतक यारागल्ला श्रीनिवास राव के परिजनों को पाँच लाख रुपये के भुगतान के लिए स्वीकृति आदेश की प्रति प्रस्तुत की। हालाँकि, भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित थी।

14. अरुणाचल प्रदेश और असम राइफल्स की टीमों द्वारा शुरू किए गए संयुक्त अभियान में मुठभेड़ में एनएससीएन-आईएम के दो आरोपियों की मौत के बाद आयोग का हस्तक्षेप।

(केस संख्या 19.2.13.2022-ईडी)

20 मार्च 2022 को मुठभेड़ के दौरान एनएससीएन-आईएम से जुड़े दो व्यक्तियों की मौत के संबंध में अरुणाचल प्रदेश के तिरप के पुलिस अधीक्षक से सूचना मिली। केस की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट सहित रिपोर्टों का विश्लेषण करने पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतकों में से एक एनएससीएन-आईएम का कैडर था, जबकि दूसरा मृतक और एक घायल व्यक्ति आम नागरिक थे, जिन्हें विद्रोहियों ने अपनी गतिविधियों के दौरान बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया था। मजिस्ट्रेट जांच में पाया गया कि मुठभेड़ के दौरान एक विद्रोही और एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य नागरिक घायल हो गया।

आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे कारण बताएं कि मृतक रेट्टो काखो के निकट संबंधी को 5 लाख तथा घायल नागरिक पकनगाम लोवांग को 50,000 रुपये का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। जवाब में, अरुणाचल प्रदेश के खोनसा के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि गिरफ्तार एनएससीएन-आईएम सदस्य के खिलाफ केस में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, तथा मृतक और घायल व्यक्ति के निकट संबंधी को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हालांकि, आयोग ने पाया कि मृतक रेट्टो काखो के परिवार को हुए नुकसान को देखते हुए प्रदान किया गया मुआवजा अपर्याप्त था। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव को मृतक के परिजन को एक लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने तथा भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अरुणाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग के अवर सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें मृतक व्यक्ति के रिश्तेदार श्री तेसन काखो के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से एक लाख रुपये की अतिरिक्त राशि वितरित करने की बात कही गई थी। इन निर्देशों के साथ आयोग ने केस बंद कर दिया।

15. रांची, झारखंड में पुलिस हिरासत में दो व्यक्तियों गफ्फार आलम और पूजा कुमार की हिरासत में मौत के बाद आयोग का हस्तक्षेप।

(केस संख्या 445.34.16.2016-पीसीडी)

आयोग को 16 मार्च 2016 को एसएसपी, रांची, झारखंड से दो व्यक्तियों, गफ्फार आलम और पूजा कुमार की 15 मार्च 2016 को हिरासत में हुई मौतों के बारे में सूचना मिली। आयोग ने इस गंभीर केस का तुरंत संज्ञान लिया और घटना की जांच के लिए कार्यवाही शुरू की। संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, आयोग ने दस्तावेजों का विश्लेषण किया और पाया कि घटना अत्यधिक संदिग्ध है, और हत्या से जुड़ी हो सकती है। एनएचआरसी ने पुलिस द्वारा जांच के लापरवाही बरतने, विशेष रूप से, पांच साल से अधिक समय के बाद भी विसरा रिपोर्ट और मौत के अंतिम कारण जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा करने में विफलता पर चिंता व्यक्त की।

आयोग ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कई संस्तुतियां कीं, जिसमें यूडी 02.2016 पीएस अरगोंडा की जांच को एक आईपीएस अधिकारी की देखरेख में गहन और समयबद्ध जांच के लिए राज्य सीबी-सीआईडी को सौंपना; केस से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य प्राप्त करना, जैसे विसरा रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल की साइट योजना और संबंधित एफआईआर की प्रतियां; केस में खराब पर्यवेक्षण और जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना; और न्यायिक आयुक्त, रांची के साथ मिलकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में तेजी लाना शामिल हैं।

इन संस्तुतियों के बाद, आयोग ने 2 अगस्त 2022 की कार्यवाही में, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने की संस्तुति नहीं करने का औचित्य पूछा गया। नोटिस के बावजूद, कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण आयोग को 9 सितम्बर 2023 की कार्यवाही में अपनी संस्तुति की पुष्टि करनी पड़ी। आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव से गफ्फार आलम और सुश्री पूजा कुमारी के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये वितरित करने और भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का आग्रह किया। आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए, संबंधित प्राधिकारी ने 8 फरवरी 2024 को अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनमें उल्लेख किया गया कि पांच-पांच लाख रुपये की अनुशंसित राशि मृतकों के संबंधित खातों में एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित कर दी गई थी। इसलिए, केस बंद कर दिया गया।

16. आंध्र प्रदेश में पुलिस द्वारा कथित यातना के कारण बेथा रामबाबू की हिरासत में हुई मौत पर आयोग की कार्रवाई

(केस संख्या 383.1.22.2022-एडी)

आयोग को दिनांक 11 फरवरी 2022 को श्री अमल कांति चकमा से 42 वर्षीय बेथा रामबाबू की पुलिस हिरासत में कथित तौर पर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण हुई मौत के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। इस गंभीर मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए आयोग ने कार्यवाही शुरू की और संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रिपोर्टों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, यह पता चला कि बेथा रामबाबू की मृत्यु "एंटे-मॉर्टम फांसी के कारण मैकेनिकल एस्फिक्सिया के कारण कार्डियो-पल्मोनरी अरेस्ट" के कारण हुई थी। इसके बाद, दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई।

आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे कारण बताएं कि बेथा रामबाबू के रिश्तेदार को पांच लाख रुपये की राशि का मौद्रिक मुआवजा देने की संस्तुति क्यों नहीं की जानी चाहिए। कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के अनुरोध के बावजूद आयोग को राज्य सरकार से कोई जवाब नहीं मिला। इसके मद्देनजर आयोग ने यह माना कि मौद्रिक मुआवजा देने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए आयोग ने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और आंध्र प्रदेश सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक के रिशतेदार को पांच लाख रुपये की राशि का मौद्रिक मुआवजा देने और भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने की संस्तुति की। जवाब में आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी 2024 को पांच लाख रुपये के भुगतान के लिए मंजूरी आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की। इसलिए केस बंद कर दिया गया।

17. पुलिस स्टेशन हसनपुर, पलवल, हरियाणा की हिरासत में आरोपी पवन उर्फ हरिया की हिरासत में मौत के बाद आयोग का हस्तक्षेप

(केस संख्या 316.7.22.2018-पीसीडी)

आयोग को 19 फरवरी 2018 को पुलिस अधीक्षक, पलवल, हरियाणा से आरोपी पवन हरिया की 18 फरवरी 2018 को हिरासत में मौत के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई, जो हसनपुर, पलवल, हरियाणा के पुलिस स्टेशन की हिरासत में था। केस का तुरंत संज्ञान लेते हुए, आयोग ने महानिदेशक (अन्वेषण) को संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट एकत्र करने का निर्देश दिया। यह पता चला कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मृतक को लगी चोटें हिरासत में यातना का संकेत थीं और क्या चोटों और मौत के कारण (श्वासावरोध) के बीच कोई संबंध था, एक चिकित्सा विशेषज्ञ की राय मांगी गई थी। चिकित्सा विशेषज्ञ की राय ने शव परीक्षण प्रक्रिया में विसंगतियों को उजागर किया, जिससे मौत के कारण का अधूरा आकलन हुआ।

स्थिति की गंभीरता और मानव अधिकारों के उल्लंघन पर विचार करते हुए, आयोग ने पाया कि कैदियों के प्रति पुलिस की बर्बरता की घटनाएं दुर्भाग्य से आम हैं। कानूनी मिसाल का हवाला देते हुए, आयोग ने कहा कि एक कैदी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान का हकदार है, और दुर्व्यवहार के लिए मौद्रिक मुआवजे की आवश्यकता है। आयोग के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, पुलिस अधीक्षक, पलवल, हरियाणा ने पवन हरिया की गिरफ्तारी की परिस्थितियों का विवरण दिया। हालांकि, प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण ने कारण बताओ नोटिस में उठाई गई चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया। इसलिए, 28 दिसम्बर 2023 की कार्यवाही में, आयोग ने मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को मृतक के परिवार को 7.5 लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने की संस्तुति की। मृतक के परिवार को 7.5 लाख रुपये के मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुपालन रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है।

18. पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में आयोग की कार्रवाई: मुखर्जी नगर, दिल्ली

(केस संख्या 1236.30.6.2022)

आयोग को एक शिकायत मिली थी जिसमें पुलिस स्टेशन-मुखर्जी नगर, दिल्ली के एक नामित पुलिस कांस्टेबल पर सत्ता के दुरुपयोग, झूठे आरोप लगाने की धमकी और क्रूरता का आरोप लगाया गया था। 11 जुलाई 2022 को आयोग ने सशर्त समन जारी किया और दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (सतर्कता) से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी, और उन्हें आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार केस की जांच करने का निर्देश दिया। आयोग को सूचित किया गया कि 22 फरवरी 2020 को सतर्कता जांच संख्या 26.पी.सेक.डीसीपी.विज द्वारा इन आरोपों पर एक जांच की गई थी, और यह पाया गया था कि एक नामित पुलिस कांस्टेबल को 'संकर्न काश' और सीसीटीवी फुटेज में भी शिकायतकर्ता को पीटते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, मुखर्जी नगर के एसएचओ को खराब पर्यवेक्षण और अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण की कमी का दोषी पाया गया क्योंकि वह वरिष्ठों के साथ मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहे और केस को दबाने का प्रयास किया। नामित कांस्टेबल को शिकायतकर्ताओं की पिटाई और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का भी दोषी ठहराया गया।

रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें यह बताने का निर्देश दिया गया कि आयोग को पीड़ित को 1,25,000 /- (केवल एक लाख पच्चीस हजार रुपये) के मुआवजे के भुगतान की संस्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए, जिनके मानव अधिकारों का उल्लंघन पुलिस कर्मियों की निष्क्रियता के कारण हुआ था। आयोग ने अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि राज्य अपने अधिकारियों के कार्यों/चूक के लिए किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी है। संबंधित न्यायालय के समक्ष सीसी संख्या 597.2022 के माध्यम से कथित दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत दायर पीड़ित की शिकायत का इस्तेमाल पीड़ित को मुआवजा राशि में देरी को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पूरी तरह से संबंधित है। मुआवज़ा राशि ₹1,25,000/- रुपये (केवल एक लाख पच्चीस हजार रुपये) के भुगतान के बाद अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

19. भोजपुर चौकी की पुलिस द्वारा सत्ता के दुरूपयोग के सम्बन्ध में आयोग की कार्यवाही।

(केस संख्या 1817.24.61.2021)

आयोग को मानव अधिकार संरक्षक से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आयोग का ध्यान प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट की गई एक घटना की ओर आकर्षित किया गया जिसमें भोपजूर चौकी के पुलिस

अधिकारियों द्वारा दो युवकों को बेरहमी से पीटा गया था। आयोग ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग के संचार के जवाब में, एडिशनल एसपी, नोडल अधिकारी, रायबरेली का 20 अक्टूबर 2021 का पत्र प्राप्त हुआ, साथ ही सीओ, लालगंज, रायबरेली की 11 अक्टूबर 2021 की विस्तृत रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अनुसार, एक शिकायत में उन पर चोरी का आरोप लगाया गया था। उन्हें बुलाकर चेन और अंगूठी वापस करने को कहा गया, जिसके बाद एसआई प्रशांत सिंह भदौरिया ने उन दोनों की पिटाई कर दी। जनता ने इस घटना की खुलकर निंदा की और एसआई को निलंबित करने की मांग की। केस की सूचना एसपी, रायबरेली को दी गई। केस की जांच एसडीएम द्वारा की गई और जांच अधिकारी ने एसआई प्रशांत सिंह भदौरिया, कांस्टेबल भरत सिंह और कांस्टेबल हरिओम सिंह को दोषी पाया और सभी दोषी पुलिस अधिकारियों की दंडित किया गया। सीओ की विस्तृत जांच रिपोर्ट से भी यही तथ्य सामने आया है।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की जांच करने के बाद आयोग ने संस्तुति की कि राज्य सरकार अपने मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़ितों अमित शुक्ला और राजू तिवारी को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा जारी करे और राज्य सरकार ने इसका अनुपालन किया। इसलिए केस की फाइल बंद कर दी गई।

20. पटना पुलिस द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के संबंध में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 1121.4.26.2023)

आयोग को एक शिकायत मिली जिसमें शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 11 मार्च 2023 को उसे एसएचओ, पीएस विक्रम, पटना ने बुलाया था। शिकायतकर्ता थाने गया, जहाँ आरोपी पुलिस अधिकारियों ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उससे पूछा कि उसने पुलिस अधिकारियों द्वारा होली मनाने का वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया और शेयर किया। जब उसके बड़े भाई और चचेरे भाई उसे थाने में हिरासत में रखने का कारण पूछने पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें 28 घंटे से अधिक समय तक थाने में रखा, एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी, उनके साथ मारपीट की और उन्हें परेशान किया। इस दौरान शिकायतकर्ता की हालत बिगड़ गई, जिससे उसे एम्स में भर्ती कराना पड़ा। पूरी घटना थाने के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

आयोग के निर्देशानुसार, केस में प्राप्त रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गई है कि पीड़ित को तत्कालीन पुलिस प्रभारी श्री धर्मेंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक के अनुरोध पर पुलिस थाने लाया गया था। पीड़ित को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया तथा उक्त पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी पिटाई की गई। उसका मोबाइल फोन भी एक पुलिस अधिकारी द्वारा अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया गया तथा आयोग के हस्तक्षेप के बाद ही उसे वापस किया गया। दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी शुरू की गई। परिणामस्वरूप, आयोग ने संस्तुति की कि बिहार सरकार अपने मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़ित श्री अजीत कुमार को मुआवजे के रूप में 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) जारी करे तथा इसे पूरा करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

21. जेल में नवजात शिशु की मृत्यु हो जाने पर उसकी मां को राहत प्रदान करने वाली आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 1088.34.14.2019-डीएच)

21 सितम्बर 2019 को मंडल कारागार, पाकुड़, झारखंड की हिरासत में एक विचाराधीन महिला कैदी, लिलमुनि सोरेन के नवजात शिशु (लड़के) की मृत्यु के संबंध में एक केस प्राप्त हुआ। तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने निर्धारित किया कि यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं था कि नवजात शिशु को जेल में या एम्बुलेंस में सांस की तकलीफ के लिए अस्पताल ले जाते समय ऑक्सीजन दी गई थी, जो कि एक तत्काल जीवन रक्षक उपाय था। मृत्यु का कारण हृदय और श्वास का रुकना था, जिससे बच्चे के श्वसन संकट की पुष्टि हुई। बच्चे की मां को मजिस्ट्रेट जांच में शामिल नहीं किया गया था, जो एक बुनियादी आवश्यकता थी। जेल प्रशासन की लापरवाही के परिणामस्वरूप नवजात शिशु की मृत्यु हो गई, जिसके लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया। आयोग ने संस्तुति की कि राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से मृत बच्चे के परिजन को 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) का मुआवजा दे। इसके अलावा, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव को राज्य द्वारा संचालित मेडिकल एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा सुनिश्चित करने और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

22. पुलिस द्वारा नाबालिग को अवैध रूप से हिरासत में रखने के केस में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 169.20.34.2023)

आयोग को नारायण मीना नामक एक पिता की शिकायत मिली, जिसने दावा किया कि उसके 17 वर्षीय बेटे भगवती लाल को पुलिस ने भगाने के एक केस में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसके बेटे को तीन दिनों (25 - 27 नवम्बर 2022) तक अवैध हिरासत और यातनाएं दी गई। राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस केस की जांच पीएस छोटा सादली के प्रभारी ने की थी। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता के बेटे का मोबाइल नंबर एक लड़की को भगाने के आरोपी व्यक्ति के कॉल डिटेल में दिखाई दिया, जिसके लिए भगवती लाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसे हिरासत में नहीं लिया गया और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। जब उसके माँ –बाप उपस्थित थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 6 महीने की प्रतिधारण नीति के कारण सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं थी, लापता लड़की मिल गई, तथा एक अन्य किशोर के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

आयोग के निष्कर्षों से पता चला कि पुलिस रिपोर्ट में विसंगतियां थीं, जिससे अवैध हिरासत का संदेह पैदा हुआ। निष्कर्षों से यह भी पता चला कि किशोर न्याय अधिनियम और आदर्श नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होने की संभावना है, और विशेष किशोर पुलिस इकाई या किसी नामित अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा, किशोर को उसके माता-पिता से किसी वचनबद्धता के आधार पर रिहा नहीं किया गया था, और किशोर द्वारा हस्ताक्षरित बयानों में आदर्श नियमों का उल्लंघन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार उपबंधों द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार का भी उल्लंघन पाया गया। एनएचआरसी के निर्देश के अनुसार, राजस्थान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, और भगवती लाल को 50,000 रुपये के मुआवजे की संस्तुति की गई। भुगतान के साक्ष्य के साथ आगे की अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

23. बलात्कार पीड़िता और एक व्यक्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के बाहर आत्मदाह करने के बाद मुआवज़ा दिया गया और लापरवाह पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया।

(केस संख्या 4688.30.1.2021-डब्ल्यूसी)

शिकायतकर्ता ने आयोग को मीडिया में आई एक घटना की जानकारी दी जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक महिला और एक पुरुष ने उच्चतम न्यायालय के बाहर खुद को आग लगा ली। दोनों गंभीर रूप से जल गए और उनका इलाज चल रहा था। घटना से पहले, उन्होंने एक फेसबुक लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें महिला ने एक सांसद के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करने का उल्लेख किया, जिसमें आरोपी पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधी का समर्थन करने का आरोप लगाया गया। सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, पुलिस ने कथित तौर पर उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। इसके बाद, दोनों व्यक्तियों की चिकित्सा उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

आयोग ने केस और पुलिस की निष्क्रियता की जांच की। पाया गया कि पुलिस ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया। पुलिस आयुक्त, वाराणसी ने जांच अधिकारी और कांट थाने के तत्कालीन एसएचओ को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी। उनके आचरण से मृतक पीड़ित लड़की की निष्पक्ष जांच के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसलिए आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक पीड़ित लड़की के रिश्तेदार को 7,50,000 रुपये मुआवजे के रूप में देने और दोनों आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जवाब में राज्य के अधिकारियों ने बताया कि दोनों अधिकारियों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। मुआवजे के संबंध में 5,00,000 रुपये की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए राशि की समीक्षा करने के अलावा कोई आपत्ति नहीं थी। आयोग ने इसे स्वीकार कर लिया और केस बंद कर दिया।

24. पुलिस और आबकारी विभाग की लापरवाही से अवैध शराब पीने से मौत, मुआवजे का भुगतान।

(केस संख्या 11148.24.24.2021)

शिकायत में अवैध शराब के सेवन से दो मौतें और पांच के बीमार होने की बात कही गई थी, जिसमें पुलिस और आबकारी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। एसएसपी अयोध्या ने 10 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसमें 3 को गिरफ्तार किया गया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू की गई। डीएम अयोध्या की रिपोर्ट में एसएसपी की कार्रवाई का उल्लेख हुआ है, जिसमें पुलिस अधिकारियों और क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी के खिलाफ निलंबन और जांच शुरू की गई। आयोग ने पाया कि अवैध शराब के कारोबार को नियंत्रित करने में अधिकारियों की विफलता के कारण दो मौतें हुई; जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने मृतक धर्मेंद्र वर्मा और वीरेंद्र के रिश्तेदारों को एक-एक लाख रुपये की अंतरिम राहत के भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया और आबकारी विभाग के अधिकारियों की कार्यवाही के बारे में अपडेट मांगा। बाद में नोटिस की पुष्टि की गई। जांच के बाद, 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए और एक सर्किल अधिकारी सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। आयोग ने पाया कि धर्मेंद्र वर्मा की बेटी को मुआवजा दिया गया था, लेकिन वीरेंद्र वर्मा के लिए कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं मिला। नतीजतन, आगे कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी और केस बंद कर दिया गया।

25. पुलिस बर्बरता के कारण पीड़ित की मृत्यु से संबंधित केस में जारी किया गया मुआवजा

(केस संख्या 1095.1.2.2020)

श्री बाशा कामथल द्वारा दर्ज की गई शिकायत में एक घटना का विवरण दिया गया है, जिसमें पीड़ित येनागनी सत्यनारायण को कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा गंभीर शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। घटना के दौरान पीड़ित की पत्नी और बच्चे के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। आयोग ने केस की जांच की और पुलिस की बर्बरता और सत्ता के दुरुपयोग के साक्ष्य पाए। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई और विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। आयोग ने जोर देकर कहा कि पुलिस अधिकारियों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है और इस तरह का कदाचार मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। नतीजतन, आंध्र प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें पीड़ित के लिए एक लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई। पुलिस महानिदेशक को विभागीय कार्यवाही पर अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया गया। संस्तुति की पुष्टि होने पर, यह पाया गया कि पीड़ित पर उसके परिवार के सामने हमला किया गया था, जिसके कारण आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और विभागीय कार्रवाई की गई। आयोग ने मुआवजे के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका पीड़ित को भुगतान किया गया तथा दोषी पुलिसकर्मियों को निंदा (सेंसर) सजा दी गई। नतीजतन, आयोग द्वारा केस बंद कर दिया गया।

26. नाबालिग नेपाली लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद आरोपी पुलिसकर्मी सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और पीड़ित परिवार को मुआवजे की संस्तुति की गई

(केस संख्या 4421.4.8.2021)

आयोग को सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेपाल से एक घटना के संबंध में एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें एक नाबालिग नेपाली लड़की, उम्र 12 वर्ष, के साथ 21 जनवरी 2020 को पूर्वी चंपारण, बिहार के कुंडवा चैनपुर बाजार में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। आगे बताया गया है कि घटना के बाद, घर के मालिक और उसके समर्थकों ने लड़की के माता-पिता को बंधक बना लिया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। आयोग ने केस की जांच की, जहां यह पता चला कि एसएचओ कुंडवा चैनपुर साक्ष्य छिपाने में शामिल पाया गया था। आयोग ने राज्य को दोषी पुलिस अधिकारी के कृत्य के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया और मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आयोग को मृतक लड़की के परिजन को दो लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, चूंकि एसएचओ हत्या के साक्ष्य छिपाने और अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहा, इसलिए राज्य को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच करने की आवश्यकता है। बिहार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया गया कि वे दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने तथा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दें।

आयोग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई में, राज्य से पुष्टि की गई कि 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और तत्कालीन प्रभारी, कुंडवा चैनपुर थाना प्रभारी के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया था, जो सबूतों को नष्ट करने और छिपाने में शामिल पाया गया था। उक्त आरोपी पुलिसकर्मी के साथ 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और आयोग द्वारा अनुशंसित आर्थिक सहायता मृतका के परिजनों को दी गई। पीड़ित मुआवजा योजना के तहत आर्थिक सहायता न्यायालय के समक्ष लंबित है। उपरोक्त घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, केस को बंद कर दिया गया।

27. पुलिस द्वारा पीड़ित का अपहरण कर उसे प्रताड़ित किया गया; मुआवजा दिलाया गया।

(केस संख्या 4406.18.5.2022)

शिकायत में एक घटना का विवरण दिया गया था, जहां सुमंत साहू को कथित तौर पर रायकिया में उनके घर से अपहरण कर लिया गया था और गोपालपुर पुलिस स्टेशन में गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिनका एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। त्वरित कार्रवाई की गई और संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य प्राधिकारियों ने केस की रिपोर्ट दी। जांच में पाया गया कि सुमंत साहू और उनकी पत्नी को उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया था। जांच में यातना के आरोपों की पुष्टि हुई और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर श्रीकांत खमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आयोग ने राज्य को पीड़ितों को 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजा देने का निर्देश दिया और डीजीपी ओडिशा को इंस्पेक्टर खमारी के खिलाफ जांच करने और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राज्य ने मुआवजा भुगतान और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की पुष्टि की। आयोग ने डीजीपी से खमारी के खिलाफ आपराधिक और विभागीय दोनों कार्यवाही में तेजी लाने का आग्रह किया। नतीजतन, आयोग ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, केस को बंद कर दिया।

28. आयोग ने पुलिस की लापरवाही को संबोधित किया और उस पीड़िता को मुआवजा दिलाया, जिस पर बलात्कार का प्रयास किया गया था।

(केस संख्या 26150.24.48.2020)

शिकायत में एक घटना का विवरण दिया गया है जिसमें आरोपी ने 11 वर्षीय लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। पीड़िता द्वारा पुलिस को घटना के बारे में बताने के बावजूद, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। आरोपी ने अपने पिता के साथ मिलकर पुलिस सहित प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधों का बखान किया और पीड़िता के परिवार को धमकाया। आयोग के हस्तक्षेप के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई और अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लापरवाह पुलिस अधिकारी को दोषी पाया गया और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। आयोग ने एफआईआर के बिलंब से पंजीकरण के कारण पीड़िता और उसके परिवार द्वारा झेली गई मानसिक पीड़ा को स्वीकार किया और लापरवाही के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव को पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। मुआवजे के भुगतान की पुष्टि होने और अदालत में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, आयोग ने केस बंद कर दिया।

29. आयोग ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न केस में पुलिस की निष्क्रियता के कारण मानव अधिकार मुद्दों पर पुलिस को प्रशिक्षण देने की सलाह दी।

(केस संख्या 32469.24.4.2022)

आयोग को पीड़ित की मां की ओर से शिकायत मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उसके नाबालिग बेटे के साथ यौन उत्पीड़न के केस में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के बाद आखिरकार आरोप दायर किए। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें देरी के कारण पीड़ित को 1 लाख रुपये का मुआवज़े के भुगतान के लिए कहा गया। पुलिस ने जवाब में देरी की बात स्वीकार की, लेकिन तर्क दिया कि इसके लिए मुआवजा देना उचित नहीं है। आयोग ने उच्चतम न्यायालय के उस उदाहरण पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि संज्ञेय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, और एफआईआर दर्ज करने में देरी से जांच में बाधा आ सकती है और

पीड़ितों को और नुकसान हो सकता है। पुलिस के आचरण की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने मुआवजे की संस्तुति वापस ले ली, लेकिन मानव अधिकार मुद्दों पर पुलिस को प्रशिक्षण देने की सलाह दी। इन निर्देशों के साथ केस बंद कर दिया गया, जिसका उद्देश्य मानव अधिकार उल्लंघनों के प्रति पुलिस की जवाबदेही में सुधार करना और भविष्य में इसी तरह के केसों को उचित तरीके से संभालना सुनिश्चित करना है।

30. महिला के साथ मारपीट व नशीले पदार्थ की तस्करी से जुड़े केस में पुलिस की लापरवाही पर आयोग ने नोटिस जारी कर मुआवजा देने की संस्तुति की

(केस संख्या 1379.19.21.2022)

शिकायत में मारपीट, महिलाओं की पवित्रता भंग करने और शिकायतकर्ता के घर के पास आरोपी द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप शामिल थे। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट और पुलिस द्वारा कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। पुलिस रिपोर्ट में घटना के बारे में महत्वपूर्ण विवरण जैसे कि पीड़ितों को लगी चोटों की संख्या और शिकायत की प्रकृति का उल्लेख नहीं था। एफआईआर दर्ज न करने से कानूनी दायित्वों का उल्लंघन हुआ, जैसा कि ललिता कुमारी के फैसले में जोर दिया गया था, जिससे साक्ष्य नष्ट किए जाते हैं और न्याय प्रणाली में पीड़ित का विश्वास कम हो जाता। आयोग ने घटना की जानकारी होने के बावजूद कानूनी कार्यवाही शुरू करने में पुलिस की विफलता को उजागर करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। ऐसा लगता है कि शिकायतकर्ता द्वारा कार्रवाई न करने का बहाना पुलिस की निष्क्रियता के मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट में केस को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता की अनिच्छा को दोहराया गया, लेकिन आयोग ने पुलिस की लापरवाही पर अपना रुख बनाए रखा। पुलिस द्वारा हुई चूक की पुष्टि और पंजाब सरकार की जिम्मेदारी को देखते हुए, आयोग ने शिकायतकर्ता को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अंतरिम राहत के तौर पर 50,000 रुपए दिए गए। सरकार को छह सप्ताह के भीतर भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। प्रमाण मिलने के बाद आयोग ने केस को बंद कर दिया।

31. आयोग ने उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और बलात्कार के आरोप वाली शिकायत में पुलिस की निष्क्रियता के कारण मुआवज़े की सिफ़ारिश की।

(केस संख्या 5784.24.7.2023-डबल्यूसी)

इस केस में एक महिला ने उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन शोषण और बलात्कार के साथ-साथ पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के बदायूं के एसएसपी से रिपोर्ट मांगी और शिकायतकर्ता से उसके पिता की बीमारी के कारण आवेदन को संभल स्थानांतरित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ। इसके बावजूद, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मानव अधिकार उल्लंघन को रोकने में विफल रहने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बदायूं, शाहजहांपुर और संभल जैसे विभिन्न पुलिस जिलों से बाद की रिपोर्टों ने उनके बीच दोषारोपण के स्वरूप को उजागर किया। आयोग ने इस व्यवहार की आलोचना की और उनकी कार्रवाइयों में विसंगतियों को इंगित किया, जैसे कि शिकायत दर्ज करने में विफलता और निपटान को अनुचित तरीके से संभालना। मुआवजे की संस्तुतियों के बावजूद, फंड नियमों में विरोधाभासों के कारण भुगतान से इनकार कर दिया गया। आयोग ने बलात्कार के केसों में पुलिस की देरी की गंभीरता पर जोर दिया और राज्य सरकार को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को महिला को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने और भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालाँकि, नवीनतम कार्यवाही के अनुसार, अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के प्रमाण की अभी भी प्रतीक्षा है।

32. आयोग ने पुलिस उत्पीड़न के कारण पीड़ित की आत्महत्या की शिकायत में मुआवज़ा देने की सिफ़ारिश की।

(केस संख्या 2517.24.43.2022)

आयोग को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राजहंस बंसल से एक शिकायत मिली, जिसमें चोरी की घटना और उसके बाद पुलिस द्वारा उत्पीड़न की बात कही गई थी। पुलिस अत्याचारों के कारण पीड़ित ने आत्महत्या कर ली। पुलिस रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी

का विस्तृत विवरण दिया गया। एफआईआर दर्ज करने में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पीड़ित के रिश्तेदार को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब में, सरकार ने केस दर्ज करने में देरी के लिए दो पुलिस अधिकारियों के अपराध को स्वीकार किया और मुआवजे की संस्तुति की। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को अरुण कुमार के रिश्तेदार को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने और भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालांकि, नवीनतम कार्यवाही के अनुसार प्रतीक्षित अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य लंबित हैं।

33. स्थानीय पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार के बाद मानव अधिकार संरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु।

(केस संख्या 944.10.15.2021)

आयोग को श्री हेनरी टिफागने, एक मानव अधिकार संरक्षक से एक शिकायत मिली, जिसमें उन्होंने मैसूर में एक अन्य मानव अधिकार संरक्षक की स्थानीय पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बारे में बताया। आयोग ने कार्रवाई रिपोर्ट मांगी, जिसके संबंध में मैसूर, कर्नाटक के एसपी से जवाब मिला। बताया गया कि इस केस में पी. लोकेश, सब इंस्पेक्टर और तीन अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और अदालत में आरोप-पत्र दायर किया गया था।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और पाया कि आरोपी पुलिसकर्मी पी. लोकेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना और उसे निलंबित करना प्रथम दृष्टया इस आरोप की पुष्टि करता है कि पीड़िता के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। इसलिए, आयोग ने कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया और उन्हें कारण बताने का निर्देश दिया कि आयोग को मृतका के रिश्तेदार को 5 लाख रुपये का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जिसके मानव अधिकारों का उल्लंघन पुलिस कर्मी द्वारा किया गया था, जो एक लोक सेवक है। जवाब में, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बैंगलोर से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि आरोपी पुलिस अधिकारी श्री पी. लोकेश के खिलाफ कथित कृत्य पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत कृत्य है और इस तरह वे पीड़िता के रिश्तेदार को मुआवजा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इसके अलावा, आरोपी पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए कथित कृत्यों और उस समय उनके द्वारा संभाले गए पद के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था।

यह कृत्य कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 26 के प्रावधानों का उल्लंघन था, जो कर्नाटक राज्य में पुलिस बल के विनियमन, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और अन्य केसों के लिए कानून है। इसलिए, आयोग ने राज्य के निवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और कहा कि राज्य इस केस में स्वयं को दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप, आयोग ने कर्नाटक सरकार को मृतका के रिश्तेदार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (जी & एचआर), बैंगलोर, कर्नाटक के कार्यालय ने बताया कि आयोग के निर्देश का पालन किया गया था और मृतका की मां को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। चूंकि आयोग के निर्देशों का पालन किया गया था, इसलिए केस बंद कर दिया गया।

34. वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों द्वारा क्रूर हमला और हत्या।

(केस संख्या 1510.22.31.2021)

इस केस में, आयोग को दक्षिण पश्चिम दिल्ली निवासी के. वी. विजयकुमार से दिनांक 28 जून 2021 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि तमिलनाडु के सेलम जिले के एडापट्टी निवासी पीड़ित श्री मुरुगेसन पर 22 जून 2021 को वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों ने बेरहमी से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। उन्हें चेक पोस्ट पर पुलिस अधिकारी ने रोका और लाठियों से पीटा। उनके सिर में चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई। उपरोक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने दिनांक 29 जून 2021 के आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक, सेलम, तमिलनाडु से एक रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देश के अनुसरण में, पुलिस अधीक्षक, सेलम, तमिलनाडु से दिनांक 28 अप्रैल 2022 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि आरोपी पुलिस एसएसआई पेरियासामी को श्री वेल्लैयान मुरुगेसन की हत्या के लिए दोषी पाया गया था। आयोग ने 11 अप्रैल 2023 के अपने आदेश के माध्यम से मृतक के परिजन को पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 18ए (i) के तहत 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की। जवाब में, तमिलनाडु सरकार के सार्वजनिक (कानून और व्यवस्था-ए) विभाग के विशेष सचिव ने 23 मई 2023 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि मृतक की

पत्नी को जिला कलेक्टर, सलेम के माध्यम से 10,00,000/- रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। भुगतान के साक्ष्य के रूप में रसीद संलग्न की गई और केस बंद कर दिया गया।

35. पीड़ित को वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी का शिकार करने और उसके दांत निकालने के आरोप में पकड़ा था। बाद में वह वन विभाग की हिरासत में मृत पाया गया।

(केस संख्या 492.18.3.2023)

इस केस में, आयोग को श्री राधाकांत त्रिपाठी, एडवोकेट से दिनांक 6 फरवरी 2023 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया कि पीड़ित को वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी का शिकार करने और उसके दांत निकालने के आरोप में उठाया था। बाद में वह वन विभाग की हिरासत में मृत पाया गया। ग्रामीणों और पीड़ित के परिवारवालों ने आरोप लगाया कि वन अधिकारियों ने उसे काटकर मार डाला। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग ने दिनांक 9 फरवरी 2023 के अपने आदेश के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भुवनेश्वर, ओडिशा से रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ओडिशा से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि वर्तमान केस में बडम्बा पीएस केस संख्या 25.2023 दिनांक 6 फरवरी 2023 के तहत आईपीसी की धारा 302.323.341.342.354.365.294.34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25.27 और एससी.एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3(1) (आर)(एस)(डब्ल्यू), 3(2)(वी)(वीए) के तहत छह वन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर 6 मई 2023 को अदालत में पेश किया गया, तब से वे जेल की हिरासत में थे, उन्हें 8 फरवरी 2023 से निलंबित कर दिया गया था।

आयोग ने 24 मई 2023 के अपने आदेश के तहत पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 18(1) (ए) के तहत 7 लाख रुपये के मुआवजे की संस्तुति की। तदनुसार, ओडिशा सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की ओर से लापरवाही के लिए मृतक के रिश्तेदार को 7 लाख रुपये की आर्थिक राहत देने का निर्देश दिया गया। जवाब में, पुलिस अधीक्षक, एचआरपीसी, ओडिशा ने 20 अक्टूबर 2023 के अपने पत्र के माध्यम से मृतक के रिश्तेदार को किए गए ई-भुगतान चालान के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य मिलने पर, केस बंद कर दिया गया।

36. धर्मेंद्र गिरवाल (उम्र लगभग 20 वर्ष) नामक आदिवासी युवक को कथित तौर पर शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में प्रताड़ित किया गया।

(केस संख्या 1763.12.15.2022)

इस केस में, इंडिजिनस लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएलएआई) ने मध्य प्रदेश के धार जिले के नालछा पुलिस स्टेशन में रोहित कछावा नामक नशे में धुत पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर धर्मेंद्र गिरवाल (लगभग 20 वर्ष) नामक आदिवासी युवक को हिरासत में प्रताड़ित करने के खिलाफ आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। पीड़ित को 50,000/- रुपये की रिश्वत न देने पर गिरफ्तार कर लिया गया और प्रताड़ित किया गया। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और जिला मजिस्ट्रेट, धार, मध्य प्रदेश और पुलिस अधीक्षक, धार, मध्य प्रदेश से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की।

आयोग के निर्देशों के जवाब में डीएम, धार, मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें एसपी, धार, मध्य प्रदेश की जांच रिपोर्ट संलग्न थी। रिपोर्ट से पता चला कि पुलिस उप निरीक्षक विक्रम सिंह देवड़ा और प्रभारी अधिकारी, नालछा, निरीक्षक रोहित कछावा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। दोनों दोषी पुलिस अधिकारी अपने जवाबों में यह बताने में भी विफल रहे कि किसने चोट पहुंचाई और किसके द्वारा पीड़ित को चोट पहुंचाई गई, उन्हें अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाह पाया गया और तदनुसार उन्हें दंडित किया गया। उन्हें मामूली सजा देकर उनकी एक साल की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। चूंकि विभागीय जांच में दोनों पुलिस अधिकारियों को उनके पदीय उत्तरदायित्व के प्रति की गई लापरवाही के लिए दोषी पाया गया, इसलिए राज्य लोक सेवक द्वारा पीड़ित धर्मेंद्र गिरवाल के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आयोग द्वारा राज्य को सरकारी कर्मचारियों की ओर से की गई लापरवाही के लिए पीड़ित को 25,000/- रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति क्यों नहीं की जानी चाहिए। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए आयोग ने पीड़ित को 25,000/- रुपये का भुगतान करने की संस्तुति की। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई और केस बंद कर दिया गया है।

37. पीड़ित को आईपीसी की धारा 279, 304ए, के तहत कथित अपराध में न्यायिक हिरासत में एक अस्थायी जेल में क्वारंटीन में भेजा गया, जहाँ जेल वार्डन ने उससे आम शौचालय साफ करवाया और जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया, तो दो जेल कर्मचारियों ने उसे बुरी तरह पीटा।

(केस संख्या 22453.24.71.2021)

केस में, श्री विनय कुमार पाठक (एडवोकेट) ने आरोप लगाया कि पीड़ित को आईपीसी की धारा 279, 304ए के तहत कथित अपराध में न्यायिक हिरासत में एक अस्थायी जेल में क्वारंटीन में भेजा गया था, जहां जेल वार्डन ने उससे सामान्य शौचालय साफ कराया और जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया, तो उसे दो जेल कर्मचारियों ने बुरी तरह पीटा। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और महानिदेशक (कारागार), उत्तर प्रदेश से एक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देशों के जवाब में, उप महानिरीक्षक मुख्यालय कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि वर्तमान केस में, एक जांच की गई और जांच पूरी होने के बाद, दो जेल कर्मियों श्री राम नरेश भार्गव (प्रधान जेल वार्डर) और श्री पृथ्वीराज यादव (जेल वार्डर) को इस घटना में दोषी पाया गया।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि विभागीय जांच के दौरान इस घटना में दो जेल कर्मियों को दोषी पाया गया है। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि आयोग द्वारा राज्य को सरकारी कर्मचारियों की ओर से मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए पीड़ित को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग के उपरोक्त निर्देशों के जवाब में, अधीक्षक, जिला जेल उन्नाव, यूपी से एक जवाब प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि मृतक कैदी ज्ञानू शुक्ला जेल में अनुशासनहीन था, और कहा कि उसके व्यवहार से अक्सर अन्य कैदी असहज हो जाते थे। जब उन्होंने इस संबंध में ड्यूटी पर मौजूद जेल वार्डनों से शिकायत की, तो आरोप लगाया गया कि जेल वार्डनों द्वारा उसे नियंत्रित करने और प्रशासन के रख-रखाव को बनाए रखने के लिए उस पर हल्का बल प्रयोग किया गया। मृतक कैदी 5 अप्रैल 2021 से 7 अप्रैल 2021 तक जेल में रहा और इस अवधि के दौरान उसने अपने खिलाफ हुए किसी भी हमले के बारे में शिकायत नहीं की। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह संभव है कि जेल वार्डन के साथ हुई झड़प का बदला लेने के लिए मृतक ने जेल की छवि को धूमिल करने के लिए अपने शरीर पर निशान बनाए हों। इसलिए, इस केस में 7.5 लाख रुपये की मुआवजा राशि देना उचित नहीं लगता। आयोग ने कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार किया और मुआवजे की संस्तुति की पुष्टि की। अभी तक उक्त आदेश की कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। संबंधित प्राधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ केस बंद कर दिया गया।

38. पालघर, महाराष्ट्र में पुलिस उत्पीड़न, निष्क्रियता और मिलीभगत के कारण आत्महत्या को बढ़ावा मिला।

(केस संख्या 902.13.37.2020)

आयोग को 26 जुलाई 2020 को एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि मृतक आशुतोष सिंह को उसके चार व्यापारिक साझेदारों द्वारा परेशान, ब्लैकमेल और प्रताड़ित किया गया था। इसके अलावा, यह दावा किया गया कि महाराष्ट्र के पालघर की पुलिस केस की निष्पक्ष जांच करने में विफल रही। बाद में, आशुतोष की बहन ने बताया कि उनके परिवार को आशुतोष की आत्महत्या के लिए न्याय मांगने पर, कथित तौर पर आरोपियों के साथ मिलीभगत करके पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और झूठे आरोप का सामना करना पड़ा। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। रिपोर्ट की समीक्षा करने पर, यह पता चला कि एक सहायक पुलिस आयुक्त ने अदालत को गुमराह किया, जिसके परिणामस्वरूप आशुतोष की बहन और भाई-बहनों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों पर आरोपियों के साथ मिलीभगत करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और परिवार को और अधिक परेशान करने और झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था। जवाब में, आयोग ने महाराष्ट्र सरकार के गृह सचिव को आरोपों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए सीबी-सीआईडी द्वारा जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को आशुतोष के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सीबी-सीआईडी जांच के नतीजे आने तक पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह के उत्पीड़न को रोकने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, महाराष्ट्र के विरार पुलिस के जोन-II, वसई के पुलिस उपायुक्त द्वारा एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें परिवार की सुरक्षा के लिए

किए गए उपायों का विवरण दिया गया। इसके अलावा, एडीजीपी (पीसीआर), एमएस मुंबई के एक ईमेल में शिकायतकर्ता के आरोपों पर राज्य सीआईडी, महाराष्ट्र की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों के आचरण में कई खामियों और विसंगतियों को उजागर किया गया।

आयोग ने पुलिस अधिकारियों द्वारा गंभीर चूक देखी, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, आयोग ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया, जिसमें प्रत्येक पीड़ित, संदीप सिंह और किरण मनोज सिंह को 50,000/- रुपये के मुआवजे के भुगतान की संस्तुति न करने का औचित्य पूछा गया, जिनके मानव अधिकारों का उल्लंघन पुलिस कर्मियों के उदासीन व्यवहार के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को सीबी-सीआईडी द्वारा अनुशंसित दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। मुआवजे की पुष्टि होने पर, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को पीड़ितों को भुगतान और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के परिणाम पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जबकि मुआवजे पर अनुपालन की रिपोर्ट की गई थी, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का परिणाम लंबित था। महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को जल्द से जल्द यह जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इन निर्देशों के साथ, 21 अगस्त 2023 को केस बंद कर दिया गया।

39. अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मानव अधिकार संरक्षक और चकमा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस उत्पीड़न और झूठा मुकदमा

(केस संख्या 58.2.4.2023)

आयोग को राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) के सुहास चकमा से एक शिकायत मिली, जिसमें उन्होंने चकमा अधिकार कार्यकर्ताओं श्री रूप सिंह चकमा और श्री संतोष बाबूराह चकमा के खिलाफ कथित झूठे मुकदमे के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि श्री रूप सिंह चकमा और श्री संतोष बाबूराह चकमा, जो पिछले दो वर्षों से नोएडा में रह रहे हैं, को दियून पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर द्वारा 28 सितम्बर 2023 को उनके बिजयपुर गांव के पते पर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस भेजा गया था, जो दियून पुलिस स्टेशन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(डी) के साथ आईपीसी की धारा 153(ए), 501(बी), 500.34 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 05.2023 के संबंध में था। उन्हें 3 अक्टूबर 2023 को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया तथा उचित कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया। शिकायत 30 सितम्बर 2023 को चांगलांग के पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाई गई। उन्हें आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 78 के प्रावधानों के बारे में भी बताया गया तथा बताया गया कि केस की जांच इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए।

अधीक्षक, चांगलांग ने बताया कि एफआईआर संख्या 5.23, आईपीसी की धारा 153(ए), 505(1)(बी), 500.34 के साथ पठित आईटी अधिनियम के धारा 66डी के तहत पीएस दियुन में श्री दृश्य मुनि चकमा, 33 वर्ष, पुत्र श्री चंद्र चकमा, निवासी अवोईपुर गांव, पीओ/पीएस - दियुन, जिला चांगलांग (एपी) की व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत पर पंजीकृत की गई थी। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 78 के प्रावधानों की अनदेखी की गई थी और वे उपचारात्मक कार्रवाई करने के बाद वापस रिपोर्ट करेंगे। पुलिस अधीक्षक, चांगलांग ने शिकायतकर्ता का विवरण प्रस्तुत किया और 3 अक्टूबर 2023 को स्थिति रिपोर्ट पेश की। यह बताया गया कि आईटी अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर केस क्राइम नंबर 5.23 को इंस्पेक्टर एन. रंगो को जांच के लिए फिर से सौंप दिया गया था। आगे बताया गया कि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर लिया गया है तथा अरुणाचल प्रदेश से बाहर रहने वाले आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी कर दिया गया है।

शिकायतकर्ता ने केस में अपनी आगे की टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। उन्होंने कहा कि पुलिस को यह बताने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि एफआईआर संख्या 5.23 में क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं दायर की जानी चाहिए, इस तथ्य के मद्देनजर कि दर्ज की गई शिकायत के आधार पर अपराध नहीं बनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चकमा, मानव अधिकार संरक्षक युवा छात्र और युवा नेता हैं, और झूठे मुकदमे से उनके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सशर्त समन जारी करने के बाद, चांगलांग के पुलिस अधीक्षक ने 5 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट भेजी। बताया गया कि केस को 29 फरवरी 2024 को दीयून पीएस एफआर नंबर 01.24 के माध्यम से अंतिम रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और केस को इस निर्देश के साथ बंद कर दिया गया कि पीड़ित व्यक्ति अदालत के समक्ष सवाल उठा सकता है।

गैरकानूनी गिरफ्तारी, अवैध हिरासत और यातना

40. नीलगिरी पुलिस अधिकारियों बालासोर, ओडिशा द्वारा यातना, गैरकानूनी हिरासत और झूंठे मुकदमें में फंसाना

(केस संख्या 937.18.1.2022)

आयोग को 7 अप्रैल 2022 को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ पत्रकार श्री लोकनाथ दलेई को नीलगिरी पुलिस अधिकारियों, जिला-बालासोर, ओडिशा द्वारा एक झूठे केस में फंसाया गया है। आगे आरोप लगाया गया कि श्री दलेई को 6 अप्रैल 2022 को पुलिस द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और प्रताड़ित किया गया और जब उनकी हालत बिगड़ गई, तो उन्हें बालासोर के जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां संबंधित मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना उनके पैरों को अस्पताल के बिस्तर से कथित तौर पर जंजीरों से बांध दिया गया था। आयोग के निर्देशों के जवाब में, संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक, बालासोर, ओडिशा की एक रिपोर्ट में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद, एक कांस्टेबल और एक सब-इंस्पेक्टर को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने और कथित मानव अधिकार उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया गया।

रिपोर्ट की समीक्षा करने पर, आयोग ने पुलिस अधिकारियों की ओर से चूक पाई गई, जिसके लिए उन्हें उनके विभाग द्वारा विधिवत दंडित किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। मुआवजे के लिए इसे उपयुक्त केस मानते हुए, आयोग ने मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18ए के तहत नोटिस जारी किया, जिसमें पीड़ित को 50,000 रुपये के मुआवजे की संस्तुति नहीं करने का औचित्य पूछा गया, जिनके मानव अधिकारों का उल्लंघन पुलिस कर्मियों के उदासीन व्यवहार के कारण हुआ था। इसके बाद, पुलिस अधीक्षक, एचआरपीसी, ओडिशा, कटक द्वारा एक पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, बालासोर, ओडिशा को पीड़ित को मुआवजे के भुगतान के साक्ष्य के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। निर्धारित समय के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब न मिलने पर, यह माना गया कि राज्य सरकार को मुआवजा देने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए, श्री लोकनाथ दलेई को 50,000/- का भुगतान किए जाने की पुष्टि की गई। निर्देशों के अनुसरण में, पुलिस अधीक्षक, जिला-बालासोर, ओडिशा ने श्री दलेई को 50,000/- रुपये के भुगतान के साक्ष्य के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य अधिकारियों द्वारा आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के बाद, 22 नवम्बर 2023 को केस बंद कर दिया गया।

स्वास्थ्य का अधिकार

41. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता की पत्नी की कथित मौत।

(केस संख्या 16187.24.3.2021)

यह शिकायत चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों के बारे में है, जिसके कारण 5 अप्रैल 2021 को जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की हरकतों के कारण शिकायतकर्ता की पत्नी की मौत हो गई। आयोग ने 28 जून 2021 को केस का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की रिपोर्ट की समीक्षा करने पर, आयोग को अतरौली के स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्सों की ओर से लापरवाही के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले। नतीजतन, इन नर्सों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं और भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के तहत आरोप पत्र दायर किए गए।

आयोग ने इस केस को लोक सेवकों की लापरवाही के कारण मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट उदाहरण माना। इसलिए, आयोग ने अपनी रजिस्ट्री को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि मृतका के परिजनों को 5,00,000/- रुपये का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। राज्य के इस तर्क के बावजूद कि चिकित्सा दल की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी, आयोग ने मुआवजे की संस्तुति को बरकरार रखा। आयोग ने नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज होने पर जोर दिया और सीएमओ, अलीगढ़ द्वारा उनकी बर्खास्तगी को लापरवाही का साक्ष्य माना, जिससे मृतक पीड़िता के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को मृतक के परिजनों को अनुशंसित

मुआवजे के भुगतान के संबंध में चार सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ने पीड़िता के पति को 5,00,000/- रुपये के भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य सरकार द्वारा संस्तुति का विधिवत अनुपालन किए जाने के बाद, 21 जुलाई 2023 को केस बंद कर दिया गया।

42. एससीएनयू यूनिट, मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण चार नवजात शिशुओं की कथित मौत।

(केस संख्या 862.33.16.2022)

आयोग को 5 दिसम्बर 2022 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अंबिकापुर स्थित मेडिकल कॉलेज की एससीएनयू इकाई में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण चार नवजात शिशुओं की मौत का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने उच्च स्तरीय जांच, लापरवाह लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और अन्य आवश्यक उपायों के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की थी। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अवर सचिव की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शिशुओं की मौत आईसीयू में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण नहीं हुई थी, क्योंकि बिजली कटौती के दौरान वेंटिलेटर चालू थे। इसके बजाय, मौतों को चिकित्सा कारणों से जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अलावा, बाल चिकित्सा विभाग के प्रमुख के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, एक वरिष्ठ रेजिडेंट बाल रोग विशेषज्ञ को बर्खास्त कर दिया गया था, और खराब जनरेटर सेट की मरम्मत की गई थी। यह भी पता चला कि जांच करने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक तीसरे पक्ष को नियुक्त किया गया था।

रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने अस्पताल प्रशासन की ओर से स्वीकार की गई चूक और लापरवाह व्यक्तियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को स्वीकार किया। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य चार नवजात शिशुओं की मौत के लिए उत्तरदायी है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के बावजूद, आयोग ने जीवन की हानि के कारण मुआवजा प्रदान करने के लिए केस को उपयुक्त माना। तदनुसार, आयोग ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार को पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18क के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें यह बताने का निर्देश दिया गया कि चार मृतक पीड़ितों के परिजनों, प्रत्येक को 40,000/- रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति क्यों नहीं की जानी चाहिए। आयोग के निर्देश के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अनुशंसित मुआवजे के भुगतान के प्रमाण के साथ एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने और उसकी समीक्षा करने के बाद, आयोग ने 25 जनवरी 2024 को केस बंद कर दिया।

43. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में एक सप्ताह के भीतर पांच मरीजों की कथित मौत।

(केस संख्या 16738.24.72.2022)

आयोग को 25 जून 2022 को एक मानव अधिकार संरक्षक से एक शिकायत मिली थी, जिसमें राज्य के अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मानसिक अस्पताल में एक सप्ताह के भीतर पांच रोगियों की मौत का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, शिकायत में 9-10 जून 2022 को दो कैदियों की मौत का भी उल्लेख किया गया था, जो उसी मानसिक अस्पताल में उपचाराधीन थे। केस पर विचार करने के बाद, आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को गंभीर माना था, जिसमें राज्य अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण मानसिक अस्पतालों में रोगियों की मौत और उनकी दुर्दशा शामिल थी। इस केस को मृतक और जीवित मानसिक रोगियों दोनों को प्रभावित करने वाले मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा गया था। आयोग के निर्देशों के जवाब में, एडीएम, वाराणसी की एक रिपोर्ट और डीएम, वाराणसी की एक जांच समिति की रिपोर्ट, दिनांक 30 जून 2022 को प्रस्तुत की गई थी। इन रिपोर्टों की समीक्षा करने पर पता चला कि मृतक रोगियों में कई अंतर्निहित चिकित्सा जटिलताएं थी, जैसे उच्च रक्त शर्करा, गुर्दे की समस्याएँ, कम हीमोग्लोबिन स्तर, अत्याधिक निम्न रक्त चाप, गिनती स्तर या पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएँ। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट में बताया गया था कि मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों और वार्डन के लिए रोस्टर-वार ड्यूटी शेड्यूल, समय पर रोगी की जाँच और नैदानिक प्रयोगशालाओं तक पहुँच शामिल है। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

और मानसिक अस्पताल में रोगियों की रहने की स्थिति और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखते हुए, आयोग ने केस में हस्तक्षेप की कोई और आवश्यकता नहीं समझी। नतीजतन, 24 जुलाई 2023 को केस बंद कर दिया गया।

44. मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस), दिल्ली में मानसिक रूप से दिव्यांग मरीज कांति की मृत्यु।

(केस संख्या 3217.30.3.2020)

आयोग को 13 जुलाई 2020 को मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस), दिल्ली के उप चिकित्सा अधीक्षक से 16 मार्च 2020 को कांति नामक एक मरीज की मृत्यु के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई। यह सूचना प्राप्त होने पर, आयोग ने केस का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), सतर्कता दिल्ली की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि आईएचबीएएस के संपूर्ण रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर पाया गया कि मृतक कांति का मई 1989 से उपचार चल रहा था। उपचार के बाद, उसे निर्मल छाया में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन 1997 में उसे फिर से आईएचबीएएस में भर्ती कराया गया। बाद में, अदालत के आदेश से, उसे मार्च 2017 में सक्षम में स्थानांतरित कर दिया गया। 16 मार्च 2020 को, रोगी में चिड़चिड़ेपन के लक्षण प्रदर्शित हुए और उसने भोजन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और शाम 5:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। यह पता चला कि रोगी मध्यम मानसिक मंदता और व्यवहार संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी। उसके परिवार के सदस्यों का पता लगाने के प्रयासों के बावजूद, कोई जानकारी नहीं मिली। अत: केस 7 जून 2023 को बंद कर दिया गया।

45. बिहार के मुजफ्फरपुर नेत्र अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी के दौरान छह मरीजों की आंखें निकाली गईं

(केस संख्या 4956.4.23.2021)

आयोग को 1 दिसम्बर 2021 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट मिली, जिसमें खुलासा किया गया था कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, मुजफ्फरपुर नेत्र अस्पताल में किए गए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान, डॉक्टरों ने एसकेएमसीएच अस्पताल में छह मरीजों की संक्रमित आंखें निकाल दी। न्यूज रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि संभवतः ऐसे और भी केस हो सकते हैं और डॉक्टरों को लगभग एक दर्जन से अधिक मरीजों की आंखें निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। ज्यादातर मामलों में, मरीजों का कॉर्निया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, और संभावना थी कि संक्रमण उनके दिमाग तक पहुंच सकता था, जिससे छह मरीजों की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। आयोग ने केस का स्वतः संज्ञान लिया और दिसम्बर 2021 को बिहार सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया, जिसमें इस केस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें दृष्टि खोने वाले रोगियों की सही संख्या, उन्हें प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार की स्थिति और राज्य सरकार द्वारा दी गई राहत के बारे में विवरण, जिम्मेदार अधिकारियों/डॉक्टरों के खिलाफ की गई कार्रवाई भी शामिल होनी चाहिए। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, विशेष सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 29 सितम्बर 2022 के पत्र के माध्यम से विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पटना, बिहार द्वारा विधिवत अग्रेषित रिपोर्ट को प्रेषित किया।

आयोग ने रिपोर्ट का अवलोकन किया और निष्कर्ष निकाला कि 22 नवम्बर 2021 को कुल 65 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था। इनमें से 36 मरीज ऑपरेशन के बाद संक्रमित हो गए और उनमें से 19 मरीजों की संक्रमित आंख निकाल दी गई। इन 19 पीड़ितों में से प्रत्येक को मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार से एक लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा दिया गया। भुगतान का प्रमाण भी संलग्न किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि केस की जांच ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। आयोग ने पाया कि दृष्टि खोने से न केवल व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है, बल्कि पीड़ित को भारी तनाव और मानसिक पीड़ा भी होती है। इसके अलावा, पीड़ितों को दी गई एक-एक लाख रुपये की राशि अपर्याप्त थी। आयोग ने 27 मार्च 2023 की कार्यवाही के माध्यम से मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सभी पीड़ितों को मौद्रिक मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये के अतिरिक्त दो लाख रुपये का भुगतान करने और भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर, आयोग ने 26 दिसम्बर 2023 की कार्यवाही के माध्यम से एक बार फिर

बिहार सरकार के मुख्य सचिव को अपने निर्देश का पालन करने और 1 लाख रुपये के अतिरिक्त दो लाख रुपये का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया। सभी पीड़ितों को एक-एक लाख रुपए का मुआवज़ा दिया गया।

46. पौष्टिक औषधीय कंपनियों द्वारा खाद्य पूरकों के स्थान पर नकली दवाओं के उत्पादन के केस में आयोग का हस्तक्षेप।

(केस संख्या 77.8.0.2023)

आयोग ने दैनिक जागरण में 30 मई 2023 को प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सोलन के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में पौष्टिक औषधीय कंपनियों द्वारा अपने लाइसेंस का दुरुपयोग करके नकली दवा उत्पादन के प्रसार पर प्रकाश डाला गया था। रिपोर्ट में देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ऐसी अवैध गतिविधियों से उत्पन्न खतरों को रेखांकित किया गया था। न्यूज रिपोर्ट की सामग्री पर विचार करने के बाद, आयोग ने 1 जून 2023 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, एफ़एसएसएआई के अध्यक्ष और भारत के औषधि महानियंत्रक को नोटिस जारी किए। नोटिस में हिमाचल प्रदेश में पौष्टिक औषधीय कंपनियों द्वारा नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री से निपटने के लिए प्रासंगिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। जवाब में, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उप सचिव ने 5 जुलाई 2023 को राज्य खाद्य प्राधिकरण और सीडीएससीओ के समन्वय में एफएसएसएआई द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन कार्रवाइयों में कठोर निरीक्षण, नोटिस जारी करना और कानूनों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना शामिल था। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश के राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण (एसडीसीए) ने सीडीएससीओ के साथ संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट दी, जिसके परिणामस्वरूप गैर-अनुपालन इकाइयों में विनिर्माण बंद करने के आदेश दिए गए। रिपोर्ट में पौष्टिक औषधीय और दवा उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई और सीडीएससीओ के बीच समन्वय को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

इन रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने 26 दिसम्बर 2023 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग के सचिव को आगे की जानकारी देने का निर्देश दिया। विशेष रूप से, आयोग ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में गैर-अनुपालन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफ़बीओ) के खिलाफ निरीक्षण, एकत्र किए गए नमूनों, परिणामों और बाद की कार्रवाइयों पर एफ़एसएसएआई से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी; और दोषी एफ़बीओ के खिलाफ जांच और अभियोजन की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। आयोग इस केस की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।

47. झारखंड के दुमका में अस्पताल में एनेस्थीसिया सुविधा की कमी के कारण प्रसूति देखभाल में गर्भवती महिला की मौत पर आयोग का हस्तक्षेप

(केस संख्या 521.34.5.2020)

आयोग को 1 जून 2020 को कोडरमा, झारखंड के मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री ओंकार विश्वकर्मा से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें समाचारपत्र में प्रकाशित एक घटना के संबंध में बताया गया था, जहां एक पीड़िता को अस्पताल में एनेस्थीसिया की अनुपलब्धता के कारण प्रसूति देखभाल से वंचित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गर्भ में उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। आयोग ने 18 अगस्त 2020 को इस शिकायत का संज्ञान लिया और दुमका, झारखंड के उपायुक्त को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण आयोग ने झारखंड में एक शिविर बैठक के दौरान इस केस को संबोधित किया। दुमका, झारखंड के जिला कलेक्टर ने स्वीकार किया कि जिस अस्पताल में पीड़िता को भर्ती कराया गया था, वहां कोई एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध नहीं था। इसके बाद, आयोग ने अपनी 16 अगस्त, 2022 की कार्यवाही के तहत झारखण्ड सरकार को, जिसका प्रतिनिधित्व उनके मुख्य सचिव ने किया, पीड़िता को 2 लाख रुपये के मौद्रिक मुआवज़े का भुगतान करने और 2 माह के भीतर भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नतीजतन, मरीज को उचित उपचार और प्रबंधन के लिए बेहतर केंद्र में रेफर करना पड़ा। आयोग के निर्देशों के जवाब में झारखंड सरकार के गृह, जेल और आपदा विभाग के अवर सचिव ने 28 फरवरी 2023 को एक पत्र प्रस्तुत

किया, जिसमें 23 दिसम्बर 2022 के बैंक ड्राफ्ट संख्या 417819 के माध्यम से पीड़ित को दो लाख रुपये का भुगतान करने की पुष्टि की गई। पत्र के साथ भुगतान का प्रमाण भी संलग्न किया गया। यह स्वीकार करते हुए कि झारखंड सरकार ने आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया है और भुगतान का प्रमाण प्रदान किया है, आयोग ने 31 मई 2023 को केस बंद कर दिया।

48. गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा लापरवाही से हुई मौत के केस में आयोग ने कार्रवाई की।

(केस संख्या 19376.24.20.2022)

आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता की बहू गर्भवती थी, और गर्भावस्था के दौरान उसका जिला सरकारी अस्पताल चित्रकूट में चिकित्सकीय परीक्षण किया जा रहा था। 15 अप्रैल 2022 को पीड़िता को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन डॉ. रफीक अंसारी ने यह कहकर उसे घर भेज दिया कि अभी प्रसव में समय है। पीड़िता को रात करीब 9.30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसने सामान्य प्रसव में एक बच्ची को जन्म दिया। आरोप है कि किसी ड्यूटी डॉक्टर की अनुपस्थिति में नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्रसव कराया गया और स्टाफ नर्स ने लापरवाही से एक उपकरण का उपयोग किया, जिससे महिला की मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने मुकदमा संख्या 0140.2022 के माध्यम से पीएस थाना कोतवाली कर्वी में आईपीसी की धारा 304 के तहत शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस कथित रूप से आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। आयोग ने केस में संबंधित राज्य प्राधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी, जिसमें पता चला कि पीड़िता की मौत गर्भाशय के खिसकने के कारण हुई। पीड़िता के परिवार के सदस्यों और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा कई बार सूचित किए जाने के बावजूद, डॉक्टर उसका इलाज करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। जांच में पाया गया कि डॉ. राजेश खरे, सीएमएस सर्जन और डॉ. रफीक अंसारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती और पीड़िता की मौत के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई।

राज्य प्राधिकारी से प्राप्त एक अन्य रिपोर्ट से पता चला कि थाना कोतवाली कर्वी में, एफआईआर संख्या 140.2022 दिनांक 16 अप्रैल 2022 को आईपीसी की धारा 304 के तहत पंजीकृत की गई थी। पीएमआर रिपोर्ट ने पीड़िता की मृत्यु का अंतिम कारण "योनि प्रसव की जटिलता के रूप में गर्भाशय के उलटने के कारण आघात और रक्तस्राव" के रूप में पहचाना। यह भी पता चला कि डॉ. रफीक अंसारी और तत्कालीन सीएमएस डॉ. राजेश खरे को रोगी की देखभाल करने में विफल रहने के लिए लापरवाह पाया गया। परिणामस्वरूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा संख्या 140.22 थाना कोतवाली कर्वी में आरोप सिद्ध पाए गए और उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र संख्या 458.2023 दिनांक 22 सितम्बर 2023 दायर किया गया। आयोग ने संस्तुति की कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक पीड़िता के रिश्तेदार को 7 लाख रुपये का मुआवजा दे।

49. पूर्वी मुजफ्फरपुर के पोटारी गांव में टीकाकरण के कारण बच्चों की मौत के केस में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 1461.4.23.2017)

मानव अधिकार संरक्षक श्री आरएच बंसल ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि पोटारी गांव में बिहार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा टीका लगाए जाने के बाद दो बच्चों की मौत हो गई और नौ अन्य की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्थिति के बारे में सूचित किया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया। आयोग के निर्देश के अनुसार, मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने 30 जून 2020 को एक पत्राचार में सभी मृत बच्चों के उपचार रिकॉर्ड, प्रयोगशाला रिपोर्ट, टीकाकरण रिकॉर्ड, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पैथोलॉजी रिपोर्ट को अग्रेषित किया। एसडीपीओ, पूर्वी मुजफ्फरपुर की 27 जून 2020 की एक रिपोर्ट भी संलग्न की गई, जिसमें कहा गया कि तीनों अभिभावकों के बयान दर्ज किए गए हैं और वे रिपोर्ट का हिस्सा हैं। तथ्यों और परिस्थितियों की बारीकी से जांच करने के साथ-साथ आयोग के अन्वेषण प्रभाग द्वारा रिपोर्टों के विश्लेषण के बाद, यह देखा गया कि, हालांकि मृतक बच्चों को दिया गया टीका केंद्रीय प्रयोगशाला कसौली द्वारा अनुमोदित मानक गुणवत्ता का था, यह एक तथ्य है कि जेई और खसरा के लिए टीका लगाए गए सभी बच्चे एक ही दिन बीमार पड़ गए, और उनमें से तीन की मृत्यु एक ही कारण से हुई। आयोग ने इसे महज संयोग नहीं माना। एनएचआरसी पैनल के चिकित्सा विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि टीका-संबंधी जटिलताओं के परिणामस्वरूप बच्चों की मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

परिणामस्वरूप, आयोग ने संस्तुति की कि राज्य अपने मुख्य सचिव और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक बच्चों, राजा बाबू, सोनू और रोहित के परिजनों को तीन-तीन लाख रुपये का मुआवजा दे। राज्य के अधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन किया गया।

50. जीआईएम में मानसिक बीमारी से ग्रस्त मरीज के साथ बलात्कार के केस में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 332.10.11.2023-डब्ल्यूसी)

आयोग को एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जीआईएमएस) अस्पताल में एक मानसिक बीमारी से पीड़ित मरीज के साथ 36 वर्षीय व्यक्ति ने बलात्कार किया था। जीआईएमएस के निदेशक ने प्रस्तुत किया कि ब्रह्मपुर पीएस में आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर नंबर 60.2023 दर्ज की गई थी। एक तथ्य-खोज समिति का गठन किया गया था, और यह संस्तुति की गई थी कि सुरक्षा गार्ड और एक पुरुष नर्स को लापरवाही के लिए उनकी सेवा समाप्त कर दी। सीएमओ, पर्यवेक्षकों, नर्सिंग अधिकारी और ग्रुप-डी कर्मचारी को कर्तव्य में चूक के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और कर्नाटक सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1957 के नियम 11 के तहत लापरवाही के लिए जिला सर्जन और नर्सिंग अधीक्षक के खिलाफ जांच शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाख़िल कर कार्रवाई की तथा पीड़ित को राजकीय महिला गृह में स्थानान्तरण के साथ डीएलएसए मुआवज़े के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई।

आयोग ने पाया कि जीआईएमएस पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा, और बलात्कार के अपराध ने दिव्यांग व्यक्ति (यूएनसीआरपीडी) के अधिकारों का उल्लंघन किया। यह भी पाया गया कि जीआईएमएस ने मरीजों के अधिकारों के राष्ट्रीय चार्टर (एनसीपीआर) के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया, साथ ही मरीजों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर का भी उल्लंघन किया। जीआईएमएस अधिकारियों की लापरवाही के लिए राज्य उत्तरदायी है। आयोग ने पीएचआरए की धारा 18 (सी) के तहत कर्नाटक सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की।

जीआईएमएस ने सुरक्षा कर्मियों और सीसीटीवी कैमरों की तैनाती का दावा करते हुए जवाब दिया और जीआईएमएस अधिकारियों (जांच के तहत) की लापरवाही के कारण मुआवजे के भुगतान का विरोध किया। आयोग ने जीआईएमएस की लापरवाही के कारण कारण बताओ नोटिस को बरकरार रखा। राज्य की पूर्ण देयता और 'पैरेंस पैट्रिया' सिद्धांत पर विचार करते हुए मुआवजे की संस्तुति की गई थी। कर्नाटक सरकार से भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट अभी भी अपेक्षित है।

51. नर्स की लापरवाही के कारण अंग विच्छेदन के केस में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 332.10.11.2023-डब्ल्यूसी)

आयोग को एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) रीना लंगूरी की कथित लापरवाही के कारण एक मरीज का दाहिना हाथ काटना पड़ा, क्योंकि नर्स कथित तौर पर सो गई थी और उसने पीड़ित को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे धमनी अवरुद्ध हो गई। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव द्वारा की गई कार्रवाई में रीना लंगूरी का तबादला, पीड़ित को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (80% दिव्यांगता) आईडी संख्या JH122062006010834 प्रदान करना शामिल है। पीड़ित को अनुग्रह राशि भुगतान के लिए धन आवंटन का अनुरोध किया गया है।

आयोग ने पाया कि रीना लंगूरी की लापरवाही के कारण अंग काटे गए, जिससे पीड़ित के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 21) का उल्लंघन हुआ और राज्य सरकार को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। आयोग ने झारखंड सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया और पीड़ित को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की। हालांकि, झारखंड सरकार से अनुस्मारक के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आयोग ने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और 4 लाख रुपये के अंतरिम मुआवजे की संस्तुति की। झारखंड सरकार से भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट अपेक्षित है।

52. एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण बच्चे की मृत्यु के बाद आयोग के निर्देश पर राज्य ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया।

(केस संख्या 979.4.13.2020)

शिकायतकर्ता ने आयोग को एक प्रिंट मीडिया घटना की सूचना दी जिसमें एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण 3 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई। आगे के इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल से पटना रेफर किए जाने के बावजूद, बच्चे को समय पर सहायता नहीं मिली। आयोग ने केस की जांच की और पाया कि अगर यात्रा के दौरान ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती तो बच्चे, ऋषि कुमार को बचाया जा सकता था, लेकिन अस्पताल में एम्बुलेंस मौजूद होने के बावजूद ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई गई। आयोग ने इसे सदर अस्पताल, जहानाबाद के मेडिकल स्टाफ की ओर से मृतक को पर्याप्त और समय पर उपचार और देखभाल प्रदान करने में विफल रहने का स्पष्ट मामला माना।

राज्य के अधिकारियों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की, जो लापरवाही की स्वीकृति दर्शाती है। इस लापरवाही ने पीड़ित के स्वास्थ्य और देखभाल के अधिकार का उल्लंघन किया, जिसके लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया। परिणामस्वरूप, आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को मृतक के परिजन को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। मुआवजे की मंजूरी की पुष्टि होने पर, आयोग ने केस बंद कर दिया।

53. जिला अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही से मृत गर्भवती महिला के परिजनों को मुआवजा दिलाया गया।

(केस संख्या 29842.24.45.2019)

शिकायतकर्ता रामनरेश ने आरोप लगाया कि उनकी गर्भवती बेटी सरोज देवी की मौत सरकारी अस्पताल तमकुही राज में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण हुई। उन्होंने 5,000/- रुपये की मांग की, लेकिन वह उन्हें केवल 3,000/- रुपये ही दे पाया। नतीजतन, उन्होंने उसे लेबर रूम से बाहर निकाल दिया। फिर प्रसव बिस्तर पर ही हो गया, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया और उन्होंने केवल एक नर्स को भेजा। नर्स की निष्क्रियता के कारण, रक्तस्राव हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और राज्य के अधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट को एनएचआरसी पैनल के चिकित्सा विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया था। कार्रवाई की गई रिपोर्ट से पता चला कि अत्यधिक रक्तस्राव और एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के कारण जिला अस्पताल पहुंचने में देरी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृतक को ले जाते समय उचित देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी, लेकिन अस्पताल के अधिकारी उन्हें प्रदान करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता की असामयिक मृत्यु हो गई। सरकारी अस्पताल की लापरवाही ने पीड़िता के स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन किया, जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी थी। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य को मृतक पीड़िता के रिश्तेदार को दो लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके बाद, आयोग ने राज्य को भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ केस बंद कर दिया।

54. अस्पताल की लापरवाही से शिशु की आंख खराब हुई, मुआवजा दिया गया।

(केस संख्या 6215.24.30.2020)

शिकायतकर्ता, जिसकी पहचान आर्थिक रूप से वंचित मजदूर के रूप में की गई है, ने अपनी पत्नी के प्रसव के लिए अस्पताल न पहुँच पाने की समस्या के बारे में चिंता जताई, जिसके परिणामस्वरूप 3 दिसम्बर 2019 को नोएडा के सेक्टर 15 में उनके अस्थायी निवास पर उनकी बच्ची का जन्म हुआ। नोएडा के सेक्टर 30 में सरकारी जिला संयुक्त अस्पताल में प्रसवोत्तर देखभाल लेने के उसके प्रयासों के बावजूद, उसे अस्पताल के अधिकारियों ने वापस कर दिया। इसके बाद, शिशु को अपनी एक आँख खोलने में असमर्थता सहित जटिलताओं का सामना करना पड़ा। शिकायतकर्ता ने गौतमबुद्ध नगर के सरकारी अस्पताल की ओर से प्रसवोत्तरदेखभाल से इनकार करने के लिए लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके कारण नवजात शिशु में यह दुर्बलता आई। आगे की शिकायतों में विभिन्न केंद्रों से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास करते समय उत्पीड़न शामिल था, जो न केवल उपचार में बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी लापरवाही को दर्शाता है। उचित रिकॉर्ड की कमी और जन्म इतिहास तालिका (बीएचटी) या प्रगति रिकॉर्ड की अनुपस्थिति ने शिकायतकर्ता को अस्पताल से समय से पहले छुट्टी लेने के लिए मज़बूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, बच्चे के आने के चार महीने बाद जन्म का विलंबित पंजीकरण, अस्पतालों की ओर से और अधिक लापरवाही और असंवेदनशीलता को उजागर करता है। 3 दिसम्बर 2019 को अस्पताल के कर्मचारियों को चेतावनी पत्र

जारी करने से पीड़ित के इलाज में लापरवाही की बात सामने आई। इस लापरवाही को पीड़ित के स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन माना गया, जिसके कारण राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। परिणामस्वरूप, आयोग ने राज्य को शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया। स्वीकृत राहत की पुष्टि होने पर, केस को बंद कर दिया गया, साथ ही राज्य को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

55. पीजीआई, चंडीगढ़ में सेप्सिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया के इंजेक्शन के कारण मरीजों की मौत हो गई।

(केस संख्या.12.27.0.2023)

इस केस में, आयोग को 30 दिसम्बर 2022 को जालंधर, पंजाब के श्री केएस नागरा से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पीजीआई, चंडीगढ़ में सेप्सिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया के इंजेक्शन दिये जाने के कारण 5 मरीजों की मौत हो गई। निकाले गए एस्थेटिक प्रोपोफोल के नमूने बैक्टीरिया की अशुद्धियों से दूषित पाए गए जो मानव अंगों के लिए अत्यधिक जहरीले हैं। आयोग ने संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देशों के जवाब में, एसएसपी, चंडीगढ़ ने खुलासा किया कि 'प्रोपोफोल के नमूनों में सेप्सिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया, जहरीली अशुद्धियाँ: पीजीआई रिपोर्ट' शीर्षक से एक ख़बर अखबार में प्रकाशित हुई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि इसके कारण 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एक और प्रतिक्रिया में, सीनियर प्रशासनिक अधिकारी (एच) पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ ने बताया कि प्रतिकूल घटनाओं के विवरण को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें पता चला कि यह घटना इंजेक्शन प्रोपोवेन (बीक्योर) के उपयोग के कारण हुई। समिति ने संस्तुति की कि पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की अपनी फार्मेसी होनी चाहिए ताकि सिद्ध गुणवत्ता वाली दवाएं खरीदी जा सकें और अस्पताल में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जा सकें। पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को फार्माकोलॉजी विभाग में दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए एक इन-हाउस सुविधा भी होनी चाहिए।

आयोग ने रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया और पाया कि यह वास्तव में चिंता का विषय है कि अस्पताल के आपातकालीन परिसर में एक दुकान पर बेची जा रही दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव के कारण पांच मरीजों की मृत्यु हो गई। अस्पताल के आपातकालीन परिसर में ऐसी दवाओं की बिक्री की अनुमति देने में लापरवाही, जो फार्माकोलॉजी विभाग, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ तथा परिष्कृत विश्लेषणात्मक इंस्ट्रूमेंटेशन सुविधा, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ द्वारा विश्लेषण करने पर दूषित और अशुद्धियों से युक्त पाई गई, जिनमें से कुछ में उच्च स्तर की विषाक्तता थी, जो रोगियों के जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है। यह एक गंभीर मुद्दा था कि सभी सुरक्षा उपायों के बावजूद, दवा की बिक्री और विपणन की अनुमति दी गई थी। इसलिए, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें यह बताने का निर्देश दिया गया था कि आयोग को इलाज के दौरान घटिया दवाओं के उपयोग के कारण अपनी जान गंवाने वाले मृतक व्यक्तियों के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए। यह निर्देश दिया गया कि सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार भी दूषित और अशुद्ध दवा के निर्माण, बिक्री और विपणन के मुद्दे पर जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इसकी अनुमति देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोनों अधिकारियों से जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

56. विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू के एसी यूनिट में विस्फोट होने से लोगों की मौत।

(केस नं.906.13.37.2021)

आयोग को 23 अप्रैल 2021 को महाराष्ट्र के पुणे निवासी श्री तुषार देवीदास जेंदेपाटिल से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू की एसी यूनिट में विस्फोट के कारण 19 लोगों की मौत हो गई। 29 अप्रैल 2021 को आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को केस में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देशों के जवाब में, राज्य सरकार के अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पता चला कि 23 अप्रैल 2021 को विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में सेंट्रल कैसेट एसी के अनुचित रखरखाव के कारण आग लग गई और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 15 कोविड रोगियों की मौत हो गई और दो अन्य कोविड रोगी घायल हो गए। आयोग ने पाया कि वसई विरार सिटी नगर निगम मुआवजा देने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है और प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये

और घायल व्यक्तियों को 50,000/- रुपये देने की संस्तुति की। आयोग ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को दो-दो लाख रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) का अतिरिक्त मुआवजा देने की संस्तुति की। तदनुसार, आयोग द्वारा महाराष्ट्र सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से अनुशंसित मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।

आयोग के निर्देशों के अनुसार, वीवीएमसी कॉर्पोरेशन ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भी एसडीआरएफ से प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए और सीएम रिलीफ फंड से प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को जारी किए हैं और दो घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को राहत उपायों के रूप में 2 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। चूंकि इस केस में मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों और घायलों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया था, इसलिए केस बंद कर दिया गया।

57. डॉक्टरों की लापरवाही के कारण वार्मर मशीन में रखे जाने के दौरान नवजात शिशु की जलने से मौत।

(केस संख्या 23076.24.44.2021)

इस केस में, आयोग को दिनांक 17 अगस्त 2021 को मध्य दिल्ली निवासी श्री मोहित की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि 14 अगस्त 2021 को एक नवजात शिशु की जलने से मौत हो गई, जब वह शिशु वार्मर मशीन पर था और यह जिला अस्पताल, कौशाम्बी के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुआ था। आयोग ने इस केस में जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी, यूपी से रिपोर्ट मांगी। जवाब में, आयोग को जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी, यूपी से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया कि केस की जांच के लिए तीन सदस्यीय बाल रोग विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, नवजात शिशु की मृत्यु कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण हुई क्योंकि वह जन्म से ही दम घुटने की समस्या से पीड़ित था, जिसके कारण उसे सांस लेने में गंभीर तकलीफ हुई।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें यह स्पष्ट था कि तीन सदस्यीय बाल रोग विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर पाया गया कि नवजात शिशु की मृत्यु के संबंध में कोई मानवीय या तकनीकी त्रुटि नहीं हुई थी। आयोग ने कहा कि संयुक्त जिला चिकित्सालय, कौशाम्बी के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों की देखभाल करना ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों का पवित्र कर्तव्य है और इस केस में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि डॉक्टरों द्वारा लापरवाही की गई थी जिसके कारण नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। आयोग ने मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये मुआवजा देने की संस्तुति की। तदनुसार, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक के निकट संबंधी को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि जांच के दौरान मेडिकल टीम ने पाया कि नवजात शिशु को गंभीर श्वसन संकट के कारण जन्म से ही दम घुट रहा था, तथा कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। परिवार के सदस्यों के असहयोग के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका, और परिणामस्वरूप कोई मानवीय या तकनीकी त्रुटि नहीं थी जिसके कारण मृत्यु हुई। आयोग ने आगे कहा कि मृतक बच्चे के पिता के पास लगभग 5 बीघा जमीन थी और उनकी वार्षिक आय कृषि से 46,000 रुपये है और उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य है। आयोग ने उल्लेख किया कि कारण बताओ नोटिस जारी करते समय, आयोग ने इस केस के सभी पहलुओं पर विचार किया था और राज्य प्रशासन की ओर से प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब आयोग के निष्कर्षों का खंडन नहीं करता है। इसलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक के निकट संबंधी को 1 एक लाख रुपये का भुगतान करने की संस्तुति की गई थी। इन निर्देशों के साथ केस बंद कर दिया गया।

58. आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी आवासीय कल्याण आश्रम (बालक) स्कूल के अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण 15 वर्षीय आदिवासी बालक की मौत।

(केस संख्या 2716.1.29.2022)

इस केस में, आयोग को आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदिवासी आवासीय कल्याण आश्रम (लड़के) स्कूल के अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण एस सूरी बाबू के रूप में पहचाने गए 15 वर्षीय आदिवासी लड़के की मौत के संबंध में स्वदेशी वकील संघ से 5 दिसम्बर 2022 की तारीख की शिकायत प्राप्त हुई। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और अल्लूरी सीताराजू जिले के कलेक्टर और डीएम से रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देश के जवाब में, अल्लूरी सीताराजू जिले के कलेक्टर और डीएम से एक

रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि तत्काल केस में एक जांच की गई और जांच रिपोर्ट के आधार पर जीटीडब्ल्यू आश्रम स्कूल (बालक), डोकलुरु, पडेरू मंडल के श्री हेमा चंद्र (प्रधानाध्यापक) और श्री पी सत्यराव (उप वार्डन) को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा, मृतक के पिता को मुआवज़े हेतु एक लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

तहसीलदार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि एडब्ल्यूडी के रूप में वर्गीकृत एसवाई. संख्या 54-पी में ए.सी.ए.सी.-0.50 सेंट सरकारी भूमि का एक हिस्सा आवेदन को सौंपने के लिए पहचाना गया था और इस रिपोर्ट को उप कलेक्टर, पडेरू द्वारा अनुमोदित किया गया था। विभागीय जांच रिपोर्ट एकत्र की गई और आयोग से प्रार्थना की गई कि इस केस में आगे की कार्रवाई कृपया रोक दी जाए। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और यह पाया गया कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से लापरवाही हुई थी और मृतक के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। आयोग ने मृतक के रिश्तेदार को पी.एच.आर. अधिनियम की धारा 18(1) (ए) के तहत 3 रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की। तदनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से आयोग द्वारा अनुशंसित मौद्रिक राहत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। संबंधित प्राधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ केस बंद कर दिया गया।

भोजन एवं पोषण का अधिकार

59. आयोग के हस्तक्षेप के बाद बठिंडा केन्द्रीय कारागार में भूख हड़ताल का समाधान।

(केस संख्या. 487.19.2.2023)

15.05.2023 को अंग्रेजी दैनिक 'मॉर्निंग स्टैंडर्ड' में 'बठिंडा के कैदियों ने जेल में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल की' शीर्षक से एक न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया कि बठिंडा केन्द्रीय कारागार में दो दर्जन से अधिक कैदियों ने जेल मैनुअल के अनुसार बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांगों में, फोन कॉल विशेषाधिकार में वृद्धि, बाहरी सैर के अवसर, सुचारू कैंटीन कार्ड टॉप-अप और मनोरंजन के लिए टेलीविजन आदि शामिल थी। आयोग ने इस न्यूज रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया और 16 मई 2023 की कार्यवाही के माध्यम से पंजाब के मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर केस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। इसके अतिरिक्त, आयोग ने अपने विशेष प्रतिवेदक श्री महेश सिंगला को बठिंडा, केन्द्रीय कारागार का निरीक्षण करने तथा रिकार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एनएचआरसी के विशेष प्रतिवेदक श्री महेश सिंगला ने जेल का दौरा किया और 2 जून 2023 को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कैदियों की मांगों पर जेल कर्मचारियों से चर्चा की और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों की संस्तुति की। इनमें चिकित्सा देखभाल, बेहतर संचार विशेषाधिकार, लॉक - आउट के समय शारीरिक गतिविधियाँ और कोठरियों में टीवी लगाने के प्रावधान शामिल थे। पंजाब सरकार के प्रधान सचिव ने 8 सितम्बर 2023 को श्री महेश सिंगला की संस्तुतियों के जवाब में की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए संवाद किया। उल्लेखनीय कार्रवाइयों में पंजीकृत संपर्क नंबर और फोन कॉल के लिए समय बढ़ाना, कैंटीन सुविधाओं को समान रूप से विनियमित करना और कैदियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर टीवी प्रदान करना शामिल था। टीवी सेट के प्रावधान सहित बठिंडा केन्द्रीय कारागार के अधिकारियों द्वारा इन उपायों के कार्यान्वयन के बाद, भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई। नतीजतन, आयोग ने 26 दिसम्बर 2023 की कार्यवाही में, यह देखते हुए कि आगे कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है, क्योंकि जेल अधिकारियों ने संस्तुतियों का अनुपालन किया था, केस को बंद कर दिया।

शिक्षा का अधिकार

60. आन्ध्र प्रदेश के जाजुलाबांधा गांव में एक स्कूल की स्थापना के संबंध में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 912.1.29.2023)

आयोग ने 31 मई 2023 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'ट्राइबल इन ए एस आर रिक्वेस्ट अथॉरिटीज फॉर स्कूल' शीर्षक से एक न्यूज लेख पढ़ने के बाद स्वत: संज्ञान लिया। लेख में आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू (एएसआर) जिले के जाजुलाबंधा आदिवासी टोले के निवासियों द्वारा व्यक्त की गई तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था कि उनके बच्चों को शिक्षा तक पहुँचने के लिए जिस चुनौतीपूर्ण यात्रा का सामना करना पड़ता है, उसके कारण टोले में एक स्कूल स्थापित किया जाए या एक सरकारी शिक्षक नियुक्त

किया जाए। 1 जून 2023 को, आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया, जिसमें इस केस पर एक विस्तृत रिपोर्ट और न केवल जाजुलाबंधा में बल्कि राज्य के इसी तरह के भागों में सामने आई शैक्षिक चुनौतियों के समाधान के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों की जानकारी मांगी गई। आयोग के निर्देश के जवाब में, एएसआर जिले के जिला कलेक्टर ने न्यूज लेख में वर्णित स्थिति की पुष्टि करते हुए और जाजुलाबंधा गांव में एक स्कूल की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में स्कूली बच्चों के बारे में आवश्यक डेटा एकत्र करने में मंडल शिक्षा अधिकारी (एमईओ) के प्रयासों और पहाड़ी और जंगली इलाकों से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। जिला प्रशासन ने एक अस्थायी स्कूल शेड बनाने, एक शिक्षक की नियुक्ति करने, मध्याह्न भोजन और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने और एक स्थायी स्कूल भवन के निर्माण के लिए धन आवंटित करने जैसे अंतरिम उपाय किए।

एएसआर जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने स्थायी समाधान खोजने की दिशा में उनके सक्रिय कदमों और चल रहे प्रयासों को मान्यता दी। नतीजतन, आयोग ने आगे हस्तक्षेप को अनावश्यक माना, लेकिन स्कूल शिक्षा आयुक्त को जाजुलाबांधा गांव के विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसमें मुफ्त स्कूल की किताबें, स्कूल की फीस में छूट और कोई अन्य आवश्यक सहायता शामिल है। इन निर्देशों और टिप्पणियों के साथ, आयोग ने औपचारिक रूप से मामले में अपनी भागीदारी समाप्त कर दी, और जाजुलाबांधा गांव में हाशिए पर पड़े आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए की गई प्रगति और निरंतर प्रतिबद्धता को स्वीकार किया।

61. स्कूल गेट गिरने और बच्चे की मौत के केस में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या. 1216.6.2.2022)

मानव अधिकार संरक्षक द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें अधिकारियों की लापरवाही के कारण राजुला के शासकीय कन्या विद्यालय-1 में दुर्घटना हुई थी। एक जर्जर कंक्रीट स्लैब का एक हिस्सा दो नाबालिग छात्राओं पर गिर गया, जिससे एक छात्रा को ब्रेन हेमरेज हो गया। मुआवजे का अनुरोध किया गया था। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और जिला मजिस्ट्रेट और शिक्षा अधिकारी को चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई और इसलिए केस को आगे बढ़ाया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि यह घटना कक्षा आठ की दो लड़कियों पर जर्जर कंक्रीट स्लैब के एक हिस्से के गिरने के कारण हुई। दोनों पीड़ितों को चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। क्षतिग्रस्त संरचनाओं के निरीक्षण का आदेश दिया गया। घटना के बाद, स्कूल ने छह कमरों को जर्जर घोषित कर दिया तथा विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। स्कूल प्राधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही या उपेक्षा नहीं पाई गई।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट ने घटना के विवरण की पुष्टि की। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि दोनों छात्राओं को घटना के बाद सभी आवश्यक व्यय वहन करने के लिए 1,43,264/- रुपये की सहायता प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक ने पाया कि घटना के संबंध में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। आयोग ने घटना का उल्लेख किया, स्कूल की ओर से कोई लापरवाही नहीं होने को स्वीकार किया, लेकिन स्लैब की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को स्वीकार किया। न्यायिक उदाहरणों का हवाला देते हुए, आयोग ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की सख्त जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ और अन्य (डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 483/2004) में न्यायालय के निर्णय में, आयोग ने सुरक्षित स्कूली वातावरण प्रदान करने के संवैधानिक कर्तव्य पर जोर दिया।

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है और लापरवाही किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन माना जा सकता है। दुर्घटनाओं को जन्म देने वाले लापरवाह आचरण की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए और इसे किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन माना जा सकता है। आयोग ने अपने रजिस्ट्री को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (सी) के तहत मुख्य सचिव के माध्यम से गुजरात सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, कि आयोग द्वारा पीड़िता श्रुति मोधिया को 50,000 (पचास हजार मात्र) रुपये, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई तथा पीड़िता रीता वढेर को 1,50,000 (एक लाख पचास हजार मात्र) रुपये, क्योंकि उसकी हालत बिगड़ गई थी और उसे बेहतर उपचार के लिए दूसरे मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां वह तीन दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही, मुआवज़ा देने की संस्तुति क्यों नहीं की

जानी चाहिए। अनुशंसित मुआवजा पीड़ितों को घटना के बाद सभी आवश्यक व्यय के लिए प्रदान की गई 1,43,264 रुपये की सहायता के अतिरिक्त होगा। आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों से अनुशंसित भुगतान का प्रमाण और अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है।

62. आयोग ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा मारपीट के कारण पसलियां टूटने वाले छात्र को मुआवजा देने की संस्तुति की।

(केस संख्या 1721.24.39.2023)

आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि ग्राम हवेली, थाना मीरगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में रहने वाले तीसरी कक्षा के छात्र लवकुश को 30 दिसम्बर 2022 को प्राथमिक विद्यालय, हवेली में एक शिक्षक ने बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं, जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि हुई है। पुलिस ने उसके पिता की शिकायत के आधार पर एक आपराधिक केस दर्ज किया था, जो वर्तमान में जांच में है। यह स्पष्ट था कि नाबालिग छात्र के साथ सरकारी शिक्षक द्वारा क्रूरता और मारपीट की गई थी। राज्य की रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि इस आपराधिक कदाचार के लिए दोषी सहायक शिक्षक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी या नहीं। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि एक लोक सेवक द्वारा उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए पीड़ित नाबालिग छात्र को 60,000/- रुपये का मौद्रिक मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा को बच्चों के खिलाफ इस तरह की क्रूरता को रोकने के लिए राज्य में शिक्षण कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोपी सहायक अध्यापक के खिलाफ की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में आयोग को सूचित करें। एसपी, जौनपुर ने एक अद्यतन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें खुलासा हुआ कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद, आयोग ने मौद्रिक राहत के लिए संस्तुति की पुष्टि की और केस को बंद कर दिया, राज्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

63. आयोग ने शारीरिक दंड के मुद्दे पर विचार किया, पीड़ित के लिए मुआवजे की संस्तुति की और अनुपालन सुनिश्चित किया।

(केस संख्या 2914.18.19.2022)

शिकायत में एक शिक्षक द्वारा कविता लिखने में विफल रहने वाले छात्र बिकाश बेहरा को शारीरिक दंड दिए जाने की बात कही गई थी। शिक्षक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच की गई, जिसमें शारीरिक शोषण के आरोपों की पुष्टि हुई। आयोग ने ओडिशा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें यह बताने का निर्देश दिया गया कि बेहरा के लिए एक लाख रुपये के मुआवजे की संस्तुति क्यों न की जाए। जवाब में, स्कूल और जन शिक्षा विभाग के सचिव ने बताया कि आरोपी को विभागीय कार्यवाही लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया था, जो चल रही थी। उन्होंने इन कार्यों के कारण मुआवजे की संस्तुति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। आयोग ने पुष्ट आरोपों को स्वीकार किया लेकिन बेहरा के कल्याण की उपेक्षा पर जोर दिया। बेहरा के मानव अधिकारों का उल्लंघन अनसुलझा रहा और आयोग ने अपनी संस्तुति को बरकरार रखा लेकिन मुआवजे को घटाकर 25,000 रुपये कर दिया। आयोग ने सरकार को किसी भी संभावित प्रतिअनुसंधान से बेहरा की सुरक्षा सुरिश्चित करने का निर्देश दिया। अनुपालन में स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की रिपोर्ट ने भुगतान के प्रमाण के साथ बेहरा के बैंक खाते में 25,000/- रुपये के भुगतान की पुष्टि की। इसके बाद आयोग ने केस बंद कर दिया।

64. आयोग ने एक छात्र पर हमले के केस में मुआवज़े की सिफ़ारिश की।

(केस संख्या 673.4.38.2023)

मानव अधिकार संरक्षक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकारी स्कूल के एक छात्र पर शिक्षक ने बुरी तरह से हमला किया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने आरोपी शिक्षक को बचाया और पीड़ित के परिवार पर निजी तौर पर मामला सुलझाने का दबाव बनाया। आयोग के निर्देश के बाद सुपौल के एसपी और डीएम की रिपोर्ट मिली। बताया गया कि तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई, जिसने पाया कि घटना के दिन दो विद्यार्थियों कन्हैया कुमार और रमेश कुमार को पेट में दर्द था, इसलिए दोनों ने घर वापस जाने का फैसला किया। पीड़ित विकास

कुमार उनके साथ गया। अगले दिन आरोपी शिक्षक ने तीनों विद्यार्थियों की पिटाई की। आरोपी शिक्षक ने विकास कुमार को डंडे से तब तक पीटा, जब तक उसकी डंडी टूट नहीं गई और उसके बाद बेल्ट से भी पीटा। पीड़ित विकास कुमार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद, आयोग ने बिहार सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि तीनों पीड़ित विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपये मुआवजा देने की संस्तुति क्यों नहीं की जानी चाहिए। जवाब में गृह विभाग के विशेष सचिव ने छात्र के अधिकारों के उल्लंघन की बात स्वीकार की और आयोग के निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन दिया।

आयोग ने अपनी कार्यवाही में, बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत उनके मानवीय और वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए तीन पीड़ित विद्यार्थियों में से प्रत्येक को 10,000 रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने की संस्तुति की। विशेष सचिव ने बिहार के महालेखाकार को मुआवजे के लिए 30,000 रुपये की मंजूरी के बारे में सूचित किया, लेकिन भुगतान का प्रमाण लंबित है।

65. कटक जिले के अष्टगढ़ ब्लॉक में अंकुला सतवस्ती नोडल उच्च प्राथमिक विद्यालय का मुख्य द्वार गिरने से नाबालिग की मौत।

(केस संख्या 1382.18.3.2023)

वर्तमान केस में, आयोग को 21 अप्रैल 2023 को एक मानव अधिकार कार्यकर्ता से शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कटक जिले के अष्टगढ़ ब्लॉक में अंकुला सतवस्ती नोडल उच्च प्राथमिक विद्यालय का मुख्य द्वार टूटकर बच्चे के ऊपर गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और कटक ओडिशा के जिला मजिस्ट्रेट से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देशों के जवाब में, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, कटक, ओडिशा से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। बताया गया कि मृतक चीकू नायक की मौत 7 अप्रैल 2023 को स्कूल का गेट गिरने से हुई थी। उस दिन 'गुड फ्राइडे' की पूर्व संध्या पर स्कूल बंद था। रिपोर्ट से पता चला कि चीकू नायक नाम का लड़का अन्य दोस्तों के साथ उक्त गेट से खेल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे गेट से खेलने से रोका। अकस्मात लोहे की चेन टूट गई और गेट के एक तरफ का हिस्सा बच्चे के ऊपर गिर गया। प्रत्यक्षदर्शी, जो स्थानीय निवासी थे, के लिखित बयान के अनुसार, बच्चे को बचाया गया और परिवार के सदस्य को सूचना दी गई तथा उसके बड़े पिता उसे पास के अस्पताल ले गए। अस्पताल में उपचार के दौरान संबंधित डॉक्टर ने चीकू नाइक को मृत घोषित कर दिया। यह घटना केवल एक दुर्घटना थी और मानव निर्मित नहीं थी तथा वह सतबस्ती नोडल स्कूल का छात्र नहीं था।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। बेशक, यह एक दुर्घटना का मामला था। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि एक स्कूल का मुख्य द्वार ऐसा था कि वह एक बच्चे पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्कूल प्रशासन का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि स्कूल का बुनियादी ढांचा ऐसा हो कि यह वहां पढ़ने वाले बच्चों के जीवन के लिए हानिकारक न हो। स्कूल प्रशासन गेट को बनाए रखने में बुरी तरह विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप एक बच्चे की जान चली गई। इसलिए, राज्य इसके लिए उत्तरदायी है। इसलिए, ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18क के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें चार सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, जिसमें पूछा गया कि आयोग को मृतक बच्चे के रिश्तेदार को 3,00,000/- रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए, जिसने स्कूल अधिकारियों की लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा दी। 10 जनवरी 2024 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रतीक्षित था।

बंधुआ, बाल और अन्य प्रकार के श्रमिकों के अधिकार

66. मृतक रमेश मंडल के परिवार को मुआवजा दिलाने में आयोग की भूमिका।

(केस संख्या 280.33.0.2018-पीसीडी)

आयोग को 24 मई 2018 को पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ से 22 मई 2018 को एक अज्ञात व्यक्ति की आत्महत्या के बारे में सूचना मिली, जिसकी बाद में पहचान 60 वर्षीय रमेश मंडल के रूप में हुई। मृतक को भटकोल तालाब के पास एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद सीआरपीसी की धारा 174 के तहत यूडी केस संख्या 28.2018 दर्ज किया गया। घटना के आसपास की परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने 6 फरवरी 2023 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से एक नोटिस

जारी करने का निर्देश दिया। नोटिस में सरकार से छह सप्ताह के भीतर कारण बताने को कहा गया कि रमेश मंडल के निकट संबंधी को 5 लाख रुपये का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने आयोग को सूचित किया कि आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत दिसम्बर 2019 में एक आबकारी कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) संख्या 0221.2019 दर्ज की गई थी। एफआईआर का केस अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय में चल रहा था। सरकार ने स्पष्ट किया कि उनके विभाग के नियम कर्मचारी की त्रुटियों के लिए मुआवजे का प्रावधान नहीं करते हैं। हालांकि, उन्होंने पुष्टि की कि एक आपराधिक केस दर्ज किया गया था और न्यायिक विचाराधीन था। आयोग ने कारण बताओ नोटिस को बरकरार रखा और मुख्य सचिव को रमेश मंडल के निकट संबंधी को 5 लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 28 जुलाई 2023 को मृतक की पत्नी को 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आयोग के निर्देशों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान का प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए। इसलिए, 4 सितम्बर 2023 को केस बंद कर दिया गया।

67. 13 वर्षीय आदिवासी घरेलू सहायिका की मृत्यु के केस में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 317.3.3.2022)

आयोग को जून 2022 के महीने में असम के दारांग जिले के धुला पीएस के अंतर्गत धुला इलाके में अपने नियोक्ता के घर पर रहस्यमय परिस्थितियों में 13 वर्षीय आदिवासी घरेलू सहायिका की मौत के संबंध में शिकायत मिली थी। मृतका कथित तौर पर एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी और असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली इलाके में रहती थी। मृतका के परिवार के सदस्यों के अनुसार, उनकी नाबालिग बेटी अपने नियोक्ता के घर पर लटकी हुई पाई गई। पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर अपनी नाबालिग बेटी की मौत में गड़बड़ी का संदेह किया और दावा किया कि पुलिस घटना के फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक साक्ष्य एकत्र करने में विफल रही। यह भी दावा किया गया कि पुलिस अधिकारी केस की जांच करने के लिए तैयार नहीं थे और धुला पीएस के प्रभारी अधिकारी ने कथित तौर पर उन पर लड़की की अप्राकृतिक मौत के बारे में लिखित शिकायत दर्ज नहीं करने का दबाव डाला था।

आयोग ने केस की जांच की और पाया कि एफआईआर दर्ज होने के दो महीने बाद, यह पता लगाने के लिए सीआईडी जांच शुरू की गई कि क्या जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के केस को आरोपियों द्वारा रिश्वत दिए जाने के बाद आत्महत्या में बदलने के लिए कोई कवर-अप किया था, और जांच के दौरान आरोप सही पाए गए। शव परीक्षण करने वाले तीन डॉक्टरों, जांच करने वाले एक मजिस्ट्रेट और कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। यह स्पष्ट था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद, सभी आरोपी स्थानीय पुलिस अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों और डॉक्टरों ने कानूनी जांच और पोस्टमार्टम परीक्षा के दौरान उनकी कमियों और चूक के आधार पर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया, जिसने स्पष्ट रूप से मृतक पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के निष्पक्ष जांच के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया, जिसके लिए राज्य सरकार को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। परिणामस्वरूप, आयोग ने मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य को संस्तुति की कि मृतक पीड़िता के निकट संबंधी को उनकी पीड़ा, चिंता और मानसिक पीड़ा की भरपाई के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह मुआवज़ा, उस मुआवज़े से अतिरिक्त होगा, जिसका मृतक पीड़िता, अन्य पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं के तहत हकदार थी। राज्य सरकार द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, आयोग के निर्देश के बाद मृतक पीड़ित लड़की के पिता श्री राजू तुरी को 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि वितरित की गई।

68. आजीविका के अधिकार को पेंशन के रूप में संरक्षित करने वाली आयोग की कार्रवाई

(केस संख्या 30444.24.12.2022)

आयोग को एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक सेवानिवृत्त डाकघर कर्मचारी को कई अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद उसकी पेंशन बकाया, अन्य बोनस या टीए नहीं मिला था। शिकायतकर्ता 31 मार्च 2013 को सेवानिवृत्त हुआ था, और उसके सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान 2023 में किया गया था, अर्थात् दस साल बाद। शिकायतकर्ता को इतने लंबे समय तक उसके वैध सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके मौलिक अधिकारों का

उल्लंघन हुआ। आजीविका के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 300ए द्वारा दी गई है, और इस प्रकार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 लागू होती है। सेवानिवृत्ति लाभों का सेवानिवृत्त व्यक्ति का अधिकार उसके जीवनयापन के अधिकार से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 'दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी.टी.सी. मजदूर कांग्रेस', विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 12553/2020 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है।" परिणामस्वरूप, जीविका का अधिकार केवल सत्ता के पदों पर बैठे लोगों की इच्छाओं पर आधारित नहीं हो सकता। आय कई मौलिक अधिकारों का आधार है। मौलिक अधिकारों को अस्पष्ट आधार और अनिश्चित आवेदन के दलदल में नहीं डाला जा सकता।

संचार मंत्रालय, डाक विभाग के एडीजी (पेंशन) ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता के छठे वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि 12 जून 2009 से 15 मार्च 2010 तक पूर्व अधिकारी का निलंबन था, जिसके लिए मामला ऑडिट के लिए भेजा गया था, और ऑडिट पूरा होने के बाद भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए 6,908 रुपये का बोनस 7 फरवरी 2023 को दिया गया। पूर्व अधिकारियों के लिए कोई लंबित टीए बिल नहीं हैं। बाद के पत्राचार में, निदेशक (स्थापना), डाक भवन, नई दिल्ली ने दावा किया कि चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति बकाया जारी करने में कोई देरी नहीं हुई, लेकिन रिकॉर्ड का पता न चलने के कारण बोनस और 6वें सीपीसी के बकाया के प्रसंस्करण में देरी की बात स्वीकार की। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, साथ ही विलंबित डीसीआरजी पर ब्याज भुगतान के लिए भी कार्रवाई की गई।

रिपोर्ट की समीक्षा के बाद, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में एक महत्वपूर्ण और अस्पष्टीकृत देरी हुई थी, जैसा कि विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसने पेंशन बकाया और अन्य लाभ जारी करने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा था। इसलिए, उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, आयोग ने अपने रजिस्ट्री को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (सी) के तहत सचिव, डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर, देरी के लिए नियमानुसार देय ब्याज के अतिरिक्त शिकायतकर्ता को 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि शिकायतकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों को देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक लागू ब्याज के साथ तुरंत जारी किया जाए और अनुपालन रिपोर्ट और सभी विवरणों को विस्तार से बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। निदेशक (स्थापना), संचार मंत्रालय, डाक विभाग, भारत सरकार ने 31 मार्च 2013 को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति बकाया जारी करने के लिए दस साल से अधिक समय नहीं देने का आग्रह किया। क्योंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही थी। यह दावा किया गया कि रिकॉर्ड का पता नहीं चल पा रहा था, जिससे बोनस, 6वें सीपीसी बकाया और अन्य मामलों को संसाधित करने में देरी हुई। हालांकि, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की गई थी। विभाग ने लागू नियमों के अनुसार विलंबित डीसीआरजी भुगतानों पर ब्याज जारी करने के लिए भी कार्रवाई की थी। आयोग के कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की गई, साथ ही विलंबित भुगतान के लिए एक लाख रुपये के अंतरिम मुआवजे और ब्याज की और संस्तुति की गई। भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी।

69. आयोग ने अस्वीकृत पेंशन शुरू करवाई तथा पीड़ित को मुआवजा दिलाया।

(केस संख्या 935.1.22.2019)

आयोग को एक सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता से शिकायत मिली, जिसने दावा किया कि एक मृत सरकारी कर्मचारी की अविवाहित, आश्रित बेटी को पारिवारिक पेंशन से वंचित किया गया था। पीड़िता के पिता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो गई, और उनकी आश्रित बेटी के रूप में पारिवारिक पेंशन के लिए उसके आवेदन के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसे मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया। केस की समीक्षा करने और अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया था, और पारिवारिक पेंशन के लिए उसके सही दावे को संबंधित प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जो एक कठोर और असंवेदनशील रवैया दर्शाता है। कोषागार अधिकारी ने पेंशन दावे को अस्वीकार कर दिया क्योंकि पीड़िता ने अपने पिता की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन नहीं किया था, जिसे आयोग ने कोषागार

अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है, न कि कोषागार अधिकारी। कोषागार अधिकारी की भूमिका केवल स्वीकृत आदेशों को संसाधित करने, पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) तैयार करने और यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि पेंशन सही प्राप्तकर्ता तक पहुंचे। परिणामस्वरूप, आयोग ने पीड़िता डी. कल्याणी को 1,50,000/- रुपए के मुआवजे की संस्तुति की। साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया, जिन्होंने 16 साल से अधिक समय तक उसे पेंशन लाभ देने से इनकार किया था। मुआवजा दिए जाने के बाद केस बंद कर दिया गया।

70. पेंशन संबंधी लाभ का भुगतान न करना

(केस संख्या 960.34.22.2023)

वर्तमान केस में, आयोग को 17 जुलाई 2023 को लातेहार, झारखंड की निवासी प्रेमलता एक्का से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि वह वर्ष 2011 में बाल विकास परियोजना, गारू, लातेहार, झारखंड से एएनएम (सहायक नर्स दाई) के पद से सेवानिवृत्त हुई। उसने कहा कि उसे उसके देय पेंशन लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। वह लकवाग्रस्त हैं, बोलने या लिखने में असमर्थ हैं और पैसे के अभाव में अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं। आयोग के निर्देशों के जवाब में, 1 दिसम्बर 2023 को उपायुक्त, लातेहार, झारखंड से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह बताया गया कि 81,240 रुपये का अवकाश नकदीकरण और 4,53,433 रुपये का बकाया (एमएसीपी) 9 नवम्बर 2023 को श्रीमती प्रेमलता एक्का के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। संशोधित पेंशन के लिए कार्यवाई की जा रही।

आयोग ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया। शिकायतकर्ता ने अवकाश नकदीकरण और एमएसीपी बकाया के भुगतान का अनुरोध किया। जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, उसका भुगतान किया गया और पेंशन को संशोधित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, रिकॉर्ड में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि शिकायतकर्ता को भुगतान में 12 साल से अधिक की देरी क्यों हुई। लातेहार, झारखंड के उपायुक्त केस की जांच करेंगे और शिकायतकर्ता को वैध बकाया के भुगतान में देरी के कारण के बारे में आयोग को सूचित करेंगे, जिसने उसे गरीबी की ओर धकेला। देरी के लिए जिम्मेदारी भी उन्हें तय करनी होगी।

आयोग ने 15 मार्च 2024 के आदेश के तहत पाया कि यह गंभीर मुद्दा है कि अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले शिकायतकर्ता को पिछले 12 वर्षों से पेंशन लाभ से वंचित रखा गया है। लातेहार के उपायुक्त आयोग के निर्देशों के बावजूद देरी का कारण बताने और इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की पहचान करने में सक्षम नहीं थे, जैसा कि 08 दिसम्बर 2023 के आदेश और 12 फरवरी 2024 के आदेश के तहत सशर्त समन जारी किया गया था। इसलिए लातेहार के उपायुक्त को एक समन जारी किया गया, जिसमें उन्हें आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला ढोने वालों के मुद्दे

71. आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के जीलुगुलोवा गांव में बच्चों सहित अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दयनीय जीवन स्थितियां।

(केस संख्या 1080.1.21.2022)

आयोग को 5 मई 2022 को एक मानव अधिकार कार्यकर्ता से शिकायत मिली, जिसमें आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के जीलुगुलोवा गांव में बच्चों सहित लगभग 50 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की दयनीय जीवन स्थितियों का आरोप लगाया गया था। स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, उचित सड़कें और बिजली सहित क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं की कमी के बारे में शिकायत मिलने के बाद आयोग ने हस्तक्षेप किया। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। आयोग के निर्देशों के जवाब में, आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में नरसीपट्टनम में राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का वर्णन किया गया, जिन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति का आकलन करने के लिए जीलुगुलोवा गांव का दौरा किया। उसके बाद, लंबित मुद्दों को हल करने के लिए निर्देश जारी किए गए, और विभिन्न अधिकारियों ने गांव में आवास, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, दस्तावेज़ीकरण और अन्य कल्याणकारी पहलुओं को बेहतर बनाने के प्रयासों का विवरण देते हुए कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जांच रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट की गहन जांच के बाद, आयोग ने जीलुगुलोवा गांव में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों को नोट किया। चल रहे प्रयासों को मान्यता देते हुए, आयोग ने कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में हुई प्रगति पर अतिरिक्त रिपोर्ट मांगी। इसके बाद, सरकार के सचिव, आदिवासी कल्याण विभाग से एक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की रूपरेखा दी गई। इन उपायों में प्रलेखन संबंधी मुद्दों को हल करना, चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना, स्कूली बच्चों की पहचान करना, सौर-आधारित योजनाओं को मंजूरी देना, जॉब कार्ड जारी करना, पौष्टिक भोजन प्रदान करना और वृद्धावस्था पेंशन शुरू करना और बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली को मंजूरी देना शामिल था। रिपोर्टों में उल्लिखित व्यापक कार्रवाइयों के आधार पर, ऐसा प्रतीत हुआ कि अधिकारी जीलुगुलोवा गांव के पात्र निवासियों को लाभान्वित करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लगन से लागू कर रहे थे। परिणामस्वरूप, आयोग ने आगे कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझा और संबंधित अधिकारियों को अपने प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए, 9 जून 2023 को केस बंद कर दिया गया।

72. मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट, खरंगाझार, पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखंड में दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और अत्याचार का आरोप।

(केस संख्या 1145.34.6.2021)

आयोग को 7 अगस्त 2021 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 16 और 17 वर्ष की दो नाबालिग आदिवासी लड़कियां 5 जून 2021 को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के खरंगाझार के शमशेर टॉवर में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित एक आश्रय गृह में चल रहे यौन उत्पीड़न और यातना के कारण भाग गई थीं। आरोपी अपराधी आश्रय गृह का निदेशक बताया गया है, जिसके खिलाफ पीड़ितों ने उसकी पत्नी से शिकायत की थी। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलीशा मुखी की लिखित शिकायत के आधार पर पीएस टेल्को में आईपीसी की धारा 354, 354डी, 323, 34 और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपों की जांच के लिए 11 सदस्यों की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई थी और केस की जांच लंबित थी। इसके अतिरिक्त, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जिला मजिस्ट्रेट ने संगठन में विभिन्न अनियमितताओं की पुष्टि की, जिससे आरोपों की प्रथम दृष्टया सच्चाई का समर्थन हुआ।

रिपोर्टों पर विचार करते हुए, आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड को जांच की स्थिति और पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ितों को मुआवजा वितरण के बारे में अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर की बाद की रिपोर्टों से पता चला कि केस में जांच पूरी हो गई थी, और आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, पोक्सो एक्ट और जेजे एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसके अतिरिक्त, दोनों पीड़ितों को 50,000/- रुपये का अंतरिम मुआवजा प्रदान किया गया था। पुलिस रिपोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने और मुआवजा वितरण के संकेत को देखते हुए, आयोग ने शिकायतकर्ता से टिप्पणियां मांगीं, जो प्राप्त नहीं हुई। केस अदालत में लंबित होने और शिकायतकर्ता की ओर से कोई और इनपुट नहीं मिलने के कारण, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आगे कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है

महिलाएँ

73. उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्टाफ नर्स के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या।

(केस संख्या 12227.24.71.2022-डबल्यूसी)

आयोग को 1 मई 2022 को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें 29 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक स्टाफ नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था। आयोग ने स्थिति का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देशों के जवाब में, अपर पुलिस अधीक्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि पीड़िता की मां ने एक प्रारंभिक शिकायत दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप पीएस बांगरमऊ उन्नाव में नूरआलम और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पोस्टमार्टम, जिसकी वीडियोग्राफी की गई थी, से पता चला कि मृतका की मौत श्वसारोध के कारण दम

घुटने से हुई थी और बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी। आगे की जांच से पता चला कि मृतका संदीप के साथ रिश्ते में थी, जो उसे नव जीवन अस्पताल दुल्लापुरवा लेकर आया था, जहां उसने केवल दो दिनों तक नर्स के रूप में काम किया था इसके बाद संदीप पर आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया और 2 मई 2022 को जेल की सजा सुनाई गई। जांच जारी थी और साक्ष्य फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को सौंपे गए थे। इसके अलावा, यह पाया गया कि घटनास्थल नवजीवन अस्पताल बिना पंजीकरण के चल रहा था। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी की शिकायत के जवाब में मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15(3) और आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच तक जेल भेज दिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नोडल अधिकारी, उन्नाव ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार पोस्टमार्टम किया गया था, और नमूने फोरेंसिक विश्लेषण के लिए एफएसएल लखनऊ भेजे गए थे। यह पाया गया कि दोनों केसों में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, और फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए पूरक आरोप पत्र लंबित थे। रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने पाया कि दोनों आपराधिक केसों में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, और केस न्यायालयों के समक्ष लंबित थे। नतीजतन, 26 अप्रैल 2023 को केस बंद कर दिया गया।

74. उन्नाव, उत्तर प्रदेश में विदेशी महिला नागरिक को अवैध बंधक बनाने, उसके साथ यौन उत्पीड़न और यातना के आरोप

(केस संख्या 11428.24.71.2018)

आयोग को 30 मार्च 2018 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्नाव, उत्तर प्रदेश में कुछ व्यक्तियों द्वारा मान कुमारी नामक एक विदेशी महिला नागरिक को अवैध बंधक बनाने, उसके साथ यौन और शारीरिक उत्पीड़न, अत्याचार और यातना का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, शिकायत में केस दर्ज न करने और स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता पर प्रकाश डाला गया। केस का संज्ञान लेने पर आयोग ने संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देने को कहा। एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग ने कहा कि पीड़िता को बंधुआ मजदूर के रूप में रखे जाने और शारीरिक और यौन शोषण के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह स्पष्ट था कि राज्य के अधिकारियों और संवेदना अल्पवास गृह द्वारा मान कुमारी की पहचान करने और उसे नेपाल में उसके परिवार से मिलाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, मान कुमारी ने अपनी मजदूरी लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, सहायक श्रम आयुक्त की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पीड़िता को 2,12,395/- रुपये की मजदूरी का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया था। अतिरिक्त जिला प्रावधान अधिकारी ने यह भी बताया कि पीड़िता को ओल्ड एज होम में निःशुल्क आवास, कपड़े, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन सुविधाएं और भोजन मिल रहा था। रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने पाया कि पीड़िता को सभी देय वेतन का भुगतान किया गया था, और उसे ओल्ड एज होम में बुनियादी सुविधाएं मिल रही थीं। इसलिए, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि आगे की कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, 14 दिसम्बर 2023 को केस बंद कर दिया गया।

75. आयोग ने भूत-प्रेत के संदेह के कारण एक महिला का जबरन सिर मुंडने के केस में मुआवज़ा देने की सिफ़ारिश की।

(केस संख्या 24874.24.69.2022-डब्ल्यूसी)

योगेंद्र कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भूत-प्रेत के संदेह में एक महिला का जबरन सिर मुंडवाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। यह कृत्य कथित तौर पर घोरावल क्षेत्र की पंचायत द्वारा किया गया, जिसने पीड़िता का चेहरा भी काला किया और उसे पूरे गांव में घुमाया। शिकायतकर्ता ने आयोग से सहायता मांगी। शिकायत मिलने पर आयोग ने कार्रवाई का आदेश दिया। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर आठ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से एक, मकौड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें पीड़िता के लिए अंतरिम मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये की संस्तुति की गई। सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मुआवजा देने पर सहमति जताई। अपनी कार्यवाही में, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को अंतरिम मुआवजा देने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालांकि, अंतिम अपडेट के अनुसार, अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान का प्रमाण लंबित था।

76. स्लोवेनिया में एक शिविर के दौरान मुख्य कोच द्वारा महिला साइकिल चालक का यौन उत्पीड़न।

(केस संख्या 288.99.4.2022-डबल्यूसी)

आयोग ने 7 जून 2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक न्यूज का स्वतः संज्ञान लिया, जिसका शीर्षक था 'एक भारतीय महिला खिलाड़ी पीड़िता ने राष्ट्रीय स्प्रिंट टीम के मुख्य कोच आर. के. शर्मा पर स्लोवेनिया में एक शिविर के दौरान अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया।' आरोपी ने उसकी गरिमा का उल्लंघन किया और उसके विरुद्ध प्रतिकूल माहौल तैयार किया। कोच ने कथित तौर पर पीड़िता को धमकाया भी, जिससे उसका करियर खतरे में पड़ गया। यह देखते हुए कि पीड़िता के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन किया गया था, और कोच और खिलाड़ी के बीच एक भरोसेमंद रिश्ता होता है, जिसमें कोच पर खिलाड़ी की भलाई और कल्याण की देखभाल करने का भरोसा किया जाता है। आयोग का यह भी मानना है कि यदि न्यूज रिपोर्ट में आरोप सही हैं और अधिकारियों द्वारा ऐसी घटनाओं को संबोधित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अन्य महिला एथलीट न केवल असुरक्षित महसूस करेंगी, यह विषय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत भी आता है, जो धारा 2(ओ)(iv) में स्पष्ट रूप से कहता है कि कार्यस्थल में कोई भी खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर, प्रतियोगिता या खेल स्थल शामिल हैं, चाहे आवासीय हो या नहीं, जिसका उपयोग प्रशिक्षण, खेल या अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है। नतीजतन, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) को भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जांच करने की आवश्यकता है। आयोग ने युवा केस और खेल मंत्रालय और एसएआई को घटना और की गई कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और एसएआई को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की जांच रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया। इसने साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को पीड़िता की टिप्पणियां साझा करने का भी निर्देश दिया।

16.12.2022 को, टीओपीएस के सीईओ, भारतीय खेल प्राधिकरण ने एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि औपचारिक शिकायत प्राप्त होने पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया था। आईसीसी ने 7 जून 2022 को प्रारंभिक जांच की, और 8 जून 2022 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें श्री आर के शर्मा के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या केस स्थापित किया गया। आईसीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 जून 2022 को उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। 27 जून 2022 को आईसीसी की अंतिम रिपोर्ट के बाद, शिकायतकर्ता ने 11 जून 2022 को एफआईआर संख्या 207.2022 के तहत आईपी एस्टेट पुलिस थाने में श्री आरके शर्मा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्री आरके शर्मा के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी, जिन्हें दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। नई दिल्ली में भारतीय साइकिलिंग महासंघ के महासचिव ने आयोग के निर्देशानुसार पीड़िता की टिप्पणियों को आगे बढ़ाया। पीड़िता की टिप्पणियों सहित सभी सामग्रियों की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि कोचों को हमेशा ईमानदारी, निष्ठा और व्यावसायिकता के साथ काम करके आदर्श व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। श्री आर.के. शर्मा के अभद्र और गैरकानूनी व्यवहार के कारण पीड़िता को शर्मिंदगी और मनोवैज्ञानिक परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके लिए उन्हें आर्थिक मुआवजा और कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता थी।

आयोग ने कोचों के लिए पेशेवर आचरण बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया और मानसिक परेशानी और गरिमा के उल्लंघन के कारण एथलीट के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे की संस्तुति की। आयोग ने एसएआई और आरके शर्मा को नोटिस जारी किए - एसएआई को मुआवजा देने के लिए (बाद में आरके शर्मा से इसे वसूलना), और आरके शर्मा को मुआवजा वसूली के संबंध में कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, संबंधित पक्षों से जवाब प्राप्त हुए। आयोग ने एसएआई के जवाब की समीक्षा की और श्री राजेंद्र कुमार शर्मा के कारण बताओ जवाब को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं पाया, तदनुसार इसे अस्वीकार कर दिया। परिणामस्वरूप, आयोग ने 26 दिसम्बर 2023 की कार्यवाही में अपने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और संस्तुति की कि भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), दिल्ली के महानिदेशक पीड़ित महिला एथलीट को 5 लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा दे और आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग इस केस पर सक्रियता से विचार कर रहा है और संबंधित प्राधिकारी से जवाब का इंतजार कर रहा है।

बच्चे

77. रोलर से कुचली गई लड़कियों को मुआवजे का भुगतान, अनुपालन के बाद केस बंद।

(केस संख्या 18673.24.48.2019)

जुलाई 2019 को बारी गांव में पीएम आवास योजना निर्माण स्थल पर रोलर मशीन की चपेट में आने से प्रीति और रचना (नाबालिग) की मृत्यु के संबंध में शिकायत मिली। आयोग ने प्रत्येक पीड़िता के परिजनों को 1 लाख रुपये की अंतरिम राहत के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसकी पुष्टि हुई; अंतरिम मुआवजा सुनिश्चित करने और 8 सप्ताह के भीतर साक्ष्य पेश करने के निर्देश के साथ 1 जुलाई 2022 को केस बंद कर दिया गया। इस तथ्य के बावजूद कि निजी ठेकेदार ने मृतक लड़कियों के परिजनों को 50,000/- रुपये का भुगतान किया था, आयोग ने निर्धारित किया कि इन परिस्थितियों में विभाग सख्त दायित्व के लिए उत्तरदायी था। कई बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद, अधिकारी भुगतान के आवश्यक प्रमाण प्रदान करने में विफल रहे। मुख्य सचिव को जवाब के लिए सशर्त समन जारी किया गया। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने प्रत्येक मृतका के परिजनों को 50,000/- रुपये का भुगतान करने तथा शेष राशि चेक के माध्यम से उनके पिताओं को भेज दी गई। आयोग ने अंतत: केस को बंद कर दिया।

78. आयोग द्वारा उस केस में मुआवज़े की सिफ़ारिश की गई जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे की हत्या लापरवाही के कारण हुई।

(केस संख्या 2660.18.4.2021)

यह केस एक महिला की शिकायत के संबंध में है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके बेटे संजय राउत को ओडिशा में सरकार द्वारा वित्तपोषित नशा मुक्ति केंद्र के अधिकारियों ने बेरहमी से मार डाला। संजय को भर्ती होने के एक दिन बाद ही शौचालय में लटका हुआ पाया गया। आयोग द्वारा की गई आधिकारिक जांच में पाया गया कि अपर्याप्त देखभाल और पर्यवेक्षण के कारण यह राज्य की लापरवाही थी, जिसके कारण संजय ने आत्महत्या कर ली। राज्य की इस लापरवाही और जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ) द्वारा उचित निरीक्षण की कमी के कारण राज्य को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। आयोग ने राज्य को संजय के परिवारजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की। राज्य द्वारा अनुपालन में विफल रहने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी के साथ केस बंद कर दिया गया।

वृद्धजनों के अधिकार

79. मांसपेशीय कुपोषण से पीड़ित दिव्यांगजनों से संबंधित केस।

(केस संख्या 3842.20.23.2022)

आयोग को मांसपेशीय कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति (डॉ. वैभव भंडारी) से एक शिकायत मिली, जिसमें उन्होंने भारत में इस स्थिति से पीड़ित लोगों के लिए व्यापक समर्थन की कमी की शिकायत की थी। आयोग ने 4 अगस्त 2022 की शिकायत का संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि शिकायत की एक प्रति सचिव, दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार और सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाए। आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए, भारत सरकार के अवर सचिव, दुर्लभ रोग प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 12 अगस्त 2022 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार मांसपेशीय कुपोषण सहित दुर्लभ बीमारियों के लिए विशिष्ट अस्पतालों (सीओई) में इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता हाल ही में 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य दिव्यांगजनों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिनमें मांसपेशीय कुपोषण वाले लोग भी शामिल हैं। यह राशि राज्य और दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग होती है।

दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम (आरपीडबल्यूडी अधिनियम) 2016 दिव्यांगजनों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित विभिन्न अधिकारों और हकों की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त, सहायक उपकरण प्रदान करने और समावेशन का समर्थन करने के लिए योजनाएं मौजूद हैं। डॉ. भंडारी ने वादा किए गए वित्तीय सहायता और दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीआरडी) के तहत प्राप्त वास्तविक राशि के बीच विसंगति के बारे में चिंता व्यक्त की। आयोग ने मांसपेशीय कुपोषण से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मौजूदा विधायी ढांचे और

सरकारी योजनाओं पर ध्यान दिया और यह संस्तुति करते हुए केस को बंद कर दिया कि अधिकारी भविष्य के आवेदनों को तेजी से निपटाएं और निर्णय के लिए कारण बताएं। मांसपेशीय कुपोषण से पीड़ित लोगों को मौजूदा लाभों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयोग ने दिव्यांगता राहत प्रदान करने में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की।

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार

80. छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मेसर्स श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज में सिलिकोसिस से मौतें।

(केस संख्या 642.33.6.2018)

आयोग को 10 नवम्बर 2018 को गंगोत्री बाई कंवर और खीख राम यादव की कथित तौर पर सिलिकोसिस (औद्योगिक फेफड़ों की बीमारी) के कारण मौत के आरोपों के संबंध में एक सूचना मिली, जो मेसर्स श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। आयोग के निर्देशों के जवाब में, संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका विश्लेषण एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग द्वारा किया गया। जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के ड्यूटी अधिकारी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंवर की मृत्यु सिलिकोसिस के बजाय बेहोशी से हुई। कानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया गया और कारखाने का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। एनएचआरसी ने कहा कि चिकित्सकीय राय से पता चलता है कि दोनों मौतें तपेदिक के कारण हुई। श्रमिकों को आधिकारिक तौर पर नियोजित नहीं किया गया था और उनका सिलिकोसिस के लिए परीक्षण नहीं किया गया था।

इस केस में प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद, आयोग ने उचित सिलिकोसिस परीक्षण की कमी के कारण निष्कर्षों पर सवाल उठाया, क्योंकि सिलिकोसिस जैसी व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारियाँ कार्यस्थल पर उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आने से होती हैं। उपर्युक्त को देखते हुए, आयोग ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर मृतकों के लिए मुआवज़ा (प्रत्येक को 2 लाख रुपये) देने के लिए कहा। राज्य ने जवाब दिया कि पीड़ित सिलिकोसिस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें उनकी राज्य नीति के तहत मुआवज़ा दिया गया था। चिकित्सा राय और राज्य की कार्रवाई पर विचार करने के बाद, आयोग ने मुआवज़े के लिए अपनी संस्तुति को बरकरार रखा। राज्य ने प्रत्येक मृतक को 3 लाख रुपये का मुआवज़ा दिए जाने का साक्ष्य पेश किया। इसलिए, 26 अक्टूबर 2023 को केस बंद कर दिया गया।

81. यमुना नदी प्रदूषण

(केस संख्या 3049.30.0.2022)

आयोग को गुजरात के मानव अधिकार कार्यकर्ता अमृतलाल शंकरलाल सोलंकी से एक शिकायत मिली, जिन्होंने यमुना नदी के बिगड़ते प्रदूषण और सरकारी कार्रवाई की कमी के बारे में शिकायत की थी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों (दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) से 25 मई 2022 वाली रिपोर्ट का अनुरोध किया। रिपोर्टों में अधिकारियों द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का खुलासा किया गया, जैसे जल गुणवत्ता निगरानी, सीवेज उपचार योजनाएं और कार्य योजनाएं। दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नालों से अनुपचारित सीवेज की पहचान दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत के रूप में की है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की अध्यक्षता में यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था तथा यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, यमुना सफाई कार्य योजना के कार्यान्वयन एवं सफाई कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। एनएचआरसी ने हरियाणा और उत्तरप्रदेश से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

हरियाणा और दिल्ली ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों, जैसे सीवेज उपचार उन्नयन और औद्योगिक प्रबंधन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि उत्तर प्रदेश ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। जवाब में, 18 मई 2023 को हरियाणा सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उपचारित / अनुपचारित अपशिष्ट की नाली-वार मात्रा की स्थिति, समयसीमा के साथ कार्य योजना, यमुना जलग्रहण क्षेत्र में राज्य में सीवेज सृजन का अनुमान, यमुना जलग्रहण क्षेत्र में सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की अनुपालन स्थिति, यमुना जलग्रहण क्षेत्र में ग्राम एसटीपी की स्थिति, सीवर नेटवर्क बिछाने की स्थिति शामिल थी। आयोग इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और इन प्रयासों की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ भविष्य की प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं पर रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। एनएचआरसी सक्रिय रूप से यमुना नदी प्रदूषण मुद्दे के समाधान में लगा हुआ है। अधिकारी कई कदम उठा रहे हैं, लेकिन अनुपचारित सीवेज अभी

भी एक बड़ी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश की ओर से की गई कार्रवाई के साथ-साथ सभी पक्षों की व्यापक तस्वीर/ कार्ययोजना अपेक्षित थी।

82. ओडिशा के नाहडिया गांव में स्वच्छ पेयजल की कमी।

(केस संख्या 1175.18.12.2020)

आयोग को 14 अप्रैल 2020 को ओडिशा के खुर्दा निवासी रंजीत सुतार की शिकायत मिली। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि नहाड़िया गांव के लगभग 350 निवासियों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है और वे दूषित नदी और तालाब पर निर्भर हैं। इसके परिणामस्वरूप डायरिया और त्वचा रोग जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। आयोग ने शिकायत की जांच की और सितम्बर 2022 में कलेक्टर, पुरी से एक रिपोर्ट प्राप्त की, जिसमें कहा गया कि नहाड़िया गांव में 500 मीटर के दायरे में 5 मौजूदा ट्यूबवेल हैं। फरवरी 2022 में 4 ट्यूबवेल के पानी के नमूनों की जांच की गई और पाया गया कि इनका पानी पीने के लिए सुरक्षित हैं। पानी की उपलब्धता को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी अनुदान के तहत पाइप से जलापूर्ति परियोजना शुरू की गई। गांव में एक कुआं, एक ट्यूबवेल और एक पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित किया गया और विभिन्न स्थानों पर 5 पानी की टंकियां उपलब्ध कराने का काम चल रहा है।

आयोग ने 6 सितम्बर 2023 को केस को बंद कर दिया तथा कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे चार सप्ताह के भीतर पांचों पानी की टंकियों का निर्माण पूरा करें; आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें; तथा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें।

83. संगारेड्डी, तेलंगाना में गंध संबंधी परेशानी से संबंधित शिकायत।

(केस संख्या 2254.36.26.2021)

8 नवम्बर 2021 को तेलंगाना के संगारेड्डी के एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि प्रदूषण के कारण आस-पास के इलाके में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। 24 नवम्बर 2021 को एनएचआरसी ने शिकायत का संज्ञान लिया और तेलंगाना के संगारेड्डी के जिला मजिस्ट्रेट से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने दुर्गंध को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। एनएचआरसी ने जिला कलेक्टर और पीसीबी के मुख्य अभियंता को प्रदूषण को अनुमेय सीमा के भीतर रखने के लिए शिकायतकर्ता के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि निर्देशों का पालन करने के बाद दुर्गंध कम हो गई थी। एनएचआरसी ने केस को बंद कर दिया और जिला कलेक्टर और मुख्य अभियंता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आगे कोई प्रदूषण न हो।

84. श्री राम फूड्स (सलेम) के खिलाफ प्रदूषण की शिकायत।

(केस संख्या. 2791.22.31.2023)

सलेम के एक निवासी ने अपने घर के पास स्थित स्नैक फ़ूड फैक्ट्री श्री राम फ़ूड्स में प्रदूषण और सुरक्षा उपायों की कमी के बारे में शिकायत की। उन्होंने दावा किया कि फैक्ट्री अनुचित ईंधन का उपयोग करती है और मानसिक उत्पीड़न करती है। 21 नवम्बर 2023 को आयोग ने संज्ञान लिया और जिला मजिस्ट्रेट और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) से रिपोर्ट मांगी। TNPCB के अनुसार, श्री राम फ़ूड्स एक छोटी सी दुकान है जो आलू के चिप्स और केले के चिप्स जैसे स्नैक्स बनाती और बेचती है। उन्होंने ईंधन के रूप में काजू के छिलकों के इस्तेमाल के बारे में पिछली शिकायत को स्वीकार किया और उसका समाधान किया गया। वित्तीय बाधाओं के कारण, फैक्ट्री जलाऊ लकड़ी पर निर्भर है। टीएनपीसीबी ने स्पष्ट किया कि ऐसे छोटे खाद्य व्यवसाय स्थानीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और स्थानीय निकाय अधिनियमों और तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए शिकायतों को संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को भेज दिया। आयोग ने टीएनपीसीबी की कार्रवाइयों पर ध्यान दिया और जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बीडीओ उचित कानूनी कार्रवाई करे, और जिला मजिस्ट्रेट को आठ सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को भी सूचित करना चाहिए। उपरोक्त निर्देशों के अनुसार केस को बंद कर दिया गया।

नाविकों के अधिकार

85. श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या: एक द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) तंत्र को संस्थागत बनाया गया और मुआवज़े का भुगतान किया गया।

(केस संख्या 571.22.27.2021)

आयोग में एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु के रामनाद जिले के थंगाचिमादम के चार भारतीय नाविकों/मछुआरों को 18 जनवरी, 2021 को भारतीय तटीय सीमाओं के भीतर मछली पकड़ते समय श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मार दिया गया था। आयोग के निर्देशों के जवाब में, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दुखद घटना की सूचना दी, जिसमें चार भारतीय मछुआरों की मौत हो गई जब उनका जहाज श्रीलंकाई नौसैनिक जहाज से टकरा गया। नई दिल्ली में श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को एक कड़ा विरोध पत्र जारी किया गया और चारों मृतक मछुआरों के पार्थिव शरीर वापस कर दिए गए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय मछुआरों की सुरक्षा और बचाव को प्राथमिकता दी जाती है और मंत्रालय ने श्रीलंका के साथ मछुआरों के मुद्दे को हल करने के लिए एक द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह (जेडबल्यूजी) तंत्र और मंत्रिस्तरीय बैठकें शुरू की हैं। सरकार मछुआरों की सुरक्षा और हितों की पूरी तरह से रक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तमिलनाडु, चेन्नई के पुलिस महानिदेशक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि नाव मालिक की शिकायत के जवाब में नागपट्टिनम जिले के तिरुप्पुनवासल के मरीन पुलिस स्टेशन में एक केस (सं. 02.2021, दिनांक 19.01.2021) दर्ज किया गया था। रामनाथपुरम जिले के जिला कलेक्टर ने चार मृतकों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10.00 लाख रुपये का चेक प्रदान किया। राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। इन प्रस्तुतियों के आलोक में, आयोग ने निर्धारित किया कि आगे कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है और केस को बंद कर दिया।

व्यापार और मानव अधिकार

86. हल्दिया रिफाइनरी दुर्घटना केस

(केस संख्या 87.25.23.2022)

वर्तमान केस में, आयोग को 29 दिसम्बर 2021 को मानव अधिकार कार्यकर्ता सागर कुमार जेना से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिन्होंने आयोग को हल्दिया रिफाइनरी में पांच श्रमिकों की मौत और 36 अन्य के घायल होने की सूचना दी, जिसे रखरखाव के लिए बंद कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में हल्दिया रिफाइनरी में रखरखाव कार्य के दौरान अचानक आग लग गई। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल और जिला मजिस्ट्रेट, पुरबा, मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देशों के जवाब में, अधिकारियों से एक विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि संबंधित संयंत्र और मशीनरी की जांच, विभिन्न व्यक्तियों से पूछताछ, विभिन्न सीसीटीवी फुटेज की जांच, दस्तावेजों, लॉगबुक और वर्क परमिट की समीक्षा के बाद, कारखाने के प्रबंधक और अधिभोगी को विस्तृत जांच रिपोर्ट जारी की गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने भी इस दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक जांच की और जांच में फैक्ट्री प्रबंधन के सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियां सामने आईं। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। रिपोर्ट की समीक्षा से पता चला कि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से लापरवाही बरती गई थी, जैसा कि हल्दिया के सहायक फैक्ट्री निदेशक ने दिनांक 9 मार्च 2022 की अपनी रिपोर्ट में बताया है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सेवकों की लापरवाही के परिणामस्वरूप पांच पुरुष श्रमिकों की मृत्यु हो गई, और 36 पुरुष श्रमिकों को गंभीर रूप से जलने की चोटें आईं, जो दर्शाता है कि इस घटना में घायल और मृतक दोनों श्रमिकों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था।

एनएचआरसी ने सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और मृतक श्रमिकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये और घायल श्रमिकों को 25-25 हजार रुपये मुआवजा देने की संस्तुति की। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि वे छह सप्ताह की अवधि के भीतर मुआवजा राशि का वितरण सुनिश्चित करें और तदनुसार आयोग को मुआवजा राशि के भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट भेजें। हालांकि, अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान का साक्ष्य अभी प्रतीक्षित है।

मानव दुर्व्यापार

87. बरहामपुर रेलवे स्टेशन पर बच्चों के दुर्व्यापार की चिंताजनक घटना।

(केस संख्या 35.18.5.2023)

आयोग ने 2 जनवरी 2023 को उड़ीसा पोस्ट में प्रकाशित एक न्यूज रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें उड़ीसा के बरहामपुर रेलवे स्टेशन पर बाल दुर्व्यापार का खुलासा किया गया था, और इस मार्ग से बाल श्रम की तस्करी के बारे में चिंता जताई गई थी। केस की गंभीरता से चिंतित, आयोग ने 6 जनवरी 2023 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया, जिसमें इन राज्यों में बाल दुर्व्यापार की शुरूआत, वहां से गुजरने या समाप्त होने की घटनाओं के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई; संवैधानिक प्रावधानों और मौजूदा कानूनों के अनुरूप बाल दुर्व्यापार को खत्म करने के लिए अपनाए गए या अपनाए जाने वाले तंत्रों के बारे में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव से प्रतिक्रिया मांगी; बरहामपुर स्टेशन पर हुई घटना के समान, देश भर में रेलवे कर्मियों द्वारा सक्रिय सतर्कता के लिए कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को एक नोटिस का निर्देश दिया; और मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए एसओपी के कार्यान्वयन और संबंधित केसों में जांच और सजा के परिणामों पर व्यापक रिपोर्ट के लिए बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को नोटिस जारी किए।

इन निर्देशों के जवाब में, विभिन्न अधिकारियों ने अपने प्रयासों और चुनौतियों का विवरण देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की: डीआईजी – समन्वय, आरपीएफ और रेलवे बोर्ड ने अपने प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण साझा किया। पुलिस महानिदेशक, पुलिस विभाग, आंध्र प्रदेश ने पंजीकृत मानव दुर्व्यापार के मामलों पर डेटा प्रस्तुत किया। आयोग ने बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया और आयोग को ये रिपोर्टें हुई। आयोग स्थिति और संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं का सक्रिय रूप से मूल्यांकन करना जारी रखे हुए है। आयोग बाल दुर्व्यापार को रोकने और संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित उपाय किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

बिजली का करंट लगने से मौतें (इलैक्ट्रोक्शून)

88. ओडिशा के गंजाम में नीचे लटके हाई-वोल्टेज तार के संपर्क में आने से बिजली का झटका लगने से मौत

(केस संख्या 3915.18.5.2022)

आयोग को 21 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के गंजाम में 42 वर्षीय मुरली परिदा की बिजली का झटका लगने से मौत होने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मिली, जिसमें बिजली विभाग की लापरवाही का हवाला दिया गया था। शिकायतकर्ता ने केस को सुलझाने के लिए आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की। आयोग के निर्देशों के जवाब में, ओडिशा सरकार के ऊर्जा विभाग के अपर सचिव और गंजाम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से घटना का विवरण देते हुए रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह पता चला कि मृतक, मुरली परिदा की मौत 11 केवी ओवरहेड लाइन के करीब 5.75 मीटर लंबी लोहे की पाइप को हैंडल करते समय हुई। संपर्क के परिणामस्वरूप बिजली का झटका लगा और जलने की चोटें आईं, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) का केस दर्ज किया गया और जांच में निष्कर्ष निकला कि मौत का कारण बिजली का झटका था। इसके बाद, परिवार को रेड क्रॉस फंड से 10,000 रुपये का मुआवजा मिला। जांच में मौत का कारण बिजली का करंट लगने की पुष्टि हुई और सुरक्षा विनियमन उल्लंघन का पता चला। एनएचआरसी ने निष्कर्ष निकाला कि अर्थ फाल्ट सुरक्षा प्रणाली के अनुचित रखरखाव के कारण बिजली विभाग उत्तरदायी था। मानव अधिकारों के उल्लंघन का निष्कर्ष निकालते हुए, आयोग ने देखा कि यदि सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमन, 2010 के विनियमन 12(1) के अनुसार अर्थ फाल्ट सुरक्षा प्रणाली को बनाए रखा गया होता तो दुर्घटना को टाला जा सकता था। यह नोट किया गया कि फाल्ट सुरक्षा प्रणाली को ठीक से बनाए नहीं रखा गया था, जिससे यह दुखद घटना हुई। आयोग ने निर्धारित किया कि राज्य अपने सेवक के लापरवाह कृत्य के लिए उत्तरदायी है। नतीजतन, आयोग ने मुरली परिदा के परिवार के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे के भुगतान की संस्तुति की। प्रारंभिक प्रतिरोध के बाद, ओडिशा सरकार ने संस्तुति का अनुपालन किया। मुआवजे के भुगतान की पुष्टि होने पर केस बंद कर दिया गया।

89. ओडिशा में एक नाबालिग की बिजली का करंट लगने से मौत

(केस संख्या 3191.18.6.2022)

आयोग को श्री दिलीप कुमार दास की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई। एक मानव अधिकार कार्यकर्ता ने पद्मिनी मेहर, एक 16 वर्षीय लड़की, जो अपने घर के पास एक ढीली बिजली की लाइन के संपर्क में आने के बाद करंट लगने से मर गई, के केस में विद्युत विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की। अधीक्षण अभियंता सह उप विद्युत निरीक्षक कालाहांडी और नुआपाड़ा के कार्यालय ने आयोग के निर्देशों के अनुसरण में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट से निष्कर्ष निकला कि टीपीडब्ल्यूओडीएल (विद्युत वितरण कंपनी) द्वारा उचित रखरखाव से दुर्घटना को रोका जा सकता था। राज्य सरकार ने दुर्घटना का कारण तेज़ तूफान को माना, जिसके कारण बिजली की लाइन टूट गई। रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, आयोग ने प्रकृति के कृत्य को स्वीकार किया, लेकिन सावधानी न बरतने के लिए विभाग को भी दोषी पाया और पद्मिनी के परिवार के लिए 3 लाख रुपये के मुआवजे की संस्तुति की। कारण बताओ नोटिस के बाद राज्य सरकार ने सिफ़ारिश का अनुपालन किया और टीपीडब्लूओडीएल ने मुआवज़ा राशि वितरित की। भुगतान की पुष्टि होने पर केस बंद कर दिया गया।

90. ओडिशा के बौध जिले में बिजली का करंट लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।

(केस संख्या 4270.18.19.2022)

आयोग को एक मानव अधिकार कार्यकर्ता से शिकायत मिली थी जिसमें ओडिशा के बौध जिले में बिजली का करंट लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत के केस में बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। आयोग के निर्देश के अनुसरण में, अपर मुख्य अभियंता और विद्युत निरीक्षक, बरहामपुर के कार्यालय द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति अभियंता कुटीर ज्योति योजना के तहत एकल-चरण घरेलू आपूर्ति स्थापित करते समय घर में अर्थिंग टर्मिनल प्रदान करने में विफल रहा, जो सीईए विनियम 2010 में निर्धारित विद्युत सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन था। शुरुआत में, बिजली विभाग ने जिम्मेदारी से इनकार करते हुए घर के मालिक पर दुरुपयोग का आरोप लगाया। हालांकि, आयोग ने पाया कि इस घटना में बिजली के उपकरणों का गलत इस्तेमाल शामिल था, लेकिन बिजली विभाग द्वारा अर्थिंग टर्मिनल प्रदान करने और सीईए विनियम 2010 में निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करने में विफलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आयोग ने कुछ उपयोगकर्ता की गलती को स्वीकार किया लेकिन सुरक्षा उपायों में विभाग की लापरवाही पर जोर दिया। एनएचआरसी ने मृतकों के परिवारों को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये की संस्तुति की। सरकार ने संस्तुति का अनुपालन किया और कुल 12 लाख रुपये का भुगतान किया। भुगतान की पुष्टि होने पर केस बंद कर दिया गया।

91. बिजली कर्मचारी की बिजली का करंट लगने से गिरने के कारण मौत।

(केस संख्या 2310.18.4.2021)

आयोग को पूर्ण चंद्र बेहरा की मौत के संबंध में एक शिकायत मिली थी, जिनकी ओडिशा के ढेंकनाल में बिजली की सजावट का काम करते समय ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई थी। आयोग के निर्देशों के जवाब में, ओडिशा के ढेंकनाल के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इन रिपोर्टों के अनुसार, पूर्ण चंद्र बेहरा संबंध में एक अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) का केस, संख्या 72, पी.एस. शहीद नगर में, दिनांक 21 अक्टूबर 2019 को दर्ज किया गया था। इसके बाद, मस्तिष्क की चोट और उससे जुड़ी जटिलताओं को मौत का कारण बताते हुए जांच बंद कर दी गई। यह उल्लेखनीय है कि शुरू में मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। गहन जांच के बाद, ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था। आयोग ने शिकायत की जांच की, और जांच में स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त जांच का पता चला। एनएचआरसी ने जिला मजिस्ट्रेट को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत मुआवजा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, पुलिस अधीक्षक, एचआरपीसी, कटक, ओडिशा ने पीड़ित के माता-पिता को मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। भुगतान की पुष्टि होने पर केस बंद कर दिया गया।

92. झारखंड के दुमका जिले में बिजली का करंट लगने से मौत के केसों में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 763.34.5.2020)

दिनांक 1 अगस्त 2020 की एक शिकायत आयोग में प्राप्त हुई, जिसमें झारखंड के दुमका जिले में 29 जुलाई 2020 को 11 केवी बिजली ट्रांसमिशन तार के संपर्क में आने से दो महिलाओं की करंट लगने से हुई मौत पर प्रकाश डाला गया। आयोग ने 4 अगस्त 2020 को झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और दुमका, झारखंड के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी। दुमका के पुलिस अधीक्षक ने एसडीपीओ-सदर, दुमका की रिपोर्ट के साथ एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें घटनाओं का विवरण और दर्ज किए गए संबंधित पुलिस केसों का विवरण दिया गया। जांच में पता चला कि दुर्घटनाएं अवैध और अनधिकृत आपूर्ति लाइन और बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से लापरवाही के कारण हुईं। निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में स्वचालित ट्रिपिंग उपकरणों की स्थापना, भारतीय विद्युत विनियमन के नियमन 44 ए के अनुसार रिपोर्टिंग नियमों का पालन और निकट संबंधी को संगत मुवावजे का भुगतान की राय दी गई।

रिपोर्टों के अवलोकन पर पाया गया कि कानून के अनुसार उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे, जो राज्य की ओर से लापरवाही दर्शाती है। आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को मृतक के परिजनों को 3,50,000 रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का निर्देश दिया। जवाब में, झारखंड के बिजली विभाग के अवर सचिव ने कहा कि मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये का भुगतान किया गया था। हालांकि, 16 अगस्त 2022 को आयोग की एक कैंप सिटिंग के दौरान यह नोट किया गया कि शेष राशि 1,50,000 रुपये का भुगतान नहीं किया गया था। आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दुमका, झारखंड के जीएम - सह-मुख्य अभियंता को भुगतान करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देश के जवाब में, झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग के उप सचिव ने मृतक की निकट संबंधी मंजू देवी, भुगतान के साक्ष्य के साथ संलग्न की। यह रिपोर्ट झारखंड के दुमका जिले में बिजली का करंट लगने से हुई मौतों के केस में आयोग की कार्रवाई, निर्देश और प्राप्त प्रतिक्रिया को रेखांकित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। आयोग के प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ कि आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए मृतकों के परिवारों को मुआवज़े की पूरी राशि मिले।

93. रांची, झारखंड में हाईटेंशन लाइन पर काम करते समय पीड़ित देवाशीष सेन की बिजली का करंट लगने से हुई मौत के केस में मुआवजा दिलाने में आयोग की भूमिका

(केस संख्या 1402.34.4.2020)

आयोग को दिनांक 5 नवम्बर 2020 को श्री निर्मल कुमार मुखर्जी से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि देवाशीष सेन की मृत्यु झारखंड बिजली विद्युत निगम लिमिटेड के लिए हाईटेंशन बिजली लाइन पर काम करने के दौरान करंट लगने से हुई। उन्होंने आयोग से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने का आग्रह किया। शिकायत मिलने के बाद आयोग ने तुरंत कार्रवाई की। 4 जनवरी 2021 को श्रम आयुक्त, धनबाद और महाप्रबंधक, झारखंड बिजली विद्युत निगम लिमिटेड, धनबाद, झारखंड को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए। आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण, रांची, झारखंड में आयोग के शिविर के दौरान केस पर चर्चा की गई। मौके पर मौजूद मृतक की बहन ने पहले से दिए गए 1,50,000 /- रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए, इस पर असंतोष व्यक्त किया। उसने मुआवजे में वृद्धि तथा स्थायी नौकरी हेतु अनुरोध किया। केस के तथ्यों का मूल्यांकन करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि देवाशीष सेन की मृत्यु हाई-टेंशन लाइन पर काम करते समय करंट लगने से हुई। ठेकेदार के माध्यम से काम करने के बावजूद, यह घटना झारखंड बिजली विद्धुत निगम लिमिटेड, धनबाद की हाई-टेंशन लाइन पर हुई। आयोग ने निर्धारित किया कि 1.5 लाख रुपये का प्रारंभिक मुआवजा अपर्याप्त था और मुआवजे में अतिरिक्त 3.25 लाख रुपये की संस्तुति की। बिजली विभाग ने अनुपालन किया और पूरे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया। भुगतान की पुष्टि होने पर केस बंद कर दिया गया।

94. गगनदीप की बिजली का करंट लगने से हुई मौत के केस में आयोग की कार्रवाई।

(केस संख्या 3280.4.12.2020)

मानव अधिकार संरक्षक ने बिहार के गोपालगंज में ट्रक चालक गगनदीप की मौत के केस में बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के गोपालगंज में ट्रक चालक गगनदीप की मौत बिजली के तार के संपर्क में आने के बाद हुई थी। आयोग ने केस की जांच की और पाया कि ट्रक बिजली

के तार के संपर्क में आ गया था, जिससे ट्रक जल गया और चालक की मौत बिजली के तार के संपर्क में आने से हुई। जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला कि एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच वाले तार ढीले/लटके हुए था और दुर्घटना के समय भी ये तार लटके हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप, ट्रक में करंट प्रवाहित हो गया और चालक की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद एनबीपीडीसीएल द्वारा खंभों को करीब 2 मीटर ऊपर उठाना इस बात का सबूत है कि बिजली विभाग की लापरवाही थी। नतीजतन, यह निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य बिजली के खंभों का उचित रखरखाव और निगरानी करने में विफल रहा है और इस विफलता के परिणामस्वरूप हुई घटना को बिजली विभाग की ओर से लापरवाही माना गया। एनएचआरसी ने निष्कर्ष निकाला कि बिजली विभाग की लापरवाही ने मृतक के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया और मृतक के परिवार को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

राज्य प्राधिकारी से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार ने कहा कि विद्युत दुर्घटना विनियमन के पीड़ितों को मुआवजा - 2018 आर/डब्ल्यू बीएसपीएचसी के 15 जून 2019 के संकल्प में मृतक विद्युत दुर्घटना पीड़ित के रिश्तेदार को 4,00,000/- रुपये के मौद्रिक मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है। एनएचआरसी के हस्तक्षेप के बाद, राज्य सरकार ने मुआवजे के रूप में पूरे 4 लाख रुपये का भुगतान किया। भुगतान की पुष्टि होने पर एनएचआरसी ने केस बंद कर दिया।

95. विधवा ने अपने पति की बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली का करंट लगने से मौत का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की।

(केस संख्या 5911.24.68.2020)

शिकायतकर्ता का दावा है कि उसके पति, जो विद्युत विभाग में संविदा पर लाइनमैन थे, विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के परिणामस्वरूप ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मर गए। इस घटना ने उसे और उसके बच्चों को अनाथ कर दिया, और वह अनुकंपा नियुक्ति और 50,00,000/- रुपये के मुआवजे की मांग कर रही है। केस की जांच करने के बाद, आयोग ने राज्य के अधिकारियों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिससे पता चला कि यूपीपीसीएल को 2,00,000/- रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 3,10,000/- रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, यह पता चला कि संयुक्त निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ड्यूटी पर मौजूद एसएसओ श्री बृजेश कुमार को उत्तरदायी ठहराया था। आयोग यूपीपीसीएल के जवाब से असंतुष्ट था इसके बाद राज्य ने पुष्टि की कि शिकायतकर्ता को 2,00,000/- रुपये का अनुशंसित मुआवज़ा मिल गया है और दोषी अधिकारियों को सेवा से हटा दिया गया है। आयोग ने अपनी संस्तुति के अनुपालन के कारण केस को बंद कर दिया।

96. 16 वर्षीय लड़की की बिजली का करंट लगने से हुई मौत के बाद आयोग ने मुआवजे की संस्तुति की पुष्टि की

(केस संख्या 3793.24.19.2022)

यह केस 16 वर्षीय लड़की की दुखद मौत से जुड़ा है, जो अपने घर की छत से गुजर रहे हाई-टेंशन बिजली के तार की चपेट में आकर करंट लगने से मर गई थी। नोटिस के बावजूद, घटना की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से महत्वपूर्ण रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई। आयोग ने सहयोग की कमी की आलोचना की और बिजली विभाग के विनियामक अनुपालन के दावे पर सवाल उठाए। आयोग ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विसंगतियां पाईं और ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन क्लीयरेंस को नियंत्रित करने वाले बिजली नियमों के उल्लंघन को उजागर किया। नतीजतन, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें मृतक के रिश्तेदार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की संस्तुति की गई। जवाब में, सरकार ने संस्तुति की गलतफहमी का हवाला देते हुए केवल 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया। आयोग ने केस पर दिए गए सावधानीपूर्वक विचार और मूल रूप से अनुशंसित मुआवजे के महत्व पर जोर देते हुए अपनी स्थिति दोहराई। आयोग ने अपने कारण बताओ नोटिस को बरकरार रखा और मृतक के रिश्तेदार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने की अपनी संस्तुति की पुष्टि की। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को छह सप्ताह के भीतर धनराशि वितरित करने और भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों का अनुपालन अभी लंबित है।

97. बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पीड़ित की करंट लगने से मौत हो गई क्योंकि बिजली विभाग हाईटेंशन तार की न्यूनतम दूरी बनाए रखने में विफल रहा।

(केस संख्या 3799.12.33.2021)

इस केस में, आयोग को मध्य प्रदेश के रायसेन की सुश्री रेखा देवी से 13 दिसम्बर 2021 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि उनके पति लेफ्टिनेंट कारे यादव की उनके घर में हाई-टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आने के बाद करंट लगने से मृत्यु हो गई। आयोग ने 13 दिसम्बर 2021 को प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और रायसेन जिला मजिस्ट्रेट, एमपी से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। आयोग के निर्देशों के जवाब में, मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत विभाग के विशेष ड्यूटी अधिकारी से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि शिकायत में आरोपित मृत्यु के तरीके की पुष्टि हुई थी। आयोग ने रिकॉर्ड की जांच की। इस मुद्दे को नियंत्रित करने वाला कानून केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमन, 2010 है, जिसे राजपत्र संख्या सीईआई.1.2.2015 दिनांक 13 अप्रैल 2015 द्वारा संशोधित किया गया है। विनियमन 58 का अध्याय VII अन्य बातों के अलावा, ओवर हेड लाइनों के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को संबोधित करता है। विनियमन 58 में ओवरहेड लाइनों के सबसे निचले कंडक्टर के लिए जमीन से ऊपर न्यूनतम निकासी दूरी की आवश्यकता होती है। विनियमन 61 के अनुसार, जहां तक संभव हो, एक ओवरहेड लाइन किसी मौजूदा इमारत के ऊपर से नहीं गुजरेगी, और 650 वी से अधिक वोल्टेज वाली मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई इमारत नहीं बनाई जाएगी। विनियमन 63 में किसी व्यक्ति द्वारा नई इमारत या संरचना खड़ी करने का इरादा होने पर इमारत के निर्माण या परिवर्तन से पहले संबंधित प्राधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होती है। यह अनिवार्य किया गया था कि ऐसी इमारत या परिवर्तन पर कोई भी काम तब तक शुरू या जारी नहीं रहेगा, जब तक कि विद्युत निरीक्षक यह प्रमाणित न कर दे कि निर्माण के दौरान और उसके बाद विनियमन 58, 60 और 61 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। इसके अलावा, विनियमन 72 में अनिवार्य अर्थिंग की आवश्यकता होती है, जबकि विनियमन 73 में लाइन को विद्युत रूप से सुरक्षित बनाने के लिए अर्थ गार्डिंग जैसे सुरक्षात्मक उपकरणों की आवश्यकता होती है। 2015 के संअनुसंधानन के अनुसार, विनियमन 42 यह अनिवार्य करता है कि 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के अलावा प्रत्येक विद्युत स्थापना को विद्युत की आपूर्ति को भू-रिसाव सुरक्षात्मक उपकरण द्वारा नियंत्रित किया जाए, जो भू-गलन या विद्युत रिसाव की स्थिति में आपूर्ति को तत्काल डिस्कनेक्ट करने में सक्षम हो, जब तक कि विनियमन 73 के अनुसार पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरण पहले से ही मौजूद न हों।

एनएचआरसी ने विभाग के इस तर्क को खारिज कर दिया कि घर के मालिक की हरकतें पूरी तरह से दोषी थी और असुरक्षित निर्माण को न रोक पाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को लापरवाह पाया। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमन, 2010 के नियमन 73 के साथ नियमन 42 के अधिदेश के अनुसार कोई सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए थे। आयोग ने परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजे की संस्तुति की। मध्य प्रदेश सरकार ने एनएचआरसी के फैसले को रिट याचिका संख्या 4676.2023 में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश के समक्ष चुनौती दी। एनएचआरसी ने उच्च न्यायालय के फैसले के लंबित रहने तक केस को बंद कर दिया

98. मूर्ति विसर्जन के दौरान बिजली का करंट लगने से व्यक्ति की मौत

(केस संख्या. 3999.18.27.2022)

आयोग को 7 नवम्बर 2022 को नई दिल्ली के शिकायतकर्ता श्री राधाकांत त्रिपाठी, अधिवक्ता और अधिकार कार्यकर्ता से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ओडिशा में एक जुलूस वाहन पर एक धातु डीजे स्टैंड के नीचे लटकी बिजली की लाइन के संपर्क में आने से बिस्वजीत लेंका नामक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने अनुचित लाइन रखरखाव के लिए बिजली विभाग (टीपीसीओडीएल) पर लापरवाही का आरोप लगाया। आयोग ने 17 नवम्बर 2022 के अपने आदेश के तहत ओडिशा सरकार के बिजली और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, केंद्रपाड़ा, ओडिशा से केस में रिपोर्ट मांगी है। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, पुलिस अधीक्षक, केंद्रपाड़ा, ओडिशा से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, साथ ही एसडीपीओ, केंद्रपाड़ा की रिपोर्ट भी मिली, जिसमें खुलासा हुआ कि गांव कसौटी में, किसी भी उचित प्राधिकारी की अनुमति के बिना, देवी गजलक्ष्मी विसर्जन जुलूस आयोजित किया

गया। जुलूस के दौरान मृतक बिस्वजीत लेंका ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साउंड बॉक्स ले जा रहे वाहन के चेसिस को धक्का दिया था। इस दौरान, बक्सों की रेलिंग गलती से 11 केवी बिजली के तार से टकरा गई, जिससे बिस्वजीत लेंका, परशुराम दास, जोकर मथुरा मलिक, मनोज कुमार सेठी और साहिल कुमार दास घायल हो गए। उन्हें तुरंत मार्शाघाई में सीएचसी में ले जाया गया, जहाँ बिस्वजीत लेंका को मृत घोषित कर दिया गया, और बाकी लोगों को केंद्रपाड़ा में डीएचएच में ले जाया गया। उपचार के बाद, घायलों को उनके संबंधित घरों में वापस भेज दिया गया। रेड क्रॉस फंड से मृतक बिस्वजीत लेंका को 20,000/- रुपये मिले, जबकि अन्य घायलों को 10,000/- रुपये मिले।

31 मार्च 2023 की एक अन्य रिपोर्ट ओएएस (एसएजी), सरकार के अपर सचिव से प्राप्त हुई, साथ ही मुख्य अभियंता सह सीईआई (सीजेड), ओडिशा, भुवनेश्वर और मुख्य सुरक्षा अधिकारी, टीपीसीओडीएल, भुवनेश्वर की जांच रिपोर्ट भी मिली। सीई सह सीईआई (सीजेड), ओडिशा, भुवनेश्वर की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित श्री बिस्वजीत लेंका की मौत बिजली का करंट लगने के परिणामस्वरूप हुई, जैसा कि वीडियोग्राफिक साक्ष्य से निर्धारित हुआ है। टीपीसीओडीएल अधिकारियों ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) नियमन, 2010 के नियमन 15 के अनुसार गाँव की सड़कों पर अपने वितरण नेटवर्क की एचटी और एलटी लाइनों की ग्राउंड क्लीयरेंस को बनाए रखने का काम ईमानदारी से नहीं किया, जो मुख्य रूप से दुर्घटना का कारण बना। इसके अलावा, पूजा समिति के सदस्यों ने गांव की सड़क पर जुलूस के लिए एक बड़ा वाहन किराए पर लिया और देवी लक्ष्मी विसर्जन प्रक्रिया के दौरान फीड़र को बंद करने के लिए टीपीसीओडीएल अधिकारियों से अनुमति नहीं ली।

एनएचआरसी ने रिपोर्टों के अवलोकन के बाद दोनों पक्षों को, यानी जुलूस के आयोजकों को सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने और टीपीसीओडीएल को लाइन रखरखाव की उपेक्षा करने के लिए जिम्मेदार पाया। एनएचआरसी ने पीड़ित के परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजे की संस्तुति की। आयोग के उपर्युक्त निर्देशों के जवाब में, एडीएम, केंद्रपाड़ा, ओडिशा से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिन्होंने उप-विभागीय पुलिस अधिकारी, केंद्रपाड़ा की रिपोर्ट को अग्रेषित किया, जिसमें कहा गया था कि 18 अक्टूबर 2022 को कसौटी गांव में देवी गजलक्ष्मी की एक जुलूस बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के आयोजित की गई थी, जिसके लिए जिला प्रशासन या टीपीसीओडीएल द्वारा कोई पूर्व व्यवस्था नहीं की जा सकी थी। इस दृष्टिकोण से, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कवर नहीं किया जा सकता है; इसलिए, इस कार्यालय ने अनुरोध किया कि आयोग पीड़ित को मुआवज़ा देने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ़ आरोपों से छूट दे। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग ने 1 अगस्त 2023 के एक आदेश में, ओडिशा सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से मृतक के रिश्तेदार को 5 लाख रुपये की आर्थिक राहत देने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि कारण बताओ नोटिस जारी करते समय इस केस के सभी पहलुओं पर विचार किया गया था, और जिला प्रशासन की ओर से प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब आयोग के निष्कर्षों का खंडन नहीं करता है। अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 14 फरवरी 2024 को केस बंद कर दिया गया।

रैगिंग

99. गंजाम, ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर के महाविद्यालयों में रैगिंग की घटनाएँ।

(केस संख्या 4197.18.5.2022)

आयोग को मानव अधिकार कार्यकर्ता से एक शिकायत मिली, जिसमें उसने गंजाम, ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा रैगिंग की घटनाओं और उत्पीड़न में वृद्धि के बारे में शिकायत की, जैसा कि समाचारों में बताया गया है। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और गंजाम, ओडिशा के पुलिस अधीक्षक से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। जवाब में, पुलिस अधीक्षक, ब्रह्मपुर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पीड़िता हंसिका सिन्हा, एमकेसीजी, एमसीएच, ब्रह्मपुर में चौथे वर्ष की 22 वर्षीय छात्रा, जो एक महिला छात्रावास में रह रही थी, से जुड़ी एक घटना का खुलासा हुआ। हंसिका सिन्हा की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी सुपन कुमार पाढ़ी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और आरोप पत्र दायर किया गया है। केस अभी न्यायालय में विचाराधीन है। रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर, आयोग ने पाया कि सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा केस न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए आयोग इस केस में आगे हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है तथा 19 सितम्बर 2023 को केस बंद कर दिया गया।

100. ओडिशा के बरहामपुर स्थित बिनायक आचार्य महाविद्यालय में 15 वर्षीय लड़की का उत्पीड़न।

(केस संख्या 4109.18.22.2022)

17 नवम्बर 2022 में, आयोग को ओडिशा के गंजाम निवासी बिनोद कुमार सबत की ओर से एक शिकायत मिली। शिकायत एक 15 वर्षीय लड़की से जुड़ी एक परेशान करने वाली घटना पर केंद्रित थी, जो ओडिशा के बरहामपुर में बिनायक आचार्य महाविद्यालय की छात्रा थी, और उसके वरिष्ठों द्वारा शारीरिक और मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया था और उसके साथ रैगिंग की गई थी। आयोग ने स्थिति का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। यह पता चला कि पीड़िता को वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया था, जिन्होंने उसके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की और उसे लड़कों को चूमने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा, उन्होंने परेशान करने वाली घटना को रिकॉर्ड किया और वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित किया, जिससे पीड़िता की पीड़ा और बढ़ गई। बरहामपुर में पुलिस अधीक्षक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर केस खोला गया था। 16 नवम्बर, 2022 को बड़ा बार पुलिस थाना केस नंबर 308 के रूप में दर्ज इस केस में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं, जिनमें 294, 292क, 342, 354ए, 354ख, 509, 506 और 34 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराएँ शामिल हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में आरोपियों की गिरफ़्तारी की पुष्टि की गई है, साथ ही अतिरिक्त सबूत जुटाने और अपराधियों के खिलाफ़ उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जाँच जारी है। उपरोक्त रिपोर्ट के मद्देनजर, चूँकि कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, इसलिए 19 अप्रैल 2023 को केस बंद कर दिया गया।

101. तेलंगाना के वारंगल शहर में काकतीय मेडिकल महाविद्यालय (केएमसी) में प्रथम वर्ष के छात्र की सीनियर्स द्वारा रैगिंग और हत्या

(केस संख्या 298.36.10.2023)

आयोग को 27 फरवरी 2023 को श्री एम. मल्लैया से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि तेलंगाना के वारंगल शहर में काकतीय मेडिकल महाविद्यालय (केएमसी) की प्रथम वर्ष की छात्रा, धारावत प्रीति की उसके वरिष्ठों ने रैगिंग के बाद हत्या कर दी। आयोग ने केस का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। वारंगल के पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि कथित घटना के संबंध में मटवाड़ा पीएस केस संख्या 69.23 के तहत आईपीसी की धारा 306.108.354 के साथ-साथ रैगिंग निषेध अधिनियम और एससी एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह भी उल्लेख किया गया कि केस की जांच चल रही है। प्रदान की गई रिपोर्ट की समीक्षा करने पर, आयोग ने पाया कि पीड़िता के पिता ने घटना के जवाब में कानूनी कार्रवाई की थी। इसलिए, आयोग ने आगे हस्तक्षेप करना अनावश्यक समझा। इसलिए केस 30 जून 2023 को बंद कर दिया गया।

102. जादवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में प्रथम वर्ष के छात्र की रैगिंग और हत्या

(केस संख्या 2556.25.5.2023)

आयोग को 9 अगस्त 2023 को जादवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में स्वप्नदीप कुंडू नामक प्रथम वर्ष के छात्र की कथित रैगिंग और उसके बाद हुई मौत के संबंध में हुगली, पश्चिम बंगाल के जन-भागीदारी सचिव दीपांकर मित्रा से एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत में वरिष्ठ विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों को इस घटना में शामिल किया गया, जिससे विश्वविद्यालय अधिकारियों की ओर से घोर लापरवाही और मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन उजागर हुआ। शिकायत प्राप्त होने पर आयोग ने केस का संज्ञान लिया और कोलकाता (पश्चिम), पश्चिम बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को केस में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देशों के जवाब में, कोलकाता के पुलिस आयुक्त के कार्यालय से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें जांच में प्रगति का संकेत दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व विद्यार्थियों सहित 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता, पश्चिम बंगाल शैक्षणिक संस्थान में रैगिंग निषेध अधिनियम, 2000 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत केस स्थापित किया गया था। 19 अक्टूबर 2023 को सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दायर किया गया और आरोपी व्यक्ति 17 नवम्बर 2023 तक न्यायिक हिरासत में रहे। अभिलेखों की

समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके और न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत करके आवश्यक कार्रवाई की थी। अब केस न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए आयोग ने आगे हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। तदनुसार, केस 21 दिसम्बर 2023 को बंद कर दिया गया।

103. आयोग ने रैगिंग की शिकायत का निपटान करते हुए दस्तावेज लौटाने तथा रैगिंग में शामिल विद्यार्थियों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया

आयोग को एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में उसके वरिष्ठों द्वारा रैगिंग का सामना करना पड़ा था। शिकायत में इस मुद्दे को हल करने में अधिकारियों की विफलता को भी उजागर किया गया था, जिसके कारण शिकायतकर्ता को कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कॉलेज ने शिकायतकर्ता के मूल शैक्षिक दस्तावेजों और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अपने पास रख लिया। संज्ञान लेने के बाद आयोग ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। पता चला कि चार विद्यार्थियों को रैगिंग का दोषी पाया गया था और प्रत्येक पर अन्य अनुशासनात्मक उपायों के अलावा 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। रजिस्ट्रार को उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जिनके तहत शिकायतकर्ता को कॉलेज छोड़ना पड़ा, बीडीएस पाठ्यक्रम को बीच में अधुरा छोड़ने के लिए 20 लाख रुपये के बॉंड के भुगतान की आवश्यकता के बिना, शिकायतकर्ता के मूल प्रमाणपत्र वापस करने के लिए अधिकृत किया गया था। चूंकि शिकायतकर्ता की शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निपटारा कर दिया गया था तथा उसके पास आगे कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए केस बंद कर दिया गया।

साइबर अपराध

104. साइबर अपराध और उत्पीड़न के आरोप: शिप्रा सन सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।

(केस संख्या 12848.24.31.2022)

आयोग को श्री दुष्यंत प्रताप सिंह से एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिप्रा सन सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में उनके निवास पर स्थापित उनके वाईफाई कनेक्शन को हैक कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने दावा किया कि असामाजिक तत्व उनका पीछा करते हैं, यहाँ तक कि अहमदाबाद, गुजरात में उनके विश्वविद्यालय में भी, जहाँ किसी ने उनका लैपटॉप चुरा लिया। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने में विफल रही। शिकायत मिलने पर, आयोग ने पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद, गुजरात और एसएसपी, गाजियाबाद, यूपी को आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद, आयोग को अधिकारियों से दो अलग-अलग रिपोर्टें प्राप्त हुई। पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद, गुजरात ने कहा कि साइबर अपराध की शिकायत की जाँच करते समय, यह पाया गया कि केस उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालाँकि, शिकायतकर्ता के लैपटॉप की कथित चोरी और केस दर्ज करने के लिए रिश्वत की माँग के संबंध में एक केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता से संपर्क करने के प्रयासों के बावजूद, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे केस बंद हो गया। एटीएम निकासी के बारे में एक अन्य शिकायत की भी जाँच की गई, लेकिन शिकायतकर्ता सहयोग करने में विफल रहा और अन्वेषण अधिकारी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनकी जांच के दौरान शिकायतकर्ता निर्देशानुसार उपस्थित नहीं हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के अभाव में मोबाइल फोन टैपिंग और बदमाशों द्वारा उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग ने शिकायतकर्ता से टिप्पणियाँ मांगीं, जो अभी भी प्रतीक्षित हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया पत्र बिना डिलीवर किए लौटा दिया गया, क्योंकि यह एकमात्र उपलब्ध पता था। कोई और पता विवरण नहीं मिला। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा वाई-फाई हैकिंग, उत्पीड़न और पुलिस निष्क्रियता के बारे में लगाए गए आरोपों की जांच के दौरान पुष्टि नहीं हो सकी और अपेक्षित कार्रवाई की गई, इसलिए आयोग को हस्तक्षेप की कोई और गुंजाइश नहीं मिली। इसलिए 27 अप्रैल 2023 को केस बंद कर दिया गया।

105. दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी।

(1802.30.8.2022)

शिकायतकर्ता नमन आनंद, नई दिल्ली ने आरोप लगाया कि उनके एचडीएफसी बैंक खाते से कुल 80,472 रुपये की राशि निकाल ली गई, जबकि उसने तुरंत ही केस की सूचना पुलिस

स्टेशन कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली और साइबर क्राइम सेल को सभी विवरणों के साथ दी थी। आरोपी ने पुलिस को शिकायत करने के पाँच दिन बाद भी पीड़ित को व्हाट्सएप वॉयस कॉल के ज़रिए कॉल करना जारी रखा और पैसे की आगे की प्रक्रिया के लिए पीड़ित को अपना आधार और पैन विवरण भेजने के लिए टेक्स्ट संदेश भेजे। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि उसने कभी भी चार अंकों का यूपीआई पिन दर्ज नहीं किया या ओटीपी, लिंक किए गए डेबिट कार्ड के अंतिम छह अंक, समाप्ति तिथि, डेबिट कार्ड पिन आदि साझा नहीं किए। आयोग ने केस की जाँच की और दिल्ली और हरिद्वार के पुलिस अधिकारियों से अपेक्षित जानकारी माँगी।

आयोग ने 27 फरवरी 2023 को केस पर विचार किया और पाया कि शिकायतकर्ता को साइबर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया, जिससे बैंक से उसकी मेहनत की कमाई एक पल में ही उड़ा ली गई। जबकि केस की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस और साइबर सेल को दी गई, फिर भी पीड़ित को लगातार 05 दिनों तक धोखेबाजों के फोन आते रहे। दिल्ली और उत्तराखंड में दो एफआईआर दर्ज की गईं। जालसाजों की कार्यप्रणाली एजेंसियों के लिए चुनौती बनी हुई है। संपत्ति की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है जो उसके नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। यह तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट था कि कैसे पूरे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकारियों की खामियां और लापरवाह आचरण, चाहे वह बैंकिंग हो, ऑनलाइन भुगतान गेटवे, मोबाइल सेवा प्रदाता आदि हों, रिपोर्ट किए गए साइबर अपराध के संचालन को सुचारू बनाते हैं, या तो जाने-अनजाने में और जांच एजेंसियों को इसे रोकना मुश्किल हो रहा है। संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट मांगी गई। इसके अलावा, रिपोर्टों से यह स्पष्ट था कि शिकायतकर्ता द्वारा हरिद्वार पुलिस के समक्ष दायर की गई एफआईआर, आईपीसी की धारा 420 के तहत पुलिस थाने के.एम.पुर/दक्षिण दिल्ली में दर्ज एफआईआर संख्या 361/2022 के समरूप होने के कारण बंद कर दी गई थी। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, डीसीपी, दक्षिण दिल्ली ने 2 नवम्बर 2023 को अपने पत्र के माध्यम से बताया कि जांच के दौरान, शिकायतकर्ता ने दो और संदिग्ध मोबाइल नंबर प्रदान किए थे, और उन्हें विवरण के लिए संबंधित नोडल कंपनियों को भेजा गया था। हालांकि, अथक प्रयासों के बावजूद, उनका पता नहीं लगाया जा सका। आयोग ने 29 दिसम्बर 2023 को केस पर विचार करते समय इस केस में दिल्ली पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनाए गए अनिच्छुक और सुस्त रवैये को देखा। संदिग्धों के कॉलिंग मोबाइल नंबर, यूपीआईडी, एस्क्रो खाते आदि का विवरण होने के बावजूद न तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, न ही चोरी की गई संपत्ति बरामद की जा सकी। दक्षिण दिल्ली के डीसीपी को इन मुद्दों पर अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित एफआईआर की जांच की आगे की प्रगति भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

27 अक्टूबर 2023 की कार्यवाही में, आयोग ने पाया कि 28 मार्च 2023 को डीसीपी ईस्ट, दिल्ली की रिपोर्ट सितम्बर 2022 में भेजी गई रिपोर्ट से हूबहू मिलती-जुलती थी। यह स्पष्ट था कि इन 07 महीनों के दौरान दिल्ली पुलिस ने बहुत कम या कोई प्रगति नहीं की थी। साथ ही, यह भी चौंकाने वाला है कि जब इस साइबर धोखाधड़ी केस में मेसर्स जाक पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा नाम की एक कंपनी का नाम सामने आया है, तो कंपनी के एस्क्रो अकाउंट को जब्त क्यों नहीं किया गया और निदेशकों से पूछताछ या गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। साथ ही, अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर अभी भी सक्रिय कैसे हैं और स्थान का पता लगाने और उपयोगकर्ता को पकड़ने और उसे गिरफ्तार करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया।

आयोग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई पर, एसएसपी हरिद्वार ने 6 सितम्बर 2023 को अपनी रिपोर्ट में बताया कि कथित तथ्यों में समानता के कारण केस में संबंधित एफआईआर बंद कर दी गई है और 19 मार्च 2023 को ऑनलाइन एफआर प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता, नमन आनंद को दिल्ली पुलिस के साथ केस को आगे बढ़ाने के लिए सूचित किया गया है, उन्होंने आईपीसी की धारा 420 के तहत पीएस के.एम पुर/दक्षिण दिल्ली, एफआईआर संख्या 361/2022 दर्ज की गई है। 10 अगस्त 2023 के निर्देशों के बाद, एसएसपी, हरिद्वार से 06.09.2023 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कथित तथ्यों में समानता के कारण आईपीसी की धारा 420 के तहत पीएस गंगनहर एफआईआर संख्या 734/2022 को बंद कर दिया गया है।

आवास का अधिकार

106. दिल्ली में आश्रय गृह बंद होने पर चिंताएँ

(केस संख्या 2835.30.1.2022)

आयोग को 1 मई 2021 को एक शिकायत मिली, जिसमें दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) द्वारा आश्रय गृहों को

बंद करने की संभावना का आरोप लगाया गया था, जिससे बेघर व्यक्तियों को विस्थापित किया जा सकता है। शिकायत में स्थिति की गंभीरता को उजागर किया गया था, जिसमें पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था के बिना पूर्व में बंद किए गए आश्रय गृहों का हवाला दिया गया था। आयोग ने मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन को पहचानते हुए केस का संज्ञान लिया। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें यथास्थिति बनाए रखने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, प्रभावित आश्रय गृहों की स्थिति का आकलन करने के लिए मौके पर जाँच का आदेश दिया गया। आयोग की टीम द्वारा 10 मई 2022 से 13 मई 2022 तक की गई जाँच के दौरान पाया गया कि आश्रय गृहों के निवासियों को अचानक बेदखली के नोटिस दिए गए, जिससे बेघर होने की चिंताएँ बढ़ गईं। इन आश्रयों की अस्थायी स्थिति और डीयूएसआईबी द्वारा उद्धृत परिचालन योजनाओं के बावजूद, निवासियों को पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था के बिना छोड़ दिया गया था। आयोग ने मुख्य सचिव को सभी आश्रय गृह निवासियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने और चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पुनर्वास में चुनौतियों के बावजूद, आश्रय गृह भोजन उपलब्ध कराने के साथ चालू रहे। आयोग ने अधिकारियों के प्रयासों को स्वीकार किया और आश्रय गृह संचालन और निवासियों की भलाई के संबंध में संतोषजनक समाधान पाकर मई 2023 में केस को बंद कर दिया।

107. एक भ्रष्ट अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति की एक गरीब महिला को पीएम आवास योजना के लाभ से गलत तरीके से वंचित करना

(केस संख्या 18110.24.20.2022)

शिकायतकर्ता, अनुसूचित जाति की आर्थिक रूप से वंचित महिला ने कहा है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पीएम आवास योजना के तहत लाभ के लिए पात्र पाए जाने के बावजूद, ग्राम सचिव ने उसे शामिल करने से मना कर दिया, जिसने 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी। ऐसा न करने पर, उसका नाम पीएम आवास योजना की सूची से गलत तरीके से हटा दिया गया, जिसमें तीन से अधिक कमरों के स्वामित्व का दावा किया गया, जबकि वास्तव में उसके पास केवल एक जीर्ण-शीर्ण कमरा है और वह योजना के लिए पूरी तरह से पात्र है।

सशर्त सम्मन के बाद, चित्रकूट के जिला मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी मानिकपुर के उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा चित्रकूट के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गहन जांच की गई। 16 फरवरी 2023 को, शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के लिए उसके घर का दौरा किया गया। दौरे के दौरान, यह पुष्टि हुई कि वह एक कमरे वाले मिट्टी के घर में रहती थी, जो उसे पारिवारिक बंटवारे के हिस्से के रूप में मिला था। डीआरडीए, चित्रकूट के परियोजना निदेशक ने उसके रिकॉर्ड की जाँच की और पीएमएवाई के लिए उसकी पात्रता की पुष्टि की, साथ ही एक घर की मंजूरी भी दी। यह भी पाया गया कि निर्माण कार्य के लिए 40,000 रुपये की पहली किस्त 12 जनवरी, 2023 को उसके खाते में जमा कर दी गई थी। पूर्व ग्राम सचिव के खिलाफ आरोप के बारे में, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पास उसके खिलाफ कोई और शिकायत नहीं है। यह निर्धारित करने के बाद कि शिकायतकर्ता की चिंताओं को उचित रूप से संबोधित किया गया था, आयोग ने केस बंद कर दिया।

भूमि विवाद

108. तेलंगाना के करीमनगर में एक आवासीय क्षेत्र के भीतर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण तथा अवैध श्मशान घाट का निर्माण

(केस संख्या 2571.36.3.2021)

16 दिसम्बर 2021 को आयोग को एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया था कि करीमनगर, तेलंगाना में एक रिहायशी इलाके में अवैध अतिक्रमण और श्मशान घाट का निर्माण किया जा रहा है। यह आरोप इलाके के पूर्व सरपंच समेत प्रभावशाली व्यक्तियों ने लगाया है। शिकायतकर्ताओं के बार-बार अनुरोध के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग के निर्देशों के जवाब में, उपयुक्त अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। यह पाया गया कि इसी मुद्दे पर एक पिछली शिकायत आयोग में दर्ज की गई थी और 27 सितम्बर 2021 को करीमनगर के जिला मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त को भेजी गई थी। आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण शिकायतकर्ता को फिर से आयोग से संपर्क करना पड़ा।

आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, तेलंगाना के करीमनगर नगर निगम के आयुक्त से एक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि श्मशान घाट का निर्माण सीतारामपुर की पूर्व ग्राम

पंचायत ने 2019 में नगर निगम में विलय से पहले किया था। 10 फरवरी 2022 को एक निरीक्षण ने श्मशान घाट के अस्तित्व की पुष्टि की, जिसका उपयोग आसपास के समुदायों द्वारा किया जा रहा था। आयुक्त ने इंजीनियरिंग अनुभाग के कर्मचारियों को श्मशान घाट बनाने और स्वच्छता कर्मचारियों को इसे स्वच्छ रखने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ताओं और आसपास के निवासियों से लिखित बयान प्राप्त होने के बाद, यह बताया गया कि निरीक्षण के बाद से दाह संस्कार रोक दिए गए थे। जांच रिपोर्ट और अन्य सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि आयुक्त के निरीक्षण के बाद दाह संस्कार बंद हो गए थे। परिणामस्वरूप, आयोग ने निर्धारित किया कि आगे कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था।

प्रवासी और शरणार्थी

109. पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविरों में दयनीय जीवन स्थितियां: मजनू का टीला और सिग्नेचर ब्रिज, उत्तरी दिल्ली।

(केस संख्या 2583.30.4.2021)

14 मई 2021 को आयोग को उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला और सिग्नेचर ब्रिज में पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविरों में दयनीय स्थितियों के बारे में शिकायत मिली। बताया गया कि लगभग 220 शरणार्थी परिवार, जिनमें महिलाओं और बच्चों सहित 1010 लोग शामिल हैं, को बिजली, शौचालय, आंगनवाड़ी सुविधाएँ, एलपीजी कनेक्शन, सुरक्षा सेवाएँ, अपशिष्ट प्रबंधन और उचित आश्रय जैसी बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत थी। आयोग ने स्थिति का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रिपोर्टों के अनुसार, हालांकि, कुछ सुविधाएँ उपलब्ध थीं, जैसे कि डीयूएसआईबी द्वारा प्रदत्त शौचालय और आंशिक बिजली आपूर्ति, लेकिन महत्वपूर्ण सुविधाओं की कमियाँ अभी भी बनी हुई थीं। इन कमियों को दूर करने के प्रयास चल रहे थे, शौचालयों की संख्या बढ़ाने और बिजली प्रावधान के समाधान की जाँच करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, शरणार्थियों की कानूनी स्थिति के बारे में चिंताएँ जताई गईं; क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं थे, जिससे सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई हो रही थी।

नागरिकता की स्थिति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के राज्य के दायित्व को स्वीकार करते हुए, आयोग ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल सहित संबंधित अधिकारियों को शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और बुनियादी आवश्यकताओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देशों के जवाब में, स्थिति को संबोधित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा और पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के प्रयास शामिल हैं। हालाँकि, नागरिकता के लिए कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित चुनौतियाँ अनसुलझी रहीं, उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लंबित हैं।

रिपोर्ट और की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करने पर, आयोग ने स्थिति को संबोधित करने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार किया। आयोग ने सुविधाओं को बेहतर बनाने और पुनर्वास के लिए समाधान खोजने के लिए चल रहे प्रयासों को नोट किया। हालांकि, आयोग ने नागरिकता से संबंधित कानूनी मुद्दों को हल करने में देरी के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे शरणार्थियों की महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच बाधित है। आयोग ने नागरिकता की स्थिति की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। आयोग ने सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को सभी व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने और पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक योजना बनाने का निर्देश दिया। निर्देशों के अनुसरण में, कुछ मुद्दों को संबोधित करने में हुई प्रगति के उल्लेख वाली रिपोर्टें प्राप्त हुईं, जैसे कि शौचालयों की संख्या बढ़ाने और बिजली की आपूर्ति में सुधार करने के प्रयास आदि। हालांकि, शरणार्थियों की कानूनी स्थिति और नागरिकता प्रक्रियाओं में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में चिंताएं बनी रहीं। नवीनतम रिपोर्टों और की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करने पर आयोग ने स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों को स्वीकार किया। हालांकि, आयोग ने शरणार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और नागरिकता प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चल रहे प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। चल रहे प्रयासों के मद्देनजर, आयोग ने इस स्तर पर आगे कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझा और 10 मई 2023 को केस को बंद कर दिया।

सेप्टिक टैंक और सीवर मैनहोल

110. सुरक्षा सुनिश्चित करना: बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा में श्रमिकों की मृत्यु और घायल होने की दुखद घटना पर आयोग की कार्रवाई

(केस संख्या 2207.7.7.2022)

कर्नाटक के बैंगलोर के मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया गया कि 3 अगस्त 2022 को हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एक सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय बीमार पड़ने से चार श्रमिकों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं नियमित आधार पर होती हैं, जो सफाई कर्मचारियों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, और अनुरोध किया कि आयोग इस केस में हस्तक्षेप करे। आयोग ने 1 नवम्बर 2022 की शिकायत पर संज्ञान लिया और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव से केस पर रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, हरियाणा सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के लिए अधीक्षक गृह-IV ने पुलिस अधीक्षक, झज्जर द्वारा दिनांक 1 जून 2023 की प्रस्तुत रिपोर्ट अग्रेषित की। रिपोर्ट के अनुसार, 3 अगस्त 2022 को, पीड़ित, श्री अजय, श्री विकास, श्री मयंक, श्री राजबीर, श्री प्रकाश और श्री जगतपाल, बहादुरगढ़ के रोहद में एरोफ्लेक्स सीलिंग फैक्ट्री में सफाई करने के लिए सुरक्षा उपकरणों के साथ खुले सेसपूल में उतरे। सफाई करते समय राजबीर, अजय, प्रकाश और जगतपाल की मृत्यु हो गई।

आईपीसी की धारा 304ए, 34 के तहत पीएस असोदा में दिनांक 3 अगस्त 2022 को केस नंबर 262 दर्ज किया गया। जांच के दौरान आरोपी विश्वास कुमार और अतुल को गिरफ्तार किया गया और जांच पूरी होने के बाद 13 अप्रैल 2023 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। आयोग को दिनांक 4 जुलाई 2023 को झज्जर के उपायुक्त से भी एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उपरोक्त तथ्यों को दोहराया गया। आयोग ने रिपोर्टों की समीक्षा की और निष्कर्ष निकाला कि पीईएमएस अधिनियम 2013 के बावजूद, नियोक्ता द्वारा सुरक्षात्मक गियर प्रदान करने और सुरक्षा सावधानियां सुनिश्चित करने के दायित्वों को पूरा किए बिना किसी व्यक्ति द्वारा सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई बेरोकटोक जारी है। परिणामस्वरूप, आयोग ने 28 जुलाई 2023 की कार्यवाही में, मुख्य सचिव के माध्यम से हरियाणा सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सफाई कर्मचारी आंदोलन अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के केस में रिट याचिका (सिविल) संख्या 583/2003 में दिए गए निर्देशानुसार, तीन महीने के भीतर घटना में मारे गए प्रत्येक सफाई कर्मचारी के परिवारों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीड़ित परिवारों को उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा देने के आदेश के साथ यह केस बंद कर दिया गया।

111. 11 वर्षीय बच्चे की 15 फुट गहरे खुले नहर के नाले में गिरने से मौत

(केस संख्या 173.7.3.2023)

इंदिरापुरम, उत्तर प्रदेश निवासी श्री राजहंस बंसल की 27 जनवरी 2023 की शिकायत के माध्यम से आयोग के संज्ञान में एक घटना लाई गई, जिसमें 11 वर्षीय पीड़ित कुणाल की 21 नवम्बर 2023 को 15 फुट गहरी खुली नहर/सीवर में गिरने से मृत्यु हो गई। उक्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, आयोग ने 3 फरवरी 2023 के आदेश में फरीदाबाद, हरियाणा के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी। आयोग के निर्देशों के जवाब में, पुलिस आयुक्त फरीदाबाद के पत्र के साथ उपायुक्त, फरीदाबाद कार्यालय से दिनांक 21 मार्च 2023 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त पत्र में कहा गया है कि इस केस में पहले से ही आईपीसी की धारा 304ए के तहत मुकदमा अपराध संख्या 501.22 दर्ज किया जा चुका है। 24 फरवरी 2023 की एक अन्य रिपोर्ट कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, फरीदाबाद से प्राप्त हुई, जिसमें खुलासा हुआ कि इस घटना के लिए कोई भी कर्मचारी या अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं था। हालांकि, जनता के हित में, उन्होंने संस्तुति की कि सभी खुले मैनहोल को बैरिकेड किया जाए, और उन सभी अंधेरे क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाई जाए, जहां हाई मास्क लाइट लगाना संभव नहीं है।

आयोग ने नोट किया कि 15 फुट गहरे खुले गड्ढे में गिरने से तीसरी कक्षा के छात्र कुणाल की दुखद मौत के बावजूद, अधिकारियों ने इस घटना के लिए किसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं पाया। अगर समिति की घटना के बाद की संस्तुतियों को पहले लागू किया गया होता, तो निर्दोष जीवन बचाया जा सकता था। यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य था कि अधिकारियों द्वारा जो भी कार्य किया जाए, वह दूसरों के जीवन के लिए जान लेवा नहीं होना चाहिए और सभी उचित प्रयास किए जाने चाहिए। नतीजतन, आयोग ने मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) के तहत नोटिस जारी किया,

जिसमें उन्हें चार सप्ताह के भीतर कारण बताने का निर्देश दिया गया कि आयोग को मृतक लड़के कुणाल के निकट संबंधी को 3 लाख रुपये के मुआवजे के भुगतान की संस्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए, जिसकी लोक अधिकारियों की लापरवाही के कारण मौत हुई। जवाब में, आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद, हरियाणा का कार्यालय आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 18(ए)(आई) के तहत मृतक लड़के कुणाल के निकट संबंधी को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए जाँच समिति ने आयोग के निर्देशों को स्वीकार कर लिया गया है। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। यह पता चला कि आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद, हरियाणा ने मृतक के निकट संबंधी को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने के आयोग के निर्देशों को स्वीकार कर लिया। केस को प्राधिकरण को भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ बंद कर दिया गया।

112. प्रथमेश नामक 2 वर्षीय बच्चे की अधिकारियों की लापरवाही के कारण मौत हो गई क्योंकि सीवर/मैनहोल को ढका नहीं गया था।

(केस संख्या 4102.13.30.2022)

9 नवम्बर 2022 को, आयोग को महाराष्ट्र के पुणे निवासी श्री रामजी एम माहेश्वरी से एक शिकायत मिली, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रथमेश नाम के दो वर्षीय बच्चे की अधिकारियों की लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई, क्योंकि सीवर मैनहोल को ढका नहीं गया था। उपर्युक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने 30 नवम्बर 2022 के एक आदेश में पुलिस आयुक्त, ठाणे, महाराष्ट्र को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, 8 दिसम्बर 2023 को सहायक पुलिस निरीक्षक, नारपोली से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि सीवर निर्माण कार्य को भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएनसीएमसी) द्वारा ई-टेंडर के माध्यम से मेसर्स बुबेरे एंड एसोसिएट्स को दिया गया था और ठेकेदार ने बीएनसीएमसी के जूनियर इंजीनियर द्वारा बताए जाने के बावजूद कोई अवरोध या नोटिस बोर्ड लगाने के लिए उचित कदम नहीं उठाया। केस में आईपीसी धारा 304, 304ए, 34 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 685.22 पंजीकृत किया गया तथा आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। आयुक्त बीएनसीएमसी को पत्र भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी गई।

आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया। निस्संदेह, बीएनसीएमसी ने सीवर और मार्ग निर्माण के लिए ई-टेंडर जारी किया था। बीएनसीएमसी की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि ठेकेदार सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन करे। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 11 फरवरी 2010 को रिट याचिका(सी) संख्या 36/2009 में दिए गए निर्णय में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। बीएनसीएमसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि सभी सुरक्षा तंत्र लागू किए गए थे। जहां किसी सार्वजनिक निकाय की गतिविधि खतरनाक है, वहां उच्चतम स्तर की सावधानी अपेक्षित है। अपर्याप्त देखभाल के परिणामस्वरूप एक मासूम 18 महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिणामस्वरूप, बीएनसीएमसी ठेकेदार को जिम्मेदारी सौंप कर खुद को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर सकता। आयोग ने 18 दिसम्बर 2023 के एक आदेश में, महाराष्ट्र सरकार को उनके मुख्य सचिव के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि आयोग द्वारा पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18(ए)(i) के तहत 18 महीने के मृत बच्चे के निकट संबंधी को 3 लाख रुपए का मुवावजा देने की सिफ़ारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

संस्तुतियों की अस्वीकार्यता

9.12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) (i) (ii) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिकायतकर्ताओं या पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे या क्षति के भुगतान के लिए और/या अभियोजन के लिए कार्यवाही शुरू करने और ऐसे अन्य उपयुक्त कार्रवाई के लिए संस्तुतियां करता है, जिसे आयोग संबंधित लोक सेवक के खिलाफ उपयुक्त समझे।

9.13 ऐसे कुछ केसों में, अधिकारी आयोग से आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं या संस्तुतियों को स्वीकार करने से इंकार कर देते हैं और उसे न्यायालयों के समक्ष चुनौती देते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान मौद्रिक राहत के लिए आयोग द्वारा की गई संस्तुतियां, जिन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था या जिन्हें अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था या न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई थी, का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-XII पर संलग्न है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक दर्ज केसों की राज्यवार संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वत: संज्ञान	हिरासत में मौतें और बलात्कार के केस			मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में प्राप्त सूचनाएं	कुल
				पुलिस हिरासत में मौतें/ बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौतें/ बलात्कार	रक्षा/ अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौतें/ बलात्कार		
1.	अखिल भारत	1,705	5	--	--	--	--	1,710
2.	आंध्र प्रदेश	1,997	1	3	40	--	1	2,042
3.	अरुणाचल प्रदेश	54	--	3	1	--	2	60
4.	असम	304	1	8	25	--	6	344
5.	बिहार	4,482	11	13	160	--	5	4,671
6.	गोवा	69	--	1	--	--	--	70
7.	गुजरात	1,338	4	18	81	--	--	1,441
8.	हरियाणा	2,404	5	7	99	--	--	2,515
9.	हिमाचल प्रदेश	151	1	--	9	--	--	161
10.	जम्मू और कश्मीर	982	--	2	3	--	8	995
11.	कर्नाटक	1,366	4	7	13	--	1	1,391
12.	केरल	729	--	6	59	--	--	794
13.	मध्य प्रदेश	2,646	4	13	160	--	4	2,827
14.	महाराष्ट्र	2,606	5	21	150	1	3	2,786
15.	मणिपुर	77	1	1	1	--	1	81
16.	मेघालय	21	--	1	3	--	--	25
17.	मिजोरम	3	--	--	6	--	--	9
18.	नागालैंड	8	--	1	3	--	--	12
19.	ओडिशा	2,206	4	2	55	--	2	2,269
20.	पंजाब	1,030	5	6	238	--	9	1,288
21.	राजस्थान	2,336	8	7	78	--	5	2,434
22.	सिक्किम	13	0	--	2	--	--	15
23.	तमिलनाडु	2,867	3	4	80	--	4	2,958

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वत: संज्ञान	हिरासत में मौतें और बलात्कार के केस			मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में प्राप्त सूचनाएं	कुल
				पुलिस हिरासत में मौतें/ बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौतें/ बलात्कार	रक्षा/ अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौतें/ बलात्कार		
24.	त्रिपुरा	28	--	--	12	--	--	40
25.	उत्तर प्रदेश	31,383	11	13	496	--	15	31,918
26.	पश्चिम बंगाल	3,092	7	8	160	1	5	3,273
27.	अंडमान और निकोबार	34	--	--	--	--	--	34
28.	चंडीगढ़	124	--	--	2	--	--	126
29.	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	5	--	--	--	--	--	5
30.	दिल्ली	5,390	16	8	75	--	--	5,489
31.	लक्षद्वीप	6	--	--	--	--	--	6
32.	पुदुचेरी	134	--	--	--	--	--	134
33.	छत्तीसगढ़	512	1	2	61	--	30	606
34.	झारखंड	1,439	5	4	71	--	3	1,522
35.	उत्तराखंड	1,038	1	--	24	--	--	1,063
36.	तेलंगाना	1,521	3	1	17	--	1	1,543
37.	लद्दाख	4	--	--	--	--	--	4
38.	विदेश	227	--	--	--	--	--	227
	कुल	**74,334**	**106**	**160**	**2,184**	**2**	**105**	**76,891**

अनुलग्नक –II

2023-24 के दौरान निपटाए गए केसों की राज्यवार संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिशा-निर्देशों के साथ निपटान	एसएचआरसी को हस्तांतरित केस	रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निपटान		
				शिकायतें/ स्वत: संज्ञान के केस	हिरासत में मौतें/ बलात्कार	मुठभेड़ के केसों के बारे में प्राप्त सूचना
1.	अखिल भारतीय	43	--	33	--	--
2.	आंध्र प्रदेश	474	239	163	67	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	--	15	5	5
4.	असम	74	15	66	31	19
5.	बिहार	1,218	462	475	164	5
6.	गोवा	17	2	4	4	--
7.	गुजरात	290	118	145	107	--
8.	हरियाणा	714	198	310	134	5
9.	हिमाचल प्रदेश	27	12	27	10	--
10.	जम्मू और कश्मीर	70	--	109	13	41
11.	कर्नाटक	169	94	89	9	--
12.	केरल	118	93	37	34	--
13.	मध्य प्रदेश	711	231	316	176	6
14.	महाराष्ट्र	423	246	262	245	5
15.	मणिपुर	7	6	16	8	1
16.	मेघालय	4	2	6	10	3
17.	मिजोरम	1	--	9	7	--
18.	नागालैंड	2	--	7	5	2
19.	ओडिशा	668	259	629	108	7
20.	पंजाब	233	72	152	237	6
21.	राजस्थान	695	213	332	129	1
22.	सिक्किम	4	--	2	3	--
23.	तमिलनाडु	476	332	173	139	4
24.	त्रिपुरा	9	--	21	19	1
25.	उत्तर प्रदेश	9,283	2,466	2,202	1,104	31
26.	पश्चिम बंगाल	840	235	1,057	290	6

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिशा-निर्देशों के साथ निपटान	एसएचआरसी को हस्तांतरित केस	रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निपटान		
				शिकायतें/ स्वत: संज्ञान के केस	हिरासत में मौतें/ बलात्कार	मुठभेड़ के केसों के बारे में प्राप्त सूचना
27.	अंडमान और निकोबार	15	--	4	--	--
28.	चंडीगढ़	28	--	7	6	--
29.	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	3	--	1	--	--
30.	दिल्ली	1,422	--	570	91	1
31.	लक्षद्वीप	3	--	2	--	--
32.	पुदुचेरी	45	--	18	--	--
33.	छत्तीसगढ़	109	52	90	84	42
34.	झारखंड	437	144	228	107	16
35.	उत्तराखंड	263	69	107	36	--
36.	तेलंगाना	298	176	144	22	2
37.	लद्दाख	1	--	2	--	--
38.	विदेश	50	--	25	--	--
	कुल	**19,260**	**5,736**	**7,855**	**3,404**	**214**

सर्वे भवन्तु सुखिनः

अनुलग्नक –III

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार मानव अधिकार आयोग के पास प्रतीक्षित केसों की संख्या

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचारार्थ केस				ऐसे लंबित केस जहां रिपोर्ट या तो प्राप्त हो गई है या प्राधिकारियों से प्रतीक्षित है				कुल योग
		शिकायतें/ स्वत: संज्ञान के केस	हिरासत में मौतें/ बलात्कार के केस	मुठभेड़ में मौतें	कुल	शिकायतें/ स्वत: संज्ञान के केस	हिरासत में मौतें/ बलात्कार के केस	मुठभेड़ में मौतें	कुल	
1.	अखिल भारत	67	--	--	67	46	--	--	46	113
2.	आंध्र प्रदेश	73	1	--	74	38	63	--	101	175
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	--	--	2	10	8	5	23	25
4.	असम	7	2	--	9	30	32	18	80	89
5.	बिहार	120	--	--	120	138	126	8	272	392
6.	गोवा	5	--	--	5	3	5	--	8	13
7.	गुजरात	19	2	--	21	56	62	--	118	139
8.	हरियाणा	61	3	--	64	62	179	2	243	307
9.	हिमाचल प्रदेश	3	--	--	3	3	9	0	12	15
10.	जम्मू और कश्मीर	15	--	--	15	708	23	61	792	807
11.	कर्नाटक	30	--	--	30	36	15	--	51	81
12.	केरल	30	4	--	34	51	49	1	101	135
13.	मध्य प्रदेश	79	7	--	86	83	72	2	157	243
14.	महाराष्ट्र	87	3	1	91	93	198	3	294	385
15.	मणिपुर	--	--	--	--	44	5	4	53	53
16.	मेघालय	1	--	--	1	2	6	1	9	10
17.	मिजोरम	--	1	--	1	3	8	-	11	12
18.	नागालैंड	1	--	--	1	1	7	0	8	9
19.	ओडिशा	98	2	--	100	173	113	7	293	393
20.	पंजाब	34	5	2	41	34	93	5	132	173
21.	राजस्थान	61	1	--	62	79	107	6	192	254
22.	सिक्किम	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23.	तमिलनाडु	101	1	1	103	64	112	3	179	282
24.	त्रिपुरा	1	--	--	1	3	3	--	6	7

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचारार्थ केस				ऐसे लंबित केस जहां रिपोर्ट या तो प्राप्त हो गई है या प्राधिकारियों से प्रतीक्षित है				कुल योग
		शिकायतें/ स्वतः संज्ञान के केस	हिरासत में मौतें/ बलात्कार के केस	मुठभेड़ में मौतें	कुल	शिकायतें/ स्वतः संज्ञान के केस	हिरासत में मौतें/ बलात्कार के केस	मुठभेड़ में मौतें	कुल	
25.	उत्तर प्रदेश	785	14	--	799	429	437	19	885	1,684
26.	पश्चिम बंगाल	104	1	--	105	186	316	7	509	614
27.	अंडमान और निकोबार	1	--	--	1	1	--	--	1	2
28.	चंडीगढ़	5	--	--	5	5	6	--	11	16
29.	दादरा, नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	--	--	--	-	2	--	--	2	2
30.	दिल्ली	137	--	--	137	359	182	4	545	682
31.	लक्षद्वीप	1	--	--	1	--	--	--	--	1
32.	पुदुचेरी	2	--	--	2	4	--	--	4	6
33.	छत्तीसगढ़	9	1	3	१३	37	80	45	162	175
34.	झारखंड	42	2	--	44	108	118	14	240	284
35.	उत्तराखंड	26	--	--	26	18	14	--	32	58
36.	तेलंगाना	33	--	--	33	40	35	4	79	112
37.	लद्दाख	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38.	विदेश	6	--	--	6	9	--	--	9	15
	कुल	**2,046**	**50**	**7**	**2,103**	**2,958**	**2,483**	**219**	**5,660**	**7,763**

अनुलग्नक –IV

2023-2024 के दौरान ऐसे केसों की संख्या, जहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मौद्रिक राहत की संस्तुति की गई

क्र. सं.	राज्यों का नाम	प्रत्येक राज्य में केसों की संख्या	वर्ष 2023-2024 के दौरान मौद्रिक राहत की संस्तुति
1.	आंध्र प्रदेश	16	₹ 50,25,000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	₹ 6,00,000.00
3.	असम	4	₹ 24,75,000.00
4.	बिहार	28	₹ 1,23,65,000.00
5.	चंडीगढ़	1	₹ 1,00,000.00
6.	छत्तीसगढ़	11	₹ 69,60,000.00
7.	दिल्ली	26	₹ 1,05,95,000.00
8.	विदेश	1	₹ 5,00,000.00
9.	गुजरात	7	₹ 36,50,000.00
10.	हरियाणा	18	₹ 84,10,000.00
11.	हिमाचल प्रदेश	1	₹ 3,00,000.00
12.	जम्मू और कश्मीर	4	₹ 18,00,000.00
13.	झारखंड	27	₹ 1,11,00,000.00
14.	कर्नाटक	4	₹ 11,00,000.00
15.	केरल	1	₹ 5,00,000.00
16.	मध्य प्रदेश	11	₹ 27,10,000.00
17.	महाराष्ट्र	11	₹ 51,75,000.00
18.	मणिपुर	1	₹ 2,00,000.00
19.	मेघालय	1	₹ 5,00,000.00
20.	मिजोरम	2	₹ 7,00,000.00
21.	नागालैंड	3	₹ 14,00,000.00
22.	ओडिशा	54	₹ 2,44,70,000.00
23.	पंजाब	1	₹ 50,000.00
24.	राजस्थान	19	₹ 1,14,12,500.00
25.	सिक्किम	1	₹ 5,00,000.00
26.	तमिलनाडु	10	₹ 57,75,000.00
27.	तेलंगाना	8	₹ 64,00,000.00
28.	त्रिपुरा	3	₹ 10,50,000.00
29.	उत्तर प्रदेश	108	₹ 3,95,95,000.00
30.	उत्तराखंड	2	₹ 8,00,000.00
31.	पश्चिम बंगाल	28	₹ 2,27,75,000.00
	कुल	**414**	**₹ 18,89,92,500.00**

अनुलग्नक -V

01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की गई घटनास्थल जांच

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायतकर्ता/ रिपोर्ट की गई घटना	विवरण
1.	362/7/5/2023	सुश्री रचना खंडेलवाल, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने अपने परिवार के सदस्य की संपत्ति/भूमि की बिक्री से संबंधित केस में अपने विरोधी द्वारा दर्ज की गई एक झूठी शिकायत के आधार पर, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के डीसीपी सहित नामित पुलिस अधिकारियों द्वारा परिवार के सदस्यों को परेशान करने का आरोप लगाया।
2.	506/18/5/2020	श्रीमती प्रीतिमनहरिगरनायक, अंगुल ओडिशा	शिकायतकर्ता ओडिशा की एक महिला सब-इंस्पेक्टर है, जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
3.	1690/30/10/2023	स्वतः संज्ञान 'नवभारत टाइम्स' दिनांक 28.04.2023	आयोग ने एक प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें खुलासा किया गया है कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित दिल्ली सरकार के आश्रय गृह में रहने वाले कैदियों को भोजन के लिए भूख से तड़पना पड़ रहा है, जहां सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की आपूर्ति बंद कर दी गई है।
4.	1221/25/16/2023	श्री तारिणी देब शर्मा, उत्तरी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के कालीगंज पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक ने बिना किसी उकसावे के अपनी सर्विस रिवॉल्वर से एक युवक और अन्य लोगों पर गोली चला दी, जिसके परिणामस्वरूप युवक की मौत हो गई।
5.	1905/13/16/2021-डब्ल्यूसी	सुश्री उषा रानी, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बहन और उसके पतियों ने पैसे के लिए उसकी दो बेटियों को सरोगेसी के लिए मजबूर किया। उसकी दोनों बेटियों को गुलाम बनाकर रखा गया, पीटा गया और आरोपियों ने उन्हें भूखा रखा। नतीजतन, उसकी एक बेटी की मौत हो गई और दूसरी बेटी को बंधक बनाकर रखा गया था।
6.	537/20/24/2023	श्री तनिष्क शिवानंद, जयपुर, राजस्थान	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि डॉ. किरोड़ी लाल मीना (राज्यसभा सदस्य) पर 10 मार्च 2023 को पुलिस ने अवैध रूप से हमला किया, जब वे राजस्थान के सीकर में एक मंदिर में दर्शन करने गए थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें रहस्यमय परिस्थितियों में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि पुलिस ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया क्योंकि पीड़ित ने जयपुर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे पुलवामा शहीदों की विधवाओं का समर्थन किया था।
7.	4461/25/17/2021	श्री सालखन मुर्मू, पूर्व सदस्य (लोकसभा)	शिकायतकर्ता पूर्व सांसद ने आरोप लगाया है कि शिकायत में उल्लेखित आदिवासी संगठन ने बिना किसी कारण के मोरजंगलपुर गांव के सभी ग्रामीणों का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। ग्रामीणों को न तो दूसरे गांव में जाने दिया जा रहा है और न ही दूसरे गांव के लोगों को मोरजंगलपुर गांव में आने दिया जा रहा है, अन्यथा उन्हें 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायतकर्ता/ रिपोर्ट की गई घटना	विवरण
8.	9162/24/22/2021	डॉ. योगेश चंद्र जैन, एटा, यूपी	शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उनके खिलाफ़ सिर्फ़ इसलिए झूठा केस दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने एक समुदाय विशेष के धार्मिक प्रमुख के खिलाफ़ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी को रोकने के अवैज्ञानिक तरीके सुझाए थे। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस ने एटा (यूपी) से गिरफ़्तार किया और मध्य प्रदेश ले गई। उनका आरोप है कि गिरफ़्तारी में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्हें हथकड़ी लगाई गई और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। ज़मानत मिलने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया।
9.	1313/1/5/2019	श्री रम्भा मोहन, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	शिकायत में सुरक्षा आदेश, निष्पक्ष जांच तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा केस संख्या 1090/1/5/2017 में आयोग के आदेशों और निर्देशों का कथित रूप से पालन नहीं करने का आरोप लगाया।
10.	4/37/2/2021	श्री पुनीत सिंह, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने लेह थाने के पुलिस अधिकारियों पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जिसमें शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय, उस पुलिस थाने के अधिकारियों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, थप्पड़ मारे गए, लात मारी/पीटाई की गई तथा उसे प्रताड़ित किया गया, जिसमें उसके निजी अंगों पर प्रहार भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह भी आरोप लगाया गया कि जब उसने एसएसपी लेह के समक्ष केस को उठाया, तो उसकी मदद करने के बजाय, उन्होंने अपने अधीनस्थों को सबूत मिटाने के लिए शिकायतकर्ता का फोन स्कैन करने के लिए कहा और उसे तय शर्तों के अनुसार माफ़ीनामा लिखने के लिए मजबूर किया।
11.	6559/24/1/2022	श्रीमती अनीता, आगरा, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके पति की बेरहमी से पिटाई की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को हरीपर्वत थाने में आईपीसी की धारा 147, 353, 342, 504 के तहत पंजीकृत एफआईआर संख्या 38/2022 में झूठा फंसा दिया।
12.	6298/30/9/2022	श्री सौम्या रस्तोगी, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मायापुरी थाने के पुलिसकर्मियों ने उसके पिता के शब्दों में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया तथा बाद में एफआईआर की वास्तविक घटना को बदलने का प्रयास किया।
13.	4642//30/6/2022	श्री मोमिन पुत्र- यामीन, नरेला, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मासिक आधार पर धन उगाही के संबंध में एनएचआरसी के समक्ष उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने के नामित पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें अवैध हिरासत में रखकर क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किया गया।
14.	709/20/22/2022	श्री राजहंस बंसल, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि महेंद्र सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी बाडमेर की मौत थाना सुरपालिया, जिला नागौर, राजस्थान के पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में यातना दिए जाने के कारण हुई।

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायतकर्ता/ रिपोर्ट की गई घटना	विवरण
15.	2986/30/11/2023	श्री रमेश राही, शाहदरा, दिल्ली	शिकायतकर्ता, जो एक वरिष्ठ नागरिक और अनुसूचित जाति से है, ने आरोप लगाया कि शाहदरा के विवेक विहार पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। उन्होंने अनाधिकृत रूप से उसके घर की तलाशी ली और उसे जबरन पुलिस स्टेशन ले गए, आदि। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
16.	2868/30/7/2023	सुश्री निशिका जोशी, दिल्ली	शिकायतकर्ता 15 वर्षीय लड़की ने आरोप लगाया कि पारिवारिक संपत्ति विवाद के कारण उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की और उसका यौन शोषण किया। वह पुलिस स्टेशन गई और महिला पुलिस अधिकारियों से मिली, लेकिन पुलिस ने उसे उसके दादा-दादी को सौंप दिया और कोई कार्रवाई नहीं की।
17.	3376/30/6/2022	श्री अनादीश कुमार पाल	शिकायतकर्ता ने 10 मई 2023 को उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मौर्या एन्क्लेव पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों द्वारा उसे अवैध रूप से गिरफ्तार कर पीटा गया तथा बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में रखा गया।
18.	3524/30/7/2023	डॉ. दिनेश कुमार पांडे, मानव अधिकार कार्यकर्ता, दिल्ली	शिकायतकर्ता, जो एक मानव अधिकार कार्यकर्ता है, ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली के किदवई नगर (पूर्व) सरकारी बालिका विद्यालय के गेट पर उपद्रवी, असामाजिक तत्व और शराबी लोग इकट्ठा होते थे। वे लड़कियों को घूरते थे और उनसे छेड़छाड़ करते थे। आशंका है कि ये असामाजिक, उपद्रवी लोग लड़कियों की तस्करी में शामिल हैं।
19.	1300/30/6/2021	श्री शांतनु पॉल, एमएससी छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	यह शिकायत दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र द्वारा रैगिंग के आरोप तथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस केस में उचित कार्रवाई करने में विफल रहने के संबंध में है।
20.	2192/30/7/2023	श्री योगेश्वर प्रसाद एवं अन्य निवासी, दक्षिण पश्चिम, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ब्लॉक-एल, महिपालपुर एक्सटेंशन, जिला-दक्षिण, दिल्ली की गली नंबर 17 के निवासियों को दैनिक / नियमित आधार पर पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने में विफल रहा है।
21.	2038/13/30/2022	श्री राधाकांत त्रिपाठी, अधिवक्ता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता	शिकायतकर्ता ने क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, ठाणे, महाराष्ट्र (आरएमएचटी) में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोगों की दुर्दशा के बारे में ध्यान दिलाया, जहां मरीजों को मानसिक देखभाल सुविधाएं देने से इनकार किया जाता है।
22.	623/7/4/2023	श्री निंदरपाल शर्मा, संगरूर, पंजाब	शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले के जाखल के रेलवे पुलिस अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता को थर्ड डिग्री की यातना दी गई तथा उसके साथ अमानवीय/बर्बर व्यवहार किया गया, जिससे उसके गुप्तांगों में गंभीर चोटें आईं तथा रेलवे पुलिस हरियाणा के अधिकारियों ने केस में एफआईआर दर्ज करने में विफलता दिखाई।
23.	18898/24/1/2022-डब्ल्यूसी	श्री साबिर अली खान पुत्र लल्लू खान, आगरा, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शाहगंज थाने के एक पुलिसकर्मी ने ऑटोरिक्शा में उसकी बेटी से छेड़छाड़ की। उसने आगे आरोप लगाया कि जब शाहगंज थाने में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत की गई तो उसकी शिकायत फाड़ दी गई और उसे झूठे आपराधिक केस में आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया।

क्र. सं.	केस संख्या	शिकायतकर्ता/ रिपोर्ट की गई घटना	विवरण
24.	1033/10/2/2023-डब्ल्यूसी	न्यूज़लेटर रिपोर्ट 'मॉर्निंग स्टैंडर्ड' दिनांक 12.12.2023,	आयोग को एक न्यूज़लेटर रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि बेलगावी में एक महिला को नग्न अवस्था में घुमाया गया क्योंकि उसका बेटा दूसरी जाति की लड़की के साथ भाग गया था।
25.	3504/30/11/2023	श्री मुंशी पुत्र किशोरीलाल, हरदोई, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ अजनबियों ने उसके छोटे भाई का अपहरण कर लिया और उसे बताया कि उसे किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया है, उसकी आँखों पर कपड़ा बाँध दिया गया है और उसके साथ मारपीट की जा रही है। उसने अपहरणकर्ताओं को उसके जिगर और गुर्दे बेचने की बात करते हुए सुना था।
26.	7422/30/6/2022	रोहन माल्यान पुत्र स्व. अजय कुमार माल्यान, नई दिल्ली	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भारत नगर थाने के आरोपी पुलिस अधिकारी ने पैसे ऐंठने में अपने पद का दुरुपयोग किया तथा उसे परेशान किया।
27.	539/90/0/2023	राधाकांत त्रिपाठी, अधिवक्ता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता	शिकायतकर्ता, जो कि मानव अधिकार संरक्षक हैं, ने आयोग के ध्यान में लाया कि गरीब बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके कारण भिखारियों का एक गिरोह अस्तित्व में है।
28.	34544/24/43/2022	श्री नवीन कुमार, कानपुर, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर संलग्न करते हुए आरोप लगाया कि पीड़ित को एक गिरोह ने भीख मांगने के लिए मजबूर किया और उसकी आंखों में कुछ रसायन डाले गए, जिसके बाद वह हमेशा के लिए अंधा हो गया। आगे बताया गया कि उसके उत्पीड़कों ने उसे लोहे की छड़ों से प्रताड़ित किया और नशीले पदार्थों का इंजेक्शन लगाया। उन्होंने धमकी दी कि अगर वह भीख नहीं मांगेगा, तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा।
29.	304/25/15/2024	'टाइम्स ऑफ इंडिया' की खबर पर स्वत: संज्ञान	आयोग ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर स्वतः संज्ञान लिया कि संदेशखाली, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक व्यक्ति के स्थानीय गिरोह द्वारा निर्दोष और गरीब महिलाओं को परेशान किया गया और उनका यौन उत्पीड़न किया गया। स्थानीय प्रशासन अपराधियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में विफल रहा।
30.	1810/7/3/2023	सुश्री भारती भाकुनी, फरीदाबाद, हरियाणा	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके स्कूल के सामने की सड़कों की दयनीय स्थिति के कारण स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने आने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

अनुलग्नक-VI

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा वित्त पोषित पूर्ण अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम
1.	विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर पुस्तिकाएं तैयार करना	श्री नूर आलम, कार्यकारी निदेशक, मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप (एमएआरजी),
2.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013: दिल्ली में सरकारी विभागों/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्रों में इसके प्रभाव, कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों और चिंताओं का आकलन करने के लिए एक अध्ययन	डॉ. रितु गुप्ता, प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली
3.	महिलाओं और बच्चों की तस्करी - चुनौतियाँ और समाधान	डॉ. अवधेश कुमार सिंह, प्रधान सलाहकार, भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान
4.	स्कूलों में बाल श्रम के मुद्दों को मुख्यधारा में लाना: चुनौतियाँ और विकल्प	डॉ. अजय कुमार सिंह, प्रोफेसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई
5.	बढ़ती मूक बहुसंख्यक आबादी की अनसुनी आवाज़: राजस्थान की महिला प्रवासी श्रमिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन	डॉ. शैजी अहमद, सहायक प्रोफेसर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय
6.	मानव अधिकार मुद्दों और समस्याओं की पहचान करना तथा प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए नीतिगत ढांचा विकसित करना	डॉ. आर. कासिलिंगम, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पांडिचेरी विश्वविद्यालय
7.	केरल में साइबर शोषण की सीमा और बच्चों की सुरक्षा पर अध्ययन	डॉ. एल्सा मैरी जैकब, सहायक प्रोफेसर, भारत माता स्कूल ऑफ सोशल वर्क, भारत माता कॉलेज
8.	प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव	प्रो. जुबैर मीनाई, प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय
9.	उपलब्धियों अथवा अवसरों का अंतराल (ओ-गैप): गढ़चिरौली, वारंगल, आदिलाबाद, श्रीकाकुलम, बस्तर और कोंडेगांव जिलों के आदिवासी लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शैक्षिक स्थानों में समान शैक्षिक अवसरों (ईईओ) तक पहुंच, समान सीखने के अवसरों (ईएलओ) तक पहुंच और अधिगम की गरीबी (एलपी) का एक सामाजिक-कानूनी अध्ययन	डॉ. उमा माहेश्वरी चिमिराला, सहायक प्रोफेसर, नालसार विधि विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना
10.	दक्षिण भारत के आकांक्षी जिलों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल) में बालिका शिक्षा के अधिकार में 4A का ढांचा - सरकारी और निजी स्कूलों का तुलनात्मक विश्लेषण	डॉ. डी. प्रिंस अन्नादुरई, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक कार्य विभाग, मद्रास क्रिश्चियन महाविद्यालय, चेन्नई
11.	ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शिक्षा तक पहुंच में असमानता।	डॉ. थॉमस वर्गीस, अनुसंधान निदेशक, भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम
12.	भारत के चयनित भौगोलिक क्षेत्रों में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता और कारण	डॉ. रूपा प्रसाद, कार्यकारी निदेशक, पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसाइटी, हौज खास, नई दिल्ली
13.	परित्यक्त विधवाएँ: दृश्यमान होते हुए भी अदृश्य, वाणीयुक्त होते हुए भी बेज़ुबान	सुश्री मीरा खन्ना, गिल्ड फॉर सर्विस, नई दिल्ली
14.	मानव अधिकार सूचकांक और मानव अधिकार रिपोर्ट तैयार करना	डॉ. सीके मैथ्यू, सीनियर फेलो पब्लिक पॉलिसी पब्लिक अफेयर्स सेंटर (पीएसी), बेंगलुरु
15.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच खाद्य और पोषण सुरक्षा: तीन भारतीय राज्यों से साक्ष्य	डॉ. अमित कुमार बसंतराय, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय।

अनुलग्नक-VII

एनएचआरसी द्वारा वित्तपोषित प्रक्रियाधीन अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	उद्देश्य
1.	हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवरेज जल श्रमिकों की स्थिति - नीति और प्रैक्टिस	डॉ. मोहन दास के. एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान अध्ययन विभाग, विजयनगर, श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, बल्लारी, कर्नाटक	• अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए विभिन्न कानूनों और नीति विधानों को समझना। • अध्ययन क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजरों की समस्या की प्रकृति और परिमाण का आकलन करना। • मैनुअल स्कैवेंजरों के वित्तीय और गैर-वित्तीय भाग सहित पारिवारिक आजीविका की स्थिति का आकलन करना।
2.	सीसीआई में बाल देखभाल संस्थानों की भूमिका और बच्चों का पुनर्वास	डॉ. एस. बारिक, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी), हौज खास, नई दिल्ली	• बच्चों के पुनर्वास में सीसीआई द्वारा निभाई गई भूमिका की स्थिति का आकलन करना। • सीसीआई में किशोर न्याय अधिनियम के अनुपालन में उपलब्ध सेवाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना। • सी.सी.आई. में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जांच करना तथा सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।
3.	मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक अध्ययन	डॉ. आनंद अकुंदी, सहायक प्रोफेसर, सार्वजनिक उद्यम संस्थान, उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद	• आपूर्ति श्रृंखला के कार्यों में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के बीच सामाजिक का माहौल तैयार करना। • यह जांच करना कि सामाजिक आपूर्ति श्रृंखला के प्रदर्शन को कम्पनियों द्वारा किस प्रकार उत्तरोत्तर क्रियान्वित किया जा सकता है। • आपूर्ति श्रृंखला कार्यों के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना
4.	दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में घरेलू कामगार: सम्मान और अधिकार के नजरिए से स्थितिजन्य विश्लेषण	डॉ. लेखा डी. भट, सहायक प्रोफेसर, महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	• युवा महिलाओं/लड़कियों के घरेलू कामगारों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, प्रवासन पैटर्न और प्रवास के कारणों का अध्ययन करना। • युवा महिलाओं/बालिका घरेलू कामगारों द्वारा उनकी व्यावसायिक भूमिकाओं में कार्य की गरिमा/अधिकारों की अवधारणा की अभिव्यक्ति को समझना तथा जाति, जेंडर और वर्ग के व्यापक सामाजिक संदर्भ में इसे स्थापित करना। • यह समझना कि महिलाएं किस प्रकार सेवा जैसे सहकारी आंदोलनों के साथ जुड़कर सम्मान और मानव अधिकारों के लिए प्रयास करती हैं।
5.	जेल और पुलिस हिरासत में मौत के रुझान और पैटर्न का विश्लेषण: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ऐसी मौतों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. मोहम्मद असलम, सहायक प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	• जेल और पुलिस हिरासत में मौत की प्रवृत्ति और पैटर्न तथा समाज पर इसके प्रभाव की जांच करना। • मानव अधिकार न्यायशास्त्र के प्रकाश में जेल और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के कारण और परिणामों का अध्ययन करना। • ऐसी घटनाओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा कानूनों की प्रभावशीलता की जांच करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	उद्देश्य
6.	भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग में बालिका श्रम का प्रचलन	डॉ. एम. कार्तिक, सहायक प्रोफेसर, सार्वजनिक उद्यम संस्थान, शमीरपेट परिसर, हैदराबाद	• तमिलनाडु और गुजरात में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में श्रमिकों की रोजगार प्रथाओं का पता लगाना। • गुजरात और तमिलनाडु में वस्त्र एवं परिधान उद्योग में बालिका श्रमिकों के रोजगार और कार्य स्थितियों की पहचान करना। • यह पता लगाना कि क्या कर्मचारियों को शोषणकारी रोजगार योजनाओं के तहत बालिकाओं को काम पर रखने के लिए किसी तीसरे पक्ष जैसे उप-दलालों, कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है।
7.	हिरासत में मौत: झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में रुझान और स्वरूप	डॉ. अनवर आलम, प्रतिष्ठित फेलो, पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन, नई दिल्ली	• भारत में हिरासत में होने वाली मौतों (जेल में मौत और पुलिस हिरासत में मौत) की व्यापकता को समझना और उजागर करना; • विभिन्न रूपों में हिरासत में होने वाली मौतों के पीछे के विभिन्न कारणों को समझना और उनका विश्लेषण करना - कारणात्मक और सहायक कारक; • हिरासत में मौत के पैटर्न और प्रवृत्तियों की जांच करना, जैसे हिरासत में मौत के आर्थिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पहलू।
8.	एसिड हमले के पीड़ितों का पुनर्एकीकरण और पुनर्वास	प्रो. सरसु एस्तेर थॉमस, प्रोफेसर, एनएलएसआईयू, बैंगलोर	• भारत में एसिड हमले के पीड़ितों से संबंधित कानूनी और नीतिगत ढांचे का अध्ययन करना। • यह जांचना कि यह जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। • पीड़ितों के व्यक्तिगत अनुभवों और कहानियों पर गौर करना।
9.	भारत में कार्यबल में महिलाओं की घटती भागीदारी: कारकों और बाधाओं की जमीनी स्तर पर जांच	डॉ. ऋषि कुमार, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग, बिट्स, पिलानी हैदराबाद परिसर	• देश में महिलाओं को श्रम बल में शामिल होने से रोकने वाले कारकों को समझना। • उन कारकों को समझना जिनके कारण महिलाएं नौकरी छोड़ती हैं, इसके लिए कार्यबल उन महिलाओं का मूल्यांकन करना होगा जो पहले काम करती थीं, लेकिन बाद में नौकरी छोड़ गई। • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार संबंधी पहलुओं की तुलना और अंतर करना।
10.	गुमशुदा बच्चों पर अनुसंधान अध्ययन	श्री एस. राघवन, न्यू कॉन्सेप्ट सेंटर फॉर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, नई दिल्ली	• अध्ययन का उद्देश्य, लापता बच्चों के केसों के संबंध में संस्थागत तंत्र की प्रतिक्रिया में सुधार लाने के लिए सरकार को साक्ष्य-आधारित संस्तुतियां देना है, जिससे कि प्रणाली की प्रतिक्रिया के सभी चरणों में लापता बच्चों के माता-पिता/संरक्षकों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके, प्रणाली में शामिल अधिकारियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके, तथा लापता बच्चों की शीघ्र बरामदगी को सुगम बनाया जा सके, यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधियों को सजा मिले तथा बरामद बच्चों को उनके पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए उनके अधिकारों और हकों तक पूर्ण समर्थन और पहुंच मिले।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	उद्देश्य
11.	पंजाब में दिव्यांगजनों के लिए समावेशी शिक्षा: संभावनाएं और चुनौतियां	डॉ. किरण कुमारी, सहायक प्रोफेसर, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब	• समावेशी शिक्षा से संबंधित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना। • दिव्यांग विद्यार्थियों के सामने आने वाली शैक्षणिक चुनौतियों का पता लगाना। • दिव्यांग विद्यार्थियों के सामने आने वाली अवसंरचनात्मक और व्यवहार संबंधी बाधाओं की पहचान करना।
12.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 – जमीनी हकीकत का आकलन	डॉ. गदाधर महापात्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	• अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों पर वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) अधिनियम, 2006 के प्रभाव का आकलन करना। • वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लैंगिक परिप्रेक्ष्य का आकलन करना। • अधिनियम के मापन योग्य परिणामों (आदिवासी महिलाओं के संबंध में समुदाय पर एफआरए का आजीविका/आर्थिक प्रभाव) का पता लगाने के लिए।
13.	उत्तरी क्षेत्र के विशेष संदर्भ में वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन	डॉ. नीलू मेहरा, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	• वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों को उजागर करके वृद्धजनों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर संरचनात्मक, संस्थागत और परिचालन ढांचे में अंतराल को दूर करना। • वृद्धाश्रमों के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करना। • वृद्धाश्रमों के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले तनाव संकेतकों के वांछित और मौजूदा स्तर में अंतराल की पहचान करना।
14.	वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की जीवन संतुष्टि और जीवन की गुणवत्ता: पश्चिमी भारत और पूर्वोत्तर भारत का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. बीपी साहू प्रोफेसर, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	• पश्चिमी भारत के गुजरात और महाराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर भारत के असम और मणिपुर के वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों की जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल का अध्ययन करना। • वृद्धाश्रमों द्वारा बुजुर्ग लोगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं का अध्ययन करना। • वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की वर्तमान जीवनशैली और स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना। • वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालना। • वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों की जीवन संतुष्टि और जीवन की गुणवत्ता (क्यूओएल) का पता लगाना और तुलना करना। • चार राज्यों के वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजनों की बेहतर जीवन संतुष्टि और कल्याण के लिए सामाजिक कार्य हस्तक्षेप उपायों का सुझाव देना। • संबंधित राज्यों में वृद्धों के लिए नीति तैयार करने हेतु दिशानिर्देश सुझाना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	उद्देश्य
15.	मानव तस्करी: एएचटीयू के कामकाज का एक मूल्यांकन अध्ययन	प्रो. (डॉ.) सैबल कार, प्रोफेसर, भारतीय रिजर्व बैंक, अर्थशास्त्र के चेयर प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, कोलकाता	• भारत के चार राज्यों में प्रभाव मूल्यांकन के भाग के रूप में एएचटीयू के कामकाज का दस्तावेजीकरण और वर्णन करना। • प्रत्येक राज्य में मानव तस्करी की घटनाओं से जुड़े एएचटीयू और विभिन्न हितधारकों की भूमिका की जांच और मूल्यांकन करना।
16.	मध्य भारत (महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) के अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों पर स्थित जनजातीय क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में आश्रम विद्यालयों (लड़के और लड़कियों के आवासीय) के कामकाज पर एक अनुभवजन्य अध्ययन	प्रो. (डॉ.) रश्मि सालपेकर, प्रोफेसर और डीन, वीएसएलएलएस, वीआईपीएस-टीसी, नई दिल्ली	• महाराष्ट्र में आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों के प्रबंधन और प्रशासन की स्थिति और मुद्दों को समझना। • जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों के नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानना। • भारत में जनजातीय लोगों के लिए आश्रम विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए प्रयास करना।
17.	मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम के संदर्भ में भारत के पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का प्रभाव	डॉ. रामानंद पांडे, निदेशक, नीति अनुसंधान एवं प्रशासन केंद्र, जनपथ, नई दिल्ली	• एमओटीए (धारा 6, स्कूल में सुविधाएं) के दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा ईएमआरएस की गुणवत्ता का पता लगाना। • ईएमआरएस के प्रशासन और प्रबंधन संरचना का आकलन करना। • ईएमआरएस के शैक्षणिक पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ-साथ जनजातीय केन्द्रित शिक्षा प्रदान करने में ईएमआरएस के शिक्षकों की क्षमता और संभावनाओं का आकलन करना, ताकि सेवाकालीन और सेवापूर्व प्रशिक्षण अंतरालों और आवश्यकताओं की पहचान की जा सके।
18.	विभिन्न हितधारकों के बीच नैदानिक परीक्षणों के बारे में जागरूकता पर प्रश्नावली सर्वेक्षण का सर्वोत्कृष्ट डिजाइन	डॉ. अनामिका, सहायक प्रोफेसर, जेएनयू, दिल्ली	• अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में नैदानिक परीक्षणों के संचालन में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच चिकित्सा नैतिकता के केएपी (ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास) में अंतर को समझने के लिए एक व्यापक प्रश्नावली सर्वेक्षण तैयार करना है।
19.	भारत में गैर-ईमारती लकड़ी वन उत्पाद का व्यावसायीकरण: निर्धारक और आपूर्ति श्रृंखला	डॉ. प्रताप कुमार जेना, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, महाराजा श्रीराम चंद्र भंजा देव विश्वविद्यालय, ओडिशा	• अध्ययन क्षेत्र में वन पर निर्भर समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करना। • एनटीएफपी संग्रह और आय और रोजगार में योगदान के आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना। • आपूर्ति श्रृंखला के घरेलू संग्रह पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों की जांच करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	उद्देश्य
20.	महामारी, मानव अधिकार और आजीविका का भविष्य: भारतीय अर्थव्यवस्था से अनुभवजन्य साक्ष्य	डॉ. राहुल सुरेश सपकाल, सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे	• अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान महामारी में सामने आए तीन प्रमुख मानव अधिकारों की चुनौतियों की जांच करना है - जीवन का अधिकार और जीवन की रक्षा करने का कर्तव्य, स्वास्थ्य का अधिकार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच तथा आवागमन और आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका सामना भारतीय श्रमिकों, उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों को करना पड़ता है। • निम्नलिखित क्षेत्रों में पहुंच, अपनाने, अनुकूलनशीलता और स्थिरता के संदर्भ में मानव अधिकार संस्थागत बाधाओं की स्थिति का विश्लेषण प्रदान करना: • जीवन पर महामारी के प्रभाव, आजीविका की हानि और रोजगार पुनर्वास में चुनौतियाँ। • चल रही महामारी के कारण व्याप्त असमानता, भेदभाव और बहिष्कार को कम करने की चुनौतियाँ
21.	कोविड-19 के दौरान वन एवं जनजातीय समुदायों (FTCs) के मानव अधिकारों के संरक्षण में ग्राम पंचायतों की सहभागितापूर्ण स्थानीय शासन व्यवस्था कितनी प्रभावी है?: महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सुदूर एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में चुनिंदा ग्राम पंचायतों का अध्ययन	डॉ. धनराज ए. पाटिल, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, गोंडवाना विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र	• एफटीसी के मौलिक मानव अधिकारों पर कोविड-19 के कई प्रभावों की जांच करना और महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में एफटीसी के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए गए स्थानीय रूप से प्रासंगिक और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त कोविड शासन मॉडल का पता लगाना। • आजीविका/रोजगार, प्रथागत व्यवसाय और स्वास्थ्य और भोजन के प्राकृतिक मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए ग्राम पंचायतों की कोविड शासन रणनीतियों के परिणाम और लाभों का अध्ययन करना, विशेष रूप से लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद की अवधि के दौरान। • एफटीसी के अंतर्निहित मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जमीनी स्तर पर उभर रहे नए परिवर्तनकारी वैकल्पिक लोकतांत्रिक स्थानीय शासन संरचनाओं के पैटर्न और महत्व का अध्ययन करना।
22.	स्थानीय स्वशासन और जनजातीय अधिकारों का संवर्धन: ओडिशा के मलकानगिरी जिले और झारखंड के गुमला जिले का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. उमेश चंद्र साहू, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), गुरुकुल फाउंडेशन, ओडिशा	• स्थानीय स्वशासन प्रक्रिया के वैचारिक आधार और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में भागीदारी दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना। • ग्राम सभा और अन्य विकास कार्यक्रमों में कमजोर वर्गों, विशेषकर आदिवासियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशन के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की क्षमता का पता लगाना, साथ ही उनकी स्थिरता, समानता, गरिमा और समग्र संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देना। • जन प्रतिनिधियों की अपेक्षित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनके प्रदर्शन के स्तर की जांच करना।
23.	ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में मानव अधिकारों का संवर्धन: पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से साक्ष्य	डॉ. पुनीत पाठक, सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, विधि अध्ययन विद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	• एल.एस.जी. में मानव अधिकार कार्यान्वयन के दायरे को समझना। • मानव अधिकारों के सम्मान, संरक्षण, पूर्ति और संवर्धन के संबंध में ग्रामीण एलएसजी की स्थिति का मूल्यांकन करना। • मानव अधिकारों के कार्यान्वयन में ग्रामीण स्थानीय प्राधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	उद्देश्य
24.	स्थानीय स्वशासन में मानव अधिकारों का संवर्धन- भारत के कुड्डालोर जिले की चुनिंदा ग्राम पंचायतों का एक अध्ययन	डॉ. वी. रथीकरनी, सहायक प्रोफेसर, अन्नामलाई विश्वविद्यालय	• सामान्य रूप से ग्राम पंचायतों और विशेष रूप से तमिलनाडु और पुडुचेरी में चयनित ग्राम पंचायतों में मानव अधिकार पहलुओं को समझना। • यह देखना कि नागरिक (अल्पसंख्यक, वंचित, महिलाएं, आदि) अपने मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए स्थानीय सरकार के साथ किस प्रकार जुड़ते हैं। • ग्राम पंचायतों के रोजमर्रा के शासन में मानव अधिकारों के संवर्धन को समझना।
25.	महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वाधार गृह और उज्ज्वला गृहों की स्थिति, कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता पर एक अध्ययन	डॉ. एस. शांताकुमार, कुलपति, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर	• महिलाओं के लिए स्वाधारगृह और उज्ज्वला गृह योजनाओं के कामकाज का मूल्यांकन करना। • किशोरियों सहित महिलाओं के मानव अधिकारों के संरक्षण में स्वाधारगृह और उज्ज्वला गृह योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। • स्वाधारगृह और उज्ज्वला गृहों के संचालन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करना। • महिलाओं और किशोरियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए योजनाओं की प्रभावशीलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए अंतराल की पहचान करना और नीतिगत उपाय सुझाना।
26.	भारत में शरणार्थी शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा: पहुँच बढ़ाने के लिए नीति उन्मुख नवाचार और तकनीकी दृष्टिकोण की कल्पना	डॉ. शुवरो प्रोसुन सरकार, सहायक प्रोफेसर, राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय, आईआईटी, खड़गपुर	• भारत में शरणार्थी शिक्षार्थियों की शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की जांच करना, • साक्षात्कारों के माध्यम से एकत्र आंकड़ों से भारत में शरणार्थी शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा तक पहुंच से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना, • सरकारी एवं निजी स्कूलों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में शरणार्थी बच्चों के लिए प्रवेश की निर्बाध पहुंच में सुधार करना।
27.	भारतीय धर्मग्रंथों और समकालीन संस्कृति में मानव अधिकार लोकाचार का अध्ययन।	डॉ. बलराम त्यागी, प्रोफेसर, लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान, दिल्ली	• सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा (यूडीएचआर) के अनुरूप सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के संबंध में भारतीय धर्मग्रंथों, प्राचीन ग्रंथों और वैदिक साहित्य के सिद्धांतों, सिद्धांतों और प्रथाओं का अन्वेषण और दस्तावेजीकरण करना। • महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य कमजोर समूहों के अधिकारों के संबंध में विचार, अभिव्यक्ति, समानता, शिक्षा, विश्वास और धर्म, स्वास्थ्य, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की स्वतंत्रता के संबंध में भारतीय धर्मग्रंथों, प्राचीन ग्रंथों और वैदिक साहित्य में सिद्धांतों, सिद्धांतों और प्रथाओं का पता लगाना और उनका दस्तावेजीकरण करना। • समकालीन और आधुनिक भारतीय समाज में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य कमजोर सामाजिक समूहों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ प्रतिध्वनित सांस्कृतिक कारकों की जांच करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	उद्देश्य
28.	शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका तक पहुंच	श्री संदीप चाचरा, कार्यकारी निदेशक, एक्शनएड एसोसिएशन, नई दिल्ली	• भारत में शरणार्थी समुदायों के प्रवास, संरक्षण और कल्याण उपायों के लिए उपलब्ध कानून, नीतियों और कार्यक्रमों तथा संस्थागत तंत्र का विश्लेषण करना। • भारत में पहचाने गए शरणार्थी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और पड़ोसी मेजबान समुदायों के साथ उनके संबंधों का दस्तावेजीकरण करना। • पोषण, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका आदि सहित बुनियादी जरूरतों और कल्याण प्रावधानों तक पहुंचने में विभिन्न शरणार्थी समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना।
29.	आईसीडीएस आंगनवाड़ियों में जाने वाले 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता और संबंधित कारक: उत्तरी भारत का एक अध्ययन	डॉ अर्चना दास्सी, प्रोफेसर, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं अनुसंधान केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली;	• आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता का आकलन करना। • बच्चों में कुपोषण से जुड़े कारकों का पता लगाना। • छोटे बच्चों के बीच चुनौतियों और उल्लेखनीय पोषण प्रथाओं (घर और आंगनवाड़ी केंद्रों दोनों में) का अध्ययन करना।
30.	भारत में एलजीबीटी समुदाय के बीच मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: मानसिक स्वास्थ्य विकारों और तनाव, मुकाबला, कथित सामाजिक समर्थन, व्यवसाय और धार्मिकता के बीच अंतर-संबंध का एक अध्ययन	डॉ. सुशांत कुमार पाढ़ी, प्रोफेसर और प्रमुख, मनोचिकित्सा विभाग, एम्स, भुवनेश्वर	• भारत में एलजीबीटी के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को समझना • भारत के एलजीबीटी समुदाय में आत्मघाती जोखिम का आकलन करना। • एलजीबीटी द्वारा सामना किए जाने वाले कार्यस्थल संबंधी मुद्दों का आकलन करना • एलजीबीटी समुदाय में मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य विकारों की जांच करना • भारत में एलजीबीटी समुदाय के व्यक्तियों के तनाव, मुकाबला करने की क्षमता, कथित सामाजिक समर्थन, व्यवसाय और धार्मिकता तथा मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे कारकों के बीच अंतर-संबंध का आकलन करना

अनुलग्नक-VIII

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुमोदित नए अनुसंधान अध्ययन

क्रम. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र
1.	दिव्यांग महिलाओं, विशेष रूप से प्रवासी परिवारों के बीच श्रम बाजार और रोजगार तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौशल विकास	निखिल राज, देशकाल सोसायटी, नोएडा	दिव्यांगजनों द्वारा रोजगार तक पहुंच
2.	दिव्यांगजनों द्वारा रोजगार तक पहुंच: स्थिति, बाधाओं की पहचान और संबंधित कारक	प्रो. (डॉ.) जयंती पुजारी, डीन, पुनर्वास विज्ञान संकाय और निदेशक, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज	दिव्यांगजनों की रोजगार तक पहुंच:
3.	मानव अधिकारों के हनन से निपटने के लिए खेल निकायों द्वारा अपनाए गए तंत्रों पर एक अध्ययन और केरल में कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ कानूनी नीति ढांचे की जांच	डॉ. अजित मोहन, के.आर., शारीरिक शिक्षा विभाग, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन, केरल	खेलों में मानव अधिकारों का हनन
4.	गुमनामी में बच्चे: दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में संगठित भीख मांगने के आयामों का खुलासा	श्री वरुण देव एस, सहायक प्रोफेसर और अनुसंधान अधिकारी, केरल लॉ अकादमी लॉ कॉलेज पेरूरकाडा, तिरुवनंतपुरम, केरल	बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा संगठित भीख मांगने के आयाम
5.	थर्ड जेंडर+: संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार की मान्यता और समानता की खोज	प्रोफेसर वंदना, विधि संकाय, कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय	एलजीबीटीक्यूआई व्यक्तियों के अधिकार
6.	दिल्ली-एनसीआर के विशेष संदर्भ में भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सामाजिक-कानूनी पहलुओं का अध्ययन	डॉ. दीपिका प्रकाश, सहायक प्रोफेसर, एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी नोएडा कैंपस, उत्तर प्रदेश	किशोर न्याय अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों के तहत गोद लेने से संबंधित समस्याएं और आवश्यक सुधार
7.	भारत में पेयजल की स्थिति की समीक्षा, सरकारी नीति एवं कार्रवाई - वास्तविकता, चुनौतियाँ और भविष्य की रास्ता	प्रो. छवि नाथ पांडे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर,	स्वच्छ पेयजल तक पहुंच
8.	चिकित्सकों के अधिकारों की चिंता - भारत में अग्रिम पंक्ति के चिकित्सकों से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघनों का विश्लेषण	डॉ. अभय शुक्ला, वरिष्ठ सलाहकार और वैज्ञानिक, साथी, पुणे	डॉक्टरों के मानव अधिकारों का उल्लंघन
9.	सीसीएल और पर्यवेक्षण गृहों में विचाराधीन कैदियों तथा एनडीपीएस अधिनियम के तहत विचाराधीन कैदियों/दोषियों के बीच मामलों की बढ़ती संख्या के कारणों को समझने के लिए अध्ययन, जो सीसीआई/पर्यवेक्षण गृहों और जेलों में बंद/दुख झेल रहे हैं और सर्वेक्षण राज्यों अर्थात दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधायी नीति और योजनाबद्ध प्रतिक्रिया की खोज करना।	डॉ. विक्रम श्रीवास्तव, संस्थापक, इंडिपेंडेंट थॉट, गौतमबुद्ध नगर, यूपी	भारत में बच्चों और युवाओं में मादक द्रव्यों का सेवन

क्रम. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र
10.	अंतर-पीढ़ीगत वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के बच्चों को शिक्षा तक पहुंच में आने वाली सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है	डॉ. वीरेंद्र मिश्रा (आईपीएस) निदेशक संवेदना, रेस लैब, भोपाल, मध्य प्रदेश	भारत में यौनकर्मियों के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार
11.	स्थिरता और स्वस्थ पर्यावरण के लिए शहरीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए भारतीय शहरों में ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट जल प्रबंधन और भवन नियमों का तुलनात्मक अध्ययन	श्री विमल मिश्रा, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग और पृथ्वी विज्ञान, आईआईटी, गांधीनगर	स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार और शहरीकरण के बीच संतुलन बहाल करना
12.	एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा: पीड़ित मुआवजा योजनाओं और उनकी प्रभावशीलता का एक अखिल भारतीय अध्ययन	डॉ. गरिमा पाल, सहायक प्रोफेसर, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मुंबई	पीड़ितों को मुआवजा

सर्वे भवन्तु सुखिनः

अनुलग्नक –IX

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और भरे गए पदों का विवरण

क्रम.सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	पदस्थ
1	महा सचिव	01	01
2	महानिदेशक (अन्वेषण)	01	01
3	रजिस्ट्रार (विधि)	01	01
4	संयुक्त सचिव	02	02
5	प्रस्तुतकर्ता अधिकारी	05	04
6	डीआईजी	01	01
7	निदेशक	01	01
8	संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि)	01	01 (संविदा)
9	एसएसपी	04	04
10	उप रजिस्ट्रार	03	03
11	सीनियर पीपीएस	01	01
12	संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)	01	0
13	उप सचिव	01	01
14	अवर सचिव	03	03
15	सहायक रजिस्ट्रार	10	07
16	प्रधान निजी सचिव (पीपीएस)	07	07
17	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	02	02 (संविदा)
18	अनुसंधान अधिकारी	02	0
19	उप निदेशक (मीडिया एवं संचार)	01	01
20	सीनियर सिस्टम विश्लेषक	01	01
21	सहायक निदेशक (प्रकाशन)	01	01
22	लाइब्रेरियन/प्रलेखन अधिकारी	01	0
23	सहायक निदेशक (हिंदी)	01	01
24	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	01	0
25	सिस्टम विश्लेषक	01	01
26	प्रोग्रामर	01	01
27	अनुभाग अधिकारी	15	14 (01 संविदात्मक)
28	निजी सचिव	14	08
29	पुलिस उपाधीक्षक	11	09

क्रम.सं.	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	पदस्थ
30	सहायक लेखा अधिकारी	03	02 (01 संविदात्मक)
३1	निरीक्षक	26	15
32	निजी सहायक	21	12 (01 संविदात्मक)
33	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	01	0
34	अनुसंधान सहायक	03	03
35	सहायक	37	32
36	वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी)	01	0
37	प्रोग्रामर सहायक	02	0
38	लेखाकार	03	02
39	कनिष्ठ अनुवादक	02	02
40	उप प्रलेखन अधिकारी	01	01
41	कनिष्ठ लेखाकार	03	03 (02 संविदात्मक)
42	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	22	18
43	अपर श्रेणी लिपिक	11	11
44	सहायक लाइब्रेरियन	01	0
45	अवर श्रेणी लिपिक	20	21
46	स्टाफ कार चालक	12	07
47	सिपाही	12	12
48	डिस्पैच राइडर	02	01
49	एमटीएस	78	63
	कुल	**356**	**282**

अनुलग्नक -X

विशेष प्रतिवेदक

क्रम सं.	विशेष प्रतिवेदक का नाम	नई योजना के अनुसार कवर किया गया जोन/क्षेत्र	कार्यकाल
1.	श्री महेश सिंगला पंजाब	**जोन-I** पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
2.	डॉ. अशोक कुमार वर्मा उत्तर प्रदेश	**जोन -II** हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लेह लद्दाख और उत्तराखंड	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
3.	श्री रंजन द्विवेदी नोएडा	**जोन-III** उत्तर प्रदेश	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
4.	श्री पी.एन. दीक्षित महाराष्ट्र	**जोन IV** महाराष्ट्र और गोवा	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
5.	श्री मदन लाल मीना नई दिल्ली	**जोन-v** राजस्थान	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
6.	डॉ. के.सी. शर्मा	**जोन-VI** गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	5 मई 2022 से 8 जनवरी 2024 तक
7.	श्री उमेश कुमार शर्मा राजस्थान	**जोन-VII** मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
8.	डॉ. राजिंदर कुमार मलिक नई दिल्ली	**जोन-VIII** पश्चिम बंगाल और ओडिशा	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
9.	सुश्री निर्मल कौर झारखंड	**जोन-IX** बिहार	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
10.	सुश्री सुचित्रा सिन्हा झारखंड	**ज़ोन-X** झारखंड	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
11.	श्री हरि सेना वर्मा केरल	**ज़ोन-XI** तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
12.	श्री एम. मदन गोपाल कर्नाटक	**जोन-XII** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
13.	श्री अशीत मोहन प्रसाद कर्नाटक	**जोन- XIII** कर्नाटक	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
14.	श्री उमेश कुमार असम	**जोन-XIV** असम, मेघालय और सिक्किम	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक
15.	श्री अखिल कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश	**ज़ोन-XV** नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश	5 मई 2022 से 4 मई 2025 तक

विशेष मॉनिटर

क्र. सं.	विशेष मॉनिटर का नाम	विषयगत क्षेत्र और कवर किए गए विषय	कार्यकाल
1.	श्री वीरेंद्र सिंह रावत उर्फ स्वामी योगानंद उत्तराखंड	मानव अधिकार पक्षसमर्थक (मानव संसाधन शिक्षा एवं लैंगिक समानता)	25 जुलाई 2022 से 24 जुलाई 2025
2.	श्री जयंतो नारायण चौधरी पश्चिम बंगाल	आपराधिक न्याय प्रणाली (विषय - जेल, किशोर न्याय और सुधार गृह) तथा पुलिस एवं पुलिस सुधार	23 सितम्बर 2022 से 22 सितम्बर 2025 तक
3.	श्री अहमद जावेद महाराष्ट्र	बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम (विषय - बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम से संबंधित सभी केस)	23 सितम्बर 2022 से 22 सितम्बर 2025 तक
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार उत्तर प्रदेश	जनजातीय कल्याण (विषय - जनजातीय और वनवासियों के कल्याण से संबंधित सभी केस)	23 सितम्बर 2022 से 22 सितम्बर 2025 तक
5.	श्री फौजान अलवी नई दिल्ली	सीवर और सेप्टिक टैंकों के मशीनीकरण, सफाई, सिलिकोसिस से संबंधित केस और समय-समय पर विशेष रूप से सौंपे गए अन्य मामलों के संबंध में परामर्शियों के कार्यान्वयन से संबंधित केस।	23 सितम्बर 2022 से 22 सितम्बर 2025 तक
6.	डॉ. योगेश दुबे महाराष्ट्र	महिलाएँ एवं दिव्यांगता (विषय - यौन हिंसा और बलात्कार, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न)	23 सितम्बर 2022 से 22 सितम्बर 2025 तक
7.	श्री बालकृष्ण गोयल हरियाणा	बाल अधिकार एवं बुजुर्ग नागरिक (विषय - बाल अधिकार एवं बुजुर्ग नागरिकों से संबंधित सभी केस)	23 सितम्बर 2022 से 22 सितम्बर 2025 तक
8.	सुश्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी दिल्ली	ट्रांसजेंडर (विषय - ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी अधिकारों से संबंधित सभी केस)	23 सितम्बर 2022 से 22 सितम्बर 2025 तक
9.	श्री हेमंत नार्ज़ारी असम	पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन (विषय-पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन से संबंधित सभी केस)	23 सितम्बर 2022 से 22 सितम्बर 2025 तक
10.	श्री सुधीर चौधरी हरियाणा	मानव तस्करी (विषय - मानव तस्करी से संबंधित सभी केस)	23 सितम्बर 2022 से 22 सितम्बर 2025 तक
11.	श्री प्रेम सिंह बिष्ट हरियाणा	व्यापार एवं मानव अधिकार (विषय - व्यापार एवं मानव अधिकार से संबंधित सभी केस)	23 सितम्बर 2022 से 22 सितम्बर 2025 तक
12.	श्री अमिताभ अग्निहोत्री मध्य प्रदेश	पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं मानव अधिकार।	22 नवम्बर 2023 से 22 नवम्बर 2025
13.	श्री संजय अग्रवाल उत्तर प्रदेश	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता	22 नवम्बर 2023 से 22 सितम्बर 2025
14.	डॉ. मनोहर अगनानी मध्य प्रदेश	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल (मानसिक, एचआईवी/एड्स, नकली दवाएं, निदान और प्रयोगशालाएं)	22 नवम्बर 2023 से 22 सितम्बर 2025
15.	श्री राकेश अस्थाना नई दिल्ली	आतंकवाद, उग्रवाद-विरोधी कार्य, वामपंथी उग्रवाद और सांप्रदायिक दंगे आदि।	22 नवम्बर 2023 से 22 सितम्बर 2025

क्र. सं.	विशेष मॉनिटर का नाम	विषयगत क्षेत्र और कवर किए गए विषय	कार्यकाल
16.	सुश्री ज्योत्सना सिटलिंग दिल्ली	आजीविका, कौशल और रोजगार	22 नवम्बर 2023 से 22 फरवरी 2024 तक
17.	डॉ. मुक्तेश चंदर उत्तर प्रदेश	साइबर अपराध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता	22 नवम्बर 2023 से 22 सितम्बर 2025
18.	श्री आर.के. सामा गुजरात	जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य (वाश)	22 नवम्बर 2023 से 1 मार्च 2024 तक

अनुलग्नक –XI

2023-24 के दौरान विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों द्वारा किए गए दौरे

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विशेष प्रतिवेदकों द्वारा किए गए दौरे

क्रम. सं.	विशेष प्रतिवेदक का नाम	किए गए दौरे
1.	श्री महेश कुमार सिंगला	i) 25 से 30 अप्रैल 2023 तक पंजाब राज्य के होशियारपुर और लुधियाना में दो संप्रेक्षण गृहों का दौरा किया। ii) 11 से 13 मई 2023 तक राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा का दौरा किया। iii) एनएचआरसी केस संख्या 487/19/2/2023 दिनांक 16 मई 2023 के संबंध में 29-31 मई, 2023 तक भटिंडा जेल का दौरा किया। iv) 21 से 28 जून 2023 तक सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत हरियाणा और पंजाब सरकार के संप्रेक्षण गृहों (सीसीआई) का दौरा किया। v) 20 से 22 जुलाई 2023 तक पंजाब राज्य के फरीदकोट (संप्रेक्षण होम, सादिक रोड केन्द्रीय कारागार और फरीदकोट) का दौरा किया। vi) 28 से 29 जुलाई, 2023 तक महिला एवं बाल कल्याण विभाग हरियाणा के अंतर्गत संप्रेक्षण गृह करनाल और सेक्टर 26, चंडीगढ़ में बालिकाओं के लिए संप्रेक्षण एवं विशेष गृहों का दौरा किया। vii) 28 से 31 अगस्त 2023 तक महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत फरीदाबाद और दिल्ली में पर्यवेक्षण गृह का दौरा किया। viii) 29 से 30 सितम्बर 2023 तक चंडीगढ़ सेक्टर-25 में स्थित लड़कियों के लिए चंडीगढ़ संप्रेक्षण और विशेष गृहों तथा सेक्टर-26 में स्थित लड़कों के लिए चंडीगढ़ संप्रेक्षण और विशेष गृहों का दौरा किया। ix) 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक दिल्ली में बाल देखभाल संस्थानों का दौरा किया। x) 24 से 29 नवम्बर 2023 तक दिल्ली सरकार के अधीन बाल गृह और हरियाणा सरकार के अधीन जेल का दौरा किया। xi) 10 दिसम्बर 2023 को मानव अधिकार दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली का दौरा ; 11 दिसम्बर 2023 को विशेष प्रतिवेदकों की बैठक और 12 से 13 दिसम्बर, 2023 तक हरियाणा राज्य में जिला जेल गुरुग्राम, भोंडसी का दौरा। xii) 24 से 25 जनवरी, 2024 और 27 से 30 जनवरी, 2024 तक दिल्ली के बाल देखभाल गृहों और जिला जेल पलवल, हरियाणा का दौरा किया। xiii) 23 से 25 जनवरी तथा 29 से 31 जनवरी 2024 तक पंजाब राज्य (फतेहगढ़ साहिब, मनसा, लुधियाना और जालंधर) में वृद्धाश्रम, सी.सी.आई. और संप्रेक्षण गृहों और आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि का दौरा/निरीक्षण किया। xiv) एनएचआरसी केस संख्या 2745/30/1/2023-विधि प्रभाग में केस की जांच के लिए 19 से 24 फरवरी 2024 तक दिल्ली का दौरा किया।
2.	डॉ. अशोक कुमार वर्मा	i) 19 से 24 जून, 2023 तक श्रीनगर में केंद्रीय जेल और अनंतनाग में जिला जेल का दौरा किया, श्रीनगर में समाज के कमजोर वर्गों से जुड़ी एक संस्था की स्थितियों की समीक्षा की। ii) 21 से 26 अगस्त, 2023 तक केंद्रीय जेल, कोट भलवाल, जम्मू और जिला जेल, उधमपुर का दौरा किया।

क्रम. सं.	विशेष प्रतिवेदक का नाम	किए गए दौरे
		iii) 24 से 30 सितम्बर 2023 तक अल्मोड़ा-भीमताल, उत्तराखंड का दौरा (अल्मोड़ा जिला जेल और किशोर अपराधियों के लिए संप्रेक्षण गृह, वंचित बच्चों के लिए संस्थान आदि का दौरा)। iv) 14 से 19 नवम्बर, 2023 तक उत्तराखंड राज्य में जिला जेल नैनीताल, उप-जेल किशोर अपराधियों के लिए संप्रेक्षण गृह, हल्द्वानी तथा नेत्रहीन बच्चों के लिए एनएबी संस्थान, हल्द्वानी का दौरा किया। v) 26 से 31 मार्च, 2024 तक उत्तराखंड राज्य के टिहरी स्थित जिला जेल और उत्तरकाशी स्थित संप्रेक्षण गृह एवं वृद्धाश्रम का दौरा किया।
3.	श्री रंजन द्विवेदी	प्रयाग राज में बाल सुधार गृह से संबंधित एनएचआरसी केस संख्या 32358/24/4/2022 और बाराबंकी जेल में एचआईवी मामलों और संबंधित मुद्दों से संबंधित केस संख्या 28165/24/4/2022 के संबंध में 4 दिसम्बर 2023 से 9 दिसम्बर 2023 तक उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा किया।
4.	श्री पी.एन. दीक्षित	5 अक्टूबर 2023 को केस संख्या 2249/13/2023 में आयोग के निर्देशों के अनुसार 29 अक्टूबर 2023 से 2 नवम्बर 2023 तक महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ और संभाजी नगर का दौरा किया।
5.	श्री मदन लाल मीना	18 से 19 मार्च 2024 तक राजस्थान राज्य के नव निर्मित जिले कोटपुतली-बहरोड़ के कोटपुतली और बहरोड़ उप-मंडल जेल का दौरा किया।
6.	श्री उमेश कुमार शर्मा	11 से 17 फरवरी, 2024 तक छत्तीसगढ़ राज्य (केन्द्रीय / जिला जेल, बाल गृह आदि का दौरा करने के लिए)के कुछ जिलों का दौरा किया तथा 25 फरवरी से 2 मार्च, 2024 तक मध्य प्रदेश राज्य (केन्द्रीय/जिला जेल, बाल गृह आदि का दौरा करने के लिए) के कुछ जिलों का दौरा किया
7.	सुश्री निर्मल कौर	i) 22 फरवरी 2023 से 6 मार्च 2023, 20-25 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 और 6 अप्रैल 2023 तथा 2-7 मई, 2023 तक चेन्नई और दक्षिणी राज्यों के मदरसा में ले जाए जा रहे बिहार के छोटे बच्चों के केस की जांच के लिए बिहार का दौरा किया (केस संख्या 4984/22/13/2022)। ii) 4 से 9 जून 2023 तक चेन्नई और दक्षिणी राज्यों के मदरसा में ले जाए जा रहे बिहार के छोटे बच्चों के केस की जांच के लिए बिहार का दौरा किया। (केस संख्या 4984/22/13/2022)। iii) चेन्नई के मदरसों में ले जाए जा रहे बिहार के छोटे बच्चों के केस में केस संख्या 4984/22/13/2022 के संबंध में 1 से 12 अगस्त 2023 तक बिहार राज्य के पटना और सहरसा का दौरा किया। iv) बेगूसराय जेल में भोजन की खराब गुणवत्ता से संबंधित केस संख्या 3487/4/4/2022 के संबंध में 1 नवम्बर 2023 से 7 नवम्बर 2023 तक बेगूसराय जेल का दौरा किया। v) एनएचआरसी केस संख्या 3487/4/4/2022 के संबंध में 18 दिसम्बर 2023 से 24 दिसम्बर 2023 तक बिहार राज्य के पटना और बेगूसराय का दौरा।
8.	सुश्री सुचित्रा सिन्हा	i) 19 मई 2023 और 22 से 25 मई 2023 तक जमशेदपुर, देवघर और दुमका (किशोर पर्यवेक्षण गृह, करनडीह, जमशेदपुर, देवघर जेल और दुमका जेल) में विभिन्न संस्थानों का दौरा किया। ii) 22 से 24 जून 2023, 1 अगस्त 2023, 3 अगस्त 2023, 7 से 10 अगस्त, 2023 के दौरान झारखंड राज्य में जमशेदपुर, रांची, गुमला और चाईबासा (जमशेदपुर बाल गृह, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, कामरे, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय, महिला परिवीक्षा गृह, नामकुम, गुमला जेल) में विभिन्न संस्थानों का दौरा किया।

क्रम. सं.	विशेष प्रतिवेदक का नाम	किए गए दौरे
		iii) 1 से 2 सितम्बर, 2023 तक ; 6-9 सितम्बर, 2023; 8 सितम्बर, 2023, 11 सितम्बर, 2023 और 13 सितम्बर, 2023 को जमशेदपुर (झारखंड) में विभिन्न संस्थानों (अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय, सिंहपुरा, गुराबंदा, धालभूम, जनशेदपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिवीसिडेंशियल स्कूल, गोलमुरी, पूर्वी सिंहभूम; अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका मध्य विद्यालय; केन्द्रीय विद्यालय, टाटा नगर; कस्तूरबा विद्यालय, चांडील तथा अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, तमाड़) का दौरा किया। iv) 9 अक्टूबर 2023, 11 अक्टूबर 2023 और 16-17 अक्टूबर, 2023 को झारखंड राज्य में सैगाडीह, अनुसूचित जन जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, मांडू, रामगढ़, जाहर नवोदय विद्यालय, मेसरा और अनुसूचित आवासीय विद्यालय ओरमांझ पिस्का का दौरा किया। v) 1 से 4 नवम्बर 2023, 05 नवम्बर 2023, 07 नवम्बर 2023 और 09 नवम्बर 2023 को झारखंड राज्य में रांची, रामगढ़, जमशेदपुर और खूंटी में स्थित विभिन्न संस्थानों (जवाहर नवोदय विद्यालय, खूंटी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कांके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, रांची, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बायनबिल, जमशेदपुर, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, साइगाडीह, अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, रामगढ़) का दौरा किया। vi) 1 से 2 दिसम्बर, 2023, 6, 7, 8 और 9 दिसम्बर, 2023 को झारखंड राज्य के कोडरमा, रामगढ़, जमशेदपुर, सरायकेला और रांची में स्थित विभिन्न संस्थानों (सैनिक स्कूल तिलैया, कोडरमा जेल, जवाहर नवोदय विद्यालय पतरातू, रामगढ़, नामकुम में सीएचसी, वृद्धाश्रम, जमशेदपुर और जवाहर नवोदय विद्यालय, सरायकेला) का दौरा किया। vii) 16 से 20 जनवरी और 22 जनवरी, 2024 तक झारखंड राज्य के रांची, बुंडू और तमाड़ में स्थित विभिन्न संस्थानों (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ओरमांझी, कांके में सीएचसी, लोअर चुटिया में सीएचसी, बेरो में सीएचसी, बुंडू में सीएचसी और तमाड़ में सीएचसी) का दौरा किया। viii) 7 से 10 फरवरी, 2024 और 12-13 फरवरी, 2024 तक सरायकेला- खरसावां, जमशेदपुर और रांची में स्थित विभिन्न संस्थानों (सदर अस्पताल, रांची, जमशेदपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरायकेला-खरसावां में सीएचसी, चांडिल में सीएचसी, गोलमुरी में सीएचसी और नीमडीह में सीएचसी) का दौरा किया।
9.	श्री हरि सेना वर्मा	18 से 20 दिसम्बर, 2023 तक कुथिरवट्टम में सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का निरीक्षण करने के लिए कोझीकोड का दौरा किया।
10.	श्री अशीत मोहन प्रसाद	24 से 27 अप्रैल, 2023 तक कर्नाटक राज्य के बीआर हिल्स, चामराजनगर का दौरा किया।
11.	श्री उमेश कुमार	i) 4 से 9 अप्रैल, 2023 तक दीमा हसाओ जिले (असम) के हाफलोंग में जेल तथा कामरूप (ग्रामीण) जिले में पुनर्वास केंद्र और बाल गृह के निरीक्षण के लिए असम राज्य का दौरा किया। ii) 11 से 16 मई, 2023 तक असम में धेमाजी जेल का दौरा किया। iii) 25 से 30 जून, 2023 तक निरीक्षण के लिए असम के गोलाघाट में जेल का दौरा किया। iv) 19 से 24 जुलाई, 2023 तक धुबरी जिले के बिलासीपारा में बाल देखभाल संस्थान का दौरा/निरीक्षण किया और धुबरी जिले के रूपशी में आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। v) 14 से 19 अगस्त, 2023 तक सोहरा (चेरापूंजी) में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और शिलांग में कुछ एनजीओ द्वारा संचालित बाल गृह का निरीक्षण करने के लिए मेघालय राज्य में सोहरा और शिलांग का दौरा किया। vi) 13 से 18 सितम्बीर, 2023 तक जेल के निरीक्षण के लिए असम में तिनसुकिया का दौरा किया।

क्रम. सं.	विशेष प्रतिवेदक का नाम	किए गए दौरे
		vii) 26 - 31 अक्टूबर, 2023 तक असम के कामरूप मेट्रो जिले में नशामुक्ति केंद्र और वन स्टॉप सेंटर का दौरा किया।। viii) 13 से 18 दिसम्बर, 2023 तक असम सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत गृह और केंद्र और महिला हेल्पलाइन केंद्र, बेलटोला, गुवाहाटी का दौरा किया। ix) 27 से 29 दिसम्बर, 2023 तक भारत सरकार की शक्ति सदन योजना के अंतर्गत संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक गृह, निर्मल आश्रय का दौरा किया। x) 17 से 22 जनवरी, 2024 तक असम राज्य में गोलपाड़ा जेल का निरीक्षण के लिए दौरा किया। xi) 23 से 29 फरवरी, 2024 तक शिलांग जेल का दौरा/निरीक्षण किया। xii) 26 से 31 मार्च, 2024 तक निरीक्षण के लिए गुवाहाटी शहर के काहिलीपारा में श्रवण बाधितों के लिए बीडीएस सरकारी एचएस स्कूल का दौरा किया।
12.	श्री अखिल कुमार शुक्ला	i) 24 सितम्बर 2023 से 29 सितम्बर 2023 तक नागालैंड राज्य के दीमापुर और कोहिमा स्थित केंद्रीय जेल का दौरा किया। ii) 15 से 17 नवम्बर, 2023 तक गुवाहाटी, असम का दौरा किया, जहां स्थानीय स्वशासन के माध्यम से मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। iii) 12 से 15 दिसम्बर, 2023 तक निरीक्षण के लिए जिला जेल, ईटानगर का दौरा किया। iv) 19 से 24 फरवरी, 2024 तक केन्द्रीय संअनुसंधानन नगर (केन्द्रीय जेल) बिशालगढ़, अगरतला और जिला जेल तथा जिला जेल उदयपुर, त्रिपुरा का दौरा किया।

ख. विशेष मॉनिटरों द्वारा किए गए दौरे

क्रम. सं.	विशेष मॉनीटर का नाम	किए गए दौरे
1.	श्री वीरेंद्र सिंह रावत उर्फ स्वामी योगानंद	i) 27 सितम्बर 2023 से 31 सितम्बर 2023 तक हरियाणा राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन की आशंका वाले प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा/निरीक्षण किया। ii) 15 से 20 अक्टूबर 2023 तक राजस्थान राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन की आशंका वाले प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया। iii) 25 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक दिल्ली राज्य (एनसीआर में शामिल क्षेत्र) में मानव अधिकार उल्लंघन की आशंका वाले प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया। iv) 25 मार्च 2024 से 29 मार्च 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन की आशंका वाले प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा/निरीक्षण किया।
2.	श्री जयंतो नारायण चौधरी	आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित मुद्दों के संबंध में 12-14 और 17-18 जुलाई, 2023 तक पश्चिम बंगाल में विभिन्न संस्थानों का दौरा किया।

क्रम. सं.	विशेष मॉनीटर का नाम	किए गए दौरे
3.	श्री फौजान अलवी	i) दिसम्बर, 2023 में नई दिल्ली में 'स्ट्रीट बैगर्स' पर एक अध्ययन किया और 3 जनवरी 2024 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ii) 8 मार्च 2024 से 9 मार्च 2024 तक मैनुअल स्कैवेंजरों और सीवेज श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा।
4.	डॉ. योगेश दुबे	i) 14 से 17 मई 2023 तक मध्य प्रदेश के सतना, रीवा और सीधी जिलों का दौरा किया। ii) 9 से 12 अगस्त, 2023 तक मंगलुरु का दौरा किया और ब्लॉक/तालुका कदबा, दक्षिण कन्नड़ जिला (कर्नाटक) का क्षेत्रीय दौरा किया। iii) 11 सितम्बर 2023 से 13 सितम्बर 2023 तक कोखापुर (महाराष्ट्र) में अंध आश्रम बालिका गृह (लड़कियों के लिए घर) जिला प्रशासन कार्यालय में निर्भया फंड के उपयोग का मौके पर निरीक्षण और डेटा संग्रह के लिए दौरा किया। iv) 5 से 7 फरवरी, 2024 तक मौके पर निरीक्षण और डेटा संग्रह के लिए तिरुवनंतपुरम, केरल का दौरा किया। v) 4 से 6 मार्च, 2024 तक सूरत, गुजरात (दृष्टिबाधितों के लिए स्कूलों; मुक-बधिर विकास ट्रस्ट, मूक-बधिर स्कूल, सूरत तथा मावजात पैरंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट) का दौरा किया। vi) 17-19 मार्च, 2024 तक मौके पर निरीक्षण और डेटा संग्रह के लिए जयपुर, राजस्थान का दौरा।
5.	श्री बालकृष्ण गोयल	i) 22 मई 2023 से 29 मई 2023 तक यूपी, हरियाणा, दिल्ली (एनसीआर) और राजस्थान में स्थित अवलोकन गृहों, सीसीआई, वृद्धाश्रमों और सरकारी स्कूलों का दौरा। ii) 21 से 28 जून, 2023 तक उत्तर प्रदेश में स्थित अवलोकन गृहों, सीसीआई, वृद्धाश्रमों और सरकारी स्कूलों, जिला अस्पताल, केंद्रीय जेल, क्रेच, आंगनवाड़ियों आदि का दौरा किया। iii) 28 जुलाई 2023 से 04 अगस्त 2023 तक रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में स्थित सभी प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र आदि का दौरा किया। iv) 29 सितम्बर से 6 अक्टूबर, 2023 तक तमिलनाडु राज्य में चेन्नई, रानीपेट, तिरुवन्नामलाई और वेल्लोर का दौरा किया। v) 17 से 19 दिसम्बर, 2023 तक अजमेर, राजस्थान में स्थित संप्रेक्षण गृह/सीसीआई, सुरक्षा स्थल/एसएए, सरकारी विद्यालय/आंगनवाडी, वृद्धाश्रम/केंद्रीय/जिला जेल/जिला अस्पताल आदि का दौरा/निरीक्षण किया। vi) 23-25 जनवरी और 29-31 जनवरी, 2024 तक पंजाब राज्य (फतेहगढ़ साहिब, मानसा, लुधियाना और जालंधर) में वृद्धाश्रम, सीसीआई और अवलोकन गृह और एडब्ल्यूसी आदि का दौरा/निरीक्षण किया। vii) 18 से 24 फरवरी, 2024 तक असम राज्य में कामरूप मेट्रोपॉलिटन, नलबाड़ी, नागांव और कामरूप में स्थित वृद्धाश्रम, सीसीआई और संप्रेक्षण गृहों और आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि का दौरा/निरीक्षण किया। viii) 12 से 20 मार्च, 2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य के ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर में स्थित वृद्धाश्रम, सीसीआई, अवलोकन गृह और आंगनवाड़ी केन्द्रों आदि का दौरा किया।

क्रम. सं.	विशेष मॉनीटर का नाम	किए गए दौरे
6.	श्री सुधीर चौधरी	i) 23 जुलाई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक राज्य में किशोर गृह निरोध और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों के संबंध में हरियाणा राज्य में चंडीगढ़ और पंचकूला का दौरा किया। ii) 6 अगस्त 2023 से 11 अगस्त 2023 तक हरियाणा राज्य में अंबाला, करनाल, फरीदाबाद और गुड़गांव में किशोर गृह निरोध, मानव तस्करी विरोधी इकाइयों का दौरा किया। iii) गृह मंत्रालय, बीपीआरएंडडी, डब्ल्यूसीडी अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए 19 से 24 फरवरी, 2024 तक दिल्ली और गुड़गांव का दौरा किया - प्लेसमेंट एजेंसियों, बचाव गृहों, मानव तस्करी विरोधी इकाइयों, पुनर्वास केंद्रों का दौरा किया। iv) 28 से 30 मार्च, 2024 तक फरीदाबाद का दौरा किया। फरीदाबाद में प्लेसमेंट एजेंसियसों, बचाव, पुनर्वास गृहों आदि का दौरा किया तथा सीपी और उपायुक्त, फरीदाबाद एवं अन्य अधिकारियों से मुलाकात की।
7.	श्री प्रेम सिंह बिष्ट	i) 28 जून 2023 से 30 जून 2023 तक पंजाब राज्य में व्यापार और मानव अधिकार उल्लंघन से ग्रस्त पीएसयू का निरीक्षण करने के लिए दौरा किया। ii) 25 जुलाई 2023 से 27 जुलाई 2023 तक हरियाणा राज्य में पानीपत और शाहाबाद (कुरुक्षेत्र) का दौरा किया (हरियाणा राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन से ग्रस्त पीएसयू का दौरा/निरीक्षण किया)। iii) 22 से 25 अगस्त, 2023 तक राजस्थान राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन से ग्रस्त पीएसयू का दौरा/निरीक्षण किया। iv) 16 से 21 अक्टूबर, 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य (ग्वालियर, गुना, इंदौर, पीतमपुर धार जिले) में मानव अधिकार उल्लंघन से ग्रस्त पीएसयू का दौरा किया। v) 20 से 23 फरवरी, 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन से ग्रस्त पीएसयू, उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, आगरा और यूपीएसआईडीसी, लखनपुर, कानपुर का दौरा किया।
8.	श्री राकेश अस्थाना	20 से 22 फरवरी, 2024 तक शेखपोरा, बडगाम और वेसू (अनंतनाग) में आतंकवाद पीड़ितों के शिविरों का दौरा किया।
9.	डॉ. मुक्तेश चंदर	12 से 15 मार्च, 2024 तक राज्य में साइबर अपराध की घटनाओं, एफआईआर में उनके रूपांतरण, साइबर धोखाधड़ी में धन की वसूली, साइबर अपराध से निपटने में पुलिस की तैयारियों का अध्ययन करने के लिए कोलकाता का दौरा किया।

अनुलग्नक -XII

आयोग द्वारा मौद्रिक राहत के लिए की गई संस्तुतियां, जिन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया / जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया या न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई

क्र. सं.	केस संख्या	संस्तुति की तिथि/अंतिम निर्देश	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियां	राज्य प्राधिकारियों द्वारा संस्तुतियों को अस्वीकार करने के कारण	संस्तुतियों के खिलाफ प्राधिकारियों द्वारा रिट याचिका दायर की गई है/की जा रही है
1.	399/33/14/2021	3 नवम्बर 2023	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राजधानी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल रायपुर में वार्ड में आग लगने से पांच कोविड मरीजों की मौत हो गई थी। पीड़ितों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई थी।	छत्तीसगढ़ सरकार को मृतक कैदी के परिजन को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 03 नवम्बर 2023 की कार्यवाही	राज्य प्राधिकारियों ने औचित्य बताते हुए पुनर्विचार का अनुरोध किया है। संदर्भ: 6539/52/आयोग/2023/17-1 दिनांक 12 दिसम्बर 2023	लागू नहीं
2.	8944/24/64/2020	23 जनवरी 2023	शिकायत के अनुसार, छह दिनों से पैदल चल रहा 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर भूख के कारण सहारनपुर के पास बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। वह लुधियाना में काम करता था और उसने हरदोई, यूपी में अपने घर वापस पैदल जाने का फैसला किया क्योंकि उसके लिए कोई सरकारी परिवहन उपलब्ध नहीं था।	उत्तर प्रदेश सरकार को मृतक के निकट संबंधियों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 23 जनवरी 2023 की कार्यवाही	राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2023 के पत्र के माध्यम से कहा है कि कोविड के कारण होने वाली मौतों में केवल 50000 रुपये के भुगतान का प्रावधान है और आयोग से अपनी संस्तुतियों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।	लागू नहीं
3.	3799/12/33/2021	22 अगस्त 2022 (आयोग द्वारा अंतिम बार 30 जून 2023 को विचार किया गया)	शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके पति की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी। आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पीड़ित की मौत हुई क्योंकि बिजली विभाग हाई टेंशन तार की न्यूनतम दूरी बनाए रखने में विफल रहा।	मध्य प्रदेश सरकार को मृतक के निकट संबंधियों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 22 अगस्त की कार्यवाही 2022	लागू नहीं	मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग के दिनांक 22.08.2022 के आदेश को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका संख्या 4676/2023 के तहत चुनौती दी है।

क्र. सं.	केस संख्या	संस्तुति की तिथि/अंतिम निर्देश	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियां	राज्य प्राधिकारियों द्वारा संस्तुतियों को अस्वीकार करने के कारण	संस्तुतियों के खिलाफ प्राधिकारियों द्वारा रिट याचिका दायर की गई है/की जा रही है
4.	3194/4/35/2017-जेसीडी	06 नवम्बर 2021 (आयोग द्वारा अंतिम बार 20 जून 2023 को विचार किया गया)	शिवहर, बिहार के मंडल कारागार के एसपी से विचाराधीन कैदी राम नाथ की हिरासत में मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई	बिहार सरकार को मृतक के निकट संबंधियों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 6 नवम्बर 2021 की कार्यवाही	लागू नहीं	बिहार सरकार ने आयोग के दिनांक 06.11.2021 के आदेश को माननीय बिहार उच्च न्यायालय, पटना में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 12772/2022 के तहत चुनौती दी है।
5.	6850/30/8/2021	01 दिसम्बर 2022 (आयोग द्वारा अंतिम बार 15 मार्च 2024 को विचार किया गया)	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों ने शराब की दुकान के बाहर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। साकेत पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे परेशान किया और घायल कर दिया। स्थानीय पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की।	दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पीड़ित/शिकायतकर्ता श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री अमृत सिंह को 1.5 लाख रुपये की आर्थिक राहत देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 1 दिसम्बर 2022 की कार्यवाही	लागू नहीं	दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने आयोग के दिनांक 01.12.2022 के आदेश को रिट याचिका संख्या 487/2024 के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
6.	77/9/1/2020	16 जनवरी 2023 (आयोग द्वारा 26 दिसम्बर 2023 को अंतिम बार विचार किया गया)	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उप-जिला अस्पताल सीर के डॉक्टरों द्वारा उपचार में देरी और बाद में एमसीसीएच, अनंतनाग में स्थानांतरण के अनुरोध के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो गई, जो गर्भवती थी।	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार को मृतका के निकट संबंधी को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 16 जनवरी 2023 की कार्यवाही	लागू नहीं	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर सरकार ने आयोग के दिनांक 16.01.2023 के आदेश को माननीय जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, श्रीनगर में रिट याचिका(C) संख्या 891/2023 के तहत चुनौती दी है।

क्र. सं.	केस संख्या	संस्तुति की तिथि/अंतिम निर्देश	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियां	राज्य प्राधिकारियों द्वारा संस्तुतियों को अस्वीकार करने के कारण	संस्तुतियों के खिलाफ प्राधिकारियों द्वारा रिट याचिका दायर की गई है/की जा रही है
7.	969/22/13/ 2017	12 फरवरी 2020 (आयोग द्वारा अंतिम बार 10 नवम्बर 2023 को विचार किया गया)	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अवैध शराब और वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल आरोपियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उसे झूठे केसों में फंसाया है। पुलिस ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उससे रिश्वत की मांग की। तमिलनाडु सरकार को पीड़ित को 3 लाख रुपये की आर्थिक राहत देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 12 फरवरी 2020 की कार्यवाही	लागू नहीं	आरोपी पुलिस अधिकारी ने मद्रास उच्च न्यायालय में केस दायर किया है, जहां सभी कार्यवाही रोक दी गई है।	
8.	582/25/15/ 2019-पीएफ	1 जुलाई 2022 (आयोग द्वारा अंतिम बार 25.09.2023 को विचार किया गया)	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जब पीड़ित बीफ का पैकेट लेकर घर जा रहा था, तो उसे बीएसएफ के जवानों ने रोका और बीफ देखकर आगबबूला हो गए और पीड़ित को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि जब पीड़ित की पत्नी शबाना बीबी उसे बचाने आई, तो उसे भी पीड़ित के साथ बेरहमी से पीटा गया।	भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव को दोनों पीड़ितों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक राहत देने की संस्तुति की गई। सदर्भ: 01 जुलाई 2022 की कार्यवाही	लागू नहीं	संबंधित संघ प्राधिकार ने सूचित किया है कि आरोपी कांस्टेबलों के खिलाफ एफआईआर में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक मुआवजे के भुगतान पर उचित कार्रवाई स्थगित रखी गई है।
9.	335/12/32/ 2023	9 अक्टूबर 2023	शिकायत के अनुसार, पीड़ित की मौत बिजली के टूटे हुए करंट प्रवाहित तार के संपर्क में आने के कारण हुई। यह घातक घटना तब हुई जब मृतक अपने दोस्त, 8 वर्षीय आदित्य कोरी के साथ ट्रैक्टर में खेल रहा था और एक टूटे हुए तार के संपर्क में आ गया।	मध्य प्रदेश सरकार को मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 9 अक्टूबर 2023 की कार्यवाही	लागू नहीं	मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग के दिनांक 09 अक्टूबर 2023 के आदेश को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका संख्या 26900/2023 के तहत चुनौती दी है।

क्र. सं.	केस संख्या	संस्तुति की तिथि/अंतिम निर्देश	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियां	राज्य प्राधिकारियों द्वारा संस्तुतियों को अस्वीकार करने के कारण	संस्तुतियों के खिलाफ प्राधिकारियों द्वारा रिट याचिका दायर की गई है/की जा रही है
10.	1817/4/32/ 2011	19 नवम्बर 2012 (आयोग द्वारा अंतिम बार 28.07.2023 को विचार किया गया)	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि विश्वकर्मा पूजा मना रहे लोगों पर 11000 वोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन का तार गिर गया। इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए।	बिहार सरकार को प्रत्येक मृतक के निकट संबंधियों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 9 नवम्बर 2012 की कार्यवाही	लागू नहीं	आयोग की संस्तुति को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या सीडब्ल्यूजेसी-3640/2014 में बिहार उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी गई।
11.	261/12/35/ 2019	23 नवम्बर 2019 (आयोग द्वारा 23 जनवरी 2023 को अंतिम बार विचार किया गया)	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आश्रय गृह की पीड़ितों का आरोपी व्यक्तियों द्वारा यौन शोषण, हमला और मारपीट की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार को पीड़ित लड़कियों को 3-3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। 23 दिसम्बर 2019 की कार्यवाही	लागू नहीं	मध्य प्रदेश राज्य ने आयोग की संस्तुति के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में रिट याचिका संख्या 17211/2020 दायर की थी।	
12.	2531/20/14/ 2018	31 मई 2022 (आयोग द्वारा 27 मार्च 2023 को अंतिम बार विचार किया गया)	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा कई अत्याचार, झूठे केस में फंसाना, जान से मारने की धमकी, उत्पीड़न और राज्य प्राधिकारियों द्वारा निष्क्रियता बरती गई।	राजस्थान सरकार को पीड़ित गोवर्धन सिंह को 01 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 23 दिसम्बर की कार्यवाही 2019	लागू नहीं	राजस्थान राज्य ने आयोग की संस्तुति के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में रिट याचिका संख्या सीडब्ल्यू/10831/2022 दायर की थी।

क्र. सं.	केस संख्या	संस्तुति की तिथि/अंतिम निर्देश	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियां	राज्य प्राधिकारियों द्वारा संस्तुतियों को अस्वीकार करने के कारण	संस्तुतियों के खिलाफ प्राधिकारियों द्वारा रिट याचिका दायर की गई है/की जा रही है
13.	35109/24/52/2016	29 अक्टूबर 2018 (आयोग द्वारा 27 मार्च 2023 को अंतिम बार विचार किया गया)	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि महोबा गैस एजेंसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की लापरवाही के कारण उसे सप्लाई किए गए इंडेन गैस सिलेंडर में आग लग गई और उसके पूरे घर में आग लग गई। आग में झुलसने से उसकी मां की मौत हो गई और मां को बचाने में शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्य भी झुलस गए।	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मुंबई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 29 अक्टूबर 2018 की कार्यवाही	लागू नहीं	आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 8878/2019 के माध्यम से चुनौती दी गई थी।
14.	5095/30/8/2018-पीसीडी	14 दिसम्बर 2022 (आयोग द्वारा अंतिम बार 19.04.2023 को विचार किया गया)	आयोग को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, साकेत कोर्ट, दिल्ली से गौरव गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता की 25 अप्रैल 2018 को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय बिल्डिंग, ब्लॉक नंबर 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली स्थित राजस्व खुफिया निदेशक के कार्यालय की छठी मंजिल से गिरकर मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी।	भारत सरकार के माध्यम से राजस्व खुफिया निदेशालय, डीआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली को मृतक के परिजन को 3 लाख रुपये की आर्थिक राहत देने की संस्तुति की गई थी। संदर्भ: 14 दिसम्बर 2022 की कार्यवाही	लागू नहीं	राजस्व खुफिया निदेशालय, नई दिल्ली ने आयोग की संस्तुतियों को (रिट याचिका(सि) संख्या 2226/2023) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
15.	9079/7/17/2014-ईडी	25 फरवरी 2022 (आयोग द्वारा अंतिम बार 19 अप्रैल 2023 को विचार किया गया)	7 जुलाई 2014 को हरियाणा के रोहतक में दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में राज कुमार पुत्र सतबीर सिंह और मुश्मत ज्योति पुत्री फूल सिंह की मौत से संबंधित है।	दिल्ली के पुलिस आयुक्त को मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 25 फरवरी 2022 की कार्यवाही	लागू नहीं	डायरी संख्या 9042/आरपी/ 2023 दिनांक 23.08.2023 को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, द्वारका से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि वे आयोग के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी कर रहे हैं।

क्र. सं.	केस संख्या	संस्तुति की तिथि/अंतिम निर्देश	शिकायत की प्रकृति	आयोग की संस्तुतियां	राज्य प्राधिकारियों द्वारा संस्तुतियों को अस्वीकार करने के कारण	संस्तुतियों के खिलाफ प्राधिकारियों द्वारा रिट याचिका दायर की गई है/की जा रही है
16.	25/14/14/ 2017-पीसीडी	16 दिसम्बर 2021 (आयोग द्वारा अंतिम बार 19 अप्रैल 2023 को विचार किया गया)	विचाराधीन कैदी राम नाथ की हिरासत में मौत के संबंध में एसपी, इंफाल पूर्व, मणिपुर से सूचना प्राप्त हुई	मणिपुर सरकार को मृतक के परिजन को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 16 दिसम्बर 2021 की कार्यवाही	लागू नहीं	मणिपुर राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुतियों को रिट याचिका(सि) संख्या 201/2023 के तहत मणिपुर उच्च न्यायालय, इम्फाल में चुनौती दी।
17.	757/30/7/ 2018-पीसीडी	10 फरवरी 2022 (आयोग द्वारा 24 नवम्बर 2023 को अंतिम बार विचार किया गया) वर्तमान केस 21 फरवरी 2018 को पुलिस स्टेशन नारायणा, जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की हिरासत में आरोपी दलबीर सिंह की हिरासत में हुई मौत से संबंधित है।	दिल्ली सरकार को मृतक के निकट संबंधियों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 10 फरवरी 2022 की कार्यवाही	लागू नहीं	दिल्ली पुलिस ने आयोग की संस्तुतियों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सी) संख्या 1824/2023 दायर की।	
18.	506/11/1/ 2017-पीसीडी	5 मई 2022 (आयोग द्वारा 9 मार्च 2023 को अंतिम बार विचार किया गया)	विचाराधीन कैदी राजू की हिरासत में मौत के संबंध में जिला पुलिस प्रमुख, अल्लाफुझा, केरल से सूचना प्राप्त हुई	केरल सरकार को मृतक के परिजन को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। संदर्भ: 5 मई 2022 की कार्यवाही	लागू नहीं	केरल सरकार ने आयोग की संस्तुतियों के खिलाफ माननीय केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सि) संख्या 4694/2023 (जे) दायर की।

अनुलग्नक -XIII

सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्र. सं.	संस्था	प्रशिक्षण की तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	25 अक्टूबर 2023	54
2.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान	10 अक्टूबर 2023	100
3.	महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़, पंजाब	16 सितम्बर 2023 29 सितम्बर 2023	50
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर, राजस्थान	9 दिसम्बर 2023	100
5.	विधि विभाग, तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम	12 सितम्बर 2023	100
6.	यशवंत तकनीकी शिक्षा संस्थान, सतारा, महाराष्ट्र	5 सितम्बर 2023	100
7.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	21-22 फरवरी 2024	100
8.	लोयोला कॉलेज, नुंगमबक्कल, चेन्नई, तमिलनाडु	28 नवम्बर 2023	100
9.	विवेकानंद कला एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय, तमिलनाडु	6 दिसम्बर 2023	100
10.	श्री सनातन धर्म महिला महाविद्यालय, बठिंडा, पंजाब	7 अक्टूबर 2023	113
11.	प्रसाद वी पोटलुरी सिद्धार्थ प्रोद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश	2 दिसम्बर 2023	100
12.	भारथिअर विश्वविद्यालय, कोयंबटूर, तमिलनाडु	2 नवम्बर 2023	100
13.	एसएस आर्ट्स कॉलेज और टीपी साइंस इंस्टीट्यूट, संकेश्वर, कर्नाटक	2 दिसम्बर 2023	100
14.	हिंदुस्तान प्रोद्योगिकी संस्थान, कोयंबटूर, तमिलनाडु	27 अक्टूबर 2023	150
15.	श्री वेंकटेश्वर हाई-टेक इंजीनियरिंग कॉलेज, तमिलनाडु	9 नवम्बर 2023	100
16.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, डी.ओ शिक्षा, सागर, म.प्र.	17 अक्टूबर 2023	100
17.	डॉ. अंबेडकर राजकीय विधि महाविद्यालय, पुडुचेरी	16 नवम्बर 2023	100
18.	चमन लाल महाविद्यालय, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड	15-17 फरवरी 2024	100
19.	ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद	11-12 मार्च 2024	100
20.	एवीवीएम श्री पुष्पम कॉलेज, तमिलनाडु	02 फरवरी 2024	100
21.	जीएच रईसनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर, महाराष्ट्र	23-24 फरवरी 2024	100
22.	आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	6-7 फरवरी 24	100
23.	श्रीमद अंदावन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	15 फरवरी 2024	100
24.	किसान सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, देवरिया, उत्तर प्रदेश	15 मार्च 2024	100
25.	सरदार पटेल सुभारती विधि संस्थान, मेरठ	17 फरवरी 2024	100
26.	रामानुजन महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय	19 मार्च 2024	100
27.	महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी, पंजाब	12-14 मार्च 2024	50

क्र. सं.	संस्था	प्रशिक्षण की तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
28.	क्राइस्ट (मानित विश्वविद्यालय)	12 मार्च 2024	100
29.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	5 -6 मार्च 2024	100
30.	शारदा गंगाधरन महाविद्यालय, पुडुचेरी	29 फरवरी 2024	100
31.	शसुन जैन महिला महाविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	7 मार्च 2024	100
32.	पैट्रिशियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, चेन्नई	8 -9 फरवरी 24	100
33.	करीम सिटी महाविद्यालय, जमशेदपुर, झारखंड	6 मार्च 2024	100
34.	धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश	17 फरवरी 2024	100
35.	ओडिशा पुलिस बीजू पटनायक राज्य पुलिस अकादमी, भुवनेश्वर	21-22 मार्च 2024	50
36.	श्री ग्रामोद्योग संस्थान, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	9-10 मार्च 2024	100
37.	जीटीएन कला महाविद्यालय डिंडीगुल, तमिलनाडु	29 फरवरी 2024	100
38.	गुड न्यूज़ वेलफेयर सोसाइटी आर्ट्स एंड कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, कलघाटगी, कर्नाटक	29 जनवरी 2024	100
39.	यूनिवर्स विजन (एनजीओ) भुवनेश्वर, ओडिशा	28 जनवरी 2024	100
40.	जीनत बी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी (एनजीओ), मुरादाबाद, यूपी	21 फरवरी 2024	100
41.	एमटीयू फाउंडेशन (एनजीओ) मुरादाबाद, यूपी	9 मार्च 2024	100
42.	श्री ढोकेश्वर महाविद्यालय अहमदनगर, महाराष्ट्र	19 मार्च 2024	100
43.	बीएमएस प्रोद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक	21 मार्च 2024	100
44.	पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात	22 मार्च 2024	100
45.	दयाल सिंह महाविद्यालय, दिल्ली	16-17 मार्च 2024	100
46.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	27-28 मार्च 2024	100
47.	भारती सेवा सदन ट्रस्ट अररिया, बिहार	27 मार्च 2024	100
48.	महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था की श्रीमती बकुल ताम्बट नर्सिंग शिक्षण संस्थान, खारवेनगर, पुणे, महाराष्ट्र	27 मार्च 2024	100

अनुलग्नक- XIV

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में संस्थानों के विद्यार्थियों एवं सरकारी अधिकारियों का दौरा

क्र. सं.	संस्था	दौरों की तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
1.	मॉडर्न विधि महाविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश	22 अप्रैल 2023	40
2.	सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान	27 अप्रैल 2023	39
3.	राष्ट्रीय महिला आयोग	11 मई 2023	12
4.	जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, द्वारका	23 मई 2023	24
5.	जेमटेक स्कूल ऑफ लॉ	24 मई 2023	42
6.	सत्यभामा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	19 जून 2023	94
7.	आईएएस (एजीएमयूटी:2021) अधिकारी प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय (यूटीसीएस), दिल्ली	19 जून 2023 - 20 जून 2023	2
8.	सोसाइटी फॉर कम्युनिटी ऑर्गनाइजेशन ट्रस्ट, (एसओसीओ) ट्रस्ट	28 जुलाई 2023	8
9.	ज्ञान भारती स्कूल, साकेत, दिल्ली	7 अगस्त 2023	4
10.	शारदा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यालय, नोएडा	6 सितम्बर 2023	20
11.	कारागार एवं सुधार प्रशासन अकादमी, वेल्लोर, तमिलनाडु	26 सितम्बर 2023	19
12.	लॉ सेंटर-II, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय	3 अक्टूबर 2023	53
13.	सामाजिक कार्य विभाग, वूरहीस महाविद्यालय, वेल्लोर, तमिलनाडु	10 अक्टूबर 2023	23
14.	डॉ. अखिलेश दास गुप्ता प्रोद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, शास्त्री पार्क, दिल्ली (सीपी नं. पर)	27 अक्टूबर 2023	41
15.	लॉ सेंटर-II, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय	3 नवम्बर 2023	60
16.	रॉयल विधि महाविद्यालय, गाजियाबाद	8 नवम्बर 2023	37
17.	एमेक्स विधि महाविद्यालय, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	21 नवम्बर 2023	37
18.	एशियन विधि महाविद्यालय, नोएडा	29 नवम्बर 2023	50
19.	सिंहगढ़ विधि महाविद्यालय, पुणे	4 दिसम्बर 2023	34
20.	दुर्गापुर विधि महाविद्यालय, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	6 दिसम्बर 2023	119
21.	विधि, फोरेंसिक न्याय एवं नीति अध्ययन विद्यालय, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, दिल्ली कैंपस	27 दिसम्बर 2023	13
22.	डीईएस विधि महाविद्यालय, पुणे	2 फरवरी 2024	42
23.	सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय	5 फरवरी 2024	35
24.	डॉ. डीवाई पाटिल विधि महाविद्यालय	5 फरवरी 2024	35
25.	मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालय (स्वायत्त), मुंबई, महाराष्ट्र	6 फरवरी 2024	47
26.	चेंबूर कर्नाटक विधि महाविद्यालय, मुंबई	7 फरवरी 2024	45
27.	एलएनजेएन राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान	14 फरवरी 2024	11

क्र. सं.	संस्था	दौरों की तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
28.	सत्यभामा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	20 फरवरी 2024	53
29.	गोखले एजुकेशन सोसाइटी लॉ कॉलेज, खारघर, नवी मुंबई	21 फरवरी 2024	37
30.	दुर्गापुर विधि अध्ययन संस्थान, आसनसोल	27 फरवरी 2024	45
31.	राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा,	27 फरवरी 2024	7
32.	स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, सीकॉम स्किल्स यूनिवर्सिटी बोलपुर, बीरभूम, पश्चिम बंगाल	28 फरवरी 2024	87
33.	यशवंत महाविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र	29 फरवरी 2024	27
34.	जिंदल ग्लोबल विधि महाविद्यालय, सोनीपत हरियाणा	01 मार्च 2024	37
35.	सोनोपंथ दांडेकर विधि महाविद्यालय, पालघर, महाराष्ट्र	1 मार्च 2024	53
36.	पारुल विधि संस्थान, वडोदरा, गुजरात	4 मार्च 2024	14
37.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र	12 मार्च 2024	38
38.	यशवंतराव चव्हाण विधि महाविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र	12 मार्च 2024	26
39.	केएलईएफ विधि महाविद्यालय, आंध्र प्रदेश	14 मार्च 2024	75
40.	विधि विभाग, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, दिल्ली	15 मार्च 2024	22

अनुलग्नक XV

2023-2024 के दौरान आयोग द्वारा जारी आदेशों का विवरण

क्र. सं.	कार्रवाई कोड	आदेशों की संख्या	पूर्ण रूप
1.	एनओटी	1,750	नोटिस जारी
2.	एटीआर	4,394	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
3.	एसएमसी	2,130	सशर्त सम्मन
4.	एसयूएम	148	सम्मन
5.	डीजीआई	2,449	महानिदेशक (अन्वेषण) को भेजा गया
6.	एससीएन	601	कारण बताओ नोटिस जारी
7.	सीएमपी	414	राहत प्रदान की गई [मुआवजा, अनुशासनात्मक और अभियोजन]
8.	सीसीसी	1,524	शिकायतकर्ता की टिप्पणियां मांगी गईं
9.	एआईसी	11,652	अतिरिक्त जानकारी मांगी गई
10.	सीडीडब्ल्यू	2,953	प्राधिकारी को निर्देश देते हुए केस को बंद करना
11.	सीएलडी	8,640	निष्कर्ष निकाला गया और आगे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं
12.	आरबीजी	40	सरकार द्वारा राहत (आयोग के हस्तक्षेप के कारण)
13.	डीडब्ल्यूडी	19,302	निर्देशों के साथ निपटान
14.	ओडीसी	97	आयोग द्वारा अन्य निर्देश
15.	एसएचआर	5,740	राज्य मानव अधिकार आयोग को हस्तांतरित
16.	डीआईएल	44,644	प्रथम दृष्टया खारिज
17.	डीएलआर	614	रजिस्ट्रार द्वारा अ०शा० पत्र जारी
18.	डीओआर	86	प्राधिकारी को अ०शा० अनुस्मारक
19.	आरडीबी	16	खण्डपीठ को संदर्भित
20.	आरएफसी	28	पूर्ण आयोग को संदर्भित
21.	आरएससी	98	कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए अनुस्मारक
22.	एससीआर	2	कारण बताओ नोटिस जारी (रिपोर्ट प्रतीक्षित)
	कुल	**107,322**	

टिप्पणी

टिप्पणी

समानी प्रपा सह वोन्नभागः।
समाने योक्ते सह वो युनज्मि।
अराः नाभिमिवाभितः॥

- अथर्ववेद-संज्ञान सूक्तम्

सभी मानव जन्म से स्वतंत्र हैं उनकी प्रतिष्ठा और अधिकार समान हैं उन्हें भगवान ने बुद्धि और अंतरात्मा प्रदान की है और उन्हें एक-दूसरे के प्रति भ्रातृभाव से व्यवहार करना चाहिए, जिस प्रकार रथ के पहिए की तारें चक्र को धुरी से जोड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार सभी को सामरस्यपूर्वक एक-दूसरे की सहायता करनी चाहिए।

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन
ब्लॉक-सी, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
दूरभाष: 91-11-24663296, फैक्स: 91-11-24651329

covdnhrc@nic.in www.nhrc.nic.in @India_NHRC